

ISSN-2319-9997  
UGC Approved journal SL No. - 64567  
Volume: VI, Issue: 1 & 2, Year: 2017

**Journal  
of  
Nehru Gram Bharati  
University**



Published By  
**Nehru Gram Bharati Deemed to be University**  
Allahabad, U.P. India  
[www.ngbu.edu.in](http://www.ngbu.edu.in)

**ISSN-2319-9997**  
**UGC Approved journal SL No. - 64567**  
Volume: VI, Issue: 1 & 2, Year: 2017

**Journal of Nehru Gram Bharati University**  
**(A Biannually Published Peer Reviewed Journal)**

**Editor-In-Chief**  
**Smt. Smita Mishra**  
Nehru Gram Bharati Deemed to be University  
Allahabad, 221505 U.P. India  
[www.ngbu.edu.in](http://www.ngbu.edu.in)

**Editorial Board**

**Prof. K.P. Mishra (India)**  
**Prof. K. B. Pandey (India)**  
**Prof. L. J. Singh (India)**  
**Prof. Mohi Rezvani (U.K.)**  
**Prof. Carmel E. Mothersill (Canada)**  
**Prof. J. K. Kim (South Korea)**  
**Prof. H. Mastsumoto (Japan)**  
**Prof. S. G. Praksh (India)**  
**Prof. R. P. Mishra (India)**  
**Prof. Z. Zhumadilov (Kazakhstan)**  
**Prof. Kazuo Suzuki (Japan)**  
**Prof. C. Rudowicz (Poland)**  
**Prof. Prabuddha Ram Nishra (U.S)**  
**Prof. Suneet Dwivedi (India)**  
**Prof. S. Mitaku (Japan)**  
**Prof. G. Safrany (Hungary)**  
**Prof. Anna Giovanetti (Italy)**  
**Prof. R. P. Hill (Canada)**

**Patronage and Guidance**

**Hon'ble Shri J. N. Misra (Chancellor)**  
**Prof. P. N. Pandey (Vice Chancellor)**  
**Dr. S.C. Tiwari (Pro V.C.)**  
**Dr. P.K. Tiwari (Registrar)**  
**Shri Maneesh Mishra (Secretary)**

**Journal of Nehru Gram Bharati University**  
**(A Biannually Published Peer Reviewed Journal)**

Volume: VI, Issue: 1 & 2, Year: 2017

**Contents**

- **Diatom and benthic macroinvertebrate community in lower section of the river Belan, India**  
Asheesh Shivam Mishra, Prabha Tripathi and Indu Singh 6-12
- **Exploitation structure and age pyramid of *Cyprinus carpio* from the Ken River, India**  
Amitabh Chandra Dwivedi<sup>1</sup>, Priyanka Mayank<sup>1</sup> and Ashesh Sheevam Mishra<sup>2</sup> 13-19
- **Reproductive profile of *Eutropiichthys vacha* (Hamilton, 1822) from the middle stretch of the Ganga river, India**  
Sarita Tripathi and Anita Gopesh 20-26
- **Allozyme variability in the *Cryomya megacephala*, from Allahabad India**  
Sarita Agrawal<sup>1</sup>, Pratima Gaur<sup>2</sup> 27-34
- **Challenges and opportunities in Dye-sensitized solar cells**  
Raj Kamal Yadav<sup>a</sup>, Ratima Chauhan<sup>a,\*</sup>, Pooja Dwivedi<sup>a</sup> 35-42
- **A Photochemical and non-photochemical quenching study of microalgae and their consortia for CO<sub>2</sub> sequestration through carbonic anhydrase activity**  
Adi Nath<sup>1,2</sup> and Shanthi Sundaram<sup>1</sup> 43-59
- **Special Yoga with Special Needs Children**  
Sanjay Kumar Singh 60-66
- **GST :- Implication For Indian Economy**  
Vinod Kumar Pandey and Vikas Maurya 67-74

- **Development of Science & Technology in Ancient India-  
With Special Reference to Harappan Civilization**  
Devendra Pratap Mishra 75-78
- **Human Rights in India**  
Abhishek Tiwari 79-82
- **Is Rashtriya Swasthya Bima Yojana an Effective tool in the  
Health Need of Women: A Study of Allahabad District of U. P.**  
Shweta Pal 83-93
- **जैव विविधता की आवश्यकता एवं महत्व तथा संरक्षण के प्रयास**  
शैलजा राय 94-102
- **असाध्यवीणा : कथ्य**  
ओंकारनाथ 103-107
- **भारत में मास मीडिया की स्थिति एवं सामाजिक सम्बन्धों  
का प्रभाव**  
पंकज कुमार यादव 108-113
- **स्वास्थ्य बाल विकास, महिला सशक्तीकरण एवं मीडिया**  
श्वेता तिवारी 114-117
- **वर्तमान शिक्षा में अध्यापकों द्वारा प्रयोग किये जाने नये  
तकनीकी का प्रयोग एवं महत्त्व**  
अमित सिंह 118-125
- **उच्चशिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की राजनीतिक  
रुचि का अध्ययन**  
कुलदीप कुमार पाण्डेय 126-132
- **गीता में निष्काम कर्मयोग की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि**  
अच्युत कुमार यादव 133-138
- **गुप्तकालीन कृषि तथा सिंचाई व्यवस्था का वैज्ञानिक एवं  
तकनीकी विश्लेषण**  
पीयूष वर्मा एवं प्रवीण कुमार मिश्रा 139-143
- **ऋग्वैदिक समाज में नारियों की स्थिति**  
अखिलेश्वर वर्मा एवं प्रवीण कुमार मिश्रा 144-146
- **मीडिया और आधुनिक समाज**  
दीप्ती द्विवेदी एवं अवध नारायण 147-156
- **माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता  
का उनकी शैक्षिक उपलब्धि में सम्बन्ध का अध्ययन**  
राघवेन्द्र मालवीय एवं डॉ.अविनाश पाण्डेय 157-164

- भारत में महिलाओं की स्थिति : एक विश्लेषण  
अनिल कुमार मौर्य 165-170
- इच्छा मृत्यु : एक विमर्श  
जितेन्द्र प्रताप सिंह 171-175
- तीन तलाक : एक संवैधानिक नैतिकता  
दिलीप द्विवेदी 176-179
- आधुनिक काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति-विमर्श  
यशस्विनी भट्ट 180-183
- महात्मा गाँधी के विचारों की प्रासंगिकता  
सन्तेश्वर कुमार मिश्र 184-189
- राही मासूम रजा : जीवन संघर्ष एवं कृतित्व  
जय सिंह यादव 190-199
- माध्यमिक स्तर के छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि का उनके अध्ययन  
आदतों एवं अध्ययन अभिवृत्ति पर प्रभाव  
अनूप कुमार यादव 200-206
- मन्नू भंडारी के कथा-साहित्य में नारी जीवन  
गरिमा गुप्ता 207-212
- ग्रामीण महिलाएं : दिशा एवं दशा  
ज्ञानेश कुमार त्रिवेदी 213-215
- वर्तमान जीवन शैली में योग की सार्थकता  
तुषार रंजन 216-220
- एकात्म मानववाद: राष्ट्रपुनर्निर्माण की प्रस्तावना  
प्रबुद्ध मिश्र 221-224
- हिन्दी का वैश्विक परिदृश्य  
सलिल कुमार पाण्डेय 225-232
- हिमालय की नाग संस्कृति-एक विवेचना  
विजय बहादुर सिंह यादव 233-236
- बुनियादी शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रासंगिकता  
श्रवण कुमार, मीनू पाण्डेय 237-246
- **Judicial Sensitivity towards the Women Crime  
and Delinquency**  
Swapnil Tripathi 247-260

All the visions, thoughts and opinions published in JNGBU are of contributors. The acceptance of the Editor is not mandatory.

# **Diatom and benthic macroinvertebrate community in lower section of the river Belan, India**

**- Asheesh Shivam Mishra<sup>1</sup>,  
Prabha Tripathi<sup>1</sup> and Indu Singh<sup>2</sup>**

---

## **Abstract**

*A survey was conducted to determine the benthic community in a central Indian river the Belan during February 2016. Standards methods were adopted for the sampling of benthic diatom flora and benthic macroinvertebrate fauna at two stations of the river right bank (S1) and left bank (S2). The physico-chemical parameters indicated no substantial change between two stations. Twenty benthic diatom genera were recorded dominated by family Navaculaceae > Frailariaceae > Achnanthaceae. The benthic macroinvertebrate community was dominated mollusca > arthropoda > annelida. The family number was low in present study may be probably due low samples size.*

**Keywords:** Belan river, Central Highlands, Navaculaceae, mollusca

## **Introduction-**

Odum (1996) classified organisms in water according to their life form or life habit based on their mode of life. Periphyton or Aufwuchs, the organisms (both plant and animals) attached or clinging to, streams and leaves of rooted plants or other surface projecting above the bottom. Plankton, the free-floating microscopic organisms of plant or animal origin, which remain at the mercy of the current and associated with water -water interface. Benthos, the floral or faunal components that dwell on the bottom or in the bottom sediments of the stream and are associated with solid-water interface. Neuston, the organisms associated with air - water interface and resting or swimming on the surface of water. Nekton, the fauna associated with water - water interface capable of performing active locomotion as they have powerful locomotory organs (fishes).

The rivers are characterized by their unidirectional flow and thoroughly mixed waters (Patrick 1948). Cooper et al. (1998) state that streams are characterized by a unidirectional flow, and solutes,

detritus, sediments and organisms are constantly delivered from upstream to downstream areas. Odum (1996) is of the view that current velocity is the major limiting factor in the lotic environment. Thus streams generally exhibit two major communities, rapids and pools; within these broad categories the type of bottom whether sand, pebbles, clay and bedrock determines the nature of the communities and the population density of community dominants.

The freshwater biodiversity is distributed in a fundamentally different pattern from that in marine or terrestrial systems (Nautiyal et al 2010). The loss of biodiversity in ecosystem has an important implication, including diminished resistance and resilience to disturbance, system simplification, and loss of ecological integrity. In case of fresh water biodiversity especially in lotic ecosystem, the aquatic biodiversity information is available in some central Indian rivers; Betwa, Ken, Paisuni and Tons regarding diatom flora (Nautiyal et al 2004; Verma and Nautiyal 2010), benthic macroinvertebrate fauna (Mishra and Nautiyal 2011, 2013, 2016; Nautiyal and Mishra 2012, 2013). However several rivers are still unexplored in this eco-region. Thus a point survey was conducted in the river Belan which is also a central Indian unexplored river for benthic community.

#### **Materials and methods-**

The river Belan is a central Indian river occupies a low-relief valley cut into Proterozoic quartzite of the Vindhyan Group about 80 km southeast of Allahabad. The river runs westward parallel to the Kaimur Hills, a prominent upland of the northern Indian Craton that lies a few kilo meters to the south. It originates from Kaimur hill series in Madhya Pradesh and join the Tons River at Chakghat, which flows northward to the Ganga Plains south of Allahabad Uttar Pradesh. The samples were collected from left bank (S1) and right bank (S2). The village Deeh is located at S1 (25°2'.1.6"N latitude, 81°45'.18.8"E longitude, 94 meter asl) in Madhya Pradesh (Figure 1). This location was 50 km (approx.) upstream from the confluence with the Tons river at Chakghat. The samples were collected once in the February 2016 during day time. Standards methods were adopted for the sampling of diatom flora (Nautiyal et al 2004) and benthic macroinvertebrate fauna (Shivam 2006). The collected samples were brought to Benthic

Ecology Laboratory, Department of Zoology, Nehru Gram Bharati (Deemed to be University) Allahabad for identification and analysis purpose. Standard literatures were followed for the taxonomic identification.

### **Results and Discussion**

The water temperature was recorded 19 and 19.4 °C at S1 and S2, while pH was 7.4 and 7.6, respectively. The transparency was less than 0.20 m. The slight variation was in dissolved oxygen 6.1 and 6.4 mgL<sup>-1</sup>, total alkalinity 20 and 21 mgL<sup>-1</sup> and total hardness 138 and 140 mgL<sup>-1</sup> at S1 and S2. At both the banks, no change was observed in the concentration of phosphate (0.1mgL<sup>-1</sup>) and nitrate (0.5mgL<sup>-1</sup>).

In case of Diatom flora, total 20 genera were recorded during the study. The family Naviculaceae showed highest taxonomic richness followed by Fragilariaceae, Achnanthaceae and Thalassiosiraceae (Table 1, Figure 2). The high taxonomic richness of Naviculaceae family was also recorded by Verma and Nautiyal (2010) in the Central Indian rivers; Ken, Paisuni and Tons. Jüttner et al (1996) also reported similar observations in the Nepal Himalayan rivers.

In case benthic macroinvertebrate fauna, the molluscs were most abundant group in the benthic community. The arthropoda and annelid were at also recoded. Among the mollusc, gastropods were dominant followed by palecypods. The percentage composition of the family Bythinidae was more followed by Thiaridae. The higher share of the mollusc was attributed to presence of soft sediments (sand, silt and clay) at both the banks of the river. The agriculture land use is also supportive for the abundance of the mollusc because the runoff from the agriculture filed transports the calcium and magnesium ions in to the river, resulting the abundance of the shell animals. In the Arthropods, Coleoptera contributed major share. The presence of Crustaceans was noticeable at left bank only may be due low sample size (Figure 3). Mishra and Nautiyal (2011, 2013) also observed the similar observations in the lower stretch of the other central Indian rivers Paisuni, Tons and Ken, respectively. Mishra and Nautiyal (2016) also observed that nature of substrate particle govern the community composition of benthic macroinvertebrate fauna. Probably the number of family was low in present due low samples size. Thus,



an exhaustive study is required for the exploration complete information about the aquatic biodiversity of the river Belan.

### **Acknowledgment**

The first author acknowledge Prof. Prakash Nautiyal, Department of Zoology and Biotechnology, H.N.B. Garhwal (Central) University Srinagar, Uttarakhand for providing me library assistance during the preparation of the manuscript.

### **References**

Cooper, S.D., Diehl, S., Kratz, K., Sarnelle, O. 1998. Implications of scale for patterns and processes in stream ecology. *Australian Journal of Ecology* 23(1):27–40

Mishra, A. S. and Nautiyal P. 2011. Factors governing longitudinal variation in benthic macroinvertebrate fauna of a small Vindhyan river in central highland ecoregion (Central India). *Tropical Ecology*, 52 (1): 103-112.

Mishra, A. S. and Nautiyal P. 2013. Longitudinal distribution of benthic macroinvertebrate assemblages in a Central Highlands river, the Tons (Central India). *Proceedings of National Academy of Sciences, India, (Biological. Science)*, 83(1):47–51. DOI 10.1007/s40011-012-0083-4

Mishra, A.S.& Nautiyal P. Substratum as determining factor for the distribution of benthic macroinvertebrate fauna in a river ecosystem. *Proceedings of the National Academy of Sciences (Biological Sciences)*, 2016, 86(3):735-742, DOI 10.1007/s40011-015-0520-2

Nautiyal , P., Nautiyal, R., Kala, K. and Verma, J. 2004. Taxonomic richness in the diatom flora of Himalayan streams Garhwal, India. *Diatom* 20: 123-132

Nautiyal P., Mishra A.S. 2012. Longitudinal distribution of benthic macroinvertebrate fauna in a Vindhyan river, India. *International Journal of Environmental Science*, 1(3): 150-158.

Nautiyal P., Mishra A.S. 2013. Variations in benthic macroinvertebrate fauna as indicator of land use in the Ken River,

central India. Journal of Threatened Taxa 5(7): 4096–4105; <http://dx.doi.org/10.11609/JoTT.o3211.4096-10>.

Nautiyal P., Shivam A., Rawat, G., Singh, K. R., Verma, J. and Dwivedi, A. C. 2004. Longitudinal variation in the structure of benthic communities in the upland Vindhyan and Himalayan rivers: River Continuum Concept Approach. National Journal of Life Sciences, 1(1): 85-88

Nautiyal, P., Nautiyal, R., Semwal V. P., Mishra, A. S. and Verma J. 2010. Freshwater bio-resource and their biogeography in the highland rivers of Indian subcontinent. In Bioresources for Food Security and Rural Livelihood, Edited by GK. Kulkarni & B.N. Pandey, Pp 83-95.

Odum, E.P. 1996. Fundamentals of ecology, 3rd edn. Saunders College Publishing, Philadelphia, p 574

Patrick, R. 1948. Factors effecting the distribution of diatoms. Botanical Review, 14:473–524

Shivam, A. 2006. Longitudinal distribution of the benthic macroinvertebrate community in the fluvial systems of Vindhyan hills. D.Phil Thesis, University of Allahabad. Pp. 200.

Verma, J. and Nautiyal, P. 2010. Floristic composition of the epilithic diatoms of central highlands region of Indian subcontinent; Thalassiosiraceae, Fragilariaceae, Eunotiaceae and Achnanthaceae. Journal of Botanical Society 89 (3&4): 397-400


**Table 1** Diatom flora in lower stretch of the river Belan

S. No.	Family	Genus
1.	Fragilariaceae	<i>Diatoma</i> sp.
2.		<i>Tabellaria</i> sp.
3.		<i>Staurosira</i> sp.
4.		<i>Synedra</i> sp.
5.	Achnanthaceae	<i>Cocconeis</i> sp.
6.		<i>Achnanthidium</i> sp.
7.		<i>Achnanthes</i> sp.
8.	Bacillariaceae	<i>Nitzschia</i> sp.
9.	Surirellanceae	<i>Surirella</i> sp.
10.	Thalassiosiraceae	<i>Aulacoseira</i> sp.



11.		<i>Rhopalodia</i> sp.
12.		<i>Cyclotella</i> sp.
13.	Naviculaceae	<i>Gyrosigma</i> sp.
14.		<i>Navicula</i> sp.
15.		<i>Amphora</i> sp.
16.		<i>Gomphonema</i> sp.
17.		<i>Cymbopleura</i> sp.
18.		<i>Cymbella</i> sp.
19.	Epithemiaceae	<i>Epithemia</i> sp.
20.	Eunotiaceae	<i>Eunotia</i> sp.

**Figure 1:** (A) Location of Belan River in the India map through box (B) The Belan river and its confluence with the Tons river. (C). Sampling locations at right and left bank of the river.

**Figure 2** The number of genus in the each family of the diatom community in the river Belan



**Figure 3** Taxonomic composition of the benthic macroinvertebrate fauna in the lower stretch of the river Belan



**Asheesh Shivam Mishra<sup>1</sup>, Prabha Tripathi<sup>1</sup> and Indu Singh<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Department of Zoology, Nehru Gram Bharati (Deemed to be University), Allahabad-221505, Uttar Pradesh, India

<sup>2</sup>Department of Zoology, Kamla Nehru Institute of Physical and Social Sciences, Sultanpur, Uttar Pradesh, India

# **Exploitation structure and age pyramid of *Cyprinus carpio* from the Ken River, India**

**- Amitabh Chandra Dwivedi<sup>1</sup>, Priyanka Mayank<sup>1</sup>  
and Ashesh Sheevam Mishra<sup>2</sup>**

---

## **Abstract**

Aquatic foods are becoming gradually more important in the human diet due to fresh availability. Finfishes in particular provide an affordable source of animal protein with omega 3 fatty acids to rural poor in developing countries. *Cyprinus carpio* is a highly successful invasive fish species. Investigation was carrying out during January 2015 to February 2016 from the Ken river, India. Five hundred five (505) fish specimens of *C. carpio* were examined for determination of exploitation structure and age pyramid. The age classes varied from 0+ to 10+. The age classes indicated that the ken river was very suitable for *C. carpio*. The 2+ age group was most dominated from the Ken river. The urn shape age pyramid was recorded. The stock of *C. carpio* was dense by small fishes from the Ken river. The 9+ and 10+ age groups of fishes were shared very minute proportion.

**Keywords:** *Cyprinus carpio*, Ken river, age class, age pyramid

## **Introduction-**

Changes in aquatic environmental conditions can generate strong selection on fitness-related traits of organisms (Mayank and Dwivedi 2017). Various organisms have tremendous capacity for adaptation in new environment i.e. *Cyprinus carpio* is a good example (Miehls *et al.* 2009, Dwivedi *et al.* 2016a). *C. carpio* has a long history of domestication (Dwivedi *et al.* 2014, Pathak *et al.* 2013). It is the only fish which has perhaps a globally distribution since the current century (Vilizzi *et al.* 2015, Tiwari and Dwivedi 2014, Crichigno *et al.* 2016). It is a hardy fish that is well suited for aquaculture and fast growing fish (Tiwari *et al.* 2016). It forms most productive fishery (riverine) in the Ganga basin, India with *Oreochromis niloticus* (Maynak and Dwivedi 2015, Dwivedi *et al.* 2016a). It is an alien fish species for India. Invasive alien species (IAS) are species whose introduction or spread outside their natural distribution. Fishes are

among the most introduced group of aquatic animal in the world. Non-native species continue to be a leading threat to the structure and function of ecosystems worldwide (Gozlan *et al.* 2010, Dwivedi *et al.* 2017a, Vilizzi and Copp 2017, Tripathi *et al.* 2017a).

The Ken river is a perennial river. It is very important natural resource for agriculture and drinking water in Bundelkhand region. River fisheries play a critical role in the livelihoods of artisanal fishing communities by providing food security, nutrition, employment, and poverty alleviation (Barletta *et al.* 2010, Dwivedi *et al.* 2009, Imran *et al.* 2015, Tripathi *et al.* 2017a). River fisheries governance depends on institutions, policies, economic and political scenarios, and patterns of decision making that often are outside the fishery sector (Rizvi *et al.* 2012, Tripathi *et al.* 2017b). The present study was thus undertaken to estimate the invader potential and population structure of *C. carpio* with respect of climate from the Ken river, India.

### **Material and methods**

Random fish samples of *Cyprinus carpio* were collected from fish landing centre at Banda district, India. Monthly samples were collected from January 2015 to February 2016. A total of specimens (505) were collected from the landing centre. The cast netting, gill netting, drag netting and hook & line were used to catch. The drag net was the most suitable and beneficial for the catch of *C. carpio* from the Ken river. It is locally known as name of “China rohu”. The key scales were used for determination of the age of *C. carpio*. Prior to age determination, it was essential to establish the fact that the fish scale radius increases with the length of fish or not, since the scale may be regenerated. Hence, establishment of the fact that the annual increment in length of the scales maintains a constant ratio with increase in length of the fish throughout the years, is of great importance implying the suitability of their scales for age determination.

Key scales were removed from the row above lateral line and below dorsal fin region (Bagenal and Tesch 1978, Pathak *et al.* 2014, Tahseen *et al.* 2015). The scales were cleaned in 5% KOH solution to remove adhering- tissues and finally washed in distilled water. The scales were then pressed between two glass plates while drying in order to avoid their curling. A total of 505 fish specimens (male and

female) were analyzed. The total length (cm) from the tip of snout to the end of caudal fin rays was measured and key scales were taken from below the dorsal fin (3 or 4 rows) and above the lateral line. The annulus formation was determined according to the criterion suggested by (Bagenal and Tesch 1978, Mayank *et al.* 2015, Dwivedi *et al.* 2016b); widely spaced ridges follow a zone of closely spaced ridges. The annulus is usually considered to be at the outer border of the closely spaced ridges. The number of annuli for each scale was recorded. Age was determined on the basis of annuli and designated as 1+, 2+... A percentage frequency table was prepared on the basis of age and to compute in different sexes (male and female). Population structures of male and female fish were determined on the basis of age group.


### Result and discussion

The age classes of *C. carpio* varied from 0+ to 10+ from the Ken river, India. The 2+ age group was most exploited and dominated from the river. This age group was more attracted to fishermen community in this region and also consumers. After 2+ age group, exploitation of fishes are gradually decline. The 10+ age group contributed small proportion (Fig. 1). The exploitation is an economic activity governed by social needs and pressures (Dwivedi *et al.* 2014). Exploitation typically causes a loss of older individuals, resulting in a decrease in the average age and in the number of age classes in the spawning stock (Ottersen *et al.* 2006, Mayank and Dwivedi 2016a, Dwivedi *et al.* 2016b).



**Figure. 1** Exploitation structure of *C. carpio* from the Ken river, India

The urn shape age pyramid of *C. carpio* was recorded from the Ken river, India. The age groups varied from 0+ to 10+. The age group 2+ dominated by virtue of numbers with 21.19%. Hence, the proportion of 0+ and 1+ age groups were much less than 2+ age group. The age groups 0+, 1+ and 2+ indicated that the small sized fishes most dominate in the catch of *C. carpio* in the Ken river. The higher age groups (8+, 9+ and 10+) contributed small proportion 2.57%, 1.39% and 0.99%, respectively (Fig. 2). The distribution was uneven between 3+ to 4+ age groups. The percentage was abruptly declined between 3+ to 4+ age groups with 10.89%. Pathak *et al.* (2011) urn shaped age pyramid was recorded in *C. carpio* from the Ganga river at Allahabad. According to Odum (1971), the urn shaped age pyramid indicates a low percentage of young individuals. In a fish population wide range of age pyramid is indicative of suitable environment in the habitat (Mayank and Dwivedi 2015). The age pyramid of fishes are altered by fishing pressure (Dwivedi *et al.* 2017b, Mayank and Dwivedi 2016b)



**Figure 2 Age pyramid of *C. carpio* from the Ken River, India**

### References

Bagenal, T. and F. Tesch (1978). Age and Growth. In: Methods for Assessment of Fish Production in Fresh Waters Edited by T. Bagenal, Blackwell Scientific Publication Oxford 3rd Edition, 1978. Pp 101-36.

Barletta, M., A. J. Jaureguizar, C. Baigún, C., N. F. Fontoura, A. A. Agostinho, V. Almeida-Val, A. Val, R. A. Torres, L. F. Jimenes, T.



Giarrizzo, N. N. Fabré, V. Batista, V. C. Lasso, D. C. Taphorn, M. F. Costa, P. T., J. P. Vieira, and M. F. Correa (2010). Fish and aquatic habitat conservation in South America: a continental overview with emphasis on neotropical systems. *Journal of Fish Biology*, **76**: 2118-2176.

Crichigno S, P. Cordero, G. Blasetti and V. Cussac (2016). Dispersion of the invasive common carp *Cyprinus carpio* in southern South America: changes and expectations, westward and southward. *J. Fish. Biol.*, **89**: 1068-1097. doi:10.1111/jfb.13008.

Dwivedi, A. C., D. N. Jha and P. Mayank (2014). Food security, livelihood and non-native fish species: status, trends and future perspectives. *J. Kalash Sci.*, **2(3, special volume)**: 41-46.

Dwivedi, A. C., A. S. Mishra, P. Mayank and A. Tiwari A. (2016a). Persistence and structure of the fish assemblage from the Ganga river (Kanpur to Varanasi section), India. *Journal of Geography and Natural Disasters*, **6**: 159. Doi: 10.4172/2167-0587.1000159.

Dwivedi AC, Nautiyal P, Rizvi AF, Mayank P. (2016b). Landing scenario, size, age and population dynamic of *Labeo rohita*, *Tor tor* and *L. calbasu* response to need their restoration in the Vindhyan region, India. *J. Kalash Sci.*, **4(1)**: 27-40.

Dwivedi, A. C., P. Mayank, S. Tripathi and A. Tiwari (2017a). Biodiversity: the non-natives species versus the natives species and ecosystem functioning. *Journal of Biodiversity, Bioprospecting and Development*, **4(1)**. DOI: 10.4172/2376-0214.1000164.

Dwivedi, A. C., P. Mayank and A. Tiwari (2017b). Size selectivity of active fishing gear: changes in size, age and growth of *Cirrhinus mrigala* from the Ganga River, India. *Fisheries and Aquaculture Journal*, **8(2)**: 205 DOI: 10.4172/2150-3508.1000205.

Dwivedi, A. C., P. Mayank, S. Masud and S. Khan (2009). An investigation of the population status and age pyramid of *Cyprinus carpio* var. *communis* from the Yamuna river at Allahabad. *The Asian Journal of Animal Science*, **4(1)**: 98-101.

Gozlan, R. E., J. R. Britton, I. Cowx and G. H. Copp (2010). Current knowledge on non-native freshwater fish introductions. *J. Fish Biol.* **76**: 751-786.

Imran, S., D. N. Jha, S. Thakur and A. C. Dwivedi (2015). Age structure of *Labeo calbasu* (Hamilton 1822) from the river Yamuna. *J. Inland Fish. Soc. India*, **47(2)**: 81-85.

Mayank, P. and A. C. Dwivedi (2016b). Stock assessment and population structure of alien fish species, *Oreochromis niloticus* (Linnaeus) from the lower stretch of the Yamuna river, India. *Journal of the Experimental Zoology, India*, **19(1)**: 163-167.

Mayank, P., R. K. Tyagi and A. C. Dwivedi (2015). Studies on age, growth and age composition of commercially important fish species, *Cirrhinus mrigala* (Hamilton, 1822) from the tributary of the Ganga river, India. *European J. Exp. Biol.*, **5(2)**: 16-21.

Mayank, P. and A. C. Dwivedi (2016a). Linking *Cirrhinus mrigala* (Hamilton, 1822) size composition and exploitation structure to their restoration in the Yamuna river, India. *Asian Journal of Bio Science*, **11(2)**: 292-297. **doi**: 10.15740/HAS/AJBS/11.2/292-297.

Mayank, P. and A. C. Dwivedi (2017). Resource use efficiency and invasive potential of non-native fish species, *Oreochromis niloticus* from the Paisuni River, India. *Poultry Fisheries & Wildlife Sciences*, **5(1)**, DOI: 10.4172/2375-446X.1000177.

Mayank, P. and A. C. Dwivedi (2015). Role of exotic carp, *Cyprinus carpio* and *Oreochromis niloticus* from the lower stretch of the Yamuna river. In: *Advances in biosciences and Technology edited by K.B. Pandeya, A.S. Mishra R.P. Ojha and A.K. Singh published by NGBU, Allahabad*, pp 93-97. **DOI**: 10.13140/RG.2.1.3674.0241.

Miehls, A. L. J. et al. (2009). Invasive species impacts on ecosystem structure and function: a comparison of the Bay of Quinte, Canada, and Oneida Lake, USA, before and after zebra mussel invasion. *Ecol. Modell.*, **220**: 3182-3193.

Odum, E.P. (1971). *Fundamentals of ecology*. Saunders College Publishing Philadelphia P A 3<sup>rd</sup> edition, Pp. 3-574.

Ottersen, G., D.O. Hjermann and N.C. (2006). Changes in spawning stock structure strengthen the link between climate and recruitment in a heavily fished cod (*Gadus morhua*) stock. *Fish. Oceanography*, **15**: 230-243.

Pathak, R. K., A. Gopesh and A. C. Dwivedi (2011). Age composition, growth rate and age pyramid of an exotic fish species, *Cyprinus carpio* var. *communis* from the Ganga river at Allahabad, India. *National Academy of Science Letter*, **34 (5 & 6)**: 223-228.

Pathak, R.K., Anita Gopesh, K.D.Joshi & A.C.Dwivedi *Cyprinus carpio* var. *Communis*, in middle stretch of river Ganga at Allahabad. *Journal of the Inland Fisheries Society of India*, 2013, **45(2)**: 60-62.

Pathak, R. K., Gopesh A, Dwivedi A. C. and Joshi K. D. (2014). Age and growth of alien fish species, *Cyprinus carpio* var. *communis* (Common carp) in the lower stretch of the Yamuna river at Allahabad. *Natl. Acad. Sci. Lett.*, **37(5)**: 419-422. DOI: 10.1007/s40009-014-0262-3.

Rizvi, A. F., A. C. Dwivedi and K.P. Singh (2012). Growth pattern of *Labeo calbasu* (Ham.) affected by socio-geographical condition of the riverine habitat. *Current Research Journal of Biological Sciences*, **4(3)**: 250-257.

Tahseen, S., Shahin, S. Agrwal, A. C. Dwivedi and A. S. Mishra (2015). Studies on age and growth of *Labeo bata* (Hamilton, 1822) from the middle stretch of the Ganga river, India. *Journal of the Kalash Science*, **3(1)**: 61-66.

Tiwari A. and A. C. Dwivedi (2014). Assessment of heavy metals bioaccumulation in alien fish species *Cyprinus carpio* from the Gomti river, India. *European Journal of Experimental Biology*, **4(6)**: 112-17.

**Amitabh Chandra Dwivedi<sup>1</sup>, Priyanka Mayank<sup>1</sup> and  
Ashesh Sheevam Mishra<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Regional Centre, ICAR-C I F R I, Allahabad, India**

**<sup>2</sup>Department of Zoology,**

**N. G. B. (Deemed to be) University, Allahabad, India**

# **Reproductive profile of *Eutropiichthys vacha* (Hamilton, 1822) from the middle stretch of the Ganga river, India**

**- Sarita Tripathi and Anita Gopesh**

---

## **Abstract-**

Theoretically, the expected ratio of males to females is 1:1. Sex ratio is helpful in understanding the recruitment process of fishes in stock. The male fishes were higher than female in 0+ and 1+ age groups. Sex ratio of female was higher than the male in 2+, 3+, 4+, 5+ and 6+ age groups, respectively. The Chi-square values were non-significant in all age groups. In the stock, the ratio of male and female 1.0:1.03 was recorded which is non-significant with chi-square value 0.12.

## **Keywords**

*Eutropiichthys vacha*, sex ratio, sex structure, Ganga river.

## **Introduction**

Theoretically, the expected ratio of males to females is 1:1 in natural stock (Holick *et al.* 1988). Many fish stocks do not show significant departure from the expected ratio of 1:1. Sex ratio is helpful in understanding the recruitment of fishes in population. The sex ratio in the spawning population and in the various age and size groups varies with the species, reflecting the relationship of that species to its environment (Somvanshi 1980). Sex ratio is an important population feature as it contributes to the rate of recruitment (Dwivedi *et al.* 2011, Pathak *et al.* 2014). The sex structure is also adaptive to the food supply, which thereby influences the reproductive rate and the variability of the offspring (Makeeva and Nikolskii 1965, Pathak *et al.* 2015). The sex structure is very important aspect to the reproduction of a population, and consequently there are mechanisms for adjusting this structure to any changes, and especially changes in food supply. The last is itself dependent on the population density, so that the sex ratio naturally reflects the density. There are considerable data on the

relationship of sex ratio to density. There is thus little doubt that fish have a variety of mechanisms for the adjustment of the sex ratio, but many instances of altered ratios cannot be explained in terms of enhanced mortality or differences in maturation (Nikolskii 1980).

The catfish *Eutropiichthys vacha* (siluriformes, schilbeidae) is an economically important freshwater fish and is widely distributed throughout the Indian Sub-continent, including India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Myanmar and Thailand (Srivastava *et al.* 1992, Talwar and Jhingran 1991, Riede 2004). It is a commercially exploited from the Ganga and Yamuna rivers (Pathak *et al.* 2011, Mayank and Dwivedi 2015, Tripathi *et al.* 2017a, b) and highly preferred by consumer (Dwivedi *et al.* 2014, Tripathi *et al.* 2015). The higher market value of fishes is significantly responsible for over exploitation (Pathak *et al.* 2013, Dwivedi *et al.* 2017). The present study was thus undertaken to estimate the sex ratio and sex structure of *E. vacha* from the Ganga river, India.

### **Material and Methods**

The River Ganga is the most important river system in India. It is largest river system in India. It originates from the Gangotri glacier at Gomukh, at an altitude of about 6000 m in the Garhwal Himalaya, India. The Ganga river is about 2525 km long, covering a basin area of 861,404 km<sup>2</sup>. The Ganga river system drains about one fourth of the Indian subcontinent and different geographical eco-region. The river supports abundant biological wealth, characterized by its rich fisheries, faunal and floral biodiversity. The Ganga river at Allahabad is mainly using for vegetable crop and wheat crop in winter and summer seasons. Agricultural use still produces large amounts of eroded fine particles that threaten biodiversity globally (Wantzen 2013). The 556 fish samples of *E. vacha* were collected at random from July 2014 to June 2016 from the middle stretch of the Ganga river (Teliyarganj fish market), India. This market represents the fishes of middle stretch of the Ganga river at Allahabad. Sex of fishes was determined with the help of macroscopic observation of gonads. Observed fishes were segregated according to sexes. The analysis of statistical values (Chi-square) was estimated by Sokal and Rohlf (1972) method.

## Result and discussion

During the research work, we examined 556 specimens (274 males and 282 females) for the determination of sex ratio and sex structure. The male fishes were higher than female in 0+ and 1+ age groups. Sex ratio of female was higher than the male in 2+, 3+, 4+, 5+ and 6+ age groups. Sex ratio of male and female was 1:0.82 in 0+, 1:0.92 in 1+, 1:1.03 in 2+, 1:1.10 in 3+, 1:1.14 in 4+, 1:1.17 in 5+ and 1:2.0 in 6+ age groups. The Chi-square values were varied from 0.06 to 0.66 in 0+ to 6+ age group (Table 1). The Chi-square values were non-significant in all age groups. In the stock, the ratio of male and female 1.0:1.03 was recorded which differ non-significantly with chi-square value 0.12 (Table 1).

**Table 1 Sex ratio of *E. vacha* from the Ganga river**

Age classes	No. of male	No. of female	Sex ratio	Chi- square values ( $\chi^2$ )	Remarks
0+	17	14	1:0.82	0.28	Non-significant
1+	36	33	1:0.92	0.12	Non-significant
2+	151	155	1:1.03	0.06	Non-significant
3+	41	45	1:1.10	0.18	Non-significant
4+	21	24	1:1.14	0.20	Non-significant
5+	6	7	1:1.17	0.08	Non-significant
6+	2	4	1:2.0	0.66	Non-significant
Total	274	282	1:1.03	0.12	Non-significant

Sex structure of male was maximum in 0+ age group with 54.84% while female sex structure was maximum in 6+ age group with 66.67%. In the stock, sex structure of male and female was 49.28% and 50.72%, respectively (Table 2). The minimum sex structure of male was observed in 6+ age groups with 33.33% which indicated that the male survival rate was poor in higher age groups of *E. vacha* from the Ganga river at Allahabad.

**Table 2 Sex structure of *E. vacha* from the Ganga river**

Age classes	No. of male	%	No. of female	%
0+	17	54.84	14	45.16
1+	36	52.17	33	47.83

2+	151	49.35	155	50.65
3+	41	47.67	45	52.32
4+	21	46.67	24	53.33
5+	6	46.15	7	53.84
6+	2	33.33	4	66.67
Total	274	49.28	282	50.72

Present study indicated that the female fishes were higher from the Ganga river. Hossain *et al.* (2013) observed that the female *E. vacha* was higher compared to male (male : female, 1:1.19) in the Jamuna river, Bangladesh while Soomro *et al* (2012) reported male dominance (1.16:1) from river Indus, Pakistan. Mayank *et al.* (2016) also reported that the female *C. mrigala* was greater than male (1:1.05) from the Ganga river at Allahabad. The water flow and depth of rivers are also responsible of changing sex ratio specially in breeding season (Tiwari *et al.* 2016) and over exploitation (Mayank and Dwivedi 2016). The sex ratio in the spawning population and in the various age and size groups varies with the species, reflecting the relationship of that species to its environment. The sex ratio of fishes is varied within stock in same habitat and same river in respect of season and year (Conover and Kynard 1981, Azadi *et al.* 1990, Gómez-Márquez *et al.* 2003, Peterson *et al.* 2004, Ottersen *et al.* 2006, Dwivedi and Mayank 2016). In general, male fishes are higher compared to female in immature stock but female fishes are greater compared to male in mature stock (Pathak *et al.* 2014, 2015, Dwivedi and Mayank 2017).

### Acknowledgement

The authors are highly thankful to Head, Department of Zoology, University of Allahabad, Allahabad for the lab facilities. The first author is highly thankful to Head, Regional centre, ICAR-Central Inland Fisheries Research Institute, Allahabad for allowing using the lab facilities.

### References

Azadi, M. A., M. A. Islam and S. Solaiman (1990). Some aspects of reproductive biology of *Eutropiichthys vacha* (Ham.) in Kaptai lake, Bangladesh. Chittagong University Studies Part II, Science, **14**: 43-48.

Conover, D. O. and B. O. Kynard (1981). Environmental sex determination: Interaction of temperature and genotype in a fish. *Science*, **213(4507)**: 577-579.

Dwivedi, A. C. and P. Mayank (2017). Reproductive profile of Indian Major Carp, *Cirrhinus mrigala* (Hamilton, 1822) with Restoration from the Ganga River, India. *Journal of Fisheries & Livestock Production*, **5(1)**: DOI: 10.4172/2332-2608.1000212.

Dwivedi, A. C. and P. Mayank (2017). Reproductive profile of Indian Major Carp, *Cirrhinus mrigala* (Hamilton, 1822) with Restoration from the Ganga River, India. *Journal of Fisheries & Livestock Production*, **5(1)**: DOI: 10.4172/2332-2608.1000212.

Dwivedi, A. C., D. N. Jha and P. Mayank (2014). Food security, livelihood and non-native fish species: status, trends and future Perspectives. *Journal of the Kalash Science*, **2(3) (Special Volume)**: 41-46.

Dwivedi, A. C., P. Nautiyal and K. D. Joshi (2011). Sex ratio and structure of certain cyprinids of Vindhyan region in Central India. *Journal of the Inland Fisheries Society of India*, **43 (1)**: 77-82.

Gómez-Márquez, J.L., B. Peña-Mendoza1, I.H. Salgado-Ugarte1 and M. Guzmán-Arroyo (2003). Reproductive aspects of *Oreochromis niloticus* (Perciformes: Cichlidae) at Coatetelco lake, Morelos, Mexico, *Rev. Biol. Trop.*, 51(1): 221-228.

Hossain, M. Y., M. M. Rahman, M. A. S. Jewel, M. A. Hossain, F. Ahamed, A. S. Tumpa, E. M. Abdallah and J. Ohtomi (2013). Life history of the critically endangered catfish *Eutopiichthys vacha* (Hamilton 1822) in the Jamuna (Brahmaputra river distributary) river, Northern Bangladesh. *Sains Malaysiana*, **42(3)**: 265-277.

Makeeva, A.P. and G.V. Nikolskii (1965). Adaptive significances and regulation mechanism of the sex composition of a breeding population. *Call. Theoretical-Principles of Fish Rearing* (in Russian). Izd. Akad. Nauk SSSR.

Mayank, .P and A. C. Dwivedi (2016). Stock assessment and population structure of alien fish species, *Oreochromis niloticus* (Linnaeus) from the lower stretch of the Yamuna river, India. *Journal of the Experimental Zoology, India*, **19(1)**: 163-167.

Mayank, P. and A. C. Dwivedi (2015) *Biology of Cirrhinus mrigala and Oreochromis niloticus*. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Dudweiler Landstr. 99, 66123 Saarbrucken, Germany, Pp. 188.



- Mayank, P., A. C. Dwivedi and A. Tiwari (2016). Reproductive profile of *Cirrhinus mrigala* and suggestion for restoration (Hamilton, 1822) from the Yamuna river, India. *Bioved*, **27(1)**: 115-120.
- Nikolskii, G.V. (1980). *Theory of Fish Population Dynamics as the Biological Background for Rational Exploitation and Management of Fishery Resources*. Bishen Singh Mahendra Pal Singh Dehra Dun (India) and Otto Koeltz Science Publishers Koenigstein, W. Germany, pp 1-323.
- Pathak, R. K., A. Gopesh and A. C. Dwivedi (2011). Age composition, growth rate and age pyramid of an exotic fish species, *Cyprinus carpio* var. *communis* from the Ganga river at Allahabad, India. *National Academy of Science Letter*, **34 (5 & 6)**: 223-228.
- Pathak, R. K., A. Gopesh and A. C. Dwivedi (2015). *Invasion potential and biology of Cyprinus carpio (Common carp)* LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Dudweiler Landstr. Saarbrucken, Germany.
- Pathak, R. K., A. Gopesh, A. C. Dwivedi and K. D. Joshi (2014). Sex structure of commercially exploited fish species, *Cyprinus carpio* var. *communis* from the Ganga and Yamuna rivers at Allahabad, Uttar Pradesh. *Journal of the Kalash Science*, **2(1)**: 43-46.
- Pathak, R.K., A. Gopesh, K.D. Joshi & A.C. Dwivedi (2013). *Cyprinus carpio* var. *communis*, in middle stretch of river Ganga at Allahabad. *Journal of the Inland Fisheries Society of India*, **45(2)**: 60-62.
- Riede, K. (2004). *Global register of migratory species from global to regional scales*. Federal Agency national conservation. Bonn. Germany.
- Sokal, R.R. and F.J. Rohlf (1973). *Introduction Biostatistics*. W. H. Freeman and Company San Francisco Toppan Company, Limited, Tokyo Japan, pp 1-368.
- Somvanshi, V.S. (1980). Study on some aspects of spawning biology of a hill stream fish *Garra mullya* (Sykes). *Proc. Indian Nat. Sci. Acad.*, **46B(1)**: 105-113.
- Soomro, A. N., W. A. Baloch, S. I. H. Jafri, G. H. Burdi and B. Fulanda (2012). Reproduction and feeding habits of the river catfish *Eutropiichthys vacha* (Hamilton, 1822) (Siluriformes, Schilbidae) in an impacted habitat: Kotri hydrodam, river Indus, Pakistan. *Our Nature*, **10**: 269-280.
- Srivastava, G. N., S. K. Wishard, S. Prakash and K. Chandra (1992). On the seed resources of two siluroids *Clupisoma garua* and *Eutropiichthys vacha*. *J. Inland Fish. Soc. India*, **24(1)**: 79-81.

Talwar, P.K. and A.G. Jhingran (1991). Inland fishes of India and adjacent countries. Vol.2. AA Balkema. Rotterdam.

Tiwari, A., A. C. Dwivedi and P. Mayank (2016). Time scale changes in the water quality of the Ganga River, India and estimation of suitability for exotic and hardy fishes. *Hydrology Current Research*, **7(3)**: 254. doi:10.4172/2157-7587.1000254.

Tripathi, S., A. Gopesh & A. C. Dwivedi (2017a). Fish and fisheries in the Ganga river: current assessment of the fish community, threats and restoration. *Journal of Experimental Zoology, India*, **20(2)**: 907-12.

Tripathi, S., A. Gopesh and A. C. Dwivedi (2017b). Framework and sustainable audit for the assessing of the Ganga river ecosystem health at Allahabad, India. *Asian Journal of Environmental Science*, **12(1)**: 37-42. DOI: 10.15740/HAS/AJES/12.1/37-42.

Tripathi, S., A. Gopesh, K.D. Joshi and A. C. Dwivedi (2015). Size composition, exploitation pattern, sex ratio and sex structure of *Eutropiichthys vacha* (Hamilton, 1822) from the middle stretch of the river Ganga at Allahabad, India. In: *Advances in biosciences and Technology edited by K.B. Pandeya, A.S. Mishra R.P. Ojha and A.K. Singh* published by NGBU, Allahabad, pp 116-120.

Wantzen, K. M. and J. Mol (2013). Soil erosion from agriculture and mining: a threat to tropical stream ecosystems. *Agriculture*, **3**: 660-83.

**Sarita Tripathi and Anita Gopesh**  
**Department of Zoology, University of Allahabad,**  
**Allahabad-211002, India**

## **Allozyme variability in the *Crysomya megacephala*, from Allahabad, India** **Sarita Agrawal<sup>1</sup> and Pratima Gaur<sup>2</sup>**

---

Allozyme variation at three gene enzyme systems was analyzed in *Crysomya megacephala*. The three enzymes namely acid phosphatase (ACPH), glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) and alcohol dehydrogenase (ADH) were found to express activity only in a single zone indicating that they are encoded at single locus. Alcohol dehydrogenase was monomorphic while acid phosphatase and glucose-6-phosphate dehydrogenase were polymorphic. Allozyme marker is used for genetic characterization of *Crysomya megacephala*.

**Key words:** Allozyme, polymorphic

### **Introduction**

Blow flies of the family Calliphoridae are distributed worldwide and some of the species belonging to this family are known to be causative agents of animal tissue myiasis and transmission of enteric pathogens and parasites causing severe loss to livestock (El-Azazy, 1989). Enzyme electrophoresis has contributed a great deal to elucidate genetic differences in calliphorids (Bush and Neck 1976, Whitten 1980, Richardson et al 1982, Krafsur and Whitten 1993, Taylor and Peterson 1994, Taylor et al 1996, Wallman and Adams, 1997, 2001).

However in the genus *Chrysomya* genetic variation has been analysed only by using microsatellite markers in *Chrysomya albiceps* (Torrís and Azeredo-Espin, 2008) and *C. putoria* (Rodrigues et al 2009) from Brazil. In the present study an attempt has been made to analyze genetic variation in *Chrysomya megacephala* from Allahabad (India).

The present work, describes genetic characterization in *Chrysomya megacephala* using three gene enzyme systems viz. Acid phosphatase (ACPH), Alkaline Alcohol dehydrogenase (ADH) and Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD).

Material and Methods- Specimens of *Chrysomya megacephala* (Fabricious) were collected using sweep net from Allahabad. Single male flies were homogenized in 40µl of chilled double distilled water, homogenate was centrifuged and the supernatant was used for enzyme separation. Electrophoresis was performed on 7% polyacrylamide gel in a tube gel electrophoresis apparatus at 4°C. The enzyme systems buffers and staining mixtures for all the gene enzyme systems analyzed are represented in Table 1. Table-1 : Summary of electrophoresis and staining protocols followed in the present study

Enzyme	Gel/electrode buffer	Staining buffer	Substrate/ Coenzyme*	Dyes	Reference
ACPH (E.C. 3.1.3.2)	0.1M Tris-borate (pH 8.9)	0.1M Acetate (pH 5.0)	Sodium-α-Naphthyl phosphate	Fast Blue BB	Ayala et al (1972)
ADH (E.C. 1.1.1.1)	0.05M Tris-HCl (pH 8.5)	0.05M Tris-HCl (pH 8.5)	Ethanol/ NAD	NBT PMS	Manchenko (1994)
G6PD (E.C.1.1.1.49)	0.1M Tris-HCl (pH 8.5)	0.1M Tris-HCl (pH 8.5)	Na-glucose 6-phosphate/NADP	NBT PMS	Tsukamoto (1989)

The relative mobility of each band was calculated and expressed as Rf value (X100) as per following the method of Tsukamoto and Horio (1985).

$$R_f = \frac{\text{Migration distance of a band}}{\text{Migration distance of the (buffer) front}} \times 100$$

Electrophoretic genotypes were determined by comparison of relative mobilities of the bands. Genetic interpretation was carried out following the method of Harry et al (1992) thus single band indicates homozygote's and multiple bands/diffuse bands represent heterozygote's.

On the basis of electro morph frequencies, the genetic variability was estimated using the polymorphic loci (P), mean observed (Ho) and

expected (He) heterozygosis (Nei,1972) and test for conformance to Hardy-Weinberg equilibrium by Chi-square test.

Result & discussion- Four gene enzyme systems were analyzed Genetic variation in the *Chrysomya megacephala*. All the four enzymes namely acid phosphatase (ACPH), glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) and alcohol dehydrogenase (ADH) were found to express activity only in a single zone indicating that they are encoded at single locus. Alcohol dehydrogenase was monomorphic while acid phosphatase, aldehyde oxidase and glucose-6-phosphate dehydrogenase were polymorphic.

The electromorph frequencies and heterozygosities at all four loci are presented in table -2.

Locus	No. of Individuals (n)	Electromorph frequency			Heterozygosity	
		a	B	c	Observed (H <sub>o</sub> )	Expected (H <sub>E</sub> )
ACPH	100	0.52	0.49	-	0.31	0.49
G6PD	100	0.55	0.45	-	0.28	0.49
Mean het.(H)					0.45	0.49


The distribution of electrophoretic phenotypes did not conform to Hardy –Weinberg equilibrium for acid phosphatase (ACPH),glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD).This may be attributed to a deficiency of heterozygotes to sampling error and/ or inbreeding in the population (Harti,2000).

The mean observed heterozygosity(H<sub>o</sub>) 0.45 in the present study is found to be higher than the average value found in invertebrates 0.134 (Ayala 1983) and in other dipterans 0.115 (Graur 1985).

Genetic variations among calliphorids using allozymes have been estimated only in *Cochliomyia hominivorax* (Taylor and Peterson, 1994; Taylor et al., 1995),*C. macellaria*(Taylor and Peterson,1994) and the present study.These flies were characterized by large heterozygosities as compared to other dipterans (Selander ,1976;Santos et al ,2005; Tripathi et al 2010) Large population size is responsible for greater genetic diversity as compared to small population size diversity (Krafsur et al., 1992, 2005, Krafsur and


Griffiths 1997). Several factors eg. environmental conditions, genetic drift, population bottle neck, colonization, host availability and reproductive pressures are known to influence genetic variations within and among populations. In general the species populations distributed over a large variety of environmental conditions are known to be genetically more heterozygous as compared to the species with restricted distribution (Narang, 1980, Scarpassa and Hamada, 2003, Santos et al., 2005). It is interesting to note that all the calliphorids reveal large allelic diversities and microsatellite heterozygosities, (Torres and Azeredo- Espin,2005;Torres and Azeredo- Espin, 2008), a characteristic feature expected for a species with large population size. However, it is imperative that genetic characterization of geographically diverse populations of different *Chrysomya* species from India should be carried out with the help of allozyme and other molecular markers to evaluate the extent of genetic differentiation between population.

Fig. 1: The banding pattern of ACPH enzyme




**Fig. 1**

**Fig. 2: The banding pattern of ADH enzyme**



**Fig. 8**

**Fig. 3: The banding pattern of ADH enzyme**



**Fig. 11**

**References**

El-Azazy, O.M.E. 1989. Wound myiasis caused by *Cochliomyia hominivorax* in Libya. *Vet. Rec.*, 124: 103

- Bush, G. L. and Neck, R. W. (1976) Ecological genetics of the Screw worm fly, *Cochliomyia hominivorax* (Diptera: Calliphoridae) and its bearing on the quality control of mass-reared insects. *Environmental Entomology* 5: 821-826.
- Richardson, R.H., Ellison, J.R. and Averhoff, W.W. (1982) Autocidal control of screwworms in North America. *Science* 215: 361-370.
- Torres, T.T. and Azeredo-Espin, A.M.L. (2008) Characterization of polymorphic microsatellite markers for the blowfly *Chrysomya albiceps* (Diptera : Calliphoridae). *Molecular Ecology Resources* 8: 208-210.
- Wallman, J.F. and Adams, M. (1997) Molecular systematics of Australian carrion-breeding blowflies of the genus *Calliphora* (Diptera: Calliphoridae). *Australian Journal of Zoology*, 45: 337-356.
- Radrigues, R.A., de Azeredo Espin, A.M.L., Torres, T.T. (2009) Microsatellite markers for population genetic studies of the blowfly *Chrysomya putoria* (Diptera : Calliphoridae). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*, 104: 1047-1050.
- Harry, M., Galindez, I. and Cariou, M.L. (1992) Isozyme variability and differentiation between *Rhodnius prolixus*, *R. robustus* and *R. pictipes*, vectors of chagas disease in Venezuela. *Med. Vet. Entomol.* 6: 37-43.
- Krafsur, E.S. and Whitten, C.J. (1993) Breeding structure of screw worm fly populations (Diptera: Calliphoridae) in Colima, Mexico. *J. Med. Entomol.* 30: 477-480.
- Nei, M. (1972) Genetic distance between populations. *Am. Nat.* 106: 283-292.
- Taylor, D.B. and Peterson II, R.D. (1994) Population genetics and gene variation in primary and secondary screwworm (Diptera: Calliphoridae). *Ann. Entomol. Soc. Am.* 87: 626-633.
- Taylor, D.B., Peterson II, R.D. and Moya-Barza, G.E. (1996) Population genetics and gene variation in screwworms (Diptera: Calliphoridae) from Brazil. *Biochem. Genet.* 34: 67-76.



- Tsukamoto, M. and Horio, M. (1985) Electrophoretic comparison of the lactate dehydrogenase banding pattern among Japanese mosquito larvae (Diptera: Culicidae). *J. Med. Entomol.* **22**: 491-498.
- Wallman, J.F. and Adams, M. (1997) Molecular systematics of Australian carrion-breeding blowflies of the genus *Calliphora* (Diptera: Calliphoridae). *Australian Journal of Zoology*, **45**: 337-356.
- Wallman, J.F. and Adams, M. (2001) The forensic application of allozyme electrophoresis to the identification of blow fly larvae (Diptera : Calliphoridae) in Southern Australia. *J. Forensic Sci.* **46**: 681-684.
- Whitten, C.J. (1980) Use of the isozyme technique to assess the quality of mass-reared sterile screw worm flies. *Ann. Entomol. Soc. Am.* **73**: 7-10.
- Krafsur, E.S., Cummings, M.A., Endsley, M.A., Marquez, J.G. and Nason, J.D. (2005) Geographic differentiation in the house fly estimated by microsatellite and mitochondrial variation. *J. Hered.* **96**: 502-512.
- Krafsur, E.S., Helm, J.M. and Black IV, W.C. (1992) Genetic diversity at electrophoretic loci in the house fly, *Musca domestica* L. *Biochem. Genet.* **30**: 317-328.
- Krafsur, E.S. and Griffiths, N. (1997) Genetic variation at structural loci in the *Glossina morsitans* Species Group. *Biochem. Genet.* **35**: 1-11.
- Harti, D.L. (2000) A primer of population genetics. Sinauer Associates. Inc., Sunderland. Massachusetts.
- Ayala, F.J. (1983) Genetic polymorphism: from electrophoresis to DNA sequences. *Experientia* **39**: 813-823.
- Graur, D. (1985) Gene diversity in Hymenoptera. *Evolution* **39**: 190-199.
- Manchenko, G.P. (2003) Handbook of detection of enzymes on electrophoretic gels second edition. CRC Press

Narang, S. (1980) Genetic variability in natural populations, evidence in support of the selectionists view. *Experientia* **36**: 50-51.

Scarpassa, V.M. and Hamada, N. (2003) Isozyme variation in four species of the *Simulium perfiavum* species group (Diptera: Simuliidae) from the Brazilian Amazon. *Genet. and Mol. Biol.* **26** : 39-46.

Santos, J.M.M., Rodriguez, G.A.D., Maia, J.F. and Tadei, W.P. (2005) Variability and genetic differentiation among *Anopheles (Ano.) intermedius* Chagas, 1908 and *Anopheles (Ano.) mattogrossensis* Lutz and Neiva, 1911 (Diptera : Culicidae) from the Brazilian Amazon. *Mem. Inst. Oswaldo. Cruz.* **100**: 631-637.

Selander, R.K. (1976) Genic variation in natural populations. In: *Molecular evolution* (ed. Ayala, F.J.). Sinauer Associates Inc. Sunderland, Massachusetts, pp. 21-45.

Tsukamoto, M. (1989) Enhancement of staining intensity of mosquito larva zymograms after electrophoresis. *J. UOEH.* **11**: 461-469.

Ayala. F.J. and Powell, J.R. (1972) Enzyme variability in the *Drosophila willistoni* group. VI. Levels of polymorphism and the physiological function of enzymes. *Biochem. Genet.* **7**: 331-345.

Tripathi M., Tewari R.R. and Agrawal U.R.(2010) Genetic variations in house fly, *Musca domestica* L (Diptera :Mucidae) from Allahabad India, *Proc. Nat. Acad. Sciences, India (Biological Sciences)*, 80(1), 24-29

Agrawal S, Goswami DN, Gaur P (2016) Genetic variability among populations of *Cryomya megacephala*(Diptera:calliphoridae) in India *IJAR* 2123-212

**Sarita Agrawal<sup>1</sup>, (Assistant Professor)**  
**Pratima Gaur,<sup>2</sup>(Professor)**  
**Nehru Gram Bharti University**  
**University of Allahabad**

# Challenges and opportunities in Dye-sensitized Solar cells

- Raj Kamal Yadav<sup>a</sup>,  
Ratima Chauhana<sup>a\*</sup>, Pooja Dwivedi<sup>a</sup>

---

## Abstract:


*Dye sensitized solar cells are solar energy conversion devices of new generation which converts the sunlight into electricity through photoelectrochemical process. More than 20 years, DSSCs are under extensive research and received special attention by researchers and industrial communities due to its high efficiency, low production cost, easy to prepare, capability of environmental protection and other advantages. DSSCs are combination of several components like semiconductor nanoparticles, dye sensitizer, electrolyte etc. Each part of the cell performs special function to get maximum efficiency. In semiconductor nanoparticles, TiO<sub>2</sub> semiconductor nanoparticles are mostly used in DSSCs due to its better morphological and photovoltaic properties but it still needs some advancement like surface treatment to reduce the dark current. The ruthenium based metal complex dyes, used in DSSCs as photo sensitizer shows good stability and efficiency but its high cost and scarcity forced to consider other options like organic, natural and quantum dot sensitizers. Liquid electrolytes shows better efficiency than other electrolytes like polymer based, solid state electrolytes, but leakage problem of liquid electrolytes decreases the stability and performance of the cells. Although the new design of DSSCs have great potential for commercialization due to its transparency, flexibility and cost effective application but it still needs to overcome several challenges like device efficiency, long term stability, further cost reduction etc, which determines the future of DSSCs.*

**Keywords:** Solar energy, Dye-sensitized solar cells

## 1. Introduction:

The increasing demand of energy is one of the biggest challenges ahead of human kind. The short storage and pollution problem associated with fossil fuel, forced us to think about other options of clean and renewable energy sources. The solar energy is the best option among all clean, renewable and sustainable energy sources

such as tidal power, hydropower, solar thermal etc. [1]. The photovoltaic technologies employing solar energy are best and suitable option for fulfillment of current energy thirst, become best option for these fulfillments. Several types of photovoltaic based devices like organic, inorganic and hybrid cells have been developed to harness the solar energy. High cost, toxicity and large energy consumption in fabrication creates problem commercially available inorganic cells. These problems compelled to see other options. In 1991, O' Regan and Gratzel invented a new kind of photovoltaic cell working on the principle of plant photosynthesis and reported efficiency of 7.1-7.9%, called dye sensitized solar cells [2]. The dye sensitized solar cells (DSSCs) get attention due to its several valuable qualities like average efficiency, low cost, good performance under diffuse light, easy to fabricate and light weight product. DSSCs have great opportunities to replace the silicon based bulk, high cost solar cell which is dominated in the current photovoltaic market, due to its special features like transparency, multicolored options and flexibility[3].





**Fig.1 Operating principle and energy level diagram of dye-sensitized solar cells[27].**

$$S_{(adsorbed)} + h\nu = S^*_{(adsorbed)} \text{ equ. (1)}$$

$$S^*_{(adsorbed)} = S^+_{(adsorbed)} + e^{- (injected)} \text{ equ. (2)}$$

$$I_{3^+} + 2e^{- (cathode)} = 3I_{(cathode)} \text{ equ. (3)}$$



DSSCs contain mainly five components: [1] Transparent conductive substrate [2] Mesoporous semiconductor film [3] Photo sensitizer [4] Electrolyte [5] Counter electrode. After absorption of photoenergy, the sensitizer goes in to excited state and injects the electron in conduction band of the semiconductor leaving sensitizer in its oxidized state (Eq.1 &Eq.2). The electrolyte which is in contact with the photo sensitizer regenerate the sensitizer and diffuse towards the counter electrode where the reduction process takes place and electrolyte restore in its initial state by accepting electron from external circuit (Eq.3 &Eq.4). Besides of these reactions some undesirable reactions like recombination of injected electrons with oxidized sensitizer or electrolyte (Eq.5 &Eq.6) occur in the cell which decrease the cell efficiency. The parameters which governs the performance of cell are electrical conversion efficiency ( $\eta$ ), open circuit voltage ( $V_{oc}$ ), fill factor (FF), close circuit current density ( $J_{sc}$ ), interface charge resistance and incident photon to current efficiency (IPCE) etc. The best efficiency achieved by DSSCs is over 11% [4]. To increase the efficiency of the cell, there is need of optimization of each constituents of the cell. In next section we explain about each component of DSSCs.

#### **Components of DSSCs:**

**Transparent Conductive Substrate:** The using substrates must be highly transparent (transparency > 80%) and high electrical conductivity [1]. The FTO (F-doped tin oxide;  $SnO_2:F$ ), ITO (Indium doped tin oxide;  $In_2O_3:Sn$ ) and AZO (Aluminum doped Tin Oxide) are used as TCO and highly efficient for DSSCs application. The ITO performs best among all TCO (Transparent conducting oxide) substrates. Due to ITO contains rare, toxic and expensive metal materials, several research group work on low cost and flexibilities polymers used as alternative to glass substrates [5].

**Wide band gap semiconductors:** The semiconducting oxide film is one the most important component which plays significant

role in performance of cell. The nanoparticulated semiconductor oxides provide large surface area for dye loading and path for electron to the TCO [6]. Several metal oxides like titanium oxide ( $\text{TiO}_2$ ), zinc oxide ( $\text{ZnO}$ ) and stannic oxide  $\text{SnO}_2$  used as semiconductor material in DSSCs device [7]. The  $\text{TiO}_2$  shows better efficiency than other metal oxides due to its better morphologies and photovoltaic properties [8].  $\text{TiO}_2$  exists in three phases Anatase, rutile, and brookite but anatase phase preferred among all due to large band gap (3.2 eV) and other ideal characteristics for DSSCs application [9]. There are several morphologies of anatase  $\text{TiO}_2$  used for DSSCs application such as nanoparticles [10], nanowires [11], nanofibers [10], hierarchical sphere [12] etc. The hierarchical anatase  $\text{TiO}_2$  sphere shows better performance due to large dye loading capability, faster charge transport, and high light scattering properties and has an efficiency of 9.35% which is larger than others DSSC based on nanoparticles (7.37%), nanofibers (8.15%), and ellipsoid  $\text{TiO}_2$  sphere (7.93%) [13,14]. The recombination problem creates challenge to achieve remarkable efficiency, to minimize recombination problem deposition of an insulating layers perform on semiconductor electrode. Now a day's researchers focused on doped  $\text{TiO}_2$  to get better efficiency [9].

**Photosensitizer:** The photosensitizer material used in DSSCs should have light absorption spectrum ranges from UV to near IR region and shows an intense peak in visible region so that maximum portion of solar radiation can be absorbed [15-17]. It should ensure that the dye adsorbed strongly on the surface of semiconductor film. The sensitized materials mostly used in DSSCs are metal complex dye, metal free organic dye, natural dyes and quantum dots [18]. The ruthenium based metal complex shows better light to electricity conversion efficiency because of their good spectroscopic, photo stability [19, 20]. The high performing ruthenium based sensitizers are  $[\text{Ru}(\text{dcbH}_2)_2 \text{LL}']$ , where  $\text{dcbH}_2$  and  $\text{L}$  and  $\text{L}'$  are anchoring ligands,  $[\text{Ru}(\text{dcbH}_2)_2 (\text{NCS})_2]$  known as  $\text{N}_3$  dye,  $[\text{Ru}(\text{tcterpy})(\text{NCS})_3]$  called black dye, red dye etc. but the high cost, toxicity and scarcity problem of ruthenium based metal oxide needs to replacement by others like organic dye and natural non-toxic dyes [9].

**Electrolyte:** The electrolyte properties governs the long term stabilities of DSSCs, hence the using electrolyte should have high electrical conductivity and less viscous. Interfacial contact of electrolyte with semiconductor oxide film and counter electrode also affects the stability band efficiency of the cell [21, 22]. The electrolytes employed for DSSCs mainly liquid electrolytes, solid electrolyte and quasisolid state electrolytes [9]. The mostly used liquid electrolyte  $I_3^-/I^-$  shows better efficiency but leakage problem reduce the performance and long term efficiency [23]. The solid state electrolytes used commonly are CuI(2.4%) [24], Spiro-OMeTAD (5.5%) [25], and polyaniline (1.15%)[26]. But solid state electrolytes show poor efficiency, the other electrolyte used in DSSCs is quasisolid electrolyte, which is a composite of a polymer and a liquid electrolyte. But the temperature dependency of such electrolyte creates problem to achieve large efficiency [23].

**Counter Electrode:** The regeneration of the electrolyte performs by counter electrode. A catalyst is using for accelerate the reduction reaction of electrolyte, the mostly used catalyst is platinum because of its good catalytic activity, transparency etc.[9]. But high cost of Pt is a disadvantage to operate it in cell. The other low cost materials like grapheme and conductive polymers used as counter electrode but they showed very low efficiency as compared to Pt catalyst [26].

**Conclusion:**

In this review, basic introduction and the working principle of dye sensitized solar cells (DSSCs) have given. To improve the overall performance of DSSCs, each part of it must be taken in to consideration. The importance of each cell component was discussed with their recent improvements. We have reviewed that how much the efficiency of DSSCs have been achieved by improving the each component of it. Although only a few years have passed since their discovery it get more attention by researchers and industries because of its low production cost, easy to prepare, transparent in nature etc. In spite of these properties it has several limitations due to which DSSCs are not much available commercially. The maximum electrical conversion efficiency of DSSCs attained is 13%, which is still much

low in comparison to the conventional silicon based solar cells. In the today's scenario DSSC is in the developing phase, where a good amount of work need to be done to obtain a better efficiency. Also the life of the DSSCs is an important factor which holds back its development. A thoughtful research work would be required in terms of enhancing the efficiency as well as the life of the DSSCs.

**References:**

- [1] J. Gong, J. Liang, and K. Sumathy (2012), Review on dye-sensitized solar cells (DSSCs): fundamental concepts and novel materials, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 16, no. 8, pp.5848–5860,
- [2] B.O'Regan and M.Gratzel (1991), A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized colloidal TiO<sub>2</sub> films, *Nature*, vol.353, no. 6346, pp. 737–740.
- [3]F. O. Lenzmann and J. M. Kroon, (2007), Recent advances in dye-sensitized solar cells, *Advances in Opto Electronics*,vol.2007, Article ID 65073, pp.1-10.
- [4] M.K.Nazeeruddin, F. de Angelis, S.Fantacci et al., Combined experimental and DFT-TDDFT computational study of photoelectrochemical cell ruthenium sensitizers, *Journal of the American Chemical Society*, vol.127, no.48, pp.16835-16847.
- [5] C. Sima, C. Grigoriu, and S. Antohe, (2010), Comparison of the dye-sensitized solar cells performances based on transparent conductive ITO and FTO, *Thin Solid Films*, vol. 519, no. 2, pp. 595-597.
- [6] M. R. Hoffmann, S. T. Martin, W. Choi, and D. W. Bahnemann, (1995), Environmental applications of semiconductor photocatalysis, *Chemical Reviews*, vol. 95, no. 1, pp. 69-96.
- [7] D.W.Han, J.H. Heo, D.J. Kwak, C.H. Han, and Y.-M.Sung,(2009), Texture, morphology and photovoltaic characteristics of nanoporous F:SnO<sub>2</sub> films, *Journal of Electrical Engineering and Technology*, vol. 4, no. 1, pp. 93-97.
- [8] C.Bauer, G.Boschloo, E.Mukhtar and A.Hagfeldt, (2002), Ultrafast studies of electron injection in Ru dye sensitized SnO<sub>2</sub>nanocrystalline thin film, *International journal of photochemistry*, vol.4, no.1, pp.17-20.



- [9] UmerMehmood, Saleem-urRahman, Khalil Harrabi, Ibelwaleed A. Hussein, and B. V. S. Reddy,(2014), Recent Advances in Dye Sensitized Solar cells, *Advances in Materials Sciences And Engineering*, vol.2014, Article ID 974782, pp.1-12.
- [10] M.Y.Song, D.K.Kim, K.J.Ihn, S.M. Jo, and D.Y. Kim, (2004), Electrospun TiO<sub>2</sub>electrodes for dye-sensitized solar cells, *Nanotechnology*, vol. 15, no. 12, pp. 1861-1865.
- [11] M. Adachi, Y.Murata, J.Takao, J.Jiu and F.Wang, (2004), Highly efficient dye-sensitized solar cells with a titania thin film electrode composed of a network structure of single crystal like TiO<sub>2</sub> nanowires made by the “oriented attachment” mechanism, *Journal of the American Chemical Society*, vol. 126, no. 45, pp. 14943-14949.
- [12] Z.S.Wang, H. Kawauchi, T. Kashima, and H. Arakawa, (2004), Significant influence of TiO<sub>2</sub>photoelectrode morphology on the energy conversion efficiency of N719 dye-sensitized solarcell, *Coordination Chemistry Reviews*, vol. 248, no. 13-14, pp.1381-1389.
- [13] J.Y. Liao, J.W. He, H. Xu and C.Y. Su, (2012), Effect of TiO<sub>2</sub> morphologyon photovoltaic performance of dye sensitized solar cells: nanoparticles, nanofibers, hierarchicalspheres and ellipsoid spheres, *Journal of Materials Chemistry*, vol. 22, no. 16, pp. 7910-7918.
- [14] Y. Saito, S. Kambe, T. Kitamura, Y. Wada and S. Yanagida, Y. Saito, S. Kambe, T. Kitamura, Y. Wada, and S. Yanagida,(2004),Morphology control of mesoporous TiO<sub>2</sub> nanocrystallinefilms for performance of dye-sensitized solar cells, *Solar Energy Materials & Solar Cells*, vol. 83, no. 1, pp. 1-13.
- [15]A. Hagfeldt, M. Gratzel, (2000), *Molecular Photovoltaic*, *Acc. Chem. Res.*, Vol. 33, pp. 269-277.
- [16] N. Robertson, *Optimizing Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells*, (2006), *Angew. Chem. Int. Ed.*, Vol. 45, pp. 2338-2345.
- [17] M. Gratzel,(2003), *Dye-sensitized Solar Cells*, *J. Photochem. Photobiol. (Elsevier)*, Vol. 4, pp. 145-153.
- [18] Jung-Kun Lee, Mengjin Yang, (2011), *Materials Science and Engineering B*, Vol. 176, pp. 1142-1160.
- [19] K. Hara, T. Sato, R. Katoh et al., (2003), Molecular design of coumarindyes for efficient dye-sensitized solar cells,*Journal of PhysicalChemistry B*, vol. 107, no. 2, pp. 597-606.

- [20] M. Yanagida, A. Islam, Y. Tachibana et al., (2002), Dye-sensitized solar cells based on nanocrystalline TiO<sub>2</sub> sensitized with a novel pyridylquinoline ruthenium(II) complex, *New Journal of Chemistry*, vol. 26, no. 8, pp. 963-965.
- [21] Umer Mehmood, Saleem-ur-Rahman, Khalil Harrabi, Ibnelwaleed A. Hussein, and B. V. S. Reddy, (2014), Recent Advances in Dye Sensitized Solar Cells, *Advances in Materials Science and Engineering*, Vol. 2014, Article ID 974782, pp.1-12.
- [21] A.F. Nogueira, C. Longo, M.A. de Paoli, (2004), Polymers in dye sensitized solar cells: overview and perspectives, *Coordination Reviews*, vol. 248, no. 13-14, pp. 1455-1468.
- [22] J. Wu, Z. Lan, S.Hao et al., (2008), Progress on the electrolytes for dye sensitized solar cells, *Pure and Applied Chemistry*, Vol.80, no. 11, pp. 2241-2258.
- [23] K. Tennakone, V. P. S. Perera, I. R. M. Kottegoda, and G. R. R.A. Kumara, (1999), Dye-sensitized solid state photovoltaic cell based on composite zinc oxide/tin (IV) oxide films, *Journal of Physics D: Applied Physics*, vol. 32, no. 4, pp. 374-379.
- [24] A. Fukui, R. Komiyama, R. Yamanaka, A. Islam, and L. Han, (2006), The influence of acid treatment of TiO<sub>2</sub> porous film electrode on photoelectric performance of dye-sensitized solar cell, *Solar Energy Materials & Solar Cells*, vol. 90, no. 5, pp. 649-658.
- [25] S. Tan, J. Zhai, M. Wan et al., (2004), Influence of small molecules in conducting polyaniline on the photovoltaic properties of solid state dye-sensitized solar cells, *Journal of Physical Chemistry B*, vol. 108, no. 48, pp. 18693-18697.
- [26] L. Andrade, H.A. Ribeiro and A. Mendes, (2011), Dye-sensitized solar cells: an overview, in *Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry*, pp. 1-20.
- [27] Md. K. Nazeeruddin, Etienne Baranoff, Michael Graetzel, (2011), Dye-sensitized solar cells: A brief overview, *Solar Energy (Elsevier)*, Vol. 85, pp. 1172-1178.

**Raj Kamal Yadav<sup>a</sup>, Ratima Chauhan<sup>a,\*</sup>, Pooja Dwivedi<sup>a</sup>**

**<sup>a</sup>Department of Physics, University Of Allahabad, Allahabad,  
U.P., India 211002**

# **A Photochemical and non-photochemical quenching study of microalgae and their consortia for CO<sub>2</sub> sequestration through carbonic anhydrase activity**

**- Adi Nath<sup>1,2</sup> and Shanthy Sundaram<sup>1\*</sup>**

---

## **Abstract**

*Factors such as light intensities and quality, water and nutrient availability, presence of heat, cold, herbicides, pesticides, pollution, heavy metals, disease and genetic make-up directly have an impact on the CO<sub>2</sub> assimilation, plant health and condition. All above factors are also reflected in the fluorescence signal in PSII. Therefore, by using chlorophyll fluorometer impact of these factors on plants to improve biomass and production program, and to better understand plant functions can be quantified easily. The loss of light energy from the reaction center as fluorescence comes primarily from the PSII reaction. When the chloroplasts are dark-adapted, the pools of oxidation-reduction intermediates for the electron transport pathway return to an oxidized state. Upon illumination of a dark-adapted condition, there is a rapid rise in the fluorescent light emission from PSII followed by a decrease to steady state fluorescence as CO<sub>2</sub> fixation starts to occur. Changes in the intensity of the fluorescence emission are sensitive to reflection of changes in the photosynthetic apparatus. Following many years of study, chlorophyll fluorescence has been shown to represent changes in the health of plants and photosynthetic organisms through photosynthetic processes. This includes all the reactions from the oxidation of water, charge separation, electron transport, development of the electrochemical gradient, the photo-protective mechanisms of the xanthophyll cycle, and the change in pH of the thylakoid lumen. Even changes in the micro-organism that affect stoma opening and gas exchange with the atmosphere are reflected by changes in the fluorescence characteristics of an organism. In the present chapter, the photochemical quenching (PQ) and non-photochemical quenching (NPQ) of microalgae and their consortia have been studied in cultivation broth; the  $f_v/f_m$  ratio of different algal strains was used for determination of maximum quantum yields.*

## Introduction

The concentration of CO<sub>2</sub> in atmosphere has been increasing through anthropogenic activities (He et al., 2012). The common statement of researchers about high concentration of CO<sub>2</sub> is the main atmospheric factor for global warming (IPCC 2007). The predictions about future that the concentration of atmospheric CO<sub>2</sub> will increase progressively if the release and primary production of atmospheric CO<sub>2</sub> is not regulated (Ramanathan 2006). A number of devices have been utilized for CO<sub>2</sub> sequestration. They have oceanic sequestration in Deep Ocean, geologic sequestration in earth crust and biological phenomenon (Reichle et al., 1999). Although, they are not very better approach for CO<sub>2</sub> sequestration and further inspection is needed. In the sequestration processes, the CO<sub>2</sub> has to be pure (Han et al., 2012). The CO<sub>2</sub> sequestered and captured at the production sites, it could be utilized for various purposes (Ono and Cuello, 2007). The synthesis of useful products by the CO<sub>2</sub> could be possible (Sun et al., 2016). The capture of CO<sub>2</sub> from the flue gases, possess many transformations i.e. Aqueous phase dissolution, water hydration, carbonates formation and ionization. CO<sub>2</sub> hydration could be increased by carbonic anhydrase, which is the slowest process (Bond, 2001).

The quenching associated with photosystem II, in which electrons are accepted in its oxidized state. Quenching (q<sub>Q</sub>) associated with the oxidation- reduction status of Q is referred to as photochemical quenching (q<sub>p</sub>) (Baker, 2008). This is seen as the explanation for the initial rise in the fluorescence signal when CO<sub>2</sub> is suddenly removed from a microalgae sp. Once reduced, Q normally passes electrons, via other electron carriers, to photosystem I and finally to carbon dioxide via NADP (Campbell et al., 1998). In the absence of CO<sub>2</sub>, NADPH<sub>2</sub> cannot be re-oxidized by CO<sub>2</sub>. The second quenching mechanism for energy quenching is called non-photochemical quenching (q<sub>NP</sub>). Infact, it is associated with the establishment of proton gradient ( $\Delta pH$ ) across the thylakoid membrane. This proton gradient normally discharges through the ATPase, generating ATP from ADP and Pi. In the absence of carbon dioxide, ATP is not consumed in photosynthetic carbon assimilation and ADP is therefore no longer available to discharge the proton

gradient through the ATPase in this process (Vaz and Sharma, 2011, Holt et al., 2004,. In these circumstances the discharged proton gradient appears to switch dissipation of excitation energy from fluorescence into thermal channels with the result that the fluorescence is quenched (Horton et al., 2007, Maxwell and Johnson, 2000, Gilmore, 1996). This, in part, is the source of decline in fluorescence which pushes the fluorescence signal from the initial maximum removal of CO<sub>2</sub> to a value even lower than before. When CO<sub>2</sub> is returned to atmosphere from microalgae the converse sequence of events occurs (Bailey and Grossman, 2008). The first antennae can become re-oxidized in the presence of CO<sub>2</sub>, so that its fluorescence quenching is re-imposed. ATP is consumed in carbon assimilation making ADP available to discharge the proton gradient. As the proton gradient falls, some dissipation of excitation switches back, from thermal channels, into fluorescence (Kromdijk, 2016, Zurek, 2014). The fluorescence, initiated by a very weak measuring beam ( $F_0$  value), remains undistributed by the saturating flash, thereby allowing accurate measurement of the differences between  $F_0$  and  $F_{max}$ . The entire process of light is doubling and the subsequent evaluations of the major quenching components by measurement and arithmetic have sometimes been referred to as quenching analysis (MacKenzi, 2004, Miskiewicz. 2002).

In the present work, quenching analysis for three cyanobacteria, three microalgae and three consortia of them, has been used to measure photosynthetic carbon assimilation i.e. the rate of carbon fixation can be accurately determined by evaluating the light emitted from microalgae as chlorophyll fluorescence. The rates of CO<sub>2</sub> fixation in a consortia and monocultures could be determined solely by fluorescence for CO<sub>2</sub> sequestration and mitigation.

## **Materials and Methods**

### **Sampling**

The different individuals microalga i.e. *Synechocystis*PCC 6803, *Anabaena cylindrica*, *Spirulina*platensis, *Chlorella* sp., *Scenedesmus dimorphus*, *Chlamydomonas*reinhardtii. and their consortia was grown axenically in batch cultures in BG-11 medium (Rippka et al., 1979).No further treatments such as: herbicides or

watering were applied, despite collecting biomass at the end of mid log phase. All observations and measurements: growth, generative primary abundance and total yield as well as Chl fluorescence were conducted at first at both locations: all parameters were measured in mid-log phase of interaction (Narwaniet al., 2017, Godwin et al., 2017, Cho et al., 2017, Yahyaet al., 2016, Gross et al., 2014, Renukaet al., 2013, Power and Cardinale, 2009). The description of consortia was given in table 11.

Table 1 Combination of microalgae strains for consortia development

Consortia 1	All the members of cyanophyta i.e. <i>Synechocystis</i> PCC 6803, <i>Anabaena cylindrica</i> , <i>Spirulina</i> platensis.
Consortia 2	All the members of chlorophyta i.e. <i>Chlorella</i> sp., <i>Scenedesmus dimorphus</i> , <i>Chlamydomonas</i> reinhardtii.
Consortia 3	Complete i.e. <i>Synechocystis</i> PCC 6803, <i>Anabaena cylindrica</i> , <i>Spirulina</i> platensis, <i>Chlorella</i> sp., <i>Scenedesmus dimorphus</i> and <i>Chlamydomonas</i> reinhardtii.

#### **Determination of the activity of Carbonic Anhydrase (CA) (Wilbur and Anderson, 1948)**

##### **Extracellular CA**

A volume of culture containing the adequate number of cells ( $10^6$  cells) was centrifuged at  $2000\times g$  and washed twice with 0.010M Tris buffer (pH 8.3) containing 1 mM dithiothreitol (DTT) and 1mM EDTA. The pellet consisting of intact cells whose integrity was checked through the microscope was re-suspended with the same buffer, in which the measurements of enzymatic activity were made immediately after the re-suspension of the cells.

##### **Total CA**

A culture volume containing  $10^6$  cells was filtered using cellulose acetate membranes ( $0.45\mu M$ ) pore size diameter, from Micron Separation Inc.). After removal of the membrane, the microalgae material was ground in a mortar in presence of liquid nitrogen to get its fine powder and resuspended in 0.01M Tris buffer containing 1 mM DTT and 1mM EDTA (pH 8.3). The total extract was used to measure the enzymatic activity. Some extracts were

checked at the microscope and no intact algal cells were found after this treatment.

### **Measurement of enzymatic activity**

Measurement of enzymatic activity were made using the potentiometric method of Wilbur and Anderson, with modifications; 1.5 mL of deionized water saturated with CO<sub>2</sub> at 0°C, were added to a volume of 3 mL of microalgae material resuspended in the buffer(Ta), or buffer without microalgae (Tb). This reaction was performed in a closed flask kept at a temperature between 0 and 2 °C. The time necessary for the CO<sub>2</sub> saturated deionized water to lower one unit of pH of both solutions was measured and the enzymatic activity was calculated using the equation:

$$Tb/Ta-1=UA\times 10^6 \quad (1)$$

Equation 1 expresses the enzymatic activity as units of activity (UA) per cells since 10<sup>6</sup> cells were used for measurement of activity.

### **Measurements of Chl a fluorescence**

Chl a fluorescence was measured simultaneously on both light and dark adapted time durations at the first fully developed mid-log phase, Dark adaptation (0.5 hour) of the middle preceded the measurement. Fluorescence was induced by saturating, red actinic light with energy of 3.500 mmol m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup>, and first 3 seconds of transient fluorescence, covering more than its exponential growing part, was registered with time intervals increasing from 10 ms within first 300 ms of the measurement up to 100 ms intervals for times longer than 0.3 sec ( Zureket, 2014).

### **Quenching measurements**

For the assessment of photosynthetic performance, chlorophyll fluorescence measurements were taken in dark adapted leaves of control and treated seedlings using hand held leaf fluorometer (FluorPen FP 100, Photos System Instrument, Czech Republic). The following fluorescence parameters: variable/maximum fluorescence ratio (Fv/Fm), photochemical quenching (qP) and non-photochemical quenching (NPQ) were measured. Measurements were taken in of six different microalga monocultures and their consortia (Holt et al., 2004). The value could be calculated by the given formula.

$$qP=(Fm'-F)/(Fm'-Fo') \dots\dots\dots(1)$$

$$NPQ=(Fm-m')/Fm' \dots\dots\dots(2)$$

$$NPQ=qE+qT+qI \dots\dots\dots(3)$$

$$qN=(Fm-Fm')/Fm-Fo) \dots\dots\dots(4)$$

$$qL=qP(Fo'/F') \dots\dots\dots(5)$$

$$Y(NO)=1/NPQ+1+qL((Fm/Fo)-1) \dots\dots\dots(6)$$

$$Y(NPQ)=1-Y-Y(NO) \dots\dots\dots(7)$$

## Results and discussion


### Carbonic anhydrase activity of microalgae and consortia

The regulatory services of microalgae and their consortia of CA showed different patterns. The total inorganic carbon and CO<sub>2</sub> concentration played effective role in CA activity. The shift of equilibrium inorganic carbon was lowering the CO<sub>2</sub> concentration. The higher activity of the external and total CA of microalgae consortia was obtained when compared to most producing individual alga. The activity of the internal enzyme was increased in consortia as a mechanism to increase CO<sub>2</sub> concentration through RUBISCO. On the other hand extracellular activity was increased by uptake of bicarbonate ion as a resource, i.e. major source of inorganic carbon as a result of carbon concentration mechanism (Kumar et al., 2011, reported that in alleviating the impact of increasing CO<sub>2</sub> in the atmosphere sequestered CO<sub>2</sub>, Hu et al., 2017 elaborated highly settleable microalgal consortia could be enriched by external pressure for stable biomass.

**Table 2** Total and extracellular carbonic anhydrase activity in microalgae and consortia (Wilbur and Anderson, 1948)

Name of microorganism	Extracellular CA activity	Total CA activity
Synechocystis PCC 6803	0.279±0.001	0.68±0.062
Spirulina platensis	0.372±0.003	0.84±0.063
Anabaena cylindrical	0.291±0.002	0.69±0.061
Chlorella sp.	0.371±0.003	0.82±0.060
Scenedesmus dimorphus	0.310±0.002	0.64±0.059
Chlamydomonas reinhardtii	0.407±0.004	0.94±0.071
Consortia 1	0.403±0.004	0.92±0.069
Consortia 2	0.423±0.004	0.97±0.069
Consortia 3	0.498±0.005	1.13±0.079






**Figure- 1** Fluorescence variable analysis both dark and light adapted conditions in microalgae and consortia

### Chlorophyll fluorescence response on CO<sub>2</sub> fixation

In each case the sample was first dark adapted. The test was started and F<sub>0</sub>, or minimal fluorescence, was measured without actinic light. Then a saturation pulse was provided and completely closed all the receptors in PSII by completely reducing PSII. After the saturation pulse, an actinic light was turned on and the fluorescent signal declines slowly with the onset of CO<sub>2</sub> fixation until it reached steady state. In this communication the transfer of stable biomass in consortia resulted in an initial decline of Fv/Fm ratio rather than monocultures. Increased quantum efficiency observed in microalgae consortia with respect to the ratio of dark and light adapted culture condition compared to their respective monocultures (Fig 3a, b). In this regard Adamczyk et al., 2016, the maximal biofixation rate and cell concentration characterized by higher CO<sub>2</sub> fixation rate.




**Figure 2** Fluorescence analysis of microalgae monocultures and consortia on both dark and light adapted conditions with mixing carbon saturated water in media

### Quenching analysis of monocultures and consortia

Quenching parameters allow the quantification of both effective photochemical state of the PS II regarding the fraction of PSII centers that remain open or oxidized at any time, and the non-photochemical photosynthetic mechanisms involved in photo-protection, state 1 and state 2 transition quenching, photo-inhibitor and photo-damage. The NPQ was found to be higher in microalgae consortia as compared to individual alga, there must be an inverse relationship between chlorophyll a fluorescence emission from microalgae and photosynthetic carbon assimilation. It was argued must an indicator of “richness”. The red excited state of chlorophyll available heat or light loss as dissipation that produced more excitation energy in microalgae consortia through fluorescence induction. This was seen that first illumination after a period of darkness. When CO<sub>2</sub> was abruptly removed from microalgae, more excitation energy became available for dissipation that alternatively increased the fluorescence emission in community rather than individual microalga. In microalgae consortia increase NPQ in response to monocultures indicates high irradiance resistant to photo inhibition due to an increased photosynthetic capacity by stable biomass production.

**Table 3** Quantum yield efficiency, photochemical quenching and non-photochemical quenching quantification in microalgae monocultures and consortia

Name of organism	Chlorophyll florescence		
	Fv/Fm	qP	NPQ
<i>Synechocystis PCC 6803</i>	0.73±0.10	0.758±0.009	1.37±0.06
<i>Spirulina platensis</i>	0.75±0.07	0.791±0.011	1.36±0.06
<i>Anabaena cylindrica</i>	0.78±0.11	0.812±0.015	1.32±0.09
<i>Chlorella</i> sp.	0.80±0.14	0.876±0.019	1.29±0.08
<i>Chlamydomonas reinhardtii</i>	0.82±0.19	0.987±0.020	1.26±0.10
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	0.69±0.10	0.782±0.017	1.46±0.09
Consortia 1	0.65±0.06	0.679±0.016	1.52±0.14
Consortia 2	0.61±0.04	0.621±0.016	1.59±0.19
Consortia 3	0.56±0.02	0.572±0.016	1.63±0.19



**Figure 4** Fluorescence induction analysis of microalgae monocultures and consortia on both dark and light adapted conditions

**Photo protection response of monocultures and consortia**


In a wide range of microalgae and their consortia with different pigment contents and morphologies, non-photochemical quenching varies with different species composition. Therefore, the species richness to which the population is photo synthetically acclimatized or not could be predicted from a readily measured light response curve of NPQ. The fluorescence-based estimate of electron transport and carbon dioxide fixation is very valuable. Fluorescence measurements


are possible with monocultures samples; unlike gas exchange, they are specific to photobionts and so do not detect interference from homo and heterogeneity respiratory activity in mixed samples. The fluorescence transients arise largely from PS II, and so calculations based on fluorescence reflect PS II activity and electron transport through PS II. In extrapolating from fluorescence signals to photosynthesis, we therefore, rely on congruence between PS II activity, net electron transport, and overall photosynthesis. The light-harvesting pigment-protein complex of PSII- dependent fluorescence component does affect, microalgae consortia less rather than monocultures. Maximal fluorescence conditions in microalgae consortia reduce quenching indicates stabilize biomass production.

Sundberg et al. have simultaneously measured fluorescence quenching parameters and CO<sub>2</sub> exchange in cyano-lichen to develop a model to predict gross photosynthesis from fluorescence parameters. They found the empirical relation

$$P = \phi \text{PS II} \times I_i \times 1 \text{CO}_2 \text{ fixed} / 10 \text{ photons}$$

Where  $p$  = micromoles of CO<sub>2</sub> fixed per milliliter per second,  $\phi \text{PS II}$  =  $(F_M' - F_S) / F_M'$ ,  $I_i$  = number of incident photons per milliliter per second and  $1 \text{CO}_2 \text{ fixed} / 10 \text{ photons}$  is an empirical conversion factor.





**Figure 5** Protonation and de-protonation fluorescence response in dark and light adapted condition in monocultures microalgae and consortia

#### **Applying fluorescence analysis in microalgae monoculture and in consortia**


We have tested the methods described in three cyanobacteria, three green algae and consortia of them representing a wide range of pigment contents, carbonic anhydrase induced activity, CO<sub>2</sub> concentrated activity, and protonation and de-protonation activity. *Anabaena cylindrica*, a heterocystous filamentous strain which strongly regulate its content of phycoerythrin and phycocyanin according to relative supply of green and red light. Quenching analysis showed that energy captured by phycoerythrin was transferred from the phycobilisome to PSI to maintain balanced electron transport. This transfer was reflected in a high non-photochemical quenching and serve as a good demonstration that does not usually reflect excitation dissipation but, rather, reflects the transfer of excitation to PS I at the expense of PS II. Upon transfer to red light or prolonged growth under red light, this excitation transfer stops, the PS II fluorescence yield increases and NPQ drops. *Synechocystis* PCC 6803 is a unicellular strain which contain phycoerythrin. In microalgae consortia, the dark-light state II –state I transition tends to be small, probably reflecting

microalgae-cyanobacteria interaction in respiration and carbohydrate consumption.

Production of carbohydrate by microalgae and their consortia is an important criterion in terms of their use in bioenergy as bioethanol. The aforementioned microalgae strain showed a good growth under different environments such as variable concentration of bicarbonate, carbon dioxide gas and light. The carbon fixation behaviors of the microalgae and their consortia under fluorescence of light and dark adapted bicarbonate level were shown in fig 2a, b. Nutritional supplement implies the biochemical constituents of a microalgae and their consortia, mainly comprises of protein, lipid and carbohydrate. Gaseous carbon dioxide was also supplied to the culture flask in variable amounts. When enormous of gaseous carbon dioxide was supplied, it was observed that the cells tend to settle down and clump but they continue to grow slowly. It was noticed that a higher flow rate inhibited microalgae growth in monoculture much rather than consortia. It resulted in decreasing pH as it leads to carbonic acid production.

Ribulose 1,5- biphosphate (RuBP) carboxylase/oxygenase (RubisCO) catalyzes the key reaction by which inorganic carbon may be assimilated into organic carbon. Phylogenetic analyses indicate that there are three classes of RubisCO proteins; I, II, and III, that all catalyze the same reactions. In addition, there exists another form of RubisCO, form IV, which does not catalyze typical RubisCO reactions. Form IV is actually a homolog of RubisCO and is called the RubisCO-like protein (RLP). Both RubisCO and RLP appear to have evolved from a methanogenicarchaeal ancestor protein and comprehensive analyses indicate that the various forms (I, II, III, and IV) contain various subgroups, with individual sequences derived from representatives of all three kingdoms of life. The diversity of RubisCO molecules, many of which function in distinct conditions, have provided convenient model systems to study the ways in which the active site of this protein has evolved to accommodate necessary molecular adaptations. Such studies have proven useful to help provide a framework for understanding the molecular basis for many important aspects of RubisCO catalysis, including the elucidation of factors or

functional groups that impinge on RubisCO carbon dioxide/oxygen substrate discrimination. The enzyme mediated activity response in consortia increased in respect to monoculture indicates an increase photoprotection capability. The xanthophyll cycle-dependent non-photochemical quenching in microalgae consortia and discrepancies between their monocultures may be attributed to the energy transfer processes of PSII.



**Figure 6** Fluorescence response of intracellular bicarbonate enzyme in monocultures microalgae and consortia



### **Exploiting RubisCO Diversity to Learn More about Function**

Phylogenetic, bioinformatic, and evolutionary considerations provide thought-provoking discussions, but how can these analyses help us in solving some of the “mysteries” of RubisCO catalysis, such as the molecular basis for CO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> discrimination or why the affinities for CO<sub>2</sub> and O<sub>2</sub> vary? Our approach has always been to use what nature provides. Thus, the different forms and structural adaptations of RubisCO are available, from organisms that assimilate and metabolize CO<sub>2</sub> under diverse and even extreme environments, that may provide useful insights as to how all RubisCO molecules function.

### **Conclusion**

The increased interest in microalgae consortia biotechnology, aimed to the production of biomass, high-value products, or even bio-fuels, has prompted the application of on-line measurements for monitoring growth and obtaining rapid evidence of unfavourable conditions affecting the performance of primary production by cultures. For these applications the use of modulated fluorimeters, which enable the actual photochemical quantum yield to be measured at a given light intensity during the day. Indeed, it is relatively easy to generate fluorescence data, thus care must always be taken to select and calculate sensible parameters. This is particularly true when dealing with microalgae consortia and monocultures response, where growth limitations, such as light, temperature and other unfavourable factors can occur side by side. As long as this is kept in mind, Chl fluorescence represents a powerful technique which allows rapid monitoring of physiological status, the use of which has been steadily increasing in the studies of microalgae efficiency.

### **Acknowledgements**

Adi Nath is thankful to UGC New Delhi, India for providing him UGC-D.Phil. research fellowship.

### **Author's contributions**

ShanthySundaram and Adi Nath designed the experiments; Adi Nath performed all the experiments. Adi Nath drafted the manuscript, Shanthy Sundaram reviewed the manuscript.

### Works Cited

Holt N E, Fleming G R, and Niyogi K K. (2004). "Toward an understanding of the mechanism of Nonphotochemical Quenching in Green Plants". *Biochemistry*, the American Chemical Society. 10.1021/bi0494020

Vaz J. and Sharma P K. (2011). "Relationship between xanthophyll cycle and non-photochemical quenching in rice (*Oryza sativa* L.) plants in response to light stress". *Indian Journal of Experimental Biology*. Vol. 49, January 2011, pp.60-67

Bailey S. and Grossman A. (2008). "Photoprotection in cyanobacteria: Regulating of Light Harvesting". *Photochemistry and Photobiology*, 2008, 84: 1410-1420

Maxwell K and Johnson G N. (2000). "Chlorophyll fluorescence-a practical guide". *Journal of Experimental Botany*, Vol.51, No.345, pp.659-668, April 2000

Baker N R. (2008). "Chlorophyll Fluorescence: A probe of photosynthesis In Vivo". *Annual Review of Plant Biology*. 2008.59:89-113.032607.092759

Campbell D, Hurry V, Clarke A K, Gustafsson P and Oquist G. (1998). "Chlorophyll Fluorescence Analysis of Cyanobacterial Photosynthesis and Acclimation". *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, Sept. 1998, p. 667-683 1092-2172/98

Gilmore A M, Hazlett T L, Debrunner P G and Govindjee. (1996). "Comparative Time-Resolved Photosystem II Chlorophyll a Fluorescence Analyses Reveal Distinctive Differences between Photoinhibitory Reaction center Damage and Xanthophyll cycle-Dependent Energy Dissipation". *Photochemistry and Photobiology*, 1996, 64 (3): 552-563

Horton P, Johnson M P, Perez-Bueno M L, Kiss A Z and Ruban A V. (2008). "Photosynthetic acclimation: Does the dynamic structure and macro-organization of photosystem II in higher plant grana

membranes regulate light harvesting states?”. *The FEBS Journal*. 275 (2008) 1069-1079 doi: 10.1111/j.1742-4658.2008.06263.x

Kromdijk J, Glowacka K, Leonelli L, Gabilly S T, Iwai M, Niyogi K K, and Long S P. (2016). “ Improving photosynthesis and crop productivity by accelerating recovery from photoprotection”. *Science*.org 18 November 2016. VOL 354 ISSUE 6314 857

Zurek G, Rybka K, Pogrzeba M, Krzyzak J and Prokopiuk K. (2014). “Chlorophyll a Fluorescence in evaluation of the effect of heavy metal soil contamination on perennial grasses”. *PLoS ONE* 9(3): e 91475. doi:10.1371/journal.pone.0091475

Miskiewicz E, Ivanov A G, and Huner N P A. (2002). “Stoichiometry of the Photosynthetic Apparatus and Phycobilisome Structure of the Cyanobacterium *Plectonemaboryanum* UTEX 485 Are Regulated both Light and Temperature”. *Plant Physiology*. org/cgi/doi/10.1104/pp.008631

MacKenzie T D B, Burns R A, and Campbell D A. (2004). “Carbon Status Constrains Light Acclimation in the Cyanobacterium *Synechococcus elongates*”. *Plant Physiology*, October 2004, Vol. 136, pp. 3301–3312, www.plantphysiol.org/pp.104.047936

**Adi Nath<sup>1,2</sup> and Shanthi Sundaram<sup>1</sup> \***

**Corresponding author email: shanthi.cbt@gmail.com**

**<sup>1</sup>Centre of Biotechnology, Nehru Science Centre,  
University of Allahabad, Allahabad-211002**

**<sup>2</sup>Dept. of Botany,  
Nehru Gram Bharati deemed to be University, India.**

## Special Yoga with Special Needs Children

- Sanjay Kumar Singh

---

### **Abstract:**

*The Special Yoga methodology is a synthesis of holistic practices inspired by scientific research. But it is the compassionate approach our leading practitioners take that result in redefining moments for children with special needs.*

*We initially began our practice with a sole focus on children with special needs, and remain unique in recognizing that children need to be nurtured. Particularly if they are going to learn the personal development skills to help them explore their full potential.*

*As we continued to witness the impact of Special Yoga on children with special needs, it became evident that there is a growing demand for an approach towards yoga for everyone that leads with love but delivers with a genuine therapeutic impact. We are one of the very few practices to frontier a take on yoga that embraces both the technical and personal perspective.*

**Introduction:** Yoga for the Special Child, LLC is multi-level comprehensive Program of Yoga techniques designed to enhance the natural development of children with special needs. Our style of Yoga is gentle and beneficial, safe for babies and children with Down syndrome, Cerebral Palsy, Microcephaly, Autism and other developmental disabilities. These methods also provide an effective treatment for children diagnosed with Attention Deficit Disorder, ADHD and Learning Disabilities.

**What is Yoga?** Yoga is a scientific system of physical and mental practices that originated in India more than three thousand years ago. Its purpose is to help each one of us achieve our highest potential and to experience enduring health and happiness. With Yoga, we can extend our healthy, productive years far beyond the accepted norm and, at the same time, improve the quality of our lives.

**About to Special Yoga-** At Special Yoga we believe that all children are special and deserve to experience peace, joy and fulfillment of their potential and purpose.

We design and deliver bespoke training programs to teach Special Yoga methodology and practices to pediatric professionals,

teachers and teaching support staff working with children with special needs in mainstream and special needs schools.

All children can benefit from the therapeutic service we provide. Our conviction is borne from working with thousands of special children throughout the years and witnessing the profound and far-reaching effects that our pioneering form of Special Yoga has on the lives of every child it reaches.

We also offer a range of specialized teacher training courses to parents, care workers and existing yoga practitioners to enable them to support children with special needs using Special Yoga therapeutic interventions.

### **Seven Tips For Teaching Yoga For Kids With Special Needs**

#### **1. Start from where they are.**

When teaching yoga to kids with additional needs, open your eyes, ears, heart, and mind. Really see, hear, feel, and understand.

See who is in front of you, and START FROM WHERE THEY ARE! Not from where you planned, from where you think they're supposed to be, where society thinks they should be, or where the books say they are.

If you start from where they are, they'll be able to do just about anything... gradually. Sometimes you'll need to break lessons down more simply, and you'll definitely need to be flexible and creative! You can teach yoga to anyone if you follow this advice.

**2.** Some needs are physical. Blind kids need more verbal instruction and touch to guide their movements, but they have amazing spatial awareness and can do absolutely anything—even partner poses and acrobatics! You'll physically help them into poses at first, but after a few times, they'll remember how to do it on their own.

Deaf kids need to see you all the time so they can read your lips and imitate your movements. Talk less and demonstrate more here. If you can speak in sign language, this helps immensely.

With kids on wheelchairs, you can do chair yoga, or even take them off the wheelchair (watch your back though!) to move them into poses while they are on the floor.

Bedridden children can do a lot of yoga in bed. If they can't move much, they can practice breathing exercises. If that's too

challenging, you can help them with guided imagery or maybe even massage. If this is too much, you can just hold their hand and share your energy. There is always a way to do yoga!

**3. Other needs are mental or social.** There are kids with various kinds and levels of developmental disabilities or brain damage (from birth, radiation, or accidents), there is a big range of autism spectrum disorders, and there are a million different syndromes, Down syndrome being just one of them.

4. You will be teaching these awesome kids in two different environments.

**a. A child with additional needs in a regular class-** In this case, there must be an adult practicing with this child at all times. In a regular kids' class, so much is going on and it all happens so fast that you simply do not have the time or the energy to give this kid all the attention they need.

Kids with additional needs require much closer guidance as they don't imitate as well as other kids and have low body and spatial awareness.

If the class is during school hours, most likely there is a shadow, teacher's aide, or assistant with them. If it's an afternoon program, the parents will usually be present.

**b. A whole group of children with additional needs-** Keep these groups small—no more than six or eight kids, and no more than two or three kids per teacher.

Downgrading your teaching by a few years to fit their cognitive and motor skill level works well here. So if you are teaching 3 to 4-year-olds, give them a class like you give 2-year-olds, and if you teach 5 to 6-year-olds, give them a class like you give 3 to 4-year-olds.

You'll also need to make the class slower—but just as fun!

Kids with additional needs such as autism get sensory overload easily, so play the music a bit softer than in a regular class, or turn off the music and slow down the class if you see that they become overwhelmed.

**5. Emphasize touch, hands-on assistance, sound, and breath.**

**a. Touch-** Touch them a lot, all the time, using firm touch only. Rarely will kids with autism not like to be touched.

**b. Hands-on assistance-** Kids with additional needs lack good spatial orientation and are experiencing delays in motor skills. You'll need to physically bring their limbs into the pose. Be very gentle, though, as joint dislocation is a common result of the low muscle tone that most kids with syndromes have.

Move them SLOWLY into poses so their muscles have time to respond. Other kids with additional needs have too much muscle tone (their nerves are firing all of the time), making their bodies really stiff and contracted—of course yoga and massage helps!

**c. Sound-** Vocalize animal sounds, make sound effects, and “Om” or “Hmmm” as much as you can. Talk less, and sing, demonstrate, and do more.

**d. Breath-** Teach them breath awareness and control, and help them breathe more deeply using breathing exercises.

**6. Success builds success-** Always focus on the children's strengths. Often, a weakness in one area creates strength in another. If you start where it is easy for that child, they will gain confidence and slowly be ready to approach more challenging areas. Don't start by working on the “issue” first.

**7. The above elements will help them achieve some of the things they might lack.** • Awareness and better body control • Connection to other people and to their environment—they naturally withdraw into their own bubble • Confidence and higher self-esteem • Relaxation. Children with special or additional needs are like any other kid—they just want to be happy and have fun! So please don't come to a class all merciful or patronizing. Come to play, laugh, and make them feel REALLY special!

Do your research—when you know you're going to have a child with a specific syndrome, research adjustments you might need to make to poses, the rhythm of the class, your communication, etc.

**7 ways to involve students with special needs into your yoga class:** 1. Structure:

• Begin and end the lesson the same way every time. I typically dim the lights and begin with a breathing exercise or meditation and end in Savasana (Resting Pose) while playing classical music.

- Let the children know the agenda for today's lesson in advance. As soon as the initial breathing/meditation exercise ends, tell them what to expect. This helps alleviate anxiety and nervousness, lets the children get excited to participate, and eliminates questions.

- If possible, ask a child in need to help you choose the agenda. Before the lesson begins, quietly ask them if they would prefer choice A or choice B. If they have input on the agenda, they are more likely to participate well.

- Stick to the agenda.

2. Give a heads up:

- Give a warning before you transition. For example: "In two minutes, we are moving on to our next activity."

- Let students know how long they will have their eyes closed in Savasana (Resting Pose) or a meditation. For example: "You will be here for one minute. I will let you know when to open your eyes." This way, they are not peeking to see if they are still supposed to be lying there.

- During an activity where not every child will get a turn to do something special, let them know in advance. For example: "We only have twenty minutes for this game. Do you think we will have enough time for everyone to get a turn?" It is likely that they will respond with a no on their own. Then say, "If you get a turn today, that's great. If not, no biggie. You will get a turn *next* time."

3. Seating arrangement:

- Always seat a child in need right next to you. My students sit in a circle so that we can all see each other. Often, the girls who are confident, well-behaved, and love yoga race to sit beside me. I will quietly compliment them that they have such great behavior in class and say that I know they will follow my directions in a different spot, and ask if it would be okay for me to move them. I make sure that they feel special and involved and still give them fair attention. Then I will discreetly move a child in need to be closest to me so that I can facilitate easily.

- Ask students to make a good choice and sit next to someone who will help them stay focused.



4. Use child-friendly language:

- It is very important to develop a rapport with children in need. Talk to them about topics that interest them. If you know a student is very interested planes, tell him before class begins about a flight you are taking soon and let him know that you will need his help when we practice airplane pose.

- I have coined my favorite child-friendly term: “My muscles are saying hi!” It is a great way to explain how my muscles are turned on and I feel my body stretching and strengthening, but they are definitely not saying, “Ouch!”

5. Rewards/Discipline program:

- Before you start teaching, ask school teachers and parents what they already implement for rewards and disciplines, then speak the same language and follow their program. The children will quickly realize that they cannot take advantage of you, and the expectations will already be known.

- I love sticker charts, row points, and giving compliments publicly (For example: “Wow, I love the way Lucy is looking at one spot to keep her balance!”). I also like to give whole-group rewards by allowing preferred activities for earned behavior.

- For disciplining, I give two warnings quietly to the student. If poor behavior continues, they must take a break either in child’s pose or away from the group. After a couple minutes, I ask the student if they think they are ready to participate appropriately.

- A child in need may benefit from a private chat before or after class to discuss expectations. Then verbally give positive reinforcement for everything they are doing well (Be over-the-top about it!), or develop a secret signal where you tap them gently on the shoulder every time they are participating appropriately.

- Give a child in need an opportunity to shine with a pose they are confident in. I will say, “I’m looking for a student who is much focused to demonstrate the next pose.” Then choose that student to boost their confidence.

6. Offer modifications:

- Teach visually and speak verbally about the modification options for each pose. Then do the modified version yourself so that

other children feel comfortable modifying too. You can say, “I am a little tired today, so I am going to modify.” Or, “Tree pose is tricky for me, so I am going to leave my toes touching the ground.”

7. “Fair isn’t always equal”

• Have you ever heard a child say, “Why does he get to wear glasses during the test, but I don’t? That’s not fair.” Probably not. Children understand that a peer with a visual impairment needs to wear glasses to succeed. That is fair, but it’s not equal. I like to remember this quote and to remind students as necessary. A student may say it is unfair that the child in need always sits next to you or that they are allowed to modify poses or that they get a turn even if they had less-than-great behavior. Use this as an opportunity to teach empathy. Be fair with your expectations of each child rather than having equal expectations of all the children. Differentiate your teaching so that every child can feel successful. Work on their weaknesses and compliment their strengths.

• Encourage kids to complement each other after class (or when it’s time to say *Namaste*), and make sure the recipient confidently says, “Thank you!”

**References**

- Cosac, a non-profit agency providing outreach and services for the autism community: [www.njcosac.org](http://www.njcosac.org).
- Scott, J.M. April 12, 2005. “Where Autistic Kids Can Be Kids.” The Star Ledger.
- Learn with Yoga ABC Yoga Cards for Kids <http://www.sayitright.org/yoga.html>
- Yoga for Small Spaces <http://addriya.com/shop/yss-office-school-chair-yoga/>

**Dr. Sanjay Kumar Singh**  
**Assit. Professor, Dept. of Special Education**  
**Nehru Gram Bharati deemed to be University, Allahabad.**

## **GST: - Implication for Indian Economy**

### **- Vinod Kumar Pandey and Vikas Maurya**

---

#### **Abstract**

*The goods and service tax (GST) is a value added tax to be implemented in India. GST is the only indirect tax that directly affects all sectors and section at our economy. The goods and service tax (GST) is aimed at creating a single, unified market that will benefit both corporate and the economy. Under the GST scheme, no distinction is made between good and service for levying of tax. In other words good and service attract the same rate of tax. GST is a multi-tier tax where ultimate burden of tax fall on the consumer of goods/service. It is called as value added tax because at every stage. Tax is being paid on the value addition.*

*GST is a blanket of indirect that will subsume several indirect states and federal taxes such as value added tax (VAT) and excise duty and different state Tax, central surcharge, Entertainment Tax, Luxury Tax and many more. GST was firstly introduce in France in 1954. After France it was adopted by 165 nations. The good and service tax was launched in India on July 1, 2017 in a midnight function at the central hall of parliament by the prime minister in the August presence at the president of India. It was indeed historical occasion and a paradigm shift as India moved toward one nation, one tax, one market.*

Goods and service tax is called as GST in short, which means a unified indirect tax all system. The tax is levied at every stage separately by the Union government and the State government at different rates, on the full value of funds. But as per GST system, the tax will be levied only on the value added at each stage. It's a single tax (collected at multiple points) with full set of tax paid earlier in the value chain.

GST seek to replace 17 indirect taxes (8 central + 9 state levels) and 23 cesses of the centre and states, eliminating the need for filling multiple return and assessment and rationalization the tax treatment of good and service along the supply chain from producer to customer.

There are following central and state Indirect taxes subsumed by GST.

**Central Govt:-** 1. Central Excise duty 2. Duties of excise (Medicinal toilet preparation) 3. Additional duties of excise. (Good of special important) 4. Additional duties of excise. (Textile and textile product) Additional duties of customer. (CVD) 5. Special Additional duties of customer. (SAD) 6. Service tax 7. Central Surcharge and cesses

**State Government:-** (1) State Vat (2) Central Sales Tax (3) Entry Tax (4) Entertainment and amusement tax (Except when levied by local bodies) (5) Taxes an advertisements (6) Purchase tax (7) Tax on lotteries and gambling (8) Luxury Tax (9) State surcharges and cesses so far as they relate to supply of goods and service. hreshold limit for exemption to be Rs. 20 lack (Rs. 10 lac for special category states). Compounding threshold limit to be 50 lac with-

Category	Tax Rate
Traders	1%
Manufactures	2%
Restaurants	5%

**Features of GST:-**

1. GST is based on the principle of value added tax and either input tax method or subtraction method with emphasis on voluntary compliance and accounts based system.
2. Minimum number of floor rates of tax.
3. No scope for multiple long of tax on good and service. Such as sales tax entry tax, Octroi, entertainment tax, luxury tax, etc.
4. Zero rating of exports and inter state sales of good and supply of service.
5. A common law and procedures throughout the country under a single administration.
6. GST is a destination based tax and levied at a single point at the time of consumption of end or services by the ultimate consumer.
7. No scope for levy of cess, re-sale tax, additional tax, special tax, turnover tax, etc.
8. The GST will be levied on import of ends and service into the country.

9. The GST council will recommended the tax rates with respect to GGST, SGST and IGST. Tax rates for each CGST (Central goods and service tax and SGST (State GST) will not exceed 20% the tax rate of IGST will not exceed 4%.
10. The liability to pay GST in relation to supply all good and services will arise on the date of (i) Issue of invoice (ii) receipt of payment, whichever is earlier.
11. GST will facilitate seamless credit across the entire supply chain and across all state under a common tax base.
12. The GGST and SGST are to be paid to the account of the central and state respectably.

**Type of GST:-** There are four types of GST **1. CGST 2. SGST 3. IGST 4. UTGST**

**(1) CGST:-** CGST means central good & service tax. When GST is being introduced the present central taxes of central excise duty. Central sales tax, service tax, Additional excise duty levied under the medical and toiletries preparation Act, CVD (Additional Customer Duty- Countervailing Duty), SAD (Special Additional Duty of Customer) surcharge and cesses are subsumed.

CGST is changed on the Movement of goods and service of standard commodities and service which can be amended time to time by a separate body, the revenue collected under CGST is for central govt.

**SGST:-** SGST means state good and service tax. When SGST is being introduced, the present state taxes of state sales tax, Vat, luxury tax entertainment tax (unless it is levied by the local bodies), taxes on lottery, betting and gambling, entry tax not in lie of Octroi, State cesses and surcharge in so for as they relate to supply of goods and services etc. are subsumed. The revenue collected under SGST is for state government.

**IGST:-** IGST means integrated goods and service tax. IGST is charge when movement of good and service from one state to another. The revenue at of IGST is shared by state government and central government as per the rates fixed by the authorities.

**UTGST:-** The full form of UTGST is union territory good and service tax. UTGST is partof goods and service tax in India. GST

under supply of goods and service taxes place in union territories like Anadaman and Nicobar Inland, Chandigarh, Dadra and Nagar haveli, Daman and Delhi (National Capital Territory of Delhi), Lakshdweep, puducherry etc. is accounted under UTGST. A separate Act is being implemented for union territory state to impose and administer GST in India is the name UTGST Act. Under UTGST Act, the details at GST rates payable against the movement of goods and service in union territories are explained.

**Exempted good & service Under GST:-** 1. Wine 2. Petrol, Diesel, 3. etroleum, Gas 4. Education and medical services

**GST Rate:-** 1. 0%, 2. 5% 3. 12% 4. 18% 5. 28%

**1. GST Items List covered under 0%:-** Fresh Meat, Fish, Chicken, Eggs, Milk, Butter Milk, Curd, Natural Honey, Fresh Fruit, and vegetables, flour, Besan, Bread Salt, Bindi, Sindoor, Stamps, Judicial, Paper, Printed Book, Newspaper, Bangles, Handloom, and other items of daily use.

**2. GST Items list covered under 5%:-** Fish fillet, Cream, Skimmed Milk, Powder, Branded Paneer, Frozen, Vegetable coffee, Tea, spices, Pizza, Bread, Rusk, Sabudana, Kerosene, Coal Medicines, Stent, Lifeboats etc.

**3. GST Items list covered under 12%:-** Frozen Meat product Butter, Chess, Ghees, Dry Fruits in packaged form, Animal Fat, Sausage, Fruit Juices, Bhutia, Namkeen, Ayurvedic Medicines, tooth powder, Agarbatti, coloring Books, Picture Books, umbrella, Sewing Machine cell phone etc.

**GST Items list covered under 18%:-** Flowered refined sugar, Pasta, Cornflakes, Pastries and cake, preserved vegetables, Jams, sauces, Icecream, Instant food mixes, mineral water, Tissues, Envelopes, Tampons, Notebook, Steel products, Pointed circuits, camera, speaker, monitors.

**GST Items list covered 28%:-** Chewing Gum, Molasses, chocolate not containing, Cocoa, Waffles and wafers coated with chocolate, Pan Masala, Acrated water, paint, deodorant, saving creams, After shave, Hair shampoo, Dye, Sunscreen, Wallpaper, Ceramic tiles, water heater, Dishwasher, weighing machine washing machine, ATM vending machine, vacuum cleaner, shavers, Hair

clippers, Automobiles, Motorcycle, Yachts, Aircraft for personal use etc.

**Rate of GST on services:-**

**1. 0% Rate on services:-**

- (i) Service by central government, state government, Union territory, local authority or governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a municipality under articles 243 w of the constitution
- (ii) Services by way of renting of residential dwelling for use as residence.
- (iii) Services by hotel, inn, guest house, club or camposite by whatever named called, for residential or Lodging pump having declared tariff of a unit of accommodation before on thousand rupees per day or equivalent
- (iv) Service by way of transportation of goods by an aircraft from a place outside India up to the customs station of clearance in India.
- (v) Service by way of access to a road or a bridge on payment of toll charges.
- (vi) Service by way of loading, unloading, packing, storage or warehousing of rice.
- (vii) Service by the Reserve Bank of India

**2. 5% Rate on Service :-**

- (i) Transport of passengers by rail in first class or air conditioned coaches
- (ii) Transport of passenger by air in economy class
- (iii) Transport of goods by rail
- (iv) Transport of goods by in a vessel
- (v) Leasing of air crafts by a scheduled airlines for scheduled operations
- (vi) Selling of spaces for advertisement in print media

**3. 12% Rate on Service :-**

- (i) Transport of passengers by air in other than economy class.
- (ii) Transport of India in containers by rail by any person other than Indian Railways
- (iii) Service provide by foreman of chit fund in relation to chit

**4. 18% Rate on services :-**

- (i) Supply of food/drinks in restaurant having license to serve liquor
- (ii) Supply of food/ drinks in outdoor catering
- (iii) Services by way of admission or access to circus, Indian classical dance including of folk dance, theatrical performance, drama.
- (iv) Composite supply at work contract as defined in clause 119 of section 2 of CGST Act.
- (v) All other services not specified elsewhere.

**5. 28% Rate or Services :-**

- (i) Services provide by a race club by way of total is after or a license to bookmaker in such club.
- (ii) Accommodation in hotel including 5 star and above, rated hotels, guest house, clubs, composites or other commercial places meant for residential or loading purpose, where room rent Rs. 7500/- and above per day per room.
- (iii) Gambling

**Impact of GST on Indian Economy:-**

**Positive Impact of GST in India:-**

- (i) GST is a single taxation system that will reduce the numeral indirect taxes, from none a single taxation, term would cover all of those indirect taxes.
- (ii) The price of product and services would reduce, this system would prove to be beneficial for the people who are fed up of paying high prices.
- (iii) This would reduce the burden from the state and central government.
- (iv) GST would not be charged at every point of sale like other indirect taxes so in this way, market would be developed.
- (v) Corruption free taxation system, GST would introduce corruption free taxation system.
- (vi) Implementation of GST will help resolve various issues concerning taxation and logistics with regards to commerce business, which has been recording rapid growth in the country.



- (vii) It is beneficial for both economy and corporations. The reduced tax burden on companies will reduce production cost making exporters more competitive.
- (viii) GST will reduce transaction cost for tax payers through simplified tax compliance.
- (ix) It will result in increased tax collections due to wider tax base and better conformity.
- (x) GST is likely to improve the tax to GDP ratio of the country.
- (xi) GST will also bring the unorganized sector which enjoys the cost advantage, into the tax bracket.
- (xii) GST will remove the tax distortions from the economy this will lead to sustainable higher growth based on competitive strength of the country.
- (xiii) Automation of compliance procedure to reduce errors and increase efficiency.
- (xiv) Removing cascading effects of taxation.
- (xv) It is destination based tax determining the place of supply.

**Negative Impact of GST in India:-**

- (i) GST would impact negatively on the real state market. It would add up to 8.1 to the cost of home and reduce demand by about 12%
- (ii) Majority if dealers are not covered with the central excise but are only paying VAT in the state. None all the VAT dealers will be require to pay central good and service tax (CGST).
- (iii) GST is referred as single taxation system in India but in reality it is a dual tax in which both state and central collects separate tax on single transaction of sale and service.
- (iv) The GST may lead to increase the price of essential products and service which are presently example from the taxation.
- (v) Very high tax rates of 16% compact to current 12.5% VAT.
- (vi) Training of government officials personnel.
- (vii) All goods & services brought under the GST without few items are exempted and makes the common people life miserable.

**Suggestion for GST implication in India:-**

1. Multiple state wise registrations will be a major hurdle for service providers who operate in multiple states or all India basis.
2. The government of India and state government should sensitize their own department about GST implication and the need to revisit the contractual clauses for price variation (Upward and down word).
3. It is suggested to enhance the exception limit to 25,00,000 as small and medium entity may find it difficult to maintain electronic records and wish to avoid unnecessary inspection/litigation from the tax department.
4. It is suggested if being registered be not made mandatory for availing the credit.
5. Easy e-payment and return of central GST and state GST.
6. Reducing the GST rate for at least small scale industries.
7. More awareness about GST and its advantage have to be made and professionals like us really have to take the ones to use this responsibility.

**References :-**

- (i) <http://www.indiataxes.com/information/VAT/Introduction.htm>
- (ii) Satish S and Kartik Dedhia, The challenges of implementing GST.
- (iii) <http://www.thehindubusinessline.com>
- (vi) <http://www.gstindia.com>
- (v) All about GST - By U S Datey - Taxmann's publications
- (vi) Girish Garg: Basic concepts and features up GST in India

**1. Dr. Vinod Kumar Pandey (Associate Professor)**

**Dean Faculty of commerce**

**2. Vikas Maurya (Assist. Professor)**

**Faculty of commerce**

**Nehru Gram Bharti University Allahabad.**

# **Development of Science & Technology in Ancient India-With Special Reference to Harappan Civilization - Devendra Pratap Mishra**

---

## **Abstract**

*The products of the Mature Harappan craftsmen exhibit a degree of uniformity similar to that found in town planning and structure plans. Indeed, it is so remarked that it is possible to typify each craft with a single set of examples drawn from one site alone. It is not yet established whether this feature was achieved by the centralization of production, linked with efficiency of distribution or whether by other factors, but in either case it calls for special attention. From the outset of the Mature Indus period, there is a greater quantity of evidence for copper and bronze technology than previously: clearly there was easy access to plentiful supplies of copper. Analysis indicates that the principal source of copper ore was in the khetri---Ganeshwar area of Rajasthan. A standard range of tools of copper and bronze is recorded at site after site. Many among them set the pattern for later type for centuries to come and majority exhibit what Piggott called 'competent dullness' --- simplicity of design and manufacture linked with adequate but not great functional efficiency.*

**Keywords:** Harappan, Indus, Khetri, Piggott.

During the Harappan period, scientific techniques were used in town planning, irrigation, metallurgy, making of fired bricks and pottery and simple reckoning and measurement of areas and volumes. There was a grid pattern of town planning in the Harappan period. The basic layout of the larger settlements, whether cities or towns show regular orientation. At Harappa, Mohanjodaro and Kalibangan, this consists of two distinct elements, on the west a citadel mound built on a high podium of mud brick with a long axis running north-south and to the east, a lower city consisting of what must have been in the main residential areas. The principal streets at best were laid out with controlled skill (not at Mohanjodaro) and the widest streets appear to have run across the lower city from north to south. There appears to have a general coordination of the measurement of the streets, the

largest being twice the width of the smaller and three or four times that of the side lanes. The layout of Lothal was in some respect different, perhaps because of the different role that it played as a Harappan trading station. The site was nearly rectangular with the longer axis running from north to south. Its dockyard had been connected by the channels to the neighbouring estuary. A spill way and locking device were apparently installed to control the flow of tidal water and permit the automatic distilling of the channels. There was even a lighthouse to show path to outgoing and incoming ships.

Besides the basin was a massive brick platform which ran along the entire eastern side of the town. The south-eastern quadrant abuts this area and takes the form of a platform of brick and earth filling, rising to a height of about 4 metres and perhaps serving a similar function to the citadels of the cities, either as simple flood defence or to provide added prestige for the ruling group. The overall dimensions of this block were 42.5 metres. Evidently there were other buildings on the platform, for a row of twelve bathrooms and drains were discovered there. The remaining three-quarters of the town seems to have been the principal living area, divided by streets of 4 to 6 metres in width and narrower lanes of 2 to 3 metres.

The entrances to the houses were from the narrow lanes which were set at the right angles to the main streets. A distinctive feature of the construction was thus that the road ward side of a block presented a plain blank façade broken where the drainage chutes discharged and the houses seem to have been built with an oblong perimeter wall and adjacent houses were separated by a narrow space of 'no man's land'. Many of the lanes and streets had bricks drains, covered by bricks or sometimes stone slabs, into which the house drains flowed, while others led directly into large soak pits or jars. The street drains were equipped with manholes and sometimes flowed into soakage pits.

The predominant brick size was 20 by 14 by 7 cm that is a ratio of 4:2:1. The bricks were mainly in a open mould but for special purposes, such as bathrooms, sawn bricks were invariably used and wells were constructed with wedge shaped moulded bricks. The flooring of houses was either beaten earth or sun dried or burnt bricks. In some bathrooms a sort of plastic of brick dust and lime was

reported. Worked stone are rarely employed structurally and the true arch was not used, but the corbelled arch in brick is frequent. Bricks were predominantly used in making tenements, citadel, great bath, granary and other structures of public importance.

The mature phase of Harappan pottery shares the wheel, kiln and firing patterns. With Baluchistan, it developed its own somewhat solid character which is less sensitive or exiting than the finest Baluch pottery but competent and self-assured. Throughout the whole range of forms, flat bases are dominant and many show the string cutting marks of their removal from the wheel. However the wheel is set in a pit and an axle connects it to a higher, lighter turntable on which the pot is thrown. The potter sits on the side of the pit and regulates the speed and duration of movement of the wheel with his foot. Nearly all the basic tool types- flat axes, chisels, knives, spearheads and arrowheads, small saws etc- could have been made by simple casting or chiseling and hammering. Daggers, knives or dirks with mid-ribs and flat tangs being to appear in the upper levels of Mohanjo-daro. Although they may show foreign influence, we concur with Childe's remark that they are 'technically very Indian'. Bronze appears to have been present from the lowest levels at Mohanjo-daro but it is noticeably more common in the upper levels.

There is little doubt that such special objects as the cast bronze figure of people or animals or the little model carts (of which nearly identical examples come from sites as far apart as Harappa and Chandudaro) were the products of specialists' workshops in one or other of the cities. These products of the casting of copper and bronze illustrate that the process was well understood throughout the Harappan period. Copper bun-shaped ingots are among the finds. Apart from using simple casting moulds, well ventilated complex moulds were also employed with great skill, particularly in making bronze figurines of humans and animals. Kilns of brick have been discovered at a number of places and some of them were probably associated with copper-working, as for example in block 1 of the DK area of Mohanjo-daro.

Harappans used weights and measures for commercial as well as building purposes. Cubical weights, made usually of chert, were

common. The sequence of ratios is binary in the case of smaller weights (their progression being 1, 28, 32, going up to 160) and decimal in the case of larger ones (their progression being 320, 640, 1600, 3200, 6400, 8000, and 12800). The unit weight has the calculated value of 0.8750 gms, the largest weight being 10970 gms. The most frequently discovered weight is one of 13.64 gms which stands in the ratio of 16 in Indian Culture. The few specimens of scales used with the weights appear to be very ordinary pattern, comprising a bronze bar with suspended copper pans. The measures of length were based upon a foot of 37.6 cm and cubic of 51.8 to 53.6 cm.

It seems that every merchant or merchant family had a seal, bearing an emblem, often of a religious character and a name or brief inscription in a tantalizingly indecipherable script. The standard Harappan seal was a square oblong plaque, usually made of soft stone steatite, which was delicately engraved and hardened by heating. All this shows the development of science and technology during the times of Indus Valley Civilization.

#### **References**

1. Mackey, E.J.H, Excavations at Mohanjodaro, Annual Report of the Archaeological Survey of India, New Haven Publications, 1928-29.
2. Marshal, J., Mohanjodaro and the Indus Civilization, London, 1931.
3. Vats, M.S., Excavations at Harappa, Govt. of India Press, 1940.
4. Wheeler, M., The Indus Civilization, Cambridge, 1953.
5. Wheeler, M., Early India and Pakistan, London, 1958.
6. Aggrawal, D.P., Copper Bronze Age in India, Delhi, 1971.
7. Possehl, G.L., Ancient Cities of the Indus, Delhi, 1979.
8. Bhatnagar, S., Encounters: The Westerly Trade of the Harappan Civilization, Delhi, 1981.
9. Koneyer, J.M., The Indus Valley Tradition of Pakistan and Western India, Journal of World Pre History, V, no.4, 1991.
10. Aggrawal, D.P., The Archaeology of India, London, 1982.

**Dr. Devendra Pratap Mishra**  
**(Guest faculty) Dept. of Ancient history Culture & Archaeology,**  
**C.M.P. Degree College Allahabad.**

## Human Rights in India - Abhishek Tiwari

---

**Introduction:** Human rights refer to the basic rights that are believed to be entitled to every human-being. Every human-being are entitled to certain rights and freedom irrespective of their origin, ethnicity, race, color, nationality, citizenship, sex or religion. These rights are considered universal for humanity.

**Concept of Human rights:** The term 'Human Rights' is a dynamic concept. These rights may be called the basic rights, the [fundamental rights](#), the natural rights or the inherent rights. The principal objective of both Indian and international laws is to protect the human personality and its fundamental rights.

Human Rights is aimed at preserving the dignity of the people. Although human rights are necessary for sustaining human life and promoting development of man yet the internal political structure, levels of social technological and economic development, the resource-base and the religio-cultural background of the countries, do have a profound bearing on the policies and priorities of various countries towards human rights.

Human Rights are the rights, which every individual must have against the state of other public authority by virtue of being a member of the human family irrespective of any other consideration. These are rights which are inherent in all citizens, because of their being human.

These are the rights which are inalienable because the enlightened conscience of the community would not permit the surrender of those rights by any citizen even of his own violation. These are the rights which are inviolable because they are not only vital for the development and efflorescence of human personality and for ensuring its dignity but also because without them men would be reduced to the level of animals.

Human rights are those rights that are fundamental for the human life. Human rights are rights to certain claims and freedoms for all human beings all over the world. These rights, besides being

fundamental and universal in character, assumed international dimension.

These rights ensure to make man free. Universalization of Rights without any distinction of any kind is a feature of human rights. These rights recognize the basic human needs and demands. Every country should ensure human rights to its citizens. The Human rights should find its place in the Constitution of every country.

**Meaning of Human Rights-** Human beings are born equal in dignity and rights .These are moral claims which are inalienable and inherent in all individuals by virtue of their humanity alone , irrespective of cast,colour, creed, and place of birth ,sex, cultural difference or any other consideration . these claims are articulated and formulated in what is today known as human rights . human rights are something referred to as fundamental rights , basic rights , inherent rights,natural rights and birth rights .

**Basic human rights:** The basic human rights includes:

1. right to life, liberty and security of person,
2. right to freedom of speech,
3. judicial remedy,
4. freedom to movement,

right to take part in the governance of one's country

**Human Rights in India:**

Human rights in India require the existence and protection of a well-regulated society. Only the society and the state can guarantee these human rights to the individual. But to enjoy these rights perfectly the citizens of India too must observe the social norms properly.

However, in India under “the Protection of Human Rights 1993 (No. 10 of 1994)”, the Human Rights have been defined in the following way:

2 (1) d) “*Human rights*” means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the International Covenants and enforceable by courts in India.”

India has also enacted the protection of **Human Rights Act in 1993** and also constituted the National Human Rights Commission, the



State Human Rights Commission in different States and Human Right Courts.

In spite of these apparently fixed positions, some shifts are also visible in each perspective of human rights. *Violation of human rights in India is now seen as violations of the democratic principles* enshrined in the Indian Constitution as well as violation of India's international commitment of humanitarian international law and international covenants.

The analysis of the human rights should be made from three perspectives:

- The Socio-Economic dimension of Human Rights in India,
- The legal dimension of Human Rights in India and
- The role of international organizations and NGOs in promotion of human rights.

#### **Steps taken to Protect Human Rights in India:**

In India, all citizens are entitled to enjoy the privilege of human rights. Several initiatives have been undertaken in India for the greater protection of the women, children and certain other groups of the society such as:

1. **Sati Practice** has been prohibited in India.
2. The minimum age for marriage has been fixed by law. A boy below the age of 21 and a girl below the age of 18 cannot marry.
3. The Protection of Human Rights Act, was enacted in 1993.
4. Right to Information act was passed in 2005.
5. **Child Labor** (below the age of 14) is prohibited in factories, and mines.
6. Right to education has been accepted as a fundamental right in India. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act was passed in 2009.
7. **Dowry System** has been prohibited by law. The Dowry Prohibition Act was passed in 1961.
8. The Protection of Women from Domestic Violence Act was passed in 2005 to protect women from domestic **atrocities**.

**Sociological perspective:**

From a sociological perspective and perfect realization of human rights the whole society should accept the basic norms of human rights. Human rights have three basic premises:

1. The individual remains the primary subject of international human rights law,
2. This international human rights law accepts the existence of the groups and
3. Individual human rights can be fully enjoyed if certain other human rights are fully or partially developed.

**Conclusion:**

There is always a hierarchy in the subjects of human rights law. No human rights can be detracted from the individual's human rights, and human rights laws recognize certain rights of the groups. Moreover, the diversity of the cultures and civilization, beliefs and traditions, history and aspirations reflected in politico-legal system, give rise to ever changing meaning to 'human rights'.

**References**

- <http://www.importantindia.com/17065/essay-on-human-rights/>  
[.http://www.importantindia.com/1781/article-on-human-rights-in-india](http://www.importantindia.com/1781/article-on-human-rights-in-india)  
[www.slideshare.net/avinash.rajput166/human-rights-inindia](http://www.slideshare.net/avinash.rajput166/human-rights-inindia)  
[http://archive.india.gov.in/spotlight/spotlight\\_archive.php?id=73](http://archive.india.gov.in/spotlight/spotlight_archive.php?id=73)  
<http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/so-what-is-indias-human-rights-record-really-like/articleshow/58662843.cms>

**Abhishek Tiwari**  
**Asst. professor Teacher education department**  
**N.G.B.V Allahabad**

# **Is Rashtriya Swasthya Bima Yojana an Effective tool in the Health Need of Women: A Study of Allahabad District of Uttar Pradesh? - Shweta Pal**

---

## **Abstract**

*The cross sectional study examines the barriers that is being faced by women in rural areas of the Allahabad district and mainly focuses on the government schemes of Rashtriya Swasthya Bima Yojana. It explore how can women be related to the scheme in terms of awareness, access and utilization? When they are in need of availing the health facilities what are the most common barrier they have to face, questions about their perception to use the Rashtriya Swasthya Bima Yojana health facility was asked and the main reason responsible for not availing the health facility was notified in terms of awareness, cultural barrier, economic or geographical barrier.*

**Keywords:** RSBY (Rashtriya Swasthya Bima Scheme), Awareness, Utilization.

## **Introduction**

The social determinant of health that is argued by the global commission on the Social determinants of health concludes that it is mainly influenced by the social factors and after that by germs and genes (Rohregger, 2011). Social determinants that includes social and economic conditions and in many cases geographical barriers too are responsible to a certain extent for health inequities. When we do focus on females that live in rural area of our country their relation with their counterparts is unequal and hierarchical, there is lack of empowerment in almost every phase that negatively affects the health and well-being of millions of girls and women's all over the world (Doyal, 2000 and WHO, 2008). This unequal and hierarchal relation leads to lack of awareness & lack of access as well, as access to the basic health facility is one of the urgent need of any country and has to be guaranteed for all people throughout the world, but still there are many developing countries where it has not been achieved especially in rural areas, a study of Pakistan asserts that gender-biased traditional values still prevails, unless the culture accepts the practice use of health

service is not possible. (Shaikh, 2005; Ojanuga, 1992). Accessibility refers to equal access to available care for equal needs but it affects women due to cost and safety, there are many documentation that there is inverse relationship between the distance of the health facility and use of services. (Peter et al. 2008). A study in India demonstrates that women face great barriers in terms of distance in accessing the health care (Vissandjee et al. 1997)

Health care system in India has improved but it is still way behind in meeting the health needs of the population. Article 47 of the Indian Constitution, the Directive Principles of the State Policy states that it shall be the duty of the State to raise the Standard of living and public health. Many other committees were also constituted that gave their recommendation on health and its development. The responsibility of the state to provide comprehensive primary healthcare to its people as envisaged by the Bhore Committee led to the formulation of India's first National Health Policy (NHP) in 1983 with an aim to provide universal comprehensive primary health services across the nation. The policy stressed on preventive, promotive, public health and rehabilitative aspects of health care and on establishing comprehensive primary health care services for the population in the remotest area of the country. In the context of size of population, social economic development and the existing health status of the people the National Health Policy (NHP) has the following elements: greater awareness of health problems and means to solve them by communities; supply of safe drinking water and basic sanitation that people can afford; reduction of existing imbalance by concentration on rural health infrastructure; establishment of management, information system to support health planning and health program intervention; research into alternative method of healthcare delivery and low-cost health technologies, greater coordination of different system of medicine. (GOI report) Further, health security was linked with the notion of Universal Health Care and the Alma-Ata Declaration called for setting up of adequate primary health care for the population that further worked to achieve HEALTH FOR ALL, 2000.

One of the first initiatives in this direction was universal health insurance scheme (UHS) that was launched by the central

government, ministry of finance in the year 2003 with the intention of covering low income population in the country. As the intention of the scheme was initially to envelope all low income individuals it was made available only to the people who were identified as people below the poverty line (BPL) as per the Planning Commission. This scheme provided coverage with a limit to the beneficiaries and was implemented by four public sector insurance companies that offer a benefit package of INR 30000 per year per family or 15000 per year per individual that also includes accident benefits and loss of wages benefit on daily basis. High subsidies in insurance premium were offered by the government of India. (Nandraj and Devdasan and Sunil, 2006). In spite of low premium rates and a good package of coverage benefits, the scheme was faced with low enrollment rates and had a very low claim ratio in the end of the year 2006 which was 12 per cent. 9252 families were enrolled in the first year which was quite low, the main reason of low enrolment was non flexibility in scheme, and the insurance companies were not allowed to fit the scheme according to the beneficiaries needs in order to raise the enrollment in the scheme the subsidy share were increased by the government and premium rates were reduced to 165 for an individual, 248 rupees for a family of five and 330 for a family of seven members, this initiative by the government increased the enrollment to a great extent but still there was limitations in coverage and execution. Lack of proper infrastructure and weak delivery system was a problem, insured people were unable to access quality care due to lack of proper health infrastructure. (Rajeev Ahuja, 2006). Like India many developed and developing countries such as Brazil, Bolivia, Indonesia and Thailand all are taking initiative since 1980's to reconstruct policies towards universal healthcare by looking at the situation of high inequality and due to uneven access to health care. It can be the 30 baht scheme in Thailand, decentralization reforms and social health insurance in Indonesia and the Unified health system in Brazil gave us the example of how countries have addressed basic health requirement of the entire population.

Though the government of India realized that Universal Health Insurance Scheme is not running as it was desired and after throw

study, recommendation of professional think tank and International Organizations came up with a new scheme and launched the Rashtriya Swasthya Bima Yojana. The Indian ministry of Labour and Employment launched the RSBY in April 2008, to provide inpatient care to poor families or Below Poverty Line (BPL) families, only household on the BPL List of a state are eligible to enroll in RSBY. RSBY covered households are entitled to hospitalization coverage up to INR 30000 annually to a specified list of ailments, it covers all the pre-existing conditions, the package has been very moderate and cover largely the secondary care hospitalization but out-patient services are not covered. The scheme covers only five members of a family, with an annual registration fee of INR 30 per household. Funding of the scheme is the responsibility of central government with a proportion of 75 per cent and that of state government up to 25 per cent. The main objective of any public funded or health insurance scheme is not solely to provide health services to the poor but it has other aspects also like easy availability and accessibility of the needed health services and its main goal is to protect the household from financial catastrophe and impoverishment that can be done by reducing the out of pocket spending on health care.

**Objectives:** the study aims to focus on the following aspects of the Yojana

- To compare the level of awareness particularly about the RSBY Scheme between male and female.
- To explore what are the barriers in access to health care among rural women.

**Method:**

Allahabad district has been selected for the study the study was carried out in 12 purposively selected villages, all the villages were similar with respect to geographical and social demographic condition, and the main source of income for them was informal paid jobs as most of them were involved in Labour force.

Stratified Random Sampling approach was adopted for the selection of 240 households for our study area. Out of 240, in 120 households females was selected for the interview and in 120 households males were, as the focus of the scheme was population that

lives below the poverty line (BPL), all that households were selected that possessed BPL card, since accurate household map were not available we utilized data that was available from the Chief Medical Office for sampling, such BPL households were selected that do possessed the smart card (card that is being issued to the households that are covered under the Rashtriya Swasthya Bima Yojana) of the scheme and randomly selected 20 households from each village. Face-to-face interview with all the participants were conducted with structured questionnaire, that explores the women's demographic and social background including their age, marital status, occupation, type of family, physical possession etc., secondly it dealt with the cases of illness they face throughout the year, their level of awareness about the scheme RSBY and how many women's were in need of using the card and how many have been able to use it and what was the most common factor that was responsible for not being able take the benefit from the scheme.

On a total of 240 households, 120 females and 120 males participants were interviewed that aged between 20-65 years with the average age of 40. The level of education among females was not good as majority of them about, 60 per cent were illiterate, about 31 per cent have completed only elementary education (until grade 5), about 5 and 4 per cent of females have passed high school and Intermediate respectively. 90 per cent of the participants women were married; and the remaining were widows. On the other hand the education level among males was optimal about 30 per cent were illiterate, about 23 per cent have completed elementary education, 20 per cent was high school pass, and 20 per cent have completed Intermediate and only 1-2 per cent were graduate.

The study is based on qualitative Analysis to explore the level of awareness among male and female about the RSBY Scheme, comparison is being done that who has more information about the scheme and what are the main source of information for them is it different for females and that of males, three level has been set low, medium and high to measure awareness between both the gender and at each level comparison has been done after that analysis about the rate of utilization how many females were in need of using the facility

and how many have been able to use it same in case of males was also done and further the reason of the same.

### **Results Of Qualitative Analysis**

#### **Awareness: Have Women Been Adequately Informed About The Rsbys and Its Benefits?**

When questions were asked from females about the RSBY Scheme, maximum of them, about 63.1 per cent were aware just about the registration fees and number of members that can be covered under the scheme it can be said that 63.1 per cent of the females had low information, only 26.2 per cent of them were a little bit more aware including the above two information they had information about the coverage amount that of rupees 30000 and what are the illness that is included and benefits covered, it can be said that 26.2 per cent of them had moderate information out of the total only 10.7 per cent of females were adequately aware as they had the information about the list of empanelled hospitals under the scheme, card is renewed every year with an amount of rupees 30 only, 5 days medicine is provided to the patient on discharge from hospital, variety of test that are covered and that are too free of cost, as well as transportation allowance of rupees 100 that is being given to the patient on each visit. It can be said only 11 per cent of the females had adequate information that is necessary to avail the health service when needed, and can be said that they had maximum information about the scheme. It can be said by analyzing the overall awareness level of females was low.

On the other hand when the questions were asked from the males about the scheme about 55 per cent of them had maximum information about the scheme, 21.6 per cent were moderately informed and only 23.4 per cent of them had low level of information.

It can be said that overall information about the scheme was high among males in comparison to females.

It is the duty of the insurance company to deliver the awareness and promotion of the scheme, after that the responsibility passes to the Pradhan of the Village as he is the first to receive the information about what is the scheme all about as well as the date that would be appropriate for the registration under the scheme and the place where camps can be set. From the personal observation it can be said that



females have less access to media as most of the time they are busy in their household work in addition to that they have to bear the burden of other productive activities and generate income through agriculture or other labour work, generally for them their main source of information is either their female friends or co-workers or their husband, there is a possibility that when their co-worker is less informed there is less chances for them also to be informed. ASHA (Accredited Social Health Activist) and ANMs (Auxiliary Nurse Midwife) can be a source of information for female population as being women they can easily communicate the information to other women as well, but it was noticed in the investigated villages that they themselves were not fully aware about the scheme, addition to this NGO's (Non-Government Organizations) or other grass root organizations should be included in the awareness programme that can include group discussion, distribution of pamphlets camps mainly for the awareness etc.

In some of the villages it was found that some females were not enrolled as though they were eligible when asked about the reason for that they told us that at the time of enrolment our husband were not present at the village and the Pradhan told us that presence of husband is mandatory to get the card as we didn't had complete information about the same we have to believe him, a couple of women's reported that sometimes it is decision of the Pradhan whether the family is eligible and which family member gets enrolled in the scheme.

#### **Does RSBY Improve Women's Health Access?**

In terms of utilization of the RSBY health services in the study area it was seen that men tend to use the services more often than women's. In contrast to 120 males that were interviewed out of that about 100 of them told that in the last one year they were in need of using the health facility of hospitalization through the Scheme out of which 51 males that is 42.5 per cent has been able to use the services the most common barrier faced by the males that has not been able to utilize the facility was some said that as the list of empanelled hospital was not being distributed to them that is why they had no information about the empanelled hospital and couldn't use the service on the other hand some said that they went to the empanelled hospital but they

were later informed that there is no money in the card and they have to pay in cash to avail the service from the hospital.

On the other hand, in case of females out of 120 of them 95 of them said that they were in need of using the health facility but only 29 females that is 24.1 per cent has been able to use the services and the rest of them were not being able to do so due to several barriers.

Barriers in access to health care for women: Just by enveloping women in a health scheme doesn't guarantee them access on need they face a lot of barriers in comparison to male. Some has been summarized as:

- (A) Geographical: it is one of the common problems that was mentioned, they told that they are less informed about the location of the health centres and feel uncomfortable in travelling alone, they hesitate visiting hospitals if no one is there to accompany them, generally they rely on males to accompany them in case of health problems as they said they are more aware in comparison to us and if there is any need of anything from outside they can easily get it.
- (B) Availability: lack of information about the treatment facilities, less knowledge about the symptoms of disease leads to unfelt need for treatment or postponement of health care facilities, on the other side lack of available doctors and staff generally female doctors at the health centres is a major hurdle in access.
- (C) Financial and Social Determinants: maximum of the female that was interviewed it was mentioned by them that they have been occupied in labour work and earn their living but it was also mentioned by them that they are not independent to spent their earning according to their own will they rely on their husband to take decision for the same, females that are not earning totally depend on their husband's willingness to pay for their medical bill. Widows and elderly women rely on their social network, without external support they are forced to delay or forgo treatment.

### **Discussion**

The aim of this study is to provide an insight that just by launching a scheme of health care does not guarantee access and

utilization but there are still many factors that needs to be addressed still after so many years of development where most of the villages are connected to concrete roads access cannot be guaranteed, because it is not only depend on geography but multiple factors and reasons, the qualitative data analysis reflects how women are in a disadvantaged position with regard to enrollment, awareness as well as access and utilization of the scheme. Barriers that are notified affect women more in comparison to males it can be said that they are gender specific. After so many years of implementation still women's are not aware about the scheme they cannot utilize it when needed for this information, about the empanelled should be given, instead of pamphlets for the whole list they should just be informed about the nearest ones they can access, certain level of health literacy is fundamental for being able to utilize the health care, women rely on their husband for all the information and are not independent to take decision on their own, the social position and lower educational status makes women more vulnerable.

Males were more aware about the scheme than females with basic information about the scheme that includes knowledge about the compulsory members of family, coverage benefits, and name of the empanelled hospitals. (Rana et al., 2015). In a report from Uttar Pradesh awareness about the scheme amongst the enrolled population was low, females were less aware comparatively to male (Amicus Advisory Report, 2011). The level of awareness was different among different people. Several studies was conducted in different parts of the scheme, a study in the Durg District of Chhattisgarh states that overall awareness level about the scheme including the purpose, benefits covered was adequate among the studied household, but awareness about the eligibility, validity of the card and number of members covered was low. (Nandi, Nundy et al., 2012)

Lack of adequate information on health care options pushes women back in utilization of the RSBY health facilities, their social position that don't allow them to travel alone, take decisions on their own, gather information from others than their husband only make them more vulnerable. Women face a variety of different barriers when seeking health care. (Shukla, 2012) lack of female providers

makes it impossible for women to seek medical advice, especially with regard to sexual and reproductive health matters. (Ensor and Cooper, 2004) Women's limited access to education deprive them in gathering information and understanding the seriousness of any disease and they lack in decision making. (Michielsen, et al., 2011)

### **Conclusion**

The study has identified that there is great need of focusing on the awareness level, because in comparison to males females are less aware they just have the basic information that may not be adequate in utilization of the scheme, it has been observed that they are deprived of care due to multiple reasons and for this lack of information and awareness is playing an active part, for this efforts should be made to promote awareness about the benefits and rights that are attached to the scheme, as maximum of the women's are illiterate proper method like group discussion, narratives should be adopted to reach out to them, Anganwadi and ASHA behens, NGOs etc. can be an active tool for enveloping maximum female population.

Timely Health literacy programme, sanitation awareness programme role of clean water etc should be organized so that how all these factors are also responsible for illness can be understood, what are the benefits of timely treatment should also be communicated to them and how RSBY can help in that should also be acknowledged, it should be insured that there should be availability of female health care providers, convenience of opening hours, health care staff should understand the needs and rights of women's.

### **Reference**

- Amicus Advisory Report (2011). Rapid Assessment to map out Situational Realities in Jaunpur, Mirzapur and SantRavidas Nagar: Rashtriya Swasthya Bima Yojana: Study commissioned by UNDP. New Delhi, India, Amicus Advisory Private Limited. [www.amicusadvisory.com](http://www.amicusadvisory.com)
- Nandi, S., M. Nundy, et al. (2012). "The implementation of RSBY in Chhattisgarh, India: a study of the Durgdistrict." Health Culture Soc 2: 1-32.
- Doyal L., (2000). "Gender Equity in Health: Debates and Dilemmas". Journal of Social Science and Medicine. Vol. 51. Pp 931-939

- Rohregger B., (2011). "Social Determinants of Health: The role of social protection in addressing social inequalities in health. GIZ Discussion Paper on Social protection. Issue no. 11.
- World Health Organisation. (2008). "Closing the Gap in Generation. Health Equity through Action on the Social Determinants of Health.Final Report of the commission on Social Determinants of Health.
- Shukla J.,( 2012). "Social Determinants of Urban India women's health status".[http://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/27216/1/10.1\\_shukla.pdf](http://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/27216/1/10.1_shukla.pdf).
- Shaikh BT, Hatcher J. (2005). "Health seeking behavior and health service utilization in Pakistan: challenging the policy makers. Journal of Public Health. Vol. 27, pp 49-54.
- Ojanuga DN, Gilbert C. (1992). "Women's access to health care in developing Countries. Social Science Medicine, Vol. 35, Pp 613-617.
- Peter et al., (2008). Poverty and access to Health care in Developing Countries.
- Vissandjee B., Barlow R., Fraser DW. (1997). " Utilizations of Health Services among Rural Gujrat, India. Public Health.Vol. 111.Pp: 135-48.
- Ahuja, Rajeev and Jütting, Johannes (2004): "Are the Poor Too Poor to Demand Health Insurance?," *Journal of Microfinance / ESR Review*: Vol. 6 : Iss. 1 , Article 2.
- N. Devadasan and S. Nandraj (2006): "Implementing health Insurance Program in India", Institute of Public Health.
- Ensor T. Cooper S., (2004). "Overcoming Barriers to Health Service Access: Influencing the Demand Side". Journal of Health Policy and Planning.Vol. 19 No. 2.Pp :69-79.

**Shweta Pal**

**D.Phil Scholar at G.B.Pant Social Science Institute, Jhusi  
Allahabad.**

## जैव विविधता की आवश्यकता एवं महत्व तथा संरक्षण के प्रयास — शैलजा राय

**जैव विविधता :-** किसी प्राकृतिक प्रदेश में पायी जाने वाली विभिन्न प्रकार की जंगली तथा पालतू जीव-जन्तुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक ई० ओ० विल्सन ने 1986 में किया था। जैव विविधता का सम्बन्ध जैव मण्डल में प्रकृति की विविधता की मात्रा से है। इस विविधता को हम तीन स्तरों में देख सकते हैं—

**आनुवांशिक विविधता:-** किसी भी लक्षण में उपस्थित विविधता का वह भाग, जो आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न होता है, आनुवांशिक विविधता कहलाता है। इसमें समान प्रजाति की भिन्न जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता को सम्मिलित किया जाता है। जीव समूह तथा परिस्थिति की व्यवस्था में जब परिवर्तन होने लगता है तब आनुवांशिक विविधता एक ऐसी क्षमता उत्पन्न करती है, जिससे जैव-विविधता पुनः अपना मौलिक रूप धारण कर लेती है।

**प्रजाति विविधता—**किसी प्रदेश विशेष में मिलने वाले जीवों की विविधता तथा विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या प्रजाति विविधता कहलाती है। विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। भारत का मानसूनी प्रदेश प्रजाति विविधता की दृष्टि से समृद्ध है।

**पारिस्थितिकी विविधता—**पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाये जाते हैं। पारिस्थितिक विविधता के अन्तर्गत आवास स्थल, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह इत्यादि विविधताओं का समावेश होता है।

**जैव विविधता का मानचित्रीकरण:-**जैव विविधता के मानचित्रीकरण का प्रथम प्रयास ब्रिटेन के पॉल विवियम्स क्रिस हम्फ्रिज तथा डिकवेन राइट ने वर्ल्ड मैप नामक साफ्टवेयर विकसित करके किया। जैव विविधता का मानचित्रीकरण तीन विधियों से किया जाता है —

**अल्फा विविधता** से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या से है। बीटा विविधता क्षेत्र विशेष में स्थित

प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता है। किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अन्तः सम्बन्ध के ज्ञान को गामा विविधता कहते हैं।

**भूण्डलीय जैव विविधता**—जैव विविधता में भूतल पर स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है जो कि मुख्यतः स्थलाकृति तथा जलवायु के कारण होती है। उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन, आर्द्र भूमियाँ तथा सागर तटवर्ती आर्द्र भूमि अत्यधिक जैव विविधता के क्षेत्र हैं। उष्ण कटिबन्धीय सागरीय क्षेत्र में भी अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अक्षांश में जैसे-जैसे उत्तर की ओर जाते हैं जैव विविधता कम होती जाती है। यही कारण है कि टुण्ड्रा प्रदेशों में अत्यधिक हिमाच्छादन तथा कम धूप के कारण यहां निम्न जैव विविधता पाई जाती है। इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्रों में आर्द्रता के कमी तथा चरम जलवायुविक विशेषताओं के कारण निम्न जैव-विविधता पाई जाती है।

**भारतीय जैव विविधता**—भारत की भौगोलिक स्थिति, भू आकृतिक संरचना एवं जलवायु की दशाओं के कारण भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्राकृतिक वास्यों का निर्माण हुआ है। वर्तमान समय में हमारे देश में मुख्य रूप से भारतीय, मलायन, इथोपियन और यूरेशियन वन्य जीवों का मिश्रण मिलता है। भारत जैव विविधता की दृष्टि से एक सम्पन्न राष्ट्र है। भौगोलिक विविधता के कारण यहां वनस्पति एवं जन्तुओं की लगभग 1 लाख 25000 जातियां पायी जाती है। ब्राजील के पश्चात् भारत के सघन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता है।

**जैव विविधता महत्व एवं आवश्यकता**—जैव विविधता का सामाजिक, वाणिज्यिक एवं पारिस्थितिकीय महत्व है। विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति ने मानव के लिए इस ग्रह को आवास योग्य बनाने में मदद की है। इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इमारतों एवं ईंधन हेतु लकड़ी, चारा, मछली, मांस, रेशे, शहद, मोम, खाद्यान्न, दवाईयों आदि का उपभोग वाणिज्यिक अथवा जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किया जाता है।

विभिन्न जीव-जन्तु एवं पादप मानव समाज के अभिन्न अंग हैं। विभिन्न चलवासी जातियों एवं आदिवासी जातियों के सामाजिक संगठन व रीति-रिवाजों में विभिन्न प्रकार के वनों व जानवरों का विशिष्ट महत्व

होता है। नीम, पीपल एवं बरगद की पूजा तथा सर्प पूजा जैव विविधता के सामाजिक महत्व को दर्शाता है।

जीव-जन्तुओं के माध्यम से जीवनोपयोगी शिक्षाओं को सरल व सरस रूप में व्यक्त किया गया है। शेर जैसी निडरता, बगुले जैसी एकाग्रता, हिरण जैसी चपलता, काग जैसी चेष्टा, श्वान जैसी स्वामिभक्ति आज भी मानव आचरण के प्रतिमान माने जाते हैं।

वनस्पति एवं प्राणियों की विविधता पृथ्वी पर प्राकृतिक सौन्दर्य को बढ़ाती है। विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, लतायें, नदी, झरने, समुद्र इत्यादि प्राकृतिक स्थल पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित हुए हैं।

जैव विविधता पारितंत्रीय प्रक्रियाओं के लिए भी अनिवार्य हैं, जैसे-पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, मृदा का निर्माण, जल और वायु का परिचालन, विश्व स्तर पर जीवन के आधार को बनाये रखना, पारितंत्र के अन्दर जल के संतुलन की निरंतरता बनाये रखना, जल विभाजकों का संरक्षण, अपरदन पर नियंत्रण आदि। भोजन, वस्त्र, आवास, ऊर्जा, दवायें ये सभी ऐसे संसाधन हैं, जिनका जैव मण्डल की जैव विविधता से प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध हैं। जैव विविधता का बने रहना समस्त स्थलीय एवं जलीय जीवों के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

**जैव विविधता क्षरण एवं उसके कारण**—जैव विविधता का क्षरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, परन्तु वर्तमान में मानवीय गतिविधियों ने इसकी तीव्रता को बढ़ावा दिया है, जिससे यह असन्तुलित हो गया है। मानव की विनाशकारी गतिविधियों के कारण पादपों एवं जन्तुओं की अनेक जातियां लुप्त हो गयी हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। लुप्त प्रजातियों में डायनासोर, मैमथ, लाल पाण्डा, डोडो, जैन्ट माओ, तस्मानियन भेड़िया, क्यूबन, लात तोता, कछुआ, ब्लू बक, श्यूकस किंगफिशर आदि प्रमुख हैं।

संसार में जीव-जन्तुओं एवं पादपों की कुछ जातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। इन्हे संकटग्रस्त जातियों के अन्तर्गत रखा जाता है तथा इन्हे रेड डाटा बुक में प्रकाशित किया जाता है। भारत की संकट ग्रस्त जन्तु जातियों में शेर, बाघ, सफेद तेंदुआ, नीलगिरि लंगूर, लघु पुच्छ बन्दर, गैण्डा, ओरांग ऊटान, जंगली भैंसा, कस्तूरी हिरण, जंगली गधा, चीता, गिद्ध, साही, बारहसिंगा, गिलहरी, सारस, सोन चिरैया, पहाड़ी बटेर, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि प्रमुख हैं। संकटग्रस्त पादपों में चन्दन,



कल्पवृक्ष, हिरण, तूतिया, बलंग, सर्पगन्धा, गुगल, आर्किड, सांवा, कोदो, देशी चावल आदि प्रमुख हैं।

संभावित संकटग्रस्त जातियां ऐसी हैं, जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त हो जाने का खतरा है। जैसे भैंस, देशी गाय, बकरी, भेड़ आदि की संख्या निरंतर कम हो रही है। इसी प्रकार फसलों में भी बासमती, पुन्नी, आदमचीनी, काला जीरा, क्वारी आदि चावल की जातियां, सी-306, के-62, मुडिलवा आदि गेहूँ की जातियां, जौनपुरी मक्का, देशी ज्वार, बाजरा आदि कम हो रहे हैं। इस प्रकार जैव विविधता का क्षरण लगातार होता ही जा रहा है। खेती के लिए आवश्यक मुख्य जानवरों की प्रजातियों की 30 प्रतिशत नस्लों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। पृथ्वी के 45 प्रतिशत वन विनष्ट हो चुके हैं। जैव विविधता के तेजी से नष्ट होने के कुछ प्रमुख कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं—

प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का कृषि क्षेत्र में परिवर्तन जैव विविधता के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक हैं। एशिया के उष्णकटिबंधीय देशों में 65 प्रतिशत वन्य जीवों के आवास नष्ट कर दिये गये हैं। इसके कारण बहुत सी जातियां विलुप्त हो गयीं।

वन्य जीवों के बड़े आवासों के मध्य सड़के, कस्बे, पर्यटक स्थल, नहर अथवा विद्युत स्टेशनों का निर्माण कर उन्हें तोड़ दिया गया। इस प्रकार आवासों में बिखराव होने से जैव विविधता में कमी आयी है।

विश्व के वन्य जीवों के अवैध शिकार एवं व्यापार के कारण उनके तीव्रता से विलुप्त होने का संकट उत्पन्न हो गया है। केरल के पेरियार अभ्यारण्य में एक भी हाथी का न होना इस तथ्य की पुष्टि करता है। दांत, बाल, त्वचा तथा सींग के लिए प्राणियों की हत्या की जाती है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापवृद्धि के कारण समुद्र के जल स्तर में 1-2 मीटर वृद्धि होने की सम्भावना है, जिससे भारत के तटवर्तीय क्षेत्र और द्वीप जलमग्न हो जायेंगे, जिससे सभी प्रजातियों का आगमन हो सकता है तथा मूल रूप से निवास करने वाले प्राणी लुप्त प्राय हो सकते हैं।

बाहरी प्रजातियों के प्रवेश से भी जैव विविधता को हानि हुई है। गेहूँ के साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आयातित गाजर घास तथा

शोभाकारी पौधे के रूप में मैक्सिको से लाया गया लेण्टाना ने भारत की जैव विविधता के अस्तित्व को गम्भीर खतरा पैदा कर दिया है।

विशाल वन क्षेत्र की, विनिर्माण तथा कृषि कार्य के उद्देश्य से कटाई की गयी है, जिससे इसमें रहने वाले प्राणी आश्रय विहीन हो गये हैं। बांध के निर्माण के कारण नदी और उसकी पारिस्थितिकी का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। झूम की खेती से उत्तर पूर्व के वनों का व्यापक विनाश हुआ है। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से भी जैव विविधता का ह्रास हुआ है। सागरीय प्रदूषण द्वारा प्रवाल प्रजातियां प्रभावित हुई हैं। कृषि उर्वरकों के अधिक प्रयोग से वातावरण में फास्फोरस और नाइट्रोजन भी प्रदूषक का रूप ले लेते हैं। इन प्रदूषकों की बढ़ी मात्रा शैवालों के लिए पोषकता का काम करता है, जो स्वास्थ्य के साथ-साथ जैव विविधता के लिए भी खतरा है।

**जैव विविधता का संरक्षण**—जैव विविधता मानव अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। जीवन का हर रूप एक-दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरों में असन्तुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख दो उपाय हैं—

अन्तःआवासीय संरक्षण के तहत जीवों का संरक्षण उनके आवासीय क्षेत्र में ही किया जाता है, जैसे—बायोस्फियर रिजर्व, वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र आदि।

वाह्य आवासीय संरक्षण में पौधों एवं जन्तुओं के जीनों को जीन बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। भारत में वाह्य आवासीय संरक्षण के सफल कार्यक्रम मद्रास क्रोकोडाइल ट्रस्ट बैंक, गुवाहाटी चिड़ियाघर तथा दिल्ली चिड़ियाघर में चलाये जा रहे हैं।

जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से हॉट-स्पॉट की स्थापना की गयी है। वह देश जो उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र में स्थित हैं तथा उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है, उन्हें महाविविधता केन्द्र कहा जाता है। इनमें मैक्सिको, कोलम्बिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील, भारत, मलेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो मेडागास्कर, चीन, इण्डोनेशिया और आस्ट्रेलिया 12 देश आते हैं। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं, उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए आईयूसीएन ने जैव विविधता 'हॉट-स्पॉट' क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। हॉट-स्पॉट की

अवधारणा सर्वप्रथम 1988 में नार्मन मायर्स ने दिया था। विश्व भर में जैव विविधता के संरक्षण के लिए 25 हॉट-स्पॉट निर्धारित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत भारत के दो क्षेत्र— पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट सम्मिलित हैं।

जैव विविधता संरक्षण हेतु किये जा रहे प्रयास—1992 में रियो डे जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान भारत सहित 171 देशों ने जैव विविधता सन्धि पर हस्ताक्षर किया। यह सन्धि 29 दिसम्बर 1993 से प्रभावी हो गयी।

- विश्व विरासत संधि पर भारत ने 18 अक्टूबर, 1976 को हस्ताक्षर किया तथा 1977 में इसे अपना अनुमोदन प्रदान किया।
- रामसर संधि विश्व में आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु की गयी है। भारत 1 फरवरी, 1982 को इस संधि वाले देशों की सूची में शामिल हुआ।
- कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सी0बी0डी0 जैव विविधता से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय संधि है। भारत ने 5 मई 1992 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया तथा 19 मई 2004 को इसे अनुमोदित किया।
- कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक जैव सुरक्षा समझौता है, जिसे 11 सितम्बर सन् 2000 में लागू किया गया। भारत ने 17 जनवरी 2003 को इस पर हस्ताक्षर किया।
- विश्व प्रकृति निधि की स्थापना 1961 में की गयी। यह संगठन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखता है।
- साइट्स विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीवन संरक्षण समझौता है। यह जीवों तथा उनके अंगों के व्यापार पर नजर रखता है तथा सन् 2006 से लागू है।
- ट्रेफिक यह एक ऐसा संगठन है, जो वनस्पतियों और जीवों के वाणिज्यिक खरीद फरोख्त के अभिलेख का विश्लेषण करता है।
- नागोया प्रोटोकॉल सन् 2010 को जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया। इस प्रोटोकॉल का सम्बन्ध आनुवांशिक संसाधन से है।

- आई ची लक्ष्य नामक योजना के अन्तर्गत 2050 तक के लिए जैव विविधता के संरक्षण से सम्बन्धित दीर्घकालिक एवं 2020 तक मध्यावधि लक्ष्य का निर्माण किया गया है।
- 21-24 नवम्बर 2010 को रूस कि सेन्ट पीटर्सवर्ग में विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन हुआ।
- इन्टरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर एण्ड नेचुरल रिसोर्सोज की स्थापना दुर्लभ जातियों के संरक्षण एवं प्रकृति एवं प्राकृतिक सम्पदाओं के संरक्षण के लिए हुआ। आईयूसीएन ने 1978 में पौधों पर व 1988 में जन्तुओं पर 'रेड डाटा बुक' प्रकाशित की।  
भारत में जैव विविधता संरक्षण के दृष्टि से कुछ प्रमुख अधिनियम महत्वपूर्ण है
- आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम; 1947
- खनन एवं खनिज विकास (नियमन) अधिनियम, 1957
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
- कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग और विपणन) अधिनियम, 1937
- खतरनाक कीट एवं पिस्सू अधिनियम; 1914
- प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, 1960
- मत्स्य अधिनियम, 1897
- इलायची अधिनियम, 1965
- जैव मण्डल रिजर्व की शुरुआत सन् 1971 में यूनेस्को के मानव व जैव-मण्डल कार्यक्रम के तहत हुयी थी। भारत में वर्तमान में 18 जैव मण्डल रिजर्व हैं, जो निम्नलिखित हैं-

<u>क्षेत्र</u>	<u>संबंधित राज्य</u>	<u>स्थापना</u>
नीलगिरी	कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु	1986
नंदादेवी	उत्तराखण्ड	1988
नोकरेक	मेघालय	1988
ग्रेट निकोबार	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1989
मन्नार की खाड़ी	तमिलनाडु	1989

मानस	असम	1989
सुन्दरवन	पश्चिम बंगाल	1989
सिमलीपाल	उड़ीसा	1994
डिब्रू दैखोवा	असम	1997
देहांग देबंग	अरुणांचल प्रदेश	1998
पंचमढी	मध्य प्रदेश	1999
कंचनजंघा	सिक्किम	2000
अगस्तमलई	केरल	2001
अचानकमार	छत्तीसगढ़	2005
कच्छ	गुजरात	2008
कोल्ड डेजर्ट	हिमांचल प्रदेश	2009
शेषचलम हिल्स	आन्ध्र प्रदेश	2010
पन्ना	मध्य प्रदेश	2011

- वर्तमान में भारत में 103 राष्ट्रीय पार्क हैं।
- भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण तथा उसका पोषणीय उपयोग करना है।
- भारत में मैंग्रोव संरक्षण के लिए 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैंग्रोव रिसर्च' की स्थापना कोलकाता में की गयी।
- पोर्टब्लेयर में 'नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेन्टर' की स्थापना हुयी है।
- चेन्नई में एक राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है।
- 1975 में घड़ियाल प्रजनन योजना यूएनडीपी की सहायता से ओड़िसा के तिकड़पाला में शुरू किया गया।
- 'आंलिव रिडले' कछुओं के संरक्षण के लिए ओडिशा सरकार ने 1975 ई0 में कटक जिले के भितरकानिका अभ्यारण्य में शुरू किया।

- गंगा नदी के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावी बनाने के लिए 2009 में राष्ट्रीय गंगा रिवर बेसिन ऑथोरिटी का गठन किया गया
- स्वच्छ भारत अभियान-2 अक्टूबर, 2014 को लागू हुआ।

क्या सिर्फ नियम और अधिनियम लागू कर देने से जैव विविधता का संरक्षण हो जायेगा? जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक हम पर्यावरण और जैव विविधता को संरक्षण नहीं प्रदान कर सकते। जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रदूषण उत्पन्न करने वाली इकाइयों पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए पर्यावरणीय अध्ययन अत्यन्त आवश्यक हैं पारिस्थितिकी प्रणाली, जीव जन्तु समूहों, उनकी संख्या एवं प्रसार, प्रकृति, भोज्य पदार्थों की स्थिति आदि के विषय में सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता है। इससे किन क्षेत्रों में किन कारणों से जैव विविधता का क्षरण हो रहा है इसका समुचित ज्ञान प्राप्त होगा। फलस्वरूप संरक्षण की अनेक योजनाएं एवं परियोजनायें बनायी जा सकेंगी। जनमानस में नैतिक बोध एवं कर्तव्य भावना का उदय होना, जैव विविधता संरक्षण के लिए नितान्त आवश्यक है।

जीव जन्तुओं एवं वनस्पतियों के अभाव में प्रकृति का क्या स्वरूप होगा, इस विषय पर चिन्तन की आवश्यकता है। यदि हम पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण नहीं करते हैं तो हमारा भी जीवन संकट ग्रस्त हो जायेगा। जीव, जन्तुओं एवं वनस्पतियों के अस्तित्व पर खतरा हमारे जीवन पर खतरा है। यदि हमें मानव जाति को जीवित रखना है तो उसके पहले हमें अपने जैव मण्डल को संरक्षित एवं जीवित रखना अत्यन्त आवश्यक है। जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण के विषय में सभी लोगों को आगे आना ही होगा।

संदर्भ

- ओझा, एस0के, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इलाहाबाद।
- शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, अरिहन्त पब्लिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड।
- पर्यावरण-पारिस्थितिकी व आपदा प्रबन्धन, क्रानिकल पत्रिका, 2013-14

शैलजा राय  
शोध छात्रा (शिक्षा शास्त्र)  
नेहरू ग्राम भारतीय विश्व विद्यालय, इलाहाबाद

## असाध्यवीणा : कथ्य

### — ओंकारनाथ

‘असाध्यवीणा’ अज्ञेय की प्रतिनिधि रचना है। इसकी मूल संवेदना सृजन तत्व की व्याख्या करना है। अज्ञेय असाध्यवीणा को साधने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता को उसकी संपूर्णता में व्यक्त करते हैं। वैसे भी मानव की स्वतंत्रता एवं सृजनात्मकता अज्ञेय के चिंतन के केन्द्र-बिन्दु रहे हैं। अज्ञेय के सामने प्रश्न है कि मनुष्य अपने परिवेशगत तनाव, अपनी क्षुद्रताओं की सीमाओं से मुक्त कैसे हो? जिससे कि मनुष्य अपने स्वधर्म को पा सके। अज्ञेय ने इस कविता में असाध्य वीणा के माध्यम से सृजन प्रक्रिया को व्यक्त करके तत्संबंधी प्रगतिवादी धारणाओं का विरोध करके आधुनिकतावादी चिंतन को रचनात्मक स्तर पर प्रस्तावित किया जो भारतीय परंपरा से भी संश्लिष्ट है।

सृजन के संबंध में असाध्यवीणा कविता मूलरूप से चार पक्षों का चिंतन करती है—सृजन की अर्हता, सृजन की प्रक्रिया, सृजन का स्वरूप तथा सृजन का प्रभाव। लेकिन यह चिंतन हिस्सों में न बँटकर एक विकसनशील परंपरा में द्योतित होता है।

प्रथम स्तर पर यह कविता सृजन की अर्हता को स्पष्ट करती है। वज्रकीर्ति ने किरीटी तरु से असाध्यवीणा का निर्माण किया, तदुपरांत वह मर गया। राजा की घोषणा सुनकर अनेक कलावंतों ने इस वीणा को साधने की असफल कोशिश की, इसलिए इसका नाम असाध्यवीणा ही पड़ गया। एक दिन केशकम्बली गुहागेही प्रियंवद ने राजा से दरबार में वीणा बजाने की आज्ञा मांगी। कविता की मूल समस्या जो राजा के सामने है—

मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत  
सबकी विद्या हो गयी अकारथ दर्प चूर  
कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका  
अब यह असाध्यवीणा ही ख्यात हो गयी।।<sup>1</sup>

इस स्तर पर आकर कविता स्पष्ट करती है कि वीणा की साधना के लिए ज्ञान गुण होने के साथ-साथ साधक के पास वह भावभूमि भी होनी चाहिए, जहाँ पहुँचकर साधक का अहंकार समाप्त हो जाता है। प्रियंवद में यही अतिरिक्त गुण ‘आत्मनिवेदन’ का भाव है, जिसके कारण वह असाध्य वीणा को साध सकता है—

धीरे बोला : राजन पर मैं तो,  
कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ  
जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी

X X X X X X

कौन प्रियंवद है कि दंभ कर  
इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे<sup>2</sup>

दूसरे स्तर पर यह कविता सृजन की प्रक्रिया को व्याख्यायित करती है। सृजन की प्रक्रिया का मूल संबंध 'अहंकार' के विलयन से है। इसके लिए यह आवश्यक है कि साधक सृजनशक्ति के प्रति आत्मनिवेदन के भाव से प्रस्तुत हो। प्रियंवद का सृजनशक्ति के प्रति जो आत्मसमर्पण भाव है उसकी प्रक्रिया त्रिस्तरीय है। सबसे पहले कलाकार के आत्मदान का आरंभ धरती के प्रति समर्पण से होता है, इसके बाद वह वातावरण के प्रति, तत्पश्चात् वह ताततरु के प्रति समर्पित होता है—

पर उस स्पंदित सन्नाटे में  
मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा  
नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था  
सघन निविड़ में वह अपने को  
सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को<sup>3</sup>

कलाकार उस किरीट तरु को तात तरु—संबोधित कर एक आनुवांशिक रिश्ता कायम कर लेता है।

सृजन की प्रक्रिया में यह कविता एक और बिन्दु की उठाती है। सृजन प्रक्रिया में साधक जब सृजन—शक्ति का साक्षात्कार करता है, तो वह नितांत अकेला होता है—

भूल गया था केशकम्बली राजसभा को  
कम्बल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था  
X X X X X X

नीरव एकालाप प्रियंवद<sup>4</sup>

सृजन का उद्भव ठीक उसी बिन्दु पर होता है, जहाँ प्रियंवद के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विलयन हो जाता है। प्रियंवद के पास ज्ञान, गुण से संपन्न व्यक्तित्व तो है ही साथ ही उस व्यक्तित्व को 'घुला देने वाली क्षमता' भी है। जब वह सब कुछ को भूलकर (अपने को भी)



धरती, प्रकृति, तात तरु एवं वीणा से उपजे प्राकृतिक परिवेश में लीन हो जाता है, वैसे ही सृजन का उद्भव होता है—

मुझे स्मरण है  
पर मुझको मैं भूल गया हूँ  
X X X X X X  
पर मुझसे परे, शब्द में लीयमान  
मैं नहीं, नहीं। मैं कहीं नहीं।  
X X X X X X

सहसा वीणा झनझना उठी,  
संगीतकार की आँखों में ठंडी ज्वाला—सी झलक गयी  
तृतीय स्तर पर यह कविता सृजनात्मकता के स्वरूप की व्याख्या करती है। भारतीय चिंतन में रस के आनंद को 'ब्रह्मानंद' कहा गया है। कला का वास्तविक साक्षात्कार ऐसा ही आनंद देता है। सृजन की यहाँ सूक्ष्मतम् एवं गहनतम् व्याख्या उपलब्ध हुई है—

अवतरित हुआ संगीत  
स्वयंभू  
जिसमें सोता है अखण्ड  
ब्रह्मा का मौन  
अशेष प्रभामय।

अंतिम स्तर पर यह कविता अपने प्रभाव को स्पष्ट करती है। प्रत्येक व्यक्ति पर सृजन का प्रभाव मात्रा में चाहे समान पड़ता हो किंतु प्रकृति में अलग होता है। सृजन अपने वास्तविक रूप में 'सम्मोहनकारी प्रभाव' वाला ही होता है, फिर भी इस प्रभाव में डूबने के बाद आनंद की उपलब्धि प्रत्येक व्यक्ति को अपने 'स्वधर्म' के अनुकूल ही होगी—

डूब गए सब एक साथ  
सब अलग—अलग एकाकी पार तिरे<sup>5</sup>

जिस तरह सृजन मुक्तिदायी है, उसी तरह सृजन का प्रभाव भी मुक्ति देता है। सृजन का प्रभाव राजा के मन में ईर्ष्या, द्वेष, महत्वाकांक्षा और चाटुकारिता जैसी निरर्थक प्रवृत्तियों को निकालकर उसमें परमार्थ की चेतना भरता है और रानी के भाव जगत में से निरर्थक श्रृंगार आदि को हटाकर शुद्ध दायित्व मूलक व्यास को स्थापित करता है। इस प्रकार

सृजन का प्रभाव सम्मोहनपूर्ण होने के साथ-साथ औदात्यमूलक भी है, जिसके कारण व्यक्ति स्वधर्म को पहचान करके अधिक क्षमतावान, गुणवान एवं उत्पादक होता है, साथ ही भाव जगत के विस्तार से स्वार्थ के स्थान पर सामाजिक दायित्व आ जाते हैं। इन दोनों कारणों से युग पलटना निश्चित हो जाता है—

उठ गयी सभा सब अपने-अपने काम लगे  
युग पलट गया।<sup>6</sup>

सृजन तत्व की व्याख्या के अतिरिक्त यह कविता अन्य कारणों से भी संवेदना के स्तर पर महत्वपूर्ण है।

इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है “अपने युग की पहचान करने का”। वर्तमान काल की मूल समस्या राजनीति और विज्ञान के सर्वसत्तावादी रूप के सामने मानव का निरंतर ‘लघु मानव’ के रूप में तब्दील हो जाना है। अज्ञेय का मानना है कि अस्तित्ववादी मृत्युबोध तथा निरर्थक बोध में फँसे मानव को सृजनात्मकता की ओर उन्मुख करना ही आज के कवि का सबसे बड़ा उद्देश्य है।

अज्ञेय की यह कविता एक अन्य स्तर पर “सांस्कृतिक अस्मिता के बोध” से भी युक्त है। इस कविता में व्यक्तित्व तथा कृतित्व के संलयन की बात भारतीय चिंतन से जुड़ी हुई नजर आती है।

असाध्यवीणा एक स्तर पर रहस्यानुभूति से संपन्न कविता भी है, लेकिन अज्ञेय का रहस्यवाद ईश्वर की ओर प्रेरित रहस्यवाद नहीं है, बल्कि अपनी ही भीतरी शक्ति जो कि सृजन की शक्ति है, के प्रति प्रेरित है। इसे हिंदी साहित्य में ‘सृजनात्मक रहस्यवाद’ कहा गया है—

अवतरित हुआ संगीत  
स्वयंभू  
जिसमें सोता है अखण्ड  
ब्रह्मा का मौन  
अशेष प्रभामय।<sup>7</sup>

प्रकृति भी अज्ञेय की रचनाओं में अनिवार्य तत्व के रूप में विद्यमान रहती है। असाध्य वीणा कविता में छायावादी प्रकृति भी दिखायी देती है तथा छायावादोत्तर तद्भव प्रकृति भी।

उसके कानों में हिम—शिखर रहस्य कहा करते थे अपने,

कन्धों पर बादल सोते थे,  
उसकी करि-शुण्डों-सी डालें  
छायावादोत्तर तद्भव प्रकृति :

बँधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारें,  
गर्जन घुर्घर चीख, भूँक, हुक्का, चिचियाहट ।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अज्ञेय की कालजयी कृति 'असाध्यवीणा' सृजन तत्व की व्याख्या के साथ-साथ भारतीय सांस्कृतिक संवदेना एवं मानवतावादी दृष्टि के अनेक स्तरों को उद्घाटित करती है ।

#### सन्दर्भ-सूची

1. असाध्य वीणा और अज्ञेय, संपादक रमेश चन्द्र शाह, पृष्ठ-34 ।
2. वही, पृष्ठ - 35-36 ।
3. वही, पृष्ठ - 36 ।
4. वही, पृष्ठ - 36 ।
5. वही, पृष्ठ - 43 ।
6. वही, पृष्ठ - 47 ।
7. वही, पृष्ठ - 43 ।

ओंकारनाथ

प्रवक्ता, (हिन्दी)

संत राम लखन डिग्री कालेज, बरौत, इलाहाबाद

## भारत में मास मीडिया की स्थिति एवं सामाजिक सम्बन्धों का प्रभाव — पंकज कुमार यादव

---

वर्तमान समय में मास मीडिया संचार का सर्वाधिक तीव्र माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट माध्यम में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर के उपयोग से यह विधा तीव्र गति से शहरों के साथ ही साथ ग्रामीणांचल में सम्प्रेषण करने में अग्रणी है। मास मीडिया के अन्तर्गत संचार के वे सभी माध्यम आते हैं जो छितरे हुये अनगिनत जन तक को संचार सम्प्रेषण में सक्षम हों। समाचारपत्र, रेडियो, टेलीविजन एवं सोशल मीडिया जनसंचार माध्यमों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जनसंचार माध्यमों की प्रकृति, कार्य एवं प्रभाव में पर्याप्त भेद हैं। रेडियो सिर्फ श्रव्य माध्यम है, तो टेलीविजन दृश्य एवं श्रव्य दोनों जबकि समाचार पत्र मुद्रित माध्यम है, सोशल मीडिया माध्यमों का माध्यम है क्योंकि यह सभी माध्यमों को समाहित कर बहुप्रसारण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विजुवल का प्रभाव लगातार सभी मीडिया में बढ़ता चला जा रहा है। किन्तु इतना सब होते हुए भी मीडिया के प्रभाव का जब अध्ययन किया गया तो, यह भी पाया जाता है कि समान्य दिनों में मीडिया का प्रभाव जितना माना जाता है, वह उस रूप में नहीं है। पॉल लेजर्स फ्लड ने बताया कि मीडिया उतना प्रभावी नहीं है जितना हम समझते हैं। मीडिया को ओपनियन लीडर प्रभावित करते हैं। ओपनियन लीडर के रूप में ही व्यक्तिगत सम्बन्धों का जाल बनता है। संचार विद्वान पॉल लीगन्सन का कहना है कि संचार एक प्रक्रिया है जिससे दो य दो से अधिक व्यक्ति ऐसे सभी विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में यह सम्प्रेषक और प्रापक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की सुंखला प्राप्त करने के लिये की गई। यह सम्मिलित क्रिया है। इसलिये अर्थ का संचार होता है, सामाजिक मान्यताओं का संचरण होता है, और अनुभव को विस्तार मिलता है। संचार एक गतिशील प्रक्रिया है जो सम्बन्धों पर आधारित है। वह सम्बन्ध और व्यक्तियों को जोड़ने का एक बड़ा जरिया है। एक व्यक्ति को दूसरे

व्यक्ति से, एक व्यक्ति को एक समूह से, एक समूह से दूसरे समूह को और एक देश से दूसरे देश से जोड़ने का काम भी संचार के आधार पर ही होता है। समाज एक व्यक्तिगत सम्बन्धों का जाल है। समाज के बिना मनुष्य के सारे क्रिया कलाप स्वयं से ही होंगे। जिसमें माध्यम की उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है। किन्तु संचार फिर भी रहता है क्योंकि संचार जीवन तत्व तथा विकास का माध्यम है। यही सामाजिक सम्बन्ध मीडिया, संचार एवं समाज को भी प्रभावित करते हैं।

**सम्बन्ध एवं संचार** – संचार चार प्रकार के हैं – अन्तरावैयक्तिक, अन्तरवैयक्तिक, समूह एवं जनसंचार। इसमें वैयक्तिक और समूह संचार व्यक्तिगत सम्बन्धों को निर्मित एवं सबल बनाने के महत्वपूर्ण धूरी हैं। अन्तरवैयक्तिक संचार अत्यंत सशक्त संचार माना जाता है। इसी को हम व्यक्तिगत सम्बन्ध की श्रेणी में रख सकते हैं। हावलैंड ने बताया कि – संचार द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करता है। व्यक्तिगत सम्बन्ध में भी व्यक्ति सशक्त तरीकों से एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करता है इसलिये यह संचार इतना सशक्त होता है कि व्यक्तिगत सम्बन्धों को नकारा नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति व्यक्तिगत सम्बन्धों के द्वारा दूसरे व्यक्ति समूह या वर्ग को प्रभावित करने में सफल रहता है, जिसे सभी समझना व उसके दिशा निर्देश अथवा विचारों को आस्था के साथ प्राप्त करना चाहते हों वही ओपनियन लीडर है। “आगबर्न ने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक माना है तथा आज माध्यमों में प्रौद्योगिकी का महत्व जिस तरह से बढ़ा है वह किसी से छिपा नहीं है। प्रौद्योगिकी ही है जिसने ग्लोबल विलेज की परिकल्पना को साकार किया है।”<sup>1</sup> लेकिन विडम्बना यह है कि आज समाचार का स्पेस ‘समय’ और उसका महत्व निर्धारित करने वाला प्रबन्ध यह भूल जाता है कि मीडिया का विस्तार जिस तेजी से हुआ है, ‘मीडिया लिटरेसी’ यानी मीडिया के प्रति लोगों की समझ उस तेजी से विकसित नहीं हुई है। समाज में आपसी सम्बन्ध बहुत मजबूत होते हैं, व्यक्ति के सु:ख–दु:ख में आपसी सम्बन्ध सर्वाधिक काम आते हैं। इन सम्बन्धों में तजुर्बेकार, अनुभवी, सामाजिक एवं मीडिया तथा सामाजिक मुद्दों में विशेष रुचि रखने वाला व्यक्ति या समूह ओपनियन लीडर के रूप में कार्य करता है। जाने– अनजाने में वह समाज एवं

मीडिया को प्रभावित करता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभाव को आपसी सम्बन्धों का प्रभाव सीमित करता है। यदि समाचार या सूचना, व्यक्तियों को अस्पष्ट, अपुष्ट एवं अकार्यकारी प्रतीत होते हैं, तो वही आपसी सम्बन्ध उसे नकारने में संचार व्यवस्था – व्यक्ति से व्यक्ति एवं समूह सं समूह, जन से जन तक ले जाना शुरू कर देते हैं। यदि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में बढ़ते फेक न्यूज़ का प्रचलन एवं पेड न्यूज़ ने ग्रामीण जन पर इतना प्रभाव नहीं डाला तो उसका एक ही कारण है, वह है समाज के सामाजिक सम्बन्धों का जाल। समाज में हर व्यक्ति, लोक संस्कृति, सभ्यता, संस्कार मूल्यों एवं लोकपरंपराओं के साथ जुड़ा रहना चाहता है। इसी कारण “पारम्परिक माध्यमों को लोकजीवन में विशिष्ट प्रतिष्ठा मिली हुई है। एक प्रकार से ये माध्यम लोक के सुःख–दुःख, हर्ष–आमर्ष, रंजन, तीर्थाटन, धर्म–कर्म आदि के सेतु और साधक बने हुए हैं लोकजीवन इन माध्यमों से समुदायिक सम्पर्क को ही नहीं अपितु समाजगत संवाद और समाजिक सह शिक्षण को भी प्राप्त होता है।”<sup>2</sup> हर माध्यम लोक को अपनी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करता है। रेडियो जहाँ शब्दों एवं ध्वनियों का समन्वय बनाता है वहीं प्रिन्ट माध्यम लेखन एवं चिन्हों की महत्ता के साथ अपनी बात रखता है। टेलीविजन अपनी क्षमता के कारण कुछ जानी पहचानी चीजें पेश करता है जिससे मनोरंजन एवं सूचना मिलता है। प्रसिद्ध माध्यम समालोचक **गरबनर** ने अपने प्रसिद्ध लेख **कल्चरल इण्डीकेटर्स द थर्ड वॉयस** में लिखा कि यह ठीक है कि जीवन का यथार्थ व्यक्त होना चाहिये। पर, कथा में वह कल्पना के रूप में आता है, जिसमें सांस्कृतिक तथा सामाजिक मूल्यों की प्रतिकात्मक भूमिका रहती है। प्रतीकात्मक दुनिया यथार्थ संचार से भिन्न होती है। “किसी संदेश का अपना फार्म होता है। यह प्रतिकात्मक विनिमय है यह अचानक नहीं घटता। इसकी आसानी से उपेक्षा नहीं की जा सकती। संदेश रूप निर्धारण कारण तत्व भी है। विचार इसका एक अन्य धरातल है। संचार व्यवस्था की जब जरूरत होती है, तब इससे युक्त दिखाई देता है, इसका एक छोर संचार के सामाजिक सम्बन्धों के प्रतिक्रियाओं से जुड़ा होता है।”<sup>3</sup> संचार के स्टेलेगमाइट सिद्धांत के अनुसार संचार का दूरगामी प्रभाव एवं परिणाम होता है। यह धीरे – धीरे अपना प्रवाह स्थापित करने के साथ आगे

बढ़ता है, मीडिया की सूचनाओं का दूरगामी प्रभाव होता है। क्योंकि वर्ग या समूह भी सूचनाओं का संकलन तो मीडिया से ही करते हैं लेकिन व्याख्या समझ अपने अनुसार करते हैं। वही मीडिया जब धीरे – धीरे उनकी समझ को प्राप्त कर लेता है तो अन्तरव्यक्ति के सम्बन्धों से जुड़कर अत्यंत प्रभावित करना शुरू कर देता है। अनिश्चित दशाओं में व्यक्ति की स्थिति भी अनिश्चित होती है, उस समय मीडिया सर्वाधिक पहुँच स्थापित करता है, मीडिया का यही वास्तविक प्रभाव है। “गांधी जी के अनुसार एक गांव को आत्मनिर्भर इकाई बनाया जा सकता है बशर्ते उनकी सूचना जरूरतों को समय से पूरा कर दिया जाए।”<sup>4</sup> “प्रसिद्ध लेखक एल्विन टोफलर ने मानव समाज के विकास को तीन भागों में विभक्त किया है। अर्थात् मानव सभ्यता तीन लहरों से प्रभावित हुई है— कृषि, औद्योगिकीकरण तथा तीसरी लहर जो सूचना समाज का निर्माण करती है।”<sup>5</sup> मार्शल मैक्लुहान ने अपनी पुस्तक (**Understanding Media ; The Extension of Man**) में (Innis) के सिद्धान्त को बढ़ाते हुए इस बात पर जोर दिया है कि माध्यम ही संदेश है । इनके अनुसार टेलीविजन प्रचार प्रसार का उन्मादी दबाव वाला तटतोप है। रेडियो एक **ट्राइबल ड्रम** है, तथा फोटो (Brothel without walls ) है। “न्यूमैन ने 1991 में इस बात को बताया कि मीडिया में सभी श्रोताओं का एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क की जरूरत है, यह भी सम्भव है कि नए मीडिया श्रोताओं में एक विशिष्ट समय काल के कारण समाजिक या सांस्कृतिक पूर्वधारणा आ जाए।”<sup>6</sup> मीडिया श्रोताओं के लिये यदि है तो जबतक वह अन्तरव्यक्ति साधनों उनकी धारणाओं एवं विश्वासों को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा सफलता की दर कम ही होगी। “संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धान्त (Cognitive Dissonance Theory) के प्रतिपादक फेसटिंगर ने 1987 में बताया कि मनोवृत्ति एक संज्ञात्मक तत्व है, जो किसी वयक्ति घटना य वातावरण के प्रति एक मत यह विश्वास है। लेकिन कभी –कभी दो य दो से अधिक ऐसी मनोवृत्ति या संज्ञात्मक तत्व (Cognitive Elements) एक साथ सक्रिय हो जाते हैं । जो कि आपस में विरोधी भी होते हैं।”<sup>7</sup> इसे उन्होंने संज्ञानात्मक असंवादिता का नाम दिया। इसी तरह मनोवैज्ञानिक विभेद सिद्धान्त में यह बताया गया है कि व्यक्ति उन्हीं चीजों को धारण करता है जिन्हे वह अपने अनुकूल पाता है। इसलिये सामाजिक सम्बन्ध अनुकूल

होने के साथ ही साथ संज्ञानात्मक अनुभवों को पुष्ट करता है एवं ओपनियन लीडर को बनाता है जो उसके सु:ख- दु:ख का सहभागी होता है, जिसके कारण मीडिया का प्रभाव सीमित एवं सम्बन्धों का असीमित हो जाता है। मीडिया को यदि संचार प्रेषण में असफल नहीं होना है? तो उसे ज्ञान, उपयुक्त तथ्य एवं आशा की पत्रकारिता को जीवित रखना चाहिये। डॉ० रमेश कुमार जैन ने कहा है कि मीडिया जनता की संसद है, इसलिये इसका अधिवेशन कभी समाप्त नहीं होता है। “कटु सत्य एवं विकासात्मक पत्रकारिता के द्वारा माध्यमों की उपयोगिता एवं पत्रकारिता के क्षरण को बचाया जा सकता है।”<sup>8</sup> तभी उसका प्रभाव है। यही जर्नलिज्म ऑफ होप (Journalism of Hope) है। “एक वास्तविकता है कि जहाँ मीडिया जनता का जागरूक प्रहरी है वहाँ वह सरकार और जनता के मध्य एक विश्वसनीय सम्पर्क सूत्र की भूमिका निभाता है।”<sup>9</sup> किन्तु जहाँ मीडिया जब अन्तरव्यक्ति संचार साधनों, सामाजिक सम्बन्धों एवं जनसरोकारों को छोड़कर एक विशेष प्रकार के एजेंडे को फॉलो करना शुरू कर देता है तब धीरे-धीरे व्यक्ति एक “स्व संचार माध्यम” घेरा बना लेता है, जिससे मीडिया के एजेंडा युक्त संचार को असफल किया जा सके। मीडिया से अधिक प्रभावशाली अन्तरव्यक्ति संचार साधन एवं सम्बन्ध होते हैं। नवोन्मेषी कार्य एवं विचारों के द्वारा “स्व संचार माध्यम” में मीडिया का प्रभाव समाज में सर्वाधिक होता है।

**सन्दर्भ ग्रंथ : -**

1. ज्ञानेन्द्र रावत- मीडिया के सामाजिक जायित्व, प्रकाशन- श्री नटराज प्रकाशन, ए-507/12, साउथ ग्रामड़ी एक्सटेन्शन, दिल्ली-110053 - पृष्ठ सं०-83
2. डॉ० महेन्द्र भनावत एवं डॉ० कृष्ण जुगनू - भारतीय लोक माध्यम, प्रकाशन- हिन्दी अकादमी जयपुर- पृष्ठ सं०-01
3. जगदीश्वर चतुर्वेदी - जनमाध्यम प्रौद्योगिकी और विचारधरा- पृष्ठ संख्या 179
4. डॉ० संजीव भनावत - विकास एवं विज्ञान संचार- राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी - पृष्ठ संख्या 96
5. डॉ० आशा हींगड़, डॉ० मधु जैन, डॉ० सुशीला पारीक-संचार के सिद्धांत-राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पृष्ठ संख्या 164



6. डॉ० आशा हींगड़, डॉ० मधु जैन, डॉ० सुशीला पारीक—संचार के सिद्धांत—राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पृष्ठ संख्या 186
- 7- K.P. Yadav- Social Effect of Mass Media- Adhyayan Publishers and Distributors New Delhi Pg-80
- 8- डॉ० यू०सी० गुप्ता – पत्रकारिता विश्वकोश— प्रथम संस्करण 2008— अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 483/24, प्रह्लाद जी गली दरियागंज नई दिल्ली –110002 – पृष्ठ संख्या 13
- 9- डॉ० यू०सी० गुप्ता – पत्रकारिता विश्वकोश— प्रथम संस्करण 2008— अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 483/24, प्रह्लाद जी गली दरियागंज नई दिल्ली –110002 – पृष्ठ संख्या 10

पंकज कुमार यादव  
सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार  
एन० जी० बी० यू०, इलाहाबाद।

## स्वास्थ्य बाल विकास, महिला सशक्तीकरण एवं मीडिया – श्वेता तिवारी

---

‘सोशल’— जिसका अर्थ है ‘सामाजिक’ और मीडिया का अर्थ है संचार का माध्यम। कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति या समाज को परस्पर जोड़ने वाली एक ऐसी संरचना व साधन जिससे सूचनाओं और विचारों का आदान-प्रदान होता है वह सोशल मीडिया कहलाता है।

पहले समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का दूसरे वन्यक्ति से संवाद, जानकारियाँ डुग्गी बजवाकर लोगों को दी जाती थी तो कभी कबूतर दज्वारा संदेश पहुँचाया जाता था तो कभी दूतों द्वारा। जैसे-जैसे आगे बढ़ते गये सूचनाओं का माध्यम डाक, अखबार और टेलीफोन ने ले लिया फिर एक नयी क्रान्ति इन्टरनेट की आयी जिससे पूरे दुनिया को एक नया संदेशवाहक मिला। पहले कोई भी बात दूसरों तक पहुँचाने में समय लगता था किन्तु अब पल भर में ही बातचीत हो जाती है। परिवार से लेकर राष्ट्र तक के हर स्तर पर मीडिया का कार्य होता है। किसी भी प्रकार की समस्याओं का निवारण करनाने में त्वरित सक्षम होता है।

सोशल मीडिया ने जागरूकता और सक्रियता को नये आयाम भी दिये और सामाजिक एकजुटता को भी बढ़ाया है। रोजगार की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं। फेसबुक और ट्वीटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स लोगों को आपस में संवाद बनाने का अच्छा माध्यम है। इन साइट्स की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ गयी है, जिसका अनुमान कुछ प्रमुख साइट्स की सदस्य संख्याका जायजा लेकर लगाया जा सकता है। मीडिया का जहाँ तक एक तरफ लाभ है वहीं हानि भी है। इसके माध्यम से जब लोग बिचार रखते हैं तो संयम भी खो देते हैं, यह उचित नहीं है कि सोशल मीडिया का लाभ उठाकर कुछ भी टिप्पणी कर दी जाए या इसकी आड़ में अश्लीलता और अभद्रता को बढ़ावा दिया जाए। ऐसी बातों से माहौल बिगड़ता है। इससे विश्वसनीयता का भी संकट बढ़ा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया विवादस्पद भी हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ती ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश जरूरी है।

मीडिया के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य की जानकारी भी प्राप्त होती है क्योंकि शरीर स्वस्थ है तभी मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे महात्मा गाँधी ने कहा भी है कि— स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है।

स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन कहा गया है क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य जीवन के समस्त सूत्रों का आधार है जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है वो कोई भी कार्य चिंतामुक्त होकर करते हैं। मन में उत्साह और उमंग होता है। स्वास्थ्य बाल विकास संबंधित समस्याएँ और समाधान के बारे में लोगों तक सूचनाएँ पहुँचाने में मीडिया का काफी योगदान होता है।

भारत की प्राथमिकता स्वास्थ्य वस्था पूर्णतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उससे सम्बद्ध अन्य उपकेन्द्रों पर निर्भर करती है, ऐसे प्रत्येक केन्द्रों पर कम से कम ३-४ गाँव आश्रित होते हैं। कितने गाँव ऐसे हैं जहाँ स्वास्थ्यसुविधाएँ नहीं पहुँच पा रही हैं फलस्वरूप जीव रक्षाके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य सुरक्षा को सरकार को अपने प्राथमिक दायित्व के रूप में मान्यता देनी चाहिए। जन स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने में उनको सुचनाएँ प्रदान करवाने में मीडिया प्रयासरत् रहता है।

सोशल मीडिया का स्वास्थ्य बाल विकास पर प्रभाव का दुष्परिणाम भी होता है, जैसे—आजकल अधिकतर बच्चे, बड़े सभी नेट का प्रयोग करते हैं जिसका असर उनके मानसिक स्तरपर भी अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और खराब प्रभाव भी पड़ता है। अनेक ऐसी साइट्स व्हाट्सएप आदि हैं जिनके द्वारा दोस्तों, अनजाने लोगोंऔर कई अच्छी—खराब जानकारीसे जुड़े रहते हैं। जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य, मानसिक और सामाजिक स्तर पर पड़ता है। कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं। समाज में कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।

सोशल मीडिया जहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करता है वही संवेदनशील और जिंदगी से जुड़े अगम मुद्दों पर भी विचार व्यक्त कर मार्ग प्रशस्त करता है। भारत जैसे विकाशशील देशों में महिलाओं के व्यापक सशक्तीकरण के लिए सोशल मीडिया सर्वोत्तम साधन सिद्ध हो सकता है, किसी भी समाज का स्वरूप वहाँ की महिलाओं की स्थिति

दशा पर निर्भर करती है। महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशामें भावनात्मक की अहम भूमिका है, साधारणतया माना जाता है कि महिलाएँ भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं और पुरुष मजबूत। भावनात्मकरूप से मजबूत महिलाएँ जिंदगी की हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकती हैं, हर महिला में क्षमता, हिम्मत और आत्मविश्वास होता है, जरूरत है तो सकारात्मक सोच की।

एक सशक्त महिला अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की भरपूर कोशिशकरती है। महिलाएँ जब अपने सशक्तीकरण के लिए सोशल मीडियाप्रयोग करती है तो अनेक चुनौतियाँ का सामना भी करना पड़ा है। दुनियाभर से जानकारी प्राप्त करनेके लिए यह प्रथम आवश्यकता है कि सरकार को महिलाओं के लिए ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध करना चाहिए जिससे वे अपने समग्र विकास के लिए सोशल मीडिया का बेहतर प्रयोग कर सकें। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में महिलाओं को यह समझना होगा कि उनके आर्थिक विकास में सोशल मीडिया एक उपयोगी साधन है। इसका विकास रचनात्मक प्रकार से समाधार तैयार करना चाहिए जो महिलाओं के काम आसके।

अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें ऐसी प्रौद्योगिकी चुनने की स्वतंत्रता की जाए जिसे वे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों का प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है इसलिए प्रत्येक महिला की मीडिया द्वारा कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी हासिल होना चाहिए तभी सशक्त हो अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकेंगी।

महिलाओं में सोशल मीडिया द्वारा इतनी जागरूकता लायी जाए कि वह मनः शक्ति को प्राप्त कर वह अपने हितों के लिए आवाज उठाएँ और सामाजिक, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता को प्राप्त कर सकें। जिसके द्वारा घर एवं समाज के किसी भी निर्णय में उनकी भी भागीदारी हो, जो एक सामंजस्यपूर्ण भागीदारी का हिस्सा बन सकें।

अतः ग्रामीण महिलाओं के लिए सोशल मीडियाकोऔर सार्थक एवं उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए संबंधित सूचना और साधन स्थानीय भाषा में उपलब्धकराए जाने की आवश्यकताहै ताकि महिलाओं की आवश्यकता

और अपेक्षाएँ पूरी हो सकें । एक नेटवर्क जितना अधिक सोशल मानीसामाजिक होगा, मित्रों, समर्थकों और संपर्कों का समूह भी उतना ही व्यापक होगा ।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

- [www-google-com](http://www-google-com)
- कुरुक्षेत्र
- योजना, सितंबर २०१३
- [Wcd-nic-in](http://Wcd-nic-in)
- [www-mpwcd-nic-in](http://www-mpwcd-nic-in)
- <http://en-m-wikipedia-org>
- [www-wikinest-com](http://www-wikinest-com)

श्वेता तिवारी  
शोध छात्रा (शिक्षा शास्त्र)  
ने० ग्रा० भा० वि० इलाहाबाद।

## वर्तमान शिक्षा में अध्यापकों द्वारा प्रयोग किये जाने नये तकनीकी का प्रयोग एवं महत्त्व – अमित सिंह

शिक्षा प्रत्येक मानव क्रिया का प्रारम्भिक बिन्दु है, यह वह चैतन्य प्रकाश है जो मनुष्य को सही दिशा की ओर अग्रसर करता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल छात्रों को साक्षर करना नहीं है अपितु उनमें तार्किक चिन्तन, ज्ञान तथा योग्यता का विकास करना है। यदि हम किसी क्षेत्र में परिवर्तन तथा परिस्कार के इच्छुक हैं तभी उसी क्षेत्र में उन्नति सम्भव है तथा नवाचारों में सृजनात्मकता के विकसित होने से शिक्षक और छात्र लाभान्वित हो सकेंगे।

आधुनिक समय में शिक्षा अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। शिक्षा का सार्वभौमीकरण, व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध, छात्र अशान्ति, अध्यापकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता, नकल की बढ़ती प्रवृत्ति इसके कुछ उदाहरण हैं। इन समस्याओं के समाधान में शैक्षिक तकनीकी महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है इस कारण इसकी शिक्षा में महती आवश्यकता है।

विद्यालयों में अध्ययन के लिए अनेक प्रकार के विद्यार्थी आते हैं। उसमें से कुछ तीव्र बुद्धि के अच्छे विद्यार्थी होते हैं तो कुछ मन्द बुद्धि एवं समस्यात्मक होते हैं। इन विद्यार्थियों को उचित दिशा निर्देश देने में शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। इससे यह जानकारी मिलती है कि ऐसे विद्यार्थियों को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए।

शिक्षा में जब से मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है तभी से बालकेन्द्रित शिक्षा व्यवस्था बनाये जाने की वकालत की जा रही है। इसकी पूर्ति शैक्षिक तकनीकी द्वारा ही सम्भव है। शैक्षिक तकनीकी द्वारा बालकों को शिक्षण मशीनों से अधिगम करने को प्रोत्साहन मिलता है जिसे वे स्वयं संचालित करते हैं, परीक्षण एवं मूल्यांकन करते हैं। इससे उन्हें अपनी रुचि, गति, सामर्थ्य के अनुसार सीखने का मौका मिलता है।

छात्रों की ठीक प्रकार से ज्ञानवान बनाने के लिए शिक्षकों को भी ज्ञानी और उत्तम शिक्षण विधियों को जानकारी की आवश्यकता होती है। इसी कारण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

शिक्षक-प्रशिक्षण में शैक्षिक तकनीकी की बहुत आवश्यकता होती है। इससे ही नवागंतुक शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों, शैक्षिक यंत्रों की जानकारी एवं कौशल की प्राप्ति होती है।

आधुनिक समय में शैक्षिक तकनीकी में स्थापित होने वाले नूतन आयामों के कारण शिक्षण संस्थानों तथा शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रों एवं छात्राध्यापकों को समसामयिक अद्यतन जानकारियाँ प्राप्त करने में अत्यधिक सहायता मिल रही है। कठोर उपागम के अन्तर्गत रेडियो, टी.वी. टेपरिकार्डर, कम्प्यूटर, इण्टरनेट, टेली कान्फ़ेरेंसिंग इत्यादि का अनुप्रयोग शिक्षण तथा प्रशिक्षण में किया जा रहा है। दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, पूरी तरह से कठोर उपागमों पर निर्भर होती जा रही है। दिन-प्रतिदिन हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर को अद्यतन तथा शिक्षा, प्रशिक्षण हेतु उपादेय बनाने के लिए परिशोधन, परिष्कार तथा अनुसंधान किये जा रहे हैं। ये उपागम अधिगम तथा अधिगम परिस्थितियों की गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्राध्यापकों को सामान्य सैद्धान्तिक जानकारी देने के साथ-साथ हार्डवेयर संयंत्रों के संचालन तथा साफ्टवेयर उत्पादन पर विशेष बल तथा प्रशिक्षण देने हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है। कम्प्यूटर शिक्षा तथा प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग बनता जा रहा है। इण्टरनेट के द्वारा विविध क्लिष्ट एवं समस्याग्रस्त विचारों एवं तथ्यों को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। आधुनिक समय में शैक्षिक तकनीकी का पर्याय सूचना संचार तकनीकी बनती जा रही है। हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों को यू.जी.सी. से इण्टरनेट द्वारा जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए सी.डी. (कम्पैक्ट डिस्क) का विकास किया है।

वर्तमान में शिक्षण की प्रभावकारिता में वृद्धि लाने के उद्देश्य से दृश्य-श्रव्य प्रौद्योगिकी के यांत्रिक उपकरणों से जोड़ने पर विशेष बल दिया जा रहा है। यांत्रिक उपकरणों से शिक्षा/ शिक्षण/अनुदेशन रुचिपूर्ण, सरस, नमनीय एवं मनोरंजक बन जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की है कि दृश्य-श्रव्य प्रौद्योगिकी के

यांत्रिक उपकरणों के प्रयोग से ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति बढ़ जाती है और अनुभवों को प्राप्त करने में सरलता रहती है। देखकर और सुनकर कोई तथ्य जब सीखा जाता है तो वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में स्थायी रूप से विद्यमान हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी सीखे गये तथ्यों का प्रयोग करके समस्या का समाधान करने में भी समर्थ होते हैं। दृश्य-श्रव्य के यांत्रिक उपकरण सम्प्रत्ययों के स्पष्टीकरण में अत्यन्त सहायक होते हैं।

वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं क्योंकि अब शिक्षा का अर्थ ज्ञान प्राप्त करने से ही नहीं अपितु शिक्षा पूर्णतया व्यावसायिक हो गयी है। शिक्षा के बदलते स्वरूप में मल्टीमीडिया का अभूतपूर्ण योगदान है। मल्टीमीडिया के अन्तर्गत दृश्य-श्रव्य दोनों प्रकार के साधनों को लिया जा सकता है। इनमें एपीडायस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टी0वी0, कम्प्यूटर, इण्टरनेट, टेलीकांफ्रेंसिंग, वीडियोटेक्स, सी0डी0, ई0 कामर्स, ई0लर्निंग, फ़ैक्स आदि आते हैं। इन साधनों के उपयोग से शिक्षण को सरल, सुरुचिपूर्ण एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मल्टीमीडिया के माध्यम से मुक्त विद्यालय, दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों का संचरण सम्भव हो सका है।

अपनी विषय सामग्री को परिष्कृत करने हेतु शिक्षक मल्टीमीडिया का उपयोग करता है। यह मल्टीमीडिया शिक्षक को अपनी विषय सामग्री को प्रस्तुत करने में और भी अर्थपूर्ण ढंग से सहायक होता है। इस मल्टीमीडिया में निहित तत्वों में परिवर्तन आखिरी प्रस्तुति हेतु सम्भव होता है। इस तरह के परिवर्तनों द्वारा छात्र किसी भी सूचना के प्रस्तुतीकरण में अथवा उसे समझने में अधिक प्रेरित होता है तथा अधिक ध्यान देता है।

शिक्षण के कौशल को अधिक निखारने, प्रभावशाली बनाने के लिये सामान्य दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों, विधियों आदि सामग्री का प्रयोग करते हैं जिसमें इण्टरनेट एक आधुनिक शिक्षण तकनीकी है, जिसमें करोड़ों कम्प्यूटर एक नेटवर्क में जुड़े होते हैं। इण्टरनेट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है न कोई प्रोग्राम और न हार्डवेयर। वास्तव में यह एक ऐसा साधन है जहाँ हमें अनेक प्रकार की शैक्षिक जानकारियाँ तथा



सूचनाएँ प्राप्त होती है। इण्टरनेट के माध्यम से नयी-नयी सूचनाओं तक पहुँचा जा सकता है।

आधुनिक समय में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा रहा है। शिक्षा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव से वंचित नहीं रह गये हैं। आधुनिक शिक्षा में मात्र पुस्तक आदान-प्रदान करने का ही काम नहीं करते अपितु अब सूचनाओं को तीव्रगति से उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य भी करने लगे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट के प्रयोग से इलेक्ट्रॉनिक प्रलेखों का अभिगम भी सर्वसाधारण के लिए सुलभ हो गया है आज हम कागज रहित कार्यालय, डिजीटल पुस्तकालय एवं वर्चुअल या आभासीय पुस्तकालय के स्वरूपों से भी परिचित हो रहे हैं इन सब के पीछे सूचनाओं को संग्रहीत कर उन्हें डिजीटल स्वरूप चित्र, ध्वनि, वीडियो एवं बहुभाषा के परिव्यांश के रूप में सरलतापूर्वक संग्रहीत किया जा सकता है। इन्टरनेट की वर्ल्ड वाइड वेब सेवा से डिजीटल सूचनाओं को महत्वपूर्ण हाइपरटेक्स्ट (Hypertext) के स्वरूप में परिवर्तित कर वेब ब्राउजर के माध्यम से दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।

वर्तमान युग में देश की तरक्की के लिए संचार माध्यम एक उपयोगी माध्यम है। संचार माध्यम देश के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सबसे ज्यादा आज की माँग शिक्षा है एवं शिक्षा के द्वारा लोगों की बेरोजगारी दूर की जा सकती है एवं वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा की माँग ज्यादा है जिसमें संचार माध्यम बहुत कारगर है। आज का युग वैज्ञानिक युग एवं वैज्ञानिक युग में संचार माध्यम लोगों की शिक्षा-दीक्षा एवं अन्य क्षेत्र में संचार माध्यम आज की माँग है।

वर्तमान वैश्विक युग में जन सूचना क्रान्ति एवं आधुनिक संचार साधनों ने सम्पूर्ण विश्व को एक वैश्विक ग्राम बना दिया है तथा नैनो टेक्नालॉजी ने इस वैश्विक गाँव को एक वैश्विक डाइनिंग टेबिल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तब आवश्यकता इस बात की है कि इस बदलते परिदृश्य में हमारे समाज एवं संस्कृति की वाहक संस्था विद्यालय एवं शिक्षक-छात्र को भी इस परिवेश के अनुसार तैयार कर अपनी अहम भूमिका प्रस्तुत करने लायक क्षमता प्रदान की जाये। आज विज्ञान द्वारा निर्मित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है जो आज शिक्षा के सभी क्षेत्रों को

प्रभावित कर रही है, क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा और शिक्षण कार्य सूचनाओं एवं संचार के बिना संभव ही नहीं है जिसको आज एक शक्ति के रूप में माना जा रहा है। जिससे ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। इसके कारण क्लासरूम, स्टडी और परम्परागत शिक्षा प्रणाली का स्थान इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा ले रही है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के नये आयामों में कम्प्यूटर सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आज समाज की मांग है कि शिक्षा में जिन आवश्यकताओं और समाज के लक्ष्यों के अनुरूप परिवर्तन और सुधार किये जाय। आज का युग कम्प्यूटर के द्वारा प्राप्त शोध एवं निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय एवं वैद्य माने जाते हैं।

वर्तमान समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में जिन नवाचारों का प्रयोग बहुतायत रूप से हो रहा है वो निम्न हैं :- • बहुमाध्यम उपागम। • सैटेलाइट सम्प्रेषण • इन्टरनेट। • टेली कान्फ्रेंसिंग। • सी0डी0 रोम। • व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली। • ई-मेल। • सीमुलेटेड शिक्षण।

इसके अतिरिक्त अन्य नवाचारित साधन हैं। जैसे :- मस्तिस्क्रीय मानचित्र- इसको विकसित करने का उद्देश्य छात्रों को टिप्पणी बनाने में तथा कल्पना निर्माण में सहायता करना था। इनके द्वारा सरलता से सूचनाओं का पुनः स्मरण करना सम्भव है। इनका उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक वस्तुओं को सीखने तथा याद करने में समर्थ हो सकें। चित्र, संगीत, रंग इत्यादि ये सभी हमारे अधिगम की क्षमता में तथा सूचनाओं को दीर्घ समय तक संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल ही में हुए शोध से यही पता चलता है कि किसी भी सूचना को सही ग्राफ या चार्ट के माध्यम से समझाया जाये तो वे लोगों के दिमाग में अधिक देर तक अंकित रहती है और इसी बात को ध्यान में रखकर शिक्षकों को चाहिए कि वे संकल्पनाओं का अध्ययन, अध्यापन चित्रों के माध्यम से ही करायें।

आनन्द से शिक्षण भी नवाचार साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि विद्यार्थी हँसमुख शिक्षकों को हृदय से पसन्द करता है। किसी भी विषय को मजेदार तरीके से प्रस्तुत करना अपने आप में एक

कला है। शोध तथा अनुभव दोनों सही बतलाते हैं कि शिक्षण में आनन्द अपने आप में एक प्रभावशाली उपकरण है।

शिक्षण की पारंपरिक तकनीकी के अनुसार शिक्षक एक भेजने वाला अथवा स्रोत के रूप में शिक्षण सामग्री एक सूचना के रूप में और छात्र एक ग्राही के रूप में होता है। शिक्षक शिक्षण सामग्री को 'चाक और बात' की विधि से संप्रेक्षित करता है किन्तु नवीन शिक्षण विधियों में जैसे—मल्टीमीडिया एवं जनसंचार, जो विभिन्न प्रकार की डिजिटल मीडिया के समावेश से बना है, जिसमें चित्र व दृश्य—श्रव्य सामग्री आदि के माध्यम से स्रोताओं तक सूचनाएं भेजी जाती हैं। एक शिक्षक मल्टीमीडिया का प्रयोग अपनी शिक्षण सामग्री को प्रभावी बनाने के लिए करता है, विभिन्न प्रकार के मीडिया तत्वों का प्रयोग कर शिक्षक शिक्षण सामग्री के वर्णन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है।

सम्प्रेषण एक ऐसी साधारण प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। इससे व्यक्तियों, समूहों एवं विभागों के बीच सूचनाओं का आदान—प्रदान होता है। सम्प्रेषण द्वारा समकों एवं सूचनाओं का संचार मुख्य विभाग से उप—विभागों से व्यक्तियों या समूहों को किया जाता है। सम्प्रेषण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सन्देश प्राप्तकर्ता सन्देश को मूलरूप से तथा उसी दृष्टिकोण के अनुसार समझे जैसा कि संचारक ने संचारित किया है।

सम्प्रेषण वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णयों का दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य आदान—प्रदान होता है। सन्देशों का आदान—प्रदान लिखित, मौखिक अथवा सांकेतिक हो सकता है। माध्यम बातचीत, विज्ञापन, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, ई—मेल, पत्राचार आदि कुछ भी हो सकता है।

आज के समय में अगर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक के महत्व की बातें की जाय तो हर व्यक्ति संचार का प्रयोग अपने जीवन में कहीं न कहीं अवश्य कर रहा है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज यह अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक सूचनाएँ पहुँच रही हैं। विभिन्न प्रकार के साधनों जैसे— रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र—पत्रिकाओं के माध्यम से दूर—दराज के क्षेत्रों तक ये सूचना पहुँचाने

का कार्य करता है। आज संचार के माध्यम से सब तक शिक्षा पहुँचाकर संविधान की धारा 45 के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा किया है।

1. दिनोदिन शिक्षा की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए तथा छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूचना सम्प्रेषण तकनीकी का अत्यधिक महत्त्व है।
2. सूचना-सम्प्रेषण तकनीकी छात्रों की योग्यतानुसार पाठ्य-सामग्री को बोधगम्य बनाने का एक अच्छा उपकरण है।
3. उपकरण-सम्प्रेषण तकनीकी का व्यापक प्रयोग शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुबोध एवं सुगम बनाने में किया जाता है।
4. सूचना-सम्प्रेषण तकनीकी शिक्षा के सभी माध्यमों में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है, जैसे-औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने में सूचना-सम्प्रेषण तकनीकी का केन्द्रीय महत्त्व है।
5. सूचना-सम्प्रेषण तकनीकी शिक्षण एवं अधिगम विधा को अत्यन्त रोचक बनाती है तथा छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करती है।
6. सूचना-सम्प्रेषण तकनीकी के द्वारा छात्रों के अधिगम को चिरस्थायी बनाया जा सकता है।
7. यह तकनीकी छात्रों के ध्यान के केन्द्रीयकरण में अत्यधिक उपयोगी है।

#### निष्कर्ष-

- प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण से पता चलता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का दूरस्थ शिक्षा में विशेष महत्त्व है। आज का समय कम्प्यूटर का युग कहा जाता है वर्तमान समय की ज्यादातर पढ़ाई कम्प्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। अतः इसको ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विशेष महत्त्व है।
- सूचना तकनीक ने दूरस्थ शिक्षा को घर-घर पहुँचा दिया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने गाँव-गाँव एवं हर जगह शिक्षा को उपलब्ध करा दिया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने साक्षरता दर कम करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है एवं महिला साक्षरता दर का भी बढ़ा दिया है।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- कोली लक्ष्मी नारायण— रिसर्च मैथडोलॉजी वाई0 के0 पब्लिशस 2003
- तिवारी पुरुषोत्तम— नई दिल्ली, पुस्तकालय मूल्यांकन ए0पी0एस0 पब्लिशर्स, — 2003
- सुन्दरेश्वरन, के0एच0 — ग्रंथपाल और समा— नई दिल्ली एस0एस0 पब्लिकेशन्स,— 1988
- ठाकुर डॉ0 यू0एम0शर्मा, डॉ0 वी0के0 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान आगरा आई0के0पब्लिशर्स — 2007
- त्रिपाठी एस0एम0 ग्रन्थालय— समाज एवं ग्रन्थालय विज्ञान के पाँच सूत्रा तथा प्रौढ़ शिक्षा में ग्रन्थालयों की भूमिका— आगरा वाई0 के0 पब्लिशर्स — 1999
- त्रिपाठी एस0 एम0 शर्मा वी0के0 लाल सी कुमार के — ग्रन्थालय प्रबन्ध आगरा वाई0के0 पब्लिशर्स — 2003
- सिंह निरंजन, गौतम जे0एन0 — ड्यूव दशमलव वर्गीकरण
- त्रिपाठी एस0एम0 — प्रलेखन एवं सूचना सेवाएं— आगरा वाई0के0 पब्लिशर्स
- शंकर सिंह : कम्प्यूटर और सूचना तकनीक : पूर्वान्वल प्रकाशन, दिल्ली—2005
- शंकर सिंह : सूचना प्रौद्योगिकी और इन्टरनेट: पूर्वान्वल प्रकाशन, दिल्ली—2007
- शंकर सिंह : सूचना संचार प्रौद्योगिकी इन्टरनेट सूचना समाज : एस. एस. पब्लिशर्स, नई दिल्ली—2011

अमित सिंह

शोध छात्र (जे.आर.एफ.) शिक्षाशास्त्र विभाग  
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

## उच्चशिक्षा में उध्ययनरत विद्यार्थियों की राजनीतिक रूचि का अध्ययन — कुलदीप कुमार पाण्डेय

राजनीति अर्थात् राज्य एवं नीति, नियम के अर्थ में लिए जाते हैं। भारत का स्वाधीनता आंदोलन राजनीति तप ही था वैदिककाल में राजनीति का लक्ष्य राष्ट्र का सम्पूर्ण वैभव माना जाता था। डॉ० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राजनीति बुराई से लड़ती है, लेकिन आधुनिक राजनीति स्वयं मे ही बुराई है। श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए इन विद्वानों ने राजनीति व्यवस्था की विशेषताओं की भी पहचान की।

**राजनीति शब्द के तीन अर्थ हैं—** राजनीति कार्यकलाप, राजनीति की प्रक्रिया और राजनीति सत्ता।

राजनीति क्रियाकलाप के अन्तर्गत वे प्रयास आते हैं, जिनसे बिरोध कीस्थितियों में निर्माण एवं समाधान किया जाता है। राजनीति प्रक्रिया राजनीति गतिविधि की भावना का विस्तार हो राजनीति सत्ता से अभिप्राय देश को संचालितकरने वाले शासनतंत्र से है। राजनीति रूचि ज्ञान की वह शाखा है जो यह बतलाती है कि राजनीति व्यवस्था पर सामाजिक परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है। जिन छात्र-छात्राओं में राजनीति के प्रति आकर्षण होता है और वे महाविद्यालयों में होने वाले राजनैतिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। छात्रों में उत्पन्न ऐसी रूचि को राजनीति राजनैतिक रूचि कहा जाता है। आज महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में राजनीति अपराधीकरण का बोलबाला पाया जाता है, परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि छात्रसंघ राजनीति का लक्ष्य छात्रों के हितों की रक्षा करना है।

भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का महत्व तब और बढ़ जाता है जब प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त हो ऐसे में छात्र / छात्राओं को भी अपने हितों की रक्षा हेतु छात्रसंघ चुनाव के माध्यम से नेतृत्व की क्षमता विकसित की जाए। समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखण्ड के प्रति लोगों में विरोध की भावना प्रस्फुटन हो। कुछ लोग कैम्पस में छात्र / छात्राओं से

राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने की सलाह देते हैं जोकि औचित्यहीन है। आज के परिवेश में छात्र / छात्राओं को भी देश निर्माण में सहयोगी बनना चाहिए जिससे देश तरक्की और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके।

### **उच्चशिक्षा में उध्ययनरत विद्यार्थियों की राजनीतिक रुचि का अध्ययन**

भारत प्राचीन काल से लोकतंत्र शासन का एक आदर्श रूप माना जाता रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी गाँधी के आदर्श राज्य के उच्चतम आदर्श की प्राप्ति के लिए भारत में भी प्रजातांत्रिक शासनव्यवस्था के रूप में स्वीकृत दी। लोकतंत्र का आधार जनता की भागीदारी से जुड़ा है, जिससे जनतंत्र भी कहा जाता है। इस जनतंत्र से नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता अभिव्यक्ति एवं नागरिक अधिकार मिलता है। वर्तमान समय में लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रवृत्ति जैसे भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों में गिरावट, नेतृत्व क्षमता में कमी आदि चुनौती देखने को मिलती है। उस चुनौती से निपटने के लिए युवाओं में राजनीतिक जागरूकता होना जरूरी है।

राजनीतिक रुचि का आशय जनतंत्र के प्रति युवाओं के क्षमता को बढ़ाने से है। इससे युवाओं में राष्ट्र विकास का निर्माण, नैतिक मूल्यों में 'वृद्धि' संसदीय पद्धति में विश्वास बढ़ता है। जिन युवा छात्रों में राजनैतिक रुचि पायी जाती है उनके शैक्षिक उपलब्धि भी अन्य छात्र-छात्राओं भिन्न पाया जाता है। वास्तव में छात्र छात्राओं में जनतंत्र के प्रति अभिवृत्ति एक मनो सामाजिक प्रत्यय है, जो विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में किए जाने वाले व्यवहार से है। लोकतांत्रिक शिक्षा के द्वारा ही समाज के व्यक्तियों में परस्पर सद्भावना और सम्मान तथा देशभक्ति की भावना का बिस्तार किया जा सकता है। साथ ही साथ नागरिकों के नैतिकस्तर तथा उनमें परस्पर समानता के भाव को भी उन्नत किया जा सकता है। संविधान निर्माताओं ने संगठन बनाने की आवश्यकता को महसूस किया। संगठन एक ऐसी ताकत है जो एक विशेष उद्देश्य के लिए कार्य करती है उन्हीं संगठनों में एक ऐसे संगठन को हम छात्र संगठन की संज्ञा देते हैं। छात्र संघ आधुनिक राजनितक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शासन व्यवस्था का स्वरूप चाहे सर्वधिकारवादी हो, स्वेच्छाचरित्र हो या लोकतांत्रिक, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में छात्र संघ अपना काम या अधिक राजनीतिक भूमिका का

निर्वहन करते हैं, वास्तव में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। कि अब छात्रसंघ दलीय राजनीतिक एक सर्वजनी परिघटना बन गयी है। छात्रसंघ उच्च शिक्षामें अध्यनरत छात्रों को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ने का सरल व सुगम माध्यम है। राजनीति को शिक्षा से जोड़ते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा भावी संतति के विकास के लिए एक प्रयास है जो समाज की प्रौढ़ सदस्यों द्वारा किया जाता है। देश हित में शिक्षा का यह कार्य भी है कि वह प्रत्येक छात्र के अन्दर राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक समक्ष व राजनैतिक दायित्व की भावना उत्पन्न करें। साथ ही छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास भी शिक्षा को करना होगा क्योंकि राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक स्तर के लिए हमें योग्य, अनुभवी, कुशल नेताओं की आवश्यकता है। भारत का लोकतन्त्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है यहा लोकतन्त्र के विकास होने के साथ ही साथ छात्रसंघीय व्यवस्था का विकास हुआ है।

भारतीय स्वतंत्रा आंदोलन से लेकर स्वतन्त्रता के बाद के सालों में जितने भी बड़े आन्दोलन हुए, उनमें छात्रों की सक्रिय भागीदारी रही है। स्वतन्त्रता आंदोलन में बड़े नेताओं के नेतृत्व में जितने भी उल्लेखनीय आंदोलन हुए सभी आंदोलनों की सफलता की इबारत युवाओं ने ही लिखी पहली बार 1920 में जब महात्मा गॉंधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो देश भर के युवा इसमें कूद पड़े थे।

समय-समय पर राजनीतिकदलों के बिभाजन एवं गठवन्धन के परिणाम स्वरूप नये-नये विद्यार्थी संगठन बनते गये। समाजवादी दल की समाजवादी युवजन सभा, भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आदि छात्र इकाइयां राजनैतिक दलों का ही अंग है।

1969 में तेलंगाना आंदोलन 1974-75 इंदिरा गॉंधी के खिलाफ आंदोलन और आपातकाल, 1981 में असम आंदोलन और बेफोर्स घोटाले के बाद वीपी सिंह के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में छात्रों की ही अहम भूमिका रही है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश बचा हो जो छात्र आंदोलनों की चपेट में न आ गया हो। जापान और अमेरिका जैसे विकसित देश रूस तथा चीन जैसे साम्यवादी देश भी इनसे अछूते नहीं रहे। 70 के दशक तक छात्रराजनीति में विश्वविद्यालयों के सबसे प्रतिभाशाली छात्र सक्रीय होते थे। पढाई के साथ-साथ वे छात्रों के



मसलो पर बहस में हिस्सेदारी करते थे। शंकरदयाल शर्मा, मदनलाल खुराना, विजय बहुगुणा, जनेश्वर मिश्र, अर्जुन सिंह, वीपीसिंह जैसे प्रशासक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले इन्ही आंदोलनों की प्रेरणा थी कि भारतीय राजनीति में लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव एवं मुलायम सिंह जैसे समाजवादी नेताओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार हुई। भाजपा के रविशंकर प्रसाद, अरुण जेतली, सुषमास्वराज और विजय गोपाल छात्रसंघ से आये हुए नेता हैं। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी भी छात्रसंघ की उपज है वर्तमान समय में भी छात्र-छात्राओं बहुत बड़े पैमाने पर राजनीतिक रुचि देखा जा सकता है। अभी विगत वर्षों में यू०पी०ए० सरकार तत्वाधान में अन्ना आंदोलन में छात्र-छात्राओं ने बढ चढ कर भाग लिया एवं छात्र आंदोलन की एक मिशाल देखने को मिली।

परन्तु वर्तमान समय में विद्यार्थियों में राजनीति में मूल्यों का स्थान आर्दशविहीनता ने ले लिया है। आज संसदीय एवं विधायकी चुनाव में भी छात्रसंघ की अनिवार्य जरूरत बनने के साथ-साथ अपराधिकरण और बढते कदाचार का धर बनता जा रहा है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों में राजनीतिक रुचि पिछले दशको जैसे देखने को नहीं मिल रही है। अब छात्र संघ चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को अपने कैम्पस में घुसने नहीं देते थे वही आज के बिद्यार्थी राजनैतिक पार्टियों से सम्पर्क करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री तथा अन्य पदों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव विद्यार्थी नहीं बल्कि राजनैतिक पार्टियों लड रही है, जिससे विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों में गिरावट देखने को मिल रही है। छात्रसंघ चुनाव में गोली- बम चलना तो आम बात हो गई है। साथ ही साथ गुण्डागर्दी भी देखने को मिल रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक छात्र नेताने मुफ्त में होर्डिंग न बनवाने पर एक व्यापारी को गोली चलाकर धमकाया। वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सन् 2006 के छात्रसंघ चुनाव के दौरान पोस्टर हटवाने को लेकर छात्रसंघ प्रत्यासी कमलेश यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जनवरी 2011 में मेरठ में सपा के छात्रनेता प्रसोनजीत गौतम द्वारा कथित तौर पर एल०एल०वी० की एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया।

भारतीय छात्रसंघ व्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में एक ओर राष्ट्रीय आन्दोलन की पृष्ठभूमि, लिंगदोह समिति की

व्यवस्था तथा विकास एवं परिवर्तन की राजनीतिक आवश्यकता थी तो दूसरी ओर भारत में अध्यनरत छात्रो कि विशालता, सांस्कृतिक,धर्मकता अनेकता तथा सामाजिक आर्थिक पिछडापन था इन तत्वो को होते हुए भारत में उदित, विकसित तथा प्रचलित छात्रसंघ व्यवस्था अपने आप में निराली है। आजादी के सात दशक बाद छात्रो को राजनीति में शामिल होने से रोकने के लिए शासकों द्वारा कई सख्त गैरजनवादीप्रशासनिक कदम उठाये जा रहे है। तथाकथित अराजनीतिकरण के नाम पर शैक्षिक प्रशासन छात्रसंघ चुनाव को प्रतिबन्धित करने की कोशिश कर रहे है। हाल में उ0प्र0 के इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उड़ीसा में कालेज से विश्वविद्यालय में परिवर्तित रेवेन्शा विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश में उज्जैन विश्वविद्यालय, तथा इससे सम्बन्ध तमाम कालेजों प्रशासन ने छात्रसंघों के निर्माण के लिए चुनाव प्रक्रिया को “मेघा” के आधार पर चयन प्रक्रिया में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इस बिच बिहार के मगध विश्वविद्यालय, दिल्ली की जामिया-मीलीया विश्वविद्यालयों को रोकने के उद्देश्य से प्रोस्पेक्टस में यह शर्त जोडा गया है कि कैम्पस में छात्रों को कीसी भी घरना प्रदर्शन या खुलेआम राजनैतिक गतिवीधियों में सामिल होना अपराधिक जुर्म समझा जायेगा और इसके लिए सम्बन्धित विद्यार्थि दंड का भागी होगा। हिमांचल प्रदेश में न्यायालय के फैसले के तहत छात्रसंघ चुनावों में अनेक पाबंदिया लगाई गई है।

अब लिंगदोह आयोग 2005 द्वारा छात्रसंघ चुनाव के लिए आचार संहिता थोपने के नाम पर छपे पर्चे व पोस्टर कैम्पस में सभा तथा जुलुसो के आयोजन औरछात्रसंघ चुनावो पर प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिभिन्न संस्थानो और गुजरात के सात में से छःविश्वविद्यालयों में लम्बे अर्से से छात्रसंघ चुनाव हुए ही नही है। लेकिन दुबारा छात्रसंघ आन्दोलन शुरु किए गए है। राजनीति के मंच से जितने उच्च स्वर से यह पुकार सुनाईपड़ती है कि विद्यार्थियों के सहयोग के बिना देश के राजनीतिक जीवन का मौका मझधार में डूब जायेगी उतने ही उच्चस्वर में शिक्षण संस्थाओ से उत्तर आता है कि विद्यार्थियों की राजनीति में प्रवेश देश की शिक्षण व्यवस्था को गर्त की ओर ले जाता है दूर्भाग्यवश सभी शिक्षा बिन्दू इय सम्बन्ध में एक मत नही रखते है। कुछ शिक्षको एवं शिक्षानियामको का बिचार है कि विद्यार्थी ही किसी देश का

वास्तविक जनता का निर्माण करते हैं। अतः वे आज कि परिस्थितियों में राजनीति से दूर नहीं रह सकते हैं। किसी भी देश में परस्पर विरोधीबिचारों का होना परमावश्यक है। किन्तु विद्यार्थियों और राजनीति के पारस्परिक सम्बन्ध जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नपर सम्पूर्ण देश के लिए सामान्यनीति का अनुसरण किया जाना चाहिए जिस समय देश अपनी स्वाधिनता के लिए विदेशी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, उस समय राजनीति से विद्यार्थियों को दूर रहना देश हित में बाधक था। स्वतन्त्रा संग्राम में भाग लेने के लिए चरित्र के जिन श्रेष्ठगुणों की आवश्यकता पडती है उन्हीं के द्वारा राष्ट्र का निर्माण भी होता है। देशानुराग से भावी से अनुप्रेरित होकर युवावर्ग बड़े-बड़े त्यागकरने को तैयार हो जाते हैं परस्पर सहयोग तथा नैतिक साहस आदि चारित्रिक गुणो बल पर वह देश उज्ज्वल भविष्य की नींव तैयार करता है

भारत में शिक्षा के मुद्दे से सम्बन्धित विभिन्न आयोगो चाहे वह राधाकृष्णन आयोग 1948, कोठारी आयोग 1968, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986, आचार्य राममूर्ति समिती 1993 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 इन सबने शिक्षा के बेहतर स्थिति हेतु व्यापक मार्गदर्शन किया है। छात्रसंघ चुनाव के खिलाफ बार-बार उठने वाला तर्क यह है कि राजनीति में छात्रो के शामिल होने से कैम्पस में गडबडी और हिंसा फैलेगी। इन तर्कों की गुण दोष की जाँच करने से पहले इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि धोखे के राजनीति में या छात्रसंघ चुनाव में भाग लेने का नतीजा अपराधिकरण नहीं है। ये दोनो अलग अलग मुद्दे हैं। शिक्षणसंस्थानो में अपराधिक गडबडीयों का कारण आमतौर पर राजनीति नहीं हो सकती है। यदि छात्रो की राजनीति में भागीदारी से अपराधिकरण हो रहा है तो आजादी आन्दोलन गौरवपूर्ण दिनो मे जब स्कूल, काल विस्वविद्यालय, हास्टल सभी राजनीति के केन्द्र हुआ करते थे। शिक्षा की तमाम शाखाओं ज्ञान का पूर्ण विकास कैसे मुमकिन हुआ था? सामाजिक जीवन के तमाम क्षेत्रों में महान चरित्रो की पैदाइस कैसे हुई थी? उसी दौरान हमारे देश ने शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, कलासाहित्य आदि क्षेत्रो में अपनी उपलब्धियो की वजह से दुनिया में एक विशिष्ट और सम्मानीय स्थान प्राप्त किया था। धोखे के राजनीतिक में व्यापक भागीदारी के वावजूद उस अवधि में भारतीय शिक्षा की सुवावस्था एक

प्रतिनिधित्व किया था। भारती आजादी आन्दोलन के ज्यादातर सुवा सेनानी छात्र समुदाय से ही आये थे अंग्रेज शासक की नजर मे अनुशासनहीन, अपराधी थे लेकिन देश के लोगों की नजर मे, इतिहास के पन्नों में वे अनुशासन और चरित्र के प्रतीक थे।

दरअसल उस समय शासक वर्ग कुछ आज्ञाकारी गुलाम पैदा करना चाहता था और आज का शासक वर्ग भी यही चाहता है। इसलिए वे चाहते है कि छात्र समाज से कटे रहे, सामाजिक समस्याओं के प्रति उदासीन रहें, पूरी तरह से सिर्फ अपने बारे में ही सोचें और निजी स्वार्थ के पिछे भागते रहे, यदि सही दिशा का लक्ष्य मनुश्य निर्माण, चरित्र निर्माण है, तो क्या वह बिना सामाजिक समस्यायो के प्रति अधिकार के बिना रामाजिक प्रतिबद्धता के सम्भव है? इस मामले में यदि कोई छात्र अपने पाठयक्रम में ही सीमित रखे जो शिक्षा के व्यवसायीकरण के चलते वस्तुतः कुछ सूचनाओं कुछ तकनीकी जानकारी तक सीमटती जा रही है, तो वह एक रोबोट बनकर रह जायेगी उसे जरूर जानना चाहिए कि समाज की समस्याये क्यो है और कैसे उन समस्यायों का समाधान हो सकता है मै उन लोगो मे से नही हूँ जो विश्वास करते है कि छात्रो को विश्वविद्यालयों के छात्रो को राजनीति में शामिल नही होना चाहिए।

#### सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

- पाण्डेय, रमाशंकर एवं चतुर्वेदी, ममता (2014) उदयीमसभारतीय समाजमें शिक्षक, आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।
- लाल, रमन बिहारी (2010) शिक्षा का दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, मेरठ : रस्तोगी पब्लिकेशन।
- ओड, एल0 के0 (2008) शिक्षा का दार्शनिक पृष्ठभूमि जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- इति तिवारी, (2008) भारतिय समाज का आधुनिकीकरण, नई दिल्ली : यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन।

**कुलदीप कुमार पाण्डेय**  
शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग  
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

## गीता में निष्काम कर्मयोग की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि — अच्युत कुमार यादव

भारतीय दर्शन में गीता का अपना विशेष स्थान है। वैदिक साहित्य के सार स्वरूप गीता का माहात्म्य वर्णन से परे है। यह महाभारत का सारतम अंश है। गीता की भाषा अत्यन्त सरल है और भाव बड़े ही गम्भीर हैं। गहनतम भावों कि सरलतम अभिव्यक्ति गीता कि सबसे बड़ी विशेषता है सम्पूर्ण वेदों का सार गीता के श्लोको में संग्रहीत किया गया है। गीता के एक-एक शब्द में उपदेशामृत भरे हैं। गीता को वेद तथा उपनिषद का अमृत बताया गया है।

**सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।**

**पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत॥**

अर्थात् यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बछड़ा बनाकर उपनिषद रूपी गायों से दुहा गया अमृतमय दूध है जिसे सज्जन लोग पीते हैं। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने इसकी अत्यन्त प्रशंसा करते हुए इसे मानस धर्म का ग्रन्थ बताया है। इसकी तुलना कामधेनु और कल्पवृक्ष से की गयी है।

**महात्मा गांधी** के अनुसार गीता जगत माता है जिसके द्वार सबके लिए खुले हैं। **श्रीमती एनीबेसेन्ट** के अनुसार— गीता साधक को सन्यास के उस निम्न स्तर से जहाँ पदार्थों तथा कर्मों का त्याग किया जाता है। निष्काम कर्म योग के उस उच्च स्तर पर ले जाती है जहाँ कामना और आसक्ति का त्याग किया जाता है और जहाँ योगी समाधित्व होते हुए भी शरीर और मन से लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं।

गीता के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध उक्ति है— मुनिवर वेदव्यास ने अठारह पुराण और व्याकरण और चार वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से गीता प्रगट हुई, गीता को मंथन करके उसका सार निकालकर भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। यह भी कहा जाता है कि गीता सम्पूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्म मयी है, गंगा सर्व तीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्व देवमय हैं।

गीता साहित्य विशाल साहित्य है। बहुत से विद्वानों तथा आचार्यों ने गीता पर भाष्य लिखे हैं। गीता पर रचित ग्रन्थ की गणना नहीं की जा सकती। अनेक भाषाओं में गीता साहित्य का विशाल भण्डार है। गीता के विषय में स्वयं श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा— कि 'गीता में हृदय पार्थ'। अर्थात् गीता मेरा हृदय है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय मोक्ष को स्वीकार करते हैं। चार्वाक 'मृत्यु ही मोक्ष है', को अपना परम साध्य मानता है। गीता अन्य दर्शनों की तरह मोक्ष को ही अपना परमसाध्य मानती है क्योंकि गीता को 'ब्रह्मविद्या' आत्मविद्या भी कहा जाता है। यह ब्रह्म का साक्षात् ज्ञान प्रदान करती है इसलिए इसे ब्रह्मविद्या कहा जाता है। गीता मोक्ष को साध्य मानकर उसे प्राप्त करने के लिए जो साधन प्रस्तुत करती है वह गीता के योग के नाम से जाना जाता है।

गीता यथार्थतः सर्व शास्त्रमयी है, अनन्त भावों का अथाह सागर है। इस समुद्र में गोता लगाने वालों को किसी न किसी रक्त कि प्राप्ति अवश्य होती है। जो ज्ञान प्रधान व्यक्ति है वे ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जो व्यक्ति कर्म प्रधान है वे कर्मयोग का अनुसरण कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और जो भक्ति प्रदान व्यक्ति है वे भक्ति मार्ग का अनुसरण कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।

कर्मयोग गीता का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। गीता में कर्मयोग का सबसे गम्भीर एवं स्पष्ट विवेचन मीमांसा दार्शनिकों ने की है। मीमांसकों का मत है कि कर्मयोग ही मोक्ष मार्ग है अन्य दूसरा नहीं। गीता में श्रीकृष्ण तीन तरह के कर्मों को उचित बतलाते हैं—

- 1— अहंकार रहित कर्म ही कर्मयोग है।
- 2— अनासक्त कर्म ही कर्मयोग है।
- 3— निष्काम कर्म ही कर्मयोग है।

निष्काम कर्म ही कर्म योग माना गया है। कर्म, सकाम और निष्काम दो प्रकार के होते हैं। सकाम कर्म बन्धन युक्त और निष्काम कर्म बन्धन रहित होता है।

निष्काम कर्म में कामनाओं का सर्वथा अभाव रहता है। गीता में कर्मयोग का तात्पर्य निष्काम कर्म से ही है। निष्काम कर्म तृष्णा रहित

कर्म है। निष्काम कर्म को ही कर्मयोग कहा गया है। निष्काम कर्म का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण, अर्जुन से कहते हैं

**कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन् ।**

**माकर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥**

अर्थात् तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो।

निष्काम कर्म में कर्त्तापन, ममता या आसक्ति का सर्वथा त्याग हो जाता है। संसार के सभी कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग ही निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्म में कर्म का त्याग नहीं किया जाता अपितु कर्म फल का त्याग किया जाता है।

**काम्याना कर्मणा न्यासं सन्यासं कवयो विदुः ।**

**सर्वकर्मफल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥**

निष्काम कर्म ईश्वरीय कर्म है। ईश्वरार्थ कर्म ही अनासक्त होता है। अनासक्त कर्म ही बन्धन का बाधक और मोक्ष का साधक है। इसमें आसक्ति का अभाव है वह पुरुष कर्म करता हुआ भी जल में कमल पत्र के समान पाप से विचलित नहीं होता। कर्म कि ही धूरी पर ही सृष्टि का गति चक्र अविराम चक्कर काट रहा है। संसार का दृश्य स्वरूप इस गति परिक्रमा पर अवलम्बित है। जड़ परमाणु एक सुनिश्चित परिकर में गति करते और अपना अस्तित्व बनाये रखते हैं, चेतन जीव दूसरे तरह की हलचल में अपने को नियोजित रखते हैं। कर्म किये बिना यहां कोई रह नहीं सकता। जीवित रहने के लिए कर्म आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अविकसित मनुष्येत्तर जीवों में यह प्रकृति प्रेरणा से परिचालित है। शिशुनोदर जीवन चक्र तक सीमित है। उदरपूर्ति और काम-तुष्टि जैसे दो सीमित प्रयोजन तक उनके सुख और आनन्द की अनुभूतियाँ परिभ्रमण करता रहता और एक दिन काल के गर्भ में समा जाता है। अस्तु उनके लिए सुख-दुख की उच्चस्तरीय वैचारिक और बन्धन मुक्ति की आत्मिक अनुभूतियाँ निरर्थक है।

मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से सुविकसित होने के कारण मनुष्य ऐन्द्रिय सुख की निम्न परिधि में नहीं रह सकता। उसे उच्च स्तरीय और शाश्वत आनन्द की खोज है। जिसके लिए व सांसारिक मृग मरिचिका में

अज्ञानवश भटकता रहता है। ऋषियों ने इस भटकाव से बचने और जीवन मुक्ति के शाश्वत आनन्द की प्राप्ति के लिए ज्ञानयोग, भक्तियोग अथवा कर्मयोग का मार्ग अपनाने का निर्देश दिया है। ज्ञानयोग, भक्तियोग कि अपेक्षा कर्मयोग पथ को राजमार्ग माना गया है। वह इसलिए कि यह हर तरह की मनः स्थिति के व्यक्तियों एवं आज की परिस्थितियों के अनकूल है। भटकाव की गुंजाइस बहुत कम है।

गीता में निष्काम कर्म को धर्म के अन्तिम उद्देश्य के रूप स्वीकार किया गया है। यदि धर्म का उद्देश्य शान्ति प्राप्त करना है तो इसके लिए निष्काम कर्म आवश्यक है। गीता में इस तथ्य को प्रमाणित किया गया है कि –

**श्रेयोहिज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम् विशिष्यते ।**

**ध्यानात् कार्यं फलत् त्यागम् शान्तिं निरन्तरम् ॥**

अर्थात् कर्म फल का त्याग, धार्मिक अभ्यास, धार्मिक ध्यान आदि सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि फल के त्याग से निरन्तर शान्ति की प्राप्ति संभव है। यह शान्ति अन्य किसी भी साधना के द्वारा संभव है।

**ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न देष्टि न काङ्क्षति ।**

**निर्द्वन्दो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥**

अर्थात् हे अर्जुन जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न ही किसी से आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि रागद्वेषादि द्वंद्वो से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसाररूपी बन्धन से मुक्त हो जाता है।

अर्थात् निष्काम कर्मयोग की परिभाषा में कि जो व्यक्ति राग द्वेष दोनों के अतीत हो जाता है वह निष्काम कर्म को उपलब्ध होता है। लेकिन मामला बहुत कठिन मालूम होता है क्योंकि कर्म हम दो ही कारणों से करते हैं। या तो आकर्षण हो तो करते हैं और या विकर्षण हो तो करते हैं। या तो कुछ पाना हो तो करते हैं, या कुछ छोड़ना हो तो करते हैं। हमारे कर्म करने की जो प्रेरणा है वह दो से ही आती है। या तो मुझे धन कमाना हो तो मैं कुछ करता हूँ, या धन त्यागना हो तो कुछ करता हूँ। या तो मेरा मित्र हो तो उसकी तरफ जाता हूँ या तो मेरा शत्रु हो तो उसकी तरफ हटता हूँ। लेकिन मेरा कोई मित्र या शत्रु नहीं, तो



फिर मैं चलूँगा कैसे? कर्म कैसे होगा? फिर प्रेरणा नहीं है। यह बात ठीक से समझ लेना जरूरी है।

पश्चिम के मनोवैज्ञानिक मानने को राजी नहीं है कि निष्काम कर्म हो सकता है। वे ये मानने को राजी नहीं है कि बिना किसी अंतर्प्रेरणा के कर्म हो सकता है। सब कर्म सकर्म या प्रेरणा के परिणामस्वरूप ही होते हैं। कर्म है तो भीतर प्रेरणा होगी।

भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि और भीतर करने का कोई कारण है— सुखद या दुःखद, आकर्षण या विकर्षण, राग या द्वेष का अगर कोई भी भीतर कारण है कर्म का तो कर्म फिर बंधन का निर्माता होगा। और कोई कारण नहीं है भीतर, फिर कर्म फलित हो तो निष्काम कर्म है और सुख के मार्ग से व्यक्ति बंधन के बाहर हो जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा कर्म हो ही नहीं सकता। कर्म होगा तो आकर्षण से या विकर्षण से। इसलिए इसे थोड़ा गहरे में समझ लेना जरूरी है।

पश्चिम की पूरी मनोविज्ञान की यह चुनौती है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक का यह दावा है कि कर्म तो होगा ही कारण से। अकारण— न राग, न द्वेष ; कही पहुँचाना भी नहीं है, कही से बचना भी नहीं है— तो कर्म नहीं होगा।

अगर यह बात सच है कि तो श्री कृष्ण का पूरा विचार धूल में मिल जाता है। फिर उसकी कोई जगह नहीं रह जाती क्योंकि कृष्ण की सारी चिंतना इस बात पर खड़ी है कि ऐसा कर्म संभव है।

सच कहा जाय तो पश्चिम का मनोविज्ञान एक बुनियादी भ्रांति पर खड़ा है। वह बुनियादी भ्रांति दोहरी है। एक तो पश्चिम के मनोवैज्ञानिक के सारे नतीजे बीमार लोगों का ईलाज कर लिए गये हैं, पैथालॉजिकल है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने जिन लोगों का अध्ययन किया है वे रूग्ण, विक्षिप्त, पागल एवं न्यूरोटिक है। यह बहुत हैरानी की बात है कि पश्चिम के मनोविज्ञान के सारे निष्कर्ष बीमार आदमियों के ऊपर निर्भर हैं क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के पास कोई स्वस्थ आदमी कभी जाता ही नहीं। फ्रायड से लेकर फ्रोम तक पश्चिम के सारे मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन है। बीमार आदमियों से वे सामान्य आदमी के सम्बन्ध में नतीजे लेते हैं, जो कि गलत है।

दूसरी बात, सामान्य आदमी के अध्ययन से भी नतीजे लेने गलत होंगे, क्योंकि सामान्य आदमी पूरा आदमी नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो नतीजा लिया है, वह पूरे आदमी से लिया गया नतीजा है। इस देश का मनोविज्ञान बुद्ध, महावीर, शंकर, नागार्जुन, रामानुज इन लोगों के अध्ययन पर निर्भर है। मनुष्य जो हो सकता है परम, उस मनुष्य की परम संभावनाओं के अध्ययन पर इस देश का मनोविज्ञान ठहरा हुआ है।

पश्चिम का मनोविज्ञान, मनुष्य जहाँ तक गिर सकता है आखिरी, उस आखिरी सीमा-रेखा पर खड़ा हुआ है। निश्चित ही पश्चिम के मनोविज्ञान और पूरब के मनोविज्ञान का कोई तालमेल नहीं हो पाता। भारतीय मनोविज्ञान ने श्रेष्ठतम् को आधार बनाया है क्योंकि यही सही है। यदि श्रेष्ठतम् को आधार बनाये तो शायद हमारे जीवन में भी यात्रा हो सके। यदि हम निकृष्टतम को आधार बनाये तो हमारे जीवन में भी पतन की सम्भावना बढ़ती है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद, एक संवाद ही नहीं है अपितु जीवन दर्शन भी है जो मानवीय समाज को सभ्यता संस्कृति और उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। जिससे मनुष्य निष्काम कर्म करने की प्रेरणा लेता है और कर्म करता है।

अच्युत कुमार यादव  
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग  
नेहरू ग्राम भारती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, उ० प्र०।

## गुप्तकालीन कृषि तथा सिंचाई व्यवस्था का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विश्लेषण — पीयूष वर्मा एवं प्रवीण कुमार मिश्रा

सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास व विकासशील तकनीक ने कृषि उपकरणों को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। परिणाम स्वरूप सर्वदा कृषि अपने प्रयोजनीय उपकरणों से सुसज्जित होती रही है। धातुओं में लोहा सर्वाधिक मजबूत एवं तीक्ष्ण होने के कारण उपयोगी सिद्ध हुआ और इससे सम्बन्धित तकनीकी का विकास हुआ जिसका जीता जागता प्रमाण मेहरौली (दिल्ली) का लौह स्तम्भ है। लोहे का ज्ञान होने के कारण कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए। प्रमुख कृषीय उपकरणों में हल, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि वैदिक काल से ही थोड़े बहुत परिवर्तन-परिवर्द्धन के साथ चले आ रहे थे। समय के साथ कृषको ने आवश्यकतानुसार कुछ नये उपकरणों का निर्माण किया।

कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम उपकरण हल था। कृषि कि लिए हल-बैलों द्वारा खींचे जाते थे और उन्नत किस्म के फाल के चलते खेतों की गहरी जुताई की जाती थी। वृहस्पति के अनुसार 12 (बारह) फाल वजन का लोहे का हल उपयोग में लाना चाहिए। यह आठ उंगली लम्बा और चार उंगली चौड़ा होना चाहिए। संभवतः लगभग आज ही की तरह उस समय भी ऐसे उपकरण उपलब्ध थे। कॉसमॉस के अनुसार कुछ लोग लोहे के बदले गैँड़ा के मोटे चमड़े का उपयोग करते थे। यह असम्भव बात नहीं लगती क्योंकि इसका चमड़ा दो इंच मोटा होता है और सूख जाने पर धातु के समान कड़ा हो जाता है। एस. के. मैती का कहना है कि हमें यह पता नहीं, कि हल में कितने बैल उपयोग में लाये जाते थे, लेकिन बाद के काल में शुक्र ने लिखा है, ब्राह्मणों को 16 (सोलह), क्षत्रियों को 12 (बारह), वैश्य को 8 (आठ), शूद्र को 4 (चार) और अछूत को 2 (दो) बैलों का उपयोग करना चाहिए। इस तरह आज भी भारतीय किसानों द्वारा दो बैलों का प्रयोग किया जा रहा है।

प्राचीन समय से ही हल को देवता के रूप में लोग देखते थे, क्योंकि बलराम के पास हल सच्चाई व कर्तव्य के प्रतीक के रूप में देखा गया है। कृष्ण भी स्वयं को भू-कर्षण करने वाला व्यक्ति कहते थे।

महाकाव्यों में राजाओं एवं महापुरुषों द्वारा हल चलाये जाने के कारण इसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। गोभिल गृहसूत्र में सीता को हल की देवी कहा गया है, इसकी उपयोगिता के कारण ही मनु हल चुराने वाले व्यक्ति के लिये दण्ड का प्रावधान करता है। पंतजलि व अश्वघोष ने भी कृषि उपयोगिता पर प्रकाश डाला है।

हल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कृषि उपकरण कुदाल व फावड़ा था। कुदाल का उपयोग कड़ी भूमि को खोदने व हल की जुताई के बाद कोने तथा किनारों को खोदने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे अवजारों का पता लगता है जैसे हंसिये का प्रयोग पकी फसलों का काटने व घास-फूस को हटाने के लिये किया जाता था। विद्वानों का मानना है कि हंसिये के आ जाने से लोगों के लिये कार्य करना आसान हो गया। यह उपकरण ईख, अरहर, या इसी तरह के फसलों को काटने में मदद करता था। अग्निहोत्री का विचार है कि यह औजार कुल्हाड़ी जैसा था। फसलों को डण्डों से पीट कर या बैलों से दवारी करके अनाज निकाला जाता था, तत्पश्चात् अन्न को टोकरी से ओसाकर अलग किया था फिर अन्न को जूट निर्मित बोरी में भरकर गोदाम में रख दिया जाता था। कुछ आधुनिक कृषि उपकरणों को छोड़कर लगभग सभी प्रयोजनीय उपकरणों की जानकारी गुप्तकालीन भारतीय कृषकों को था। अपने अनुभव व बेहतर तकनीक के माध्यम से कृषकों ने इन उपकरणों में तकनीकी बदलाव जरूर किये। इसी काल में उपरोक्त उपकरणों के अतिरिक्त कृषि-प्रविधि के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। उनमें कुछ हैं- खेत की जुताई, बुआई, निराई, फसल की सुरक्षा, अन्न का भण्डारीकरण, चावल तथा आटा तैयार करने की प्रविधि।

कर्नाटक की कावेरी घाटी भी मौर्य कालीन कृषि उपकरणों से परिचित हो चुकी थी। इस समय खेतों की जुताई, बैलों की संख्या, कटनी के लिए हंसिया, खेतों में फाल द्वारा नाली बनाना तमाम उपकरण स्वयं कृषि क्रान्ति के नायक थे, जिन्हें मौर्य कालीन कृषकों ने प्रश्रय दिया तथा शताब्दियों तक कृषि-कर्म में इनका बर्चस्व रहा। मौर्यों से पहले जो कृषि-कर्म होता था उसमें 14 या 16 बैलों की सहायता ली जाती थी क्योंकि इस समय बंजर जमीनों को जोतने का यह प्रारम्भिक प्रयास था। राज्य के स्तर पर जमीन की सघन जुताई-बुआई के लिए पहली बार

मौर्यों ने ही अहम कदम उठाया। यह प्रक्रिया शुंग काल, कुषाण काल और पूर्णरूपेण गुप्तकाल तक चलती रही, कुषाण काल में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकी क्योंकि जिस मध्यएशियाई क्षेत्र से वे आये थे, उनके लिए प्राचीन भारत की भूमि कृषि क्रान्ति से गुजर रही थी और उन्हें इस विरासत को निर्वाह करने में ही गौरव प्राप्त हुआ। गुप्त भारत के मूल निवासी थे। वृहत्संहिता से पता चलता है कि इनके समय कृषि सम्बन्धी उपकरणों का कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन गुप्त काल कृषि उपकरणों का तकनीकी रूप से विकास किया गया तथा इनको भारी संख्या में प्रयोग किया गया।

**सिंचाई के साधन:**— प्राचीन काल से सिंचाई के साक्ष्य मिलने लगते हैं चाहे वह हड़प्पा काल में धौलावीरा से विभिन्न जलकुण्ड का मिलना या कालीबंगा के खेतों में छोटी-छोटी नालियों का मिलना। लेकिन समय के साथ इसमें बेहतर परिवर्तन देखने को मिलता है। इस समय सिंचाई के दो साधन मौजूद थे— प्राकृतिक तथा कृत्रिम। प्राकृतिक सिंचाई नदियों, तालाबों, झरनों तथा वर्षा के पानी से किया जाता था। उत्तर भारत में बहुत नदियाँ बहती हैं जिससे यहाँ पर लगातार पानी की सुविधा बनी रहती है। उत्तर-पूर्व भारत मानसून द्वारा सिंचित होता है, लेकिन मध्य तथा उत्तर-पश्चिम भारत में नहर, कुआँ तथा तालाब द्वारा सिंचाई प्रारम्भ से ही होती आ रही है। सिंचाई के महत्व पर स्मृतिकारों ने भी प्रकाश डाला है। इस सम्बन्ध में सबसे पहले नारद ने जल के उपयोग के आधार पर जल स्रोतों को दो भागों में बाँटा है, एक जो भूमि के अन्दर खोदा जाता है उसे खेया कहा जाता है और दूसरा जो जल की अधिकता को रोकता है उसे बाँध कहा जाता है।

बराहमिहिर ने 'जल सिंचन के अन्वेषण' नामक अध्याय में कृषि उत्पादन की वृद्धि के बारे में लिखा है, उसने पानी के सौ से अधिक स्रोतों के बारे में वर्णन किया है। आयताकार जलाशय बनाकर उसमें जल संग्रह किया जाता था तथा इसी जल द्वारा मरुस्थल भागों में कृषि की जाती थी। आज भी भारतीय किसान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। बराहमिहिर ने लिखा है कि अकाल, बाढ़, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, महामारी, युद्धजनित विनाश, तूफान और जंगली जानवर के कारण फसले बरबाद होती थी।

इस काल में सिंचाई के लिए नहरों का भी उल्लेख मिलता है जो नदियों से निकालकर मैदानी भागों तक पहुँचाई जाती थी। नदी जल की अधिकता को नहर द्वारा सिंचाई के लिए खेतों में पहुँचाया जाता था। ये नहर किसी के व्यक्तिगत प्रयास न होकर बल्कि सामूहिक प्रयास या विशेषकर राजकीय प्रयत्न द्वारा बनाया जाता था। कलिंग राजा खारवेल ने नहरों का निर्माण कराया था। सम्भवतः नहरों का कम ही निर्माण किया गया था इसकी अपेक्षा तालाबों को ज्यादा महत्व दिया जाता था क्योंकि इनके निर्माण में ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती थी। गुप्तकाल में तालाबों को कुओं से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। रामशरण शर्मा का मानना है कि इन दिनों खेत क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ छोटे होते थे, जिनकी गहन खेती के लिए सुचारु रूप से सिंचन हेतु कुओं और तालाबों की व्यवस्था की गई थी।

झील अधिकांशतः बड़े होते थे, जैसा हम सुदर्शन झील के सम्बन्ध में देख चुके हैं यह झीलें गिरिनार पर्वत के निचले क्षेत्र में अवस्थित हैं जिसमें बाढ़ के कारण बाँध टूट गया, जिससे नागरिक कष्ट का अनुभव करने लगे। कहा जाता है कि स्कन्दगुप्त के योग्य कर्मचारी चक्रपालित ने इसके बाँधों को कुछ दिन बाद पुनः बनवाया। लीट का विश्वास है कि चक्रपालित द्वारा बनवाया गया बाँध 100 घन (क्यूबिक) लम्बा तथा 68 घन (क्यूबिक) ऊँचा था। जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है कि यह बाँध और भी ऊँचा था।

गुप्तकाल में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कुओं के निर्माण के विषय में जानकारी मिलती है। गांधार शिलालेख से पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के जलालाबाद जिले के गांधार में कुआँ होने का वर्णन है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि इन कुओं का उपयोग छोटे भूखण्डों की सिंचाई और पानी पीने के लिये किया जाता था इसलिए राज्य व जनता दोनों इसके मरम्मत पर ध्यान देते थे स्वयं राजा भी इसके लिए तत्पर रहता था। कृषि से आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को संरक्षण दिया जाता था जो इन योजनाओं को हानि पहुँचाते थे उन्हें दण्ड दिया जाता था और राज्य की आमदनी के लिए इन पर विशेष कर लगाये जाते थे। वृहस्पति

के अनुसार जो जल श्रोतों को हानि पहुँचाते थे उससे 100 पण या उससे अधिक का दण्ड लिया जाता था।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं, कि गुप्तकालीन शासको ने कृषि उन्नति व बेहतर सिंचाई व्यवस्था के लिए सराहनीय कार्य किया तथा किसानों के कष्टों को दूर करने के लिये समय-समय पर तत्पर रहे जिससे कृषि-कर्म पद्धति में उत्तुत्तर विकास होता गया। आधुनिक भारतीय कृषि प्रणाली कहीं न कहीं इससे प्रभावित दिख रही है, बस इसमें बेहतर तकनीकि का समावेश व वैज्ञानिकता का प्रभाव दिखता है। फिर भी गुप्त कालीन कृषि व सिंचाई व्यवस्था अनुकरणीय प्रतीत होती है।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1.रामशरण शर्मा, लाइट ऑन अर्ली इण्डियन सोसाइटी एण्ड इकोनॉमी, पृ०-57-58, (लोहे की जानकारी की तिथि पुरातात्विक साक्ष्यों से 1000 ई०पू० और कृषि के रूप में इसके प्रयोग की तिथि 600 ई०पू० के लगभग निश्चित की गयी)
- 2.अमरकोष, 9, 13-14
- 3.वृहस्पति, VIII, 79-80
- 4.शुक्रनीति, पट, 38-39
- 5.गोयिल गृहसूत्र, 4, 4, 28-29
- 6.मनु, 11, 9, 293
- 7.अग्निहोत्री, पृ०-254
- 8.अमरकोष, 25
- 9.पी०सी०जैन, लेवर इन ऐन्शियन्ट इण्डिया, पृ०-34
- 10.कामन्दक नीतिसार, IV, 51-52
- 11.नारद स्मृति, XI, 18
- 12.मेघदूत, 16
- 13.वृहत्संहिता, स्प्ट, 9
- 14.लीट, पृ०-76
- 15.चुल्लबग्गा, 8, 12

पीयूष वर्मा (शोध छात्र)

डॉ० प्रवीण कुमार मिश्रा (शोध-निर्देशक)

प्राचीन इतिहास विभाग

नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

## ऋग्वैदिक समाज में नारियों की स्थिति — अखिलेश्वर वर्मा एवं प्रवीण कुमार मिश्रा

इस कालखण्ड का ज्ञान कराने वाले एकमात्र वेद ऋग्वेद के मंत्रों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि ये काल स्त्री-पुरुष की समानता के सिद्धांत के चरम का काल था। इस काल में स्त्रियाँ पुरुषों पर आश्रीत नहीं थी बल्कि ये समाज में पुरुषों की सहभागी थीं। डॉ अल्तेकर के अनुसार— “नारी के प्रति सम्मान को समाज की सभ्यता का एक मापदण्ड माना जाता है।<sup>1</sup>” ऋग्वेद में तो स्त्री को ब्रह्म तक कहा गया है— “स्त्री हिं ब्रह्म वभूनिथ”। ऋग्वेद में एक स्थान पर तो नारी को सरस्वती का रूप एवं जीवन का आधार कहा गया है— “त्वे विश्वा सरस्वती”<sup>2</sup> इस काल में स्त्रियों को शुभ लक्षण एवं उत्तम यश वाली माना गया है।<sup>3</sup> एवं स्त्री को उत्तम लाभ एवं एश्वर्य प्राप्त करने वाली घोषित किया गया है।<sup>4</sup>

ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पुत्र-पुत्रियों को दीर्घायु होने की कामना की गई है। पुत्र के अभाव में पुत्री को पुत्र के समान माना जाता था। अर्थात् पुत्र-पुत्रियों में भेद नहीं किया जाता था। माता-पिता अभिभावक एवं पढ़ने वाली विदुषी नारियों को यह उपदेश दिया गया है कि उन्हें चाहिए कि कन्याओं को सम्यक बुद्धि प्राप्त करने को प्रेरित करें। अर्थात् उन्हें समझाएं कि—हे कन्या! तुम जो पूर्ण अखण्डित ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या और अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर युवती बन अपने तुल्य वरों के साथ स्वयंवर विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करों तो सभी प्रकार का सुख तुम्हें मिले और संतान भी अच्छी हो।<sup>5</sup>

उपनयन के पश्चात् कन्याओं को सुव्यवस्थित शिक्षण दिया जाता था। विद्याध्ययन के पश्चात् कन्याओं का गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता था। इसके साथ ही साथ कन्याओं को गृहकार्य, कताई, बुनाई, नाना प्रकार के व्यंजन बनाने, ललित कला, संगीत कला, काव्य कला, नृत्य कला, वाद्य एवं अभिनय कला आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। अनेक ब्रह्मवादिनी छात्राएं ब्रह्म चिन्तन तथा ब्रह्म विषयक व्याख्यान में अपना तपपूर्ण जीवन व्यतीत करती थीं।

ऋग्वेद के दो लम्बे सूक्त विदुषी “घोषा” के अध्यात्मिक दृष्टि के परिचायक हैं।<sup>6</sup> अत्रि की पुत्री “अपाला” ने भी ऋग्वेद के आठवें मण्डल



के 10वें सूक्त की रचना की थी। अपाला तथा रोमशा के साथ में सूर्य की पुत्री सूर्या भी विदुषी ऋषिका है।<sup>7</sup> वेद मंत्रों में अनेक विदुषी ऋषिकाएं होने का श्रेय ऋषि नारियो को प्राप्त था। “चेदयित्री सुनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम यक्षं दधे सरस्वती”<sup>8</sup> ऋग्वेद में पशु रक्षिणी तथा वीर प्रसविनी स्त्रियों के लिए ऋग्वेद में देवों से बार-बार प्रार्थना की गई है।<sup>9</sup>

इस समय नारियां पशु पालन और कृषि कर्म में पुरुषों का हांथ बंटती थीं। ये सामूहिक समारोह, धृत-क्रीड़ा एवं मनोरंजन के समागम में पुरुषों की तरह ही भाग लेने के लिए स्वतंत्र थीं। ‘मुदगल की पत्नी मुदगलानी ने रथदौड़ प्रतियोगिता में पति को जीतवाया था।<sup>10</sup> विष्पला का भी संदर्भ मिलता है कि वह लड़ाई में गई थी वहाँ घायल हो जाने पर अश्वीनों ने उसकी चिकित्सा की थी।

पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ तात्कालीन समाज में नहीं थीं और तो और स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह पैतृक सम्पत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना जाता था। वृद्धावस्था तक नारी अपने घर में प्रभुता एवं सम्मान से रहती थी। पुत्र के अभाव में पुत्री पिता की सम्पत्ति की अधिकारिणी थी और पति की सम्पत्ति पर पत्नी का भी अधिकार होता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर संकेत मिलता है कि—“नारी स्त्रीधन से ब्राह्मणों को दान देती थी। कतिपय अविवाहित नारियों के जीवन भर पिता के गृह में रहने के भी उदाहरण मिलते हैं। कक्षीवन की पुत्री “घोषा” काफी उम्र तक पिता के घर में रही थी और तपस्या तथा मंत्र के दर्शन के बल अश्विन की अनुकम्पा से उसके अधिक आयु होने पर भी उसे विवाह का सुख प्राप्त हुआ।<sup>15</sup> उस समय प्रेम विवाह, स्वयंवर, पिता की इच्छा से विवाह तथा विधवा विवाह के प्रचलन के दृष्टांत भी प्राप्त होते हैं। अर्थात् “इन्हें अपना सुयोग्य वर चुनने की भी पर्याप्त स्वतंत्रता थी। इनका विवाह रजोवृत्ति के पश्चात् ही करने की प्रथा थी।

तत्कालिक समाज में समान्यतः एकल विवाह ही प्रचलन में था। बहुविवाह के उदाहरण केवल धनी व राजपरिवार के लोगों के ही मिलते हैं। ऋग्वेद में वधु को साम्राज्ञी होने का आर्शिवाद देना इनके सम्मान का सूचक है— “गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथोसे ने शिनी त्वं विदथमावदासि।”

ऋग्वैदिक समाज की स्त्रियाँ तत्कालिन राजनीतिक संस्थाओं (सभा, समिति एवं विदथ) में भाग लेती थीं। इन संस्थाओं में इनके मतों

ओर सुझावों का मूल्य पुरुषों के समान ही था। यज्ञों ने अनुष्ठान में स्त्रियाँ पुरुषों के साथ बैठती थीं एवं एज फल की प्राप्ति के लिए इनका इस अनुष्ठान में शामिल होना एक अनिवार्य तथ्य था। इस काल में स्त्रियों एवं पुरुषों के कार्यों एवं कर्तव्यों का बंटवारा नहीं हुआ था।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हम यह कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल भारतीय इतिहास में स्त्रियों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक चर्मोत्कर्ष का काल था। इस काल (1500ई0पू0–1000ई0पू0) के अवसान की तिथि जैसे-जैसे करीब होती जाती है वैसे ही वैसे स्त्रियों की उपरोक्त सुदृढ़ स्थिति में शिथिलता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो कि उत्तरऋग्वैदिक काल में और भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। अर्थात् स्त्रियों की दुर्दशा की शुरुआत वहीं से होने लगती है जहाँ से ऋग्वैदिक काल समाप्त होता है, यद्यपि इसके लक्षण कुछ समय पूर्व ही दिखने लगते हैं

### संदर्भ सूची

1. अल्तेकर, डॉ0 ए0 एस0— द पोजिशन ऑफ वुमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन —पाठ—1
2. ऋग्वेद — 2.41
3. ऋग्वेद—7.55.8
4. ऋग्वेद—10.86.7
5. त्रिवेदी, पं0 रामगोविन्द— वैदिक साहित्य—पृ0—130
6. ऋग्वेद—10.39.10.40
7. ऋग्वेद—10.85.16. ऋग्वेद— 1.61.11, 1.71, 01
8. ऋग्वेद— 1.3.11
9. ऋग्वेद— 10.85.44
10. ऋग्वेद— 10.102

अखिलेश्वर वर्मा (शोधार्थी)  
डॉ0 प्रवीण कुमार मिश्रा (शोध—निर्देशक)  
शोधार्थी, (मध्य0 एवं आधुनिक इतिहास विभाग)  
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

## मीडिया और आधुनिक समाज — दीप्ती द्विवेदी एवं अवध नारायण

जिन साधनों का प्रयोग बहुत से मानव समूहों तक विचारों, भावनाओं व सूचनाओं को सम्प्रेषित किया जाता है उन्हें हम जन संचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। मीडिया, 'मीडियम' शब्द का बहुवचन रूप है, जिसका अर्थ होता है—माध्यम। मीडिया अर्थात् जनसंचार माध्यम को तीन वर्गों— मुद्रण माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एवं नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विभाजित किया जा सकता है। मुद्रण माध्यम के अन्तर्गत समाचार पत्र—पत्रिकाएँ, पैम्फलेट, पोस्टर, जनरल पुस्तकें इत्यादि आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अन्तर्गत रेडियो, टेलीविजन एवं सिनेमा आते हैं। नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इण्टरनेट है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सूचनाओं तक व्यक्ति की पहुँच में तेजी आने के साथ ही मीडिया के महत्व में भी हुई है। मीडिया से किसी न किसी रूप में जुड़े रहना आधुनिक मानव की आवश्यकता बनती जा रही है। मोबाइल, रेडियो, इण्टरनेट इत्यादि में से किसी न किसी माध्यम से व्यक्ति हर समय दुनिया की खबरों पर नजर रखना चाहता है। अरब में बसन्त की वापसी, अमेरिका में 'वाल स्ट्रीट कब्जा करो' से लेकर भारत में जनलोकपाल सरीखे आन्दोलन को सोशल मीडिया ने जो मंच और लोकप्रियता दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलन्द की, व अन्यों ने नहीं की, जिस खबर को मुख्यधारा के मीडिया ने छुपाया, उसे सोशल मीडिया ने सबके सामने लाने का साहस दिखाया। इसमें न केवल मीडिया संस्थानों के तिकड़मों की सूचना सार्वजनिक की बल्कि खबर बनाने वालों को भी खबर बनाया। अब तो लोग अपने आस-पास की गतिविधियों को भी सोशल मीडिया पर देने लगे हैं, जिसकी मुख्यधारा की मीडिया अनदेखी करता है। अब तो प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए सोशल नेटवर्किंग सूचना/समाचार का प्रमुख स्रोत बन कर उभरा है। कभी-कभी तो बहुतेरे अखबार ब्लॉग और ट्विटर से सूचनाएँ लेकर बैनर, होर्डिंग्स लगाने लगे हैं।

सर्वाधिक पत्रिकाएँ वेब दुनिया पर उपलब्ध हैं। अखबारों की भी ऐसी ही स्थिति है। वेब पाठकों पर पकड़ बनाने के लिए अब तो सर्वाधिक

प्रिन्ट और टीवी मीडिया खुद का वेब-ब्लॉग संचालित करने लगे हैं। टीवी चैनल्स प्राइम टाइम में फेसबुक और ट्विटर को खूब कैश करने लगे हैं। कई चैनल्स तो इस पर चैट के लिए भी आमन्त्रित करने लगे हैं। मौजूदा परिस्थितियों में सोशल मीडिया ही लोगों की उम्मीदों का 'सामाजिक खम्भा' बनता नजर आ रहा है और इसे बनना भी चाहिए। हमारे देश में मीडिया और समाज का अटूट रिश्ता है। चूँकि हमारे यहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था है, अतएव समाज के प्रति माडिया की जवाबदेही भी ज्यादा है। यही कारण है कि उसे लोकतन्त्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है। मीडिया समाज का प्रहरी है और यह बात वह समय समय पर साबित करता रहा है। चाहे वह आपात काल का दौर रहा हो अथवा जनहित से जुड़ा कोई भी आन्दोलन, मीडिया ने समाज के बीच सार्थकता को स्थापित किया। यही कारण है कि मौजूदा दौर में समाज की अपेक्षाएं मीडिया से बढ़ी है और उसे नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले माध्यम के रूप में देखा जाता रहा है। मीडिया ने सदैव अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को बखूबी निभाया। इसके लिए संघर्ष किया और कुर्बानियाँ भी दीं। मीडिया ने पत्रकारिता के मूलभूत आदर्शों व मूल्यों, निष्पक्षता एवं सच को निभाते हुए सत्ता और शासन के दबाव की परवाह नहीं की और पथभ्रष्ट सत्ता को आईना दिखाने का काम करते हुए वह समाज की कसौटी पर खरा उतरा। उसने अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को श्रेष्ठ आयाम दिये और यदि समाज दिग्भ्रमित हुआ, तो उसे भी दिशा बोध कराने का काम किया। सामाजिक जागरुकता लाने में मीडिया का योगदान अतुलनीय है। किन्तु आज मीडिया का राजनीतिकरण हो गया है और ऐसा होना प्रेस की पवित्रता के लिए शुभ लक्षण नहीं है। बहुत से पत्रकार सत्य को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं और साक्ष्यों के साथ कटु छेड़छाड़ भी कर बैठते हैं, यह कदापि ठीक नहीं है।

मानव जाति की तीन मूल प्रवृत्तियाँ हैं—स्वतन्त्र रहने की प्रवृत्ति, काम भावना की संतुष्टि की प्रवृत्ति और स्वार्थ-परता की प्रवृत्ति। ये तीनों प्रवृत्तियाँ उसके खून में हैं, जन्मजात हैं। इन्हीं तीनों प्रवृत्तियों ने उसे एक सामाजिक प्राणी बने रहने को बाध्य किया है, इन्हीं के कारण समाज का प्रादुर्भाव तथा विकास हुआ है। समाज ही है जिसने मानव जाति के सदस्यों के बीच इन प्रवृत्तियों में संतुलन बनाए रखा है, सारी संस्कृतियाँ

इन्हीं की देन हैं शासन तन्त्र समाज के इसी उद्देश्य के संचालन के साधन होते हैं। समय की माँग के अनुसार शासन तन्त्र के स्वरूप में बदलाव आते गये। जब कभी समाज ने यह देखा कि आसन्न शासन तन्त्र के तहत मानव-मानव के बीच इन प्रवृत्तियों की संतुष्टि का संतुलन बर्दाश्त की सीमा से बाहर जा रहा है, तो क्रान्तियाँ हुईं, राजतन्त्र समाप्त हुए और अब तानाशाही भी संसार के मानचित्र से प्रायः समाप्त पर ही है। इनका स्थान आज प्रजातन्त्र ने लिया है। समाज के सदस्यों के बीच इन तीन मूल मानवीय प्रवृत्तियों की संतुष्टि का समुचित संतुलन बनाए रखने पर ही किसी प्रजातान्त्रिक शासन तन्त्र की सफलता निर्भर करती है और इसके लिए आवश्यक है सुशासन का होना यानि प्रजातान्त्रिक शासन तन्त्र के तीनों अंग— न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करे और साथ ही आम जनता अपने मताधिकार के महत्त्व और अपने कर्तव्यों को समझे। एक सफल प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के ये मूलभूत मानदण्ड हैं। इनमें कमी आने पर इनमें भ्रष्ट आचरण का समावेश हो जाता है और भ्रष्टाचार एक ओर तो विलासिता को प्रोत्साहित करता है तो दूसरी ओर विपन्नता को जन्म देता है और इस तरह समाज के सदस्यों की इन तीनों मूल प्रवृत्तियों की संतुष्टि में असंतुलन अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ता है। ऐसी परिस्थिति में प्रजातन्त्र हीन अवस्था की ओर पैर बढ़ा देता है।

मीडिया प्रजातन्त्र के चार स्तम्भों में से एक है। जनमत के निर्धारण में मीडिया की अहम भूमिका होती है। इसमें इतनी क्षमता होती है कि यह लोगों के किसी चीज की ओर देखने के नजरिये में आमूल परिवर्तन ला दे। अनेक मामलों में, मीडिया ने अपराधी को कानून के कठघरे में ला खड़ा करने का सराहनीय कार्य किया है। विशेषकर विगत दो दशकों के दौरान, केवल टेलीविजन, स्थानीय रेडियो नेटवर्क तथा इण्टरनेट के आगमन ने जनसंचार माध्यमों की पहुँच और संघात पर उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी की है। देश में अँग्रेजी तथा अन्य अनेक देशी भाषाओं में समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की प्रचार संख्या बहुत तेजी से लगातार बढ़ रही है। प्रतिदिन बढ़ता समाचार-वाचन तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा जुटायी गई समाचार-सामग्रियों ने मीडिया संगठन को आम जनमत के स्वरूप निर्धारण में अभूतपूर्व भूमिका प्रदान कर दी है।

लेकिन, मीडिया को उपलब्ध इस स्वतन्त्रता ने उस पर कुछ जिम्मेदारियाँ भी डाल दी है। दर्शकों और पाठकों को अपनी ओर खींचने के इस निरन्तर बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में, मीडिया प्रायः रिपोर्ट के तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है तथा उन्हें सनसनीखेज बना देती है। अपने व्यवसायिक हितों को साधने के चक्कर में ये लोगों की स्वतन्त्रता में भी संध लगा देते हैं। बात तब और भी उलझ जाती है जब न्यायपालिका के समक्ष लम्बित विचाराधीन मामलों से सम्बन्धित सूचनाएँ और विचार प्रकाशित और प्रचारित करते हैं जो सम्बद्ध-पक्षों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मीडिया द्वारा प्रसारित सनसनीखेज न्यूज स्टोरी निष्पक्ष ट्रॉयल के अधिकार का हनन करती है और निर्दोषिता की मान्यता के लिए जाखिम पैदा करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया का बढ़ता प्रभाव न्यायपालिका की निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया को दुष्प्रभावित करता है। विचार अभिव्यक्ति के अधिकार के नाम पर इस तरह समाचारों को सही नहीं ठहराया जा सकता।

आज भारतीय समाज, भारतीय प्रजातन्त्र, भारतीय प्रजातान्त्रिक शासन तथा प्रेस मीडिया सभी इस दौर से गुजर रहे हैं। जिन लोगों पर समाज के सदस्यों की तीनों मूल प्रवृत्तियों को लेकर इनके बीच संतुलन कायम रखने का दायित्व है वे ही अपनी प्रवृत्तियों की पूर्ति में बेलाग रूप से निरन्तर संलग्न हैं, भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबे हुए हैं। फलस्वरूप एक ओर तो कुछ नौकरशाह, कुछ विधायक, कुछ सांसद, कुछ न्यायाधीश अपने भ्रष्ट आचरण से अपनी तीन मूल मानवीय प्रवृत्तियों की पूर्ति कर विलासिता के उँचाईयों को पार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाज का विपन्न अंग उनका नजारा देख रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाहियों के वायदे भाषण-मंचों, फाइलों तथा न्यायालय की जटिल प्रक्रियाओं में सिमट कर ही रह गये हैं। सब लाज, भय समाप्त हो चुका हैय राजनेताओं तथा अपराधियों का अनैतिक गठजोड़ खुल कर तांडव कर रहा है निरीह आम जनता मुँह बाए उन्हें निहार रही है। राजनेता और नौकरशाहों पर उनके द्वारा अंजाम दिए गये भ्रष्टाचारी कारनामों पर न्यायालय में मामले वर्षों से चल रहे हैं, तो चल रहे हैं। वे नौकरशाह अपने पदों पर बने हुए हैं, प्रोन्नतियाँ पाते जा रहे हैं, ये राजनेता चुन कर आते जा रहे हैं एवं राजनैतिक शक्ति का आनन्द उठाए जा रहें हैं, आनन्द

ही आनन्द है। प्रजातान्त्रिक शासन—पद्धति की भारत में काफी फजीहत हो चली है। लेकिन, अब, ऐसा नहीं चलेगा जैसा की चलता आ रहा था। समस्याएँ तो हमेंशा ही विद्यमान रहती हैं और प्रत्येक समस्या का हल भी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। बस, इनकी खोज भर हमें कर लेनी है। इसके लिए हममें वांछित इच्छाशक्ति और सही नीयत का होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस दिशा में कदम उठाया है।

मीडिया ने समय समय पर स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसालें पेश की है। उल्लेखनीय है कि समाज के विभिन्न प्रकरणों जैसे—बोफोर्स काण्ड, ताबूत घोटाला, फेयर फैंक्स प्रकरण, हर्षत मेहता काण्ड, जेसिका लाल हत्याकाण्ड, निर्भया हत्याकाण्ड, टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरण, मुजफ्फरनगर दंगे आदि को समुचित जानकारी के साथ मीडिया ने समय समय पर उजागर किया है। जिससे जनता उद्वेलित भी हुई है और वस्तुस्थिति को समझा भी है। सच को उजागर करने में तहलका और विकीलीक्स की भूमिका और पनामा पेपर की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। मीडिया ने सदैव समाज की ही तो लड़ाई लड़ी है। शुरुआत में इसका स्वरूप मिशनरी था और मकसद था भारतीय समाज को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवाना। स्वतन्त्रता की लड़ाई में अखबारों और उनके सम्पादकों की साहसिक भूमिका किसी से छिपी नहीं है। स्वतन्त्रता मिलने के बाद भारतीय समाज में मीडिया की जिम्मेदारी और बढ़ गयी, क्योंकि अब स्वाधीन भारतीय समाज के निर्माण का दायित्व भी उसमें जुड़ गया। आजादी के बाद भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, नौकरशाही एवं अराजकता के खिलाफ भारतीय मीडिया बराबर लड़ाई लड़ते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है।

आज समाचार—पत्र, पत्रिकाएँ और टेलीविजन विश्व भर में जनसंचार के प्रमुख एवं लोकप्रिय माध्यम बन चुके हैं। इनमें से समाचार—पत्रों व पत्रिकाओं का फैलाव सबसे अधिक है, किन्तु शहर से दूर—दराज क्षेत्रों में, जहाँ आज भी बिजली नहीं पहुँची है, रेडियो ही जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है। शुरु—शुरु में टेलीविजन की लोकप्रियता, समाचार, धारावाहिक एवं सिनेमा प्रसारित किए जाने के कारण हुई, पर बाद में कई न्यूज चैनलों की स्थापना के साथ ही यह

जनसंचार का एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया, जिसकी पहुँच करोड़ों लोगों तक हो गयी। अब तीन सौ से अधिक टेलीविजन चैनल चौबीसों घंटे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रकाशित कर रहे हैं। इण्टरनेट जनसंचार का एक नवीन इलेक्ट्रॉनिक जिन्न है, जो व्यक्ति के सभी हुकमों की तामील करने को तैयार रहता है। विदेश जाने के लिए हवाई-जहाज का टिकट बुक कराना हो, किसी पर्यटन स्थल पर स्थित होटल का कोई कमरा बुक कराना हो, किसी किताब का आर्डर देना हो, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विज्ञापन देना हो, अपने मित्रों से आनलाइन चॉटिंग करना हो, डाक्टरों से स्वास्थ्य सम्बन्धी सलाह लेनी हो या वकीलों से कानूनी सलाह लेनी हो, इण्टरनेट हर मर्ज की दवा है। नेता हो या अभिनेता, विद्यार्थी हो या शिक्षक, पाठक हो या लेखक, वैज्ञानिक हो या चिन्तक सब के लिए इण्टरनेट उपयोगी साबित हो रहा है।

मीडिया की भूमिका किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह न केवल सूचना के प्रसार का कार्य करता है, बल्कि लोगों को किसी मुद्दे पर अपनी राय कायम करने में भी सहायक होता है। पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्लैमर और पीत पत्रकारिता में वृद्धि होने के बाद से इसकी लोकप्रियता एवं विश्वसनीयता में कमी तथा समाचार-पत्र की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है। हाल ही में 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में जब प्रिंट ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी दिग्गज बहती गंगा में हाथ धोते नजर आए, तब कुछ निर्भीक एवं निष्पक्ष समाचार-पत्रों ने पत्रकारिता के अपने धर्म के अन्तर्गत देश को उनकी असलियत बताई। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं नागरिक अधिकारों का हनन हुआ, तब-तब मीडिया ने देश और समाज के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनोन्मुखता भारतीय मीडिया की एक विशिष्ट पहचान रही है। जनहितों की पैरोकारी करते हुए भारतीय मीडिया ने कभी भी सरकारी दबाव को आड़े नहीं आने दिया। मीडिया की जनहितकारी भूमिका का ही यह परिणाम है कि समाज जब-जब आहत होता है, संक्रमित होता है, तब-तब वह मीडिया की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है। मीडिया ने लोकतान्त्रिक मूल्यों को बहाल रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकतन्त्र की जड़ों को सींचा है इसके वृक्ष को छायादार बनाने का प्रयास किया है। यही कारण है कि



आज मीडिया आम जन-जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा है। समाचार-पत्र मित्र की भूमिका में समाज के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।

मीडिया के प्रमुख कार्य हैं- लोकमत का निर्माण, सूचनाओं का प्रसार, भ्रष्टाचार एवं घोटालों का पर्दाफास तथा समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना। मीडिया की शक्ति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कई बार जनमत का निर्माण करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनमत के निर्माण के बाद जनक्रान्ति ही नहीं, बल्कि अन्य अनेक प्रकार का परिवर्तन संभव है। यहाँ तक की कभी कभी ये सरकार को गिराने में भी सफल रहते हैं। बिहार में चारा घोटाला, आन्ध्र प्रदेश में डाक-टिकट घोटाला, राष्ट्रमण्डल खेल घोटाला, कोयला घोटाला, मैच-फिक्सिंग इत्यादि अनेक प्रकार के घोटालों के पर्दाफास में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मीडिया का प्रभाव आधुनिक समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चाहे फैशन का प्रचलन हो या आधुनिक गीत-संगीत का प्रचार-प्रसार इन सब में मीडिया की भूमिका अहम् होती है। टेलीविजन एवं फिल्म के कलाकार रातों-रात प्रसिद्ध हो जाते हैं। यद्यपि भारत में अधिकतर फिल्मों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से धन कमाना होता है, किन्तु पिछले कुछ वर्षों में कुछ सार्थक एवं समाजोपयोगी फिल्मों का भी निर्माण हुआ है जिन्होंने समाज को दशा एवं दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोगों के रहन-सहन, बोल-चाल, रंग-ढंग सबमें टेलीविजन एवं सिनेमा का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। युवा वर्गों के अतिरिक्त बच्चों एवं महिलाओं पर भी इनका प्रभाव पड़ता है, जो उनके रहन-सहन में झलकनें लगता है। इस तरह मीडिया आधुनिक समाज को हर प्रकार से प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक की यह संस्कृति को भी प्रभावित करने में पूर्णरूपेण सक्षम होता है। आजकल भारतीय युवा वर्गों में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव इसी के कारण देखने को मिल रहा है।

सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय मीडिया अभी राजनीतिक दबाव से मुक्त है। यही वजह है कि वह आम आदमी की आवाज बनकर समाज से बेहतर तालमेल बनाए हुए हैं। उसकी निष्पक्षता एवं तटस्थता कायम है, जो कि समाज के हित में आवश्यक भी है। यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि देश से निकलने वाले छोटे-छोटे अखबार तक दबाव मुक्त

रहकर सच की नुमाइन्दगी करते हुए समाज के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। मीडिया के नैतिक उद्यम नें सदैव अनैतिकता को पछाड़ते हुए एक परिष्कृत समाज के निर्माण की पहल की है। समाज के लिए मीडिया की क्या अहमियत है, इसे जे. पार्टन के उस कथन से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने समाचार-पत्रों को 'जनता के विश्वविद्यालय' की संज्ञा दी है। मीडिया सिर्फ एक सामाजिक प्रहरी की ही भूमिका नहीं निभाता बल्कि समाज को विखण्डन से भी बचाता है। समाज की अखण्डता एवं एकता को कायम रखने में मीडिया नें हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई। हमारे देश में साम्प्रदायिकता एक बड़ी समस्या है। साम्प्रदायिकता के कारण साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएँ होती रहती हैं। यह सच है कि हमारे देश में साम्प्रदायिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं, किन्तु मीडिया नें कभी इन जड़ों को सींचकर समाज को कलंकित करने का काम नहीं किया। मीडिया नें सदैव सामाजिक समरसता को बढ़ाने का काम किया। इस तरह देश और समाज की एकता और अखण्डता को बनाए रखने, सामाजिक सौहार्द को कायम रखने तथा भाई-चारा का माहौल बनाए रखने में मीडिया नें हमेशा सराहनीय योगदान दिया। भारतीय मीडिया नें 'वसुधैव कुटुम्बकम्' में निहित अवधारणा को साकार किया।

इधर कुछ वर्षों से धन देकर समाचार प्रकाशित करवाने एवं व्यवसायिक लाभ के अनुसार समाचारों को प्राथमिकता देने की घटनाओं में भी तेजी से वृद्धि हुई है, फलस्वरूप इनकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। इसका कारण यह है कि भारत के अधिकतर समाचार-पत्रों एवं न्यूज चैनलों का स्वामित्व किसी-न-किसी स्थापित उद्यमी घराने के पास है। जनहित एवं देशहित से अधिक इन्हें अपने उद्यमों के हित की चिंता रहती है, इसलिए ये अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। सरकार एवं विज्ञापनदाताओं का प्रभाव भी समाचार-पत्रों एवं टेलीविजन प्रसारण में देखा जा सकता है। प्रायः समाचार-पत्र अपने विज्ञापनदाताओं के विरुद्ध कुछ छापने से बचते हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता देश के लिए घातक है। पत्रकारिता व्यवसाय से कहीं अधिक सेवा है। व्यवसायिक प्रतिबद्धता पत्रकारिता के मूल्यों को नष्ट करती है।

मीडिया के माध्यम से लोगों को देश की हर गतिविधियों की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही उनका मनोरंजन भी होता है। किसी

भी देश में जनता का मार्गदर्शन करने के लिए निष्पक्ष एवं निर्भीक मीडिया का होना आवश्यक है। मीडिया देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। चुनाव एवं अन्य परिस्थितियों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों से जनसाधारण को अवगत कराने की जिम्मेदारी भी मीडिया को वहन करनी पड़ती है। यह सरकार एवं जनता के बीच एक सेतु का कार्य करता है। जनता की समस्याओं को इस माध्यम से जन-जन तक पहुँचाया जाता है। विभिन्न प्रकार के अपराधों एवं घोटालों का पर्दाफाश कर यह माध्यम देश एवं समाज का भला करता है, इसलिए निष्पक्ष एवं निर्भीक मीडिया के अभाव में स्वस्थ लोकतन्त्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस तरह यह माध्यम आधुनिक समाज में लोकतन्त्र के प्रहरी का रूप ले चुका है और यही कारण है कि इसे लोकतन्त्र के चतुर्थ स्तम्भ की संज्ञा दी गयी है।

वर्तमान में मीडिया भारतीय संस्कृति का संवाहक बन भारतीय समाज की श्रेष्ठता को साबित कर रहा है। लोक संस्कृति, कला, नृत्य, गायन, संगीत आदि के विकास में मीडिया ने अपने ढंग से सहयोग दिया और सामाजिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया, समाज को गतिशीलता दी। यह कहना गलत ना होगा कि मीडिया ने हमेशा सामाजिक तमश के खिलाफ लड़ाई लड़ कर समाज को उजियारे की सौगात दी है। मीडिया के जनहितकारी स्वरूप के कारण ही समाज की अपेक्षाएं निरन्तर मीडिया से बढ़ रही हैं और वह समाज की कसौटी पर खरा भी उतर रहा है। यह जब्बा आगे भी बना रहना चाहिए। गाँधी जी का कथन है कि "पत्रकारिता का उद्देश्य जनसेवा है।" अतः इतना तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ ही गया है कि वह व्यवस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती जहाँ अच्छे को सराहा नहीं जाता और बुरे को दण्डित नहीं किया जाता। ऐसी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति समाज को दोष नहीं दे सकता। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है उसमें हमारी अनुमति कहीं न कहीं है और यह बेहतर होगा कि दूसरों की बजाय प्रश्न का हल स्वयं से पूछा जाए और ऐसे में मीडिया और समाज अपने को अलग न समझें।

### सन्दर्भ ग्रन्थ—सूची

- Agrawal, Hema] "Society, Culture and Mass Communication" Rawat Publication, Jaipur, 1995

- Burton, Graeme. "Media and Society" Rawat Publication, Jaipur, 2009
- चतुर्वेदी, जगदीश्वर (2002): सूचना समाज: अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 87,93।
- चोमस्की, नेम (2006): जनमाध्यमों का मायालोक लोकतान्त्रिक समाजों में विचारों पर नियन्त्रण, अनु. चन्द्रभूषण ग्रन्थ शिल्पी, नई दिल्ली।
- जोशी, मनोहर श्याम (2013): मास मीडिया और समाज, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 60,61।
- जोशी, राम शरण (2002): मीडिया विमर्श: सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली।
- नंदा, वर्तिका और उदय (2009): मीडिया और जनसंवाद: सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 103।
- पचौरी, सुधीश (2000): साइबर स्पेस और मीडिया: प्रवीन प्रकाशन, नई दिल्ली।
- बेबी, अर्ल आर (2003): द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च, दसवाँ संस्करण, वुड्सवर्थ, थामसन लर्निंग इंक।
- मोहन, अरविन्द (2008): मीडिया और खबर: शिल्पायन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- मण्डल, दिलीप (2011): कार्पोरेट मीडिया: दलाल स्ट्रीट, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
- मल्होत्रा, रसा (2007): हिन्दी पत्रकारिता: कल, आज और कल, संजय प्रकाशन, दिल्ली।
- रत्न, कृष्ण कुमार (1998): सूचना क्रान्ति और बदलता सामाजिक सौन्दर्य बोध: पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
- विलिस, इवान (1996): द सोशियोलॉजिकल क्वेस्ट: इन इन्ट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, न्यू ब्रंसविक, राजर्स विश्वविद्यालय।

दीप्ती द्विवेदी

शोध छात्रा शिक्षा शास्त्र विभाग,  
अवध नारायण, शोध छात्र प्राचीन इतिहास विभाग,  
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

## माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता का उनकी शैक्षिक उपलब्धि में सम्बन्ध का अध्ययन — राघवेन्द्र मालवीय एवं डा.अविनाश पाण्डेय

शिक्षा व्यक्ति के जीवन की नींव होती है जो व्यक्ति को अपने पर्यावरण व समाज के साथ समायोजन करने में समर्थ बनाती है। विस्तृत अर्थ में, शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति में आवश्यक ज्ञान, कौशल व अभिवृत्ति को विकसित करती है जिससे व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित कर सकें। शिक्षा, व्यक्ति के हाथ में वह मुख्य उपकरण है जिसके द्वारा वह जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने योग्य होता है। शिक्षा, मानव-समाज द्वारा निरूपित की गयी एक अद्भुत व विशिष्ट प्रक्रिया है जो न केवल व्यक्ति को असभ्य से सभ्य सामाजिक व्यवहार की ओर ले जाती है बल्कि यह व्यक्ति को उसे प्राप्त करने में भी सहायता करती है जो उसने प्राप्त नहीं किया है।

व्यक्ति अपने जीवन में औपचारिक शिक्षा के दो प्रमुख स्तरों विद्यालयी स्तर व विश्वविद्यालयी स्तर पर पूर्ण करता है। यद्यपि दोनों स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में पृथक्-पृथक् महत्त्व है, फिर भी व्यक्ति के जीवन में विद्यालयी शिक्षा अपना एक विशेष स्थान रखती है। विद्यालयी शिक्षा जहाँ एक ओर व्यक्ति को आरम्भिक आधार प्रदान करती है वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति को विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार करती है। विद्यालयी शिक्षा न केवल बालक की मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करके उसका सर्वांगीण विकास करती है बल्कि यह समाज की उन्नति में भी अपना अविच्छिन्न योगदान देती है। विद्यालय शिक्षा बालकों में आत्म- संयम, आत्म-सम्मान, आत्म-विश्वास आदि सद्गुणों को उत्पन्न करती है तथा उनमें विवेक, न्याय व निष्पक्षता की शक्तियों को जन्म देकर उन्हें उचित निर्णय लेने के योग्य बनाती है। विद्यालय शिक्षा के द्वारा समाज भावी पीढ़ी के बालकों में उच्च आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वासों तथा परम्पराओं आदि सांस्कृतिक सम्पत्ति को इस प्रकार हस्तान्तरित करता है

कि वह समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर व चरित्र-सम्पन्न नागरिक बन सकें तथा समाज की उन्नति में निरन्तर अपनी शक्तियों व ऊर्जा का उपयोग कर सकें।

मानव में पायी जाने वाली कतिपय विशिष्ट प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति है—कल के कार्य को आज और आज के कार्य को अभी करने की प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति का विकास भी व्यक्ति में जन्म के बाद से ही होता है। व्यक्ति में पानी जाने वाली इस प्रवृत्ति को मनोवैज्ञानिकों ने 'जोखिमपूर्ण प्रवृत्ति' कहा है तथा इस प्रवृत्ति को दर्शाने वाला व्यवहार 'जोखिमपूर्ण व्यवहार' के रूप में परिभाषित किया गया है।

जोखिमपूर्ण व्यवहार का तात्पर्य हानि, अनिष्ट, घाटे की संभावना एवं खतरा संकट में जान जाने की परवाह किये बिना कार्य करने को जोखिमपूर्ण व्यवहार कहा जाता है। जोखिम (Risk) किसी मूल्य की चीज को पाने या खोने की सम्भावना को कहते हैं। जोखिम के कार्यों और प्रक्रियाओं में अनिश्चितता का तत्व उपस्थित होता है। जोखिम एक विस्तृत अवधारणा है जिसका विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से विश्लेषण व प्रबन्धन किया जाता है।

यह स्वीकार्य कथन है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। प्रत्येक काल का साहित्य अपने समकालीन समाज की विशेषताओं, मानवीय गुणों, सामाजिक व्यवस्थाओं व समस्याओं को प्रत्यक्षतः सामने रखता है। भारतीय हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी ने अपने दोहे में मानव व्यवहार की इस प्रवृत्ति को संकेत करते हुए कहा है—

**कल करे सो आज कर, आज करे तो अब।**

**कल को प्रलय हो गयी, बहुरि करेगो कब।**

भारतीय हिन्दी साहित्य में सम्मिलित 'लोकोक्तियाँ व कहावतें' व्यापक एवं दीर्घकालिक मानवीय अनुभवों पर आधारित है। ये लोकोक्तियाँ व मुहावरें मानव-क्रियाओं को निर्देशित करने वाले वाक्य के रूप में अपना अस्तित्व रखती हैं। हिन्दी की कुछ प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ व कहावतें भी व्यक्ति के जोखिमपूर्ण व्यवहार को दृष्टव्य बनाती हैं और प्रत्येक व्यक्ति को समय का महत्त्व समझाने का प्रयास करती हैं।

'समय चूक पुनः का पछताने' अर्थात् अवसर निकल जाने पर/समय व्यतीत होने पर पछताना व्यर्थ है।

'समय न बारम्बार' अर्थात् अवसर/समय बार-बार नहीं आता है।

‘का बरखा जब कृषि सुखानी’ अर्थात् समय निकलाने पर इलाज बेकार होती है।

‘समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता’

‘समय को दोष देना अपने को ही दोष देना है’

अंग्रेजी साहित्य में भी व्यक्ति के द्वारा कार्य को समय पर करने एवं समय के महत्त्व को दर्शाने वाले विभिन्न उद्धरण देखे जा सकते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार बेन्जामिन फ्रैंकलिन ने कहा है—

'Lost time is never found again'

'Never leave that till tomorrow which you can do today'

'You delay, but time will not'

**इसी प्रकार महोदय विक्टर किम के अनुसार**

अंग्रेजी साहित्य में समय की महत्ता तथा जोखिमपूर्ण व्यवहार सम्बन्धी दिए गए उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी साहित्यकारों ने भी मानव में पायी जाने वाली जोखिमपूर्ण व्यवहार प्रवृत्ति को पहचाना है व व्यक्तियों को उनके इस व्यवहार के प्रति अपने विचार व्यक्त किये हैं।

जोखिम व्यवहार योग्यता के सम्बन्ध में इन विचारों व परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि जोखिम व्यवहार योग्यता कार्यों को तुरन्त निर्णय की एक स्वभावगत विशेषता है जिसमें व्यक्ति बिना सोचे-समझे अपने कार्यों को वरीयता देता है। जोखिमपूर्ण व्यवहार के कारण कई बार व्यक्ति अनुत्पादक व अनावश्यक कार्यों में अपना समय व्यर्थ करता है और अपने आवश्यक कार्यों को समय पर समाप्त नहीं कर पाता है।

जोखिम व्यवहार, मानव में पायी जाने वाली एक उच्च कोटि की प्रवृत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति, बालक या वयस्क, स्त्री या पुरुष, शिक्षित या अशिक्षित, कार्यरत या अकार्यरत, अपने दैनिक जीवन में या विशेष अवसरों पर अपने इन व्यवहारों का प्रदर्शन व अनुभव करते हैं एवं अन्तःक्रियात्मक स्थितियों में व्यक्ति दूसरों के जोखिम व्यवहार से भी परिचित होता है।

**समस्या कथन—**

“माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता का उनकी शैक्षिक उपलब्धि में सम्बन्ध।”

**अध्ययन का उद्देश्य—**

1. लिंग के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।
2. क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।

#### परिकल्पनाएँ—

प्रस्तुत अध्ययन की निम्न शून्य परिकल्पनाएँ हैं—

1. लिंग के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।
2. क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

#### शोध प्रविधि—

प्रस्तुत समस्या के अध्ययन के सन्दर्भ में 'सर्वेक्षण अनुसंधान विधि' का प्रयोग किया गया है। न्यादर्श के रूप में के शहरी एवं ग्रामीण में स्थित 4 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा-9 के 200 विद्यार्थियों (100 छात्र एवं 100 छात्राओं) का कला एवं विज्ञान वर्ग से यादृच्छिक विधि द्वारा चयन कर न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया है। विद्यार्थियों के जोखिम व्यवहार योग्यता को मापने के लिए डॉ० वीरेन्द्र सिन्हा एवं डॉ० प्रेम नाथ अरोरा द्वारा निर्मित जोखिम व्यवहार प्रश्नावली (Risk Taking Question) का प्रयोग किया है। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए सह-सम्बन्ध गुणांक (कार्ल पियर्सन गुणन आर्घूण) सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है।

#### आँकड़ों विश्लेषण एवं व्याख्या—

उद्देश्य-1 लिंग के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।



H<sub>01</sub> लिंग के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

तालिका 1

लिंग के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसम्बन्ध

क्रमांक	समूह	सहसम्बन्ध गुणांक का मान	स्वतंत्र्यांश (N-2)	सार्थकता स्तर
1.	विद्यार्थी	0.0114	198	असार्थक
2.	छात्र	-0.0002	98	असार्थक
3.	छात्राएँ	0.0908	98	असार्थक

यह प्राक्कल्पित किया गया कि लिंग के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है। तालिका 1 से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान 0.0114, -0.0002 एवं 0.0908 है जो 198 स्वतंत्र्यांश के लिए 0.05 एवं .01 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान 0.138 एवं .181 से कम है। यह मान 0.05 एवं .01 सार्थकता स्तर पर असार्थक है व शून्य परिकल्पना स्वीकार्य है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं पाया गया।

उद्देश्य-2 क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।

H<sub>02</sub> क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

तालिका 2

क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसम्बन्ध

क्रमांक	समूह	सहसम्बन्ध गुणांक	स्वतंत्र्यांश	सार्थकता
---------	------	------------------	---------------	----------

		का मान	(N-2)	स्तर
1.	शहरी	-0.0589	98	असार्थक
2.	ग्रामीण	-0.0262	98	असार्थक

तालिका से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के शहरी विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान  $-0.0589$  है जो 98 स्वतंत्र्यांश के लिए 0.05 एवं .01 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान 0.195 एवं .254 से कम है। यह मान 0.05 एवं .01 सार्थकता स्तर पर असार्थक है व शून्य परिकल्पना स्वीकार्य है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक स्तर के शहरी विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य ऋणात्मक सम्बन्ध पाया गया लेकिन दोनों के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है अर्थात् जोखिम व्यवहार योग्यता में वृद्धि होने से शैक्षिक उपलब्धि कम होती जायेगी।

तालिका से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान  $-0.0262$  है जो 98 स्वतंत्र्यांश के लिए 0.05 एवं .01 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान 0.195 एवं .254 से कम है। यह मान 0.05 एवं .01 सार्थकता स्तर पर असार्थक है व शून्य परिकल्पना स्वीकार्य है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य ऋणात्मक सम्बन्ध पाया गया लेकिन दोनों के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

#### निष्कर्ष-

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये-

- माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य ऋणात्मक सम्बन्ध पाया गया लेकिन कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं पाया गया।
- माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य ऋणात्मक सम्बन्ध पाया गया लेकिन दोनों के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

- माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक सम्बन्ध पाया गया लेकिन दोनों के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं पाया गया।
- माध्यमिक स्तर के शहरी विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य ऋणात्मक सम्बन्ध पाया गया लेकिन दोनों के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।
- माध्यमिक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य ऋणात्मक सम्बन्ध पाया गया लेकिन दोनों के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

#### सुझाव—

विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह किसी भी परिस्थिति में अपने आपको मुश्किलों से बाहर निकल सकें। शैक्षणिक कार्य के साथ-साथ बच्चों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वह तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों के साथ-साथ जोखिम भरे नौकरियों से भी जुड़ सकें। विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्यों में उन्हें हिमालय क्षेत्रों के बारे में जानकारी, उपग्रहों से सम्बन्धित जानकारी, समुद्रों से सम्बन्धित जानकारी, पुलिस एवं गुप्तचर विभाग, अग्नि शमन विभाग से सम्बन्धित बातें, द्वीपों से सम्बन्धित जानकारियों तथा सेना से सम्बन्धित शिक्षा देनी चाहिए जिससे वह शिक्षा के साथ-साथ इन सभी क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकें तथा वहाँ नौकरी पर जाने के लिए डरे नहीं।

वर्तमान समय में नौकरियों के लिए होड़ मची हुई है जहाँ लोग नौकरी पाने के लिए जोखिम उठाने के लिए भी तैयार हैं अतः विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ उन्हें इस तरह के प्रशिक्षण दिया जाये

तो वह अपने भविष्य में कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में अपने आपको ढाल सकें।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

- सी., शोभा बी. (2011). किशोरों का विलम्बन व्यवहार तथा मानसिक स्वास्थ्य, जी.सी.टी.ई. जनरल ऑफ रिसर्च एण्ड एक्सटेंशन इन एजुकेशन, 6(2), 138–141
- शर्मा, ममता और गगनदीप कौर (2011). लिंग-भेद के आधार पर किशोरों में विलम्बन व शैक्षिक तनाव, इण्डियन जनरल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, 8(1–2), 122–127
- कौशिक व अन्य (2014). विद्यार्थियों में आरोपण शैलियों, आत्म-नियामकता तथा शैक्षिक विलम्बन के मध्य सम्बन्ध इण्टरनेशनल जनरल ऑफ साइकोलॉजी एण्ड बिहेवियरल रिसर्च, 3(3), 184–191
- सावित्री, जे.जे. (2014). जीवन सन्तुष्टि पर शैक्षिक विलम्बन तथा शैक्षिक प्रदर्शन का पारस्परिक प्रभाव, इण्टरनेशनल जनरल ऑफ साइंस एण्ड रिसर्च, 3(3), 377–381
- मोहन्ती, डी0 (2000) 'स्कूल टाइप साइकोलॉजिकल डिफरेंसिएशन एण्ड एचीवमेन्ट ऑफ ट्राइबल एण्ड नॉन ट्राइबल चिल्ड्रेन, पी0एच0डी0 शिक्षाशास्त्र, उत्कल यूनिवर्सिटी।

राघवेन्द्र मालवीय एवं डॉ.अविनाश पाण्डेय  
शोध छात्र (जे0आर0एफ0), पूर्व विभागाध्यक्ष  
शिक्षक-शिक्षा संकाय,  
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

## भारत में महिलाओं की स्थिति : एक विश्लेषण — अनिल कुमार मौर्य

---

### प्रस्तावना

यह बात निश्चित ही बड़ी महत्वपूर्ण है कि आज हम पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं करते हैं जहां तक कि उनके दर्जे की समानता का संबंध है। नारी को प्रथम पंक्ति पर होने का उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुष को। जहां तक दोनों की क्षमता का प्रश्न है यह सिद्ध हो चुका है कि नारी की क्षमताओं का कुल योग पुरुष की क्षमताओं के कुल योग से कम नहीं होता किंतु हम देखते हैं कि हमारे समाज में नारी की स्थिति वह नहीं है जो होनी चाहिए। समाज में नारी को पुरुष के साथ गौण स्थान प्राप्त है। जन्म से ही लड़का और लड़की के मध्य हमारे अधिकतर परिवारों में भेद किया जाता है जबकि महिलाएं जनसंख्या का लगभग आधा भाग होती हैं। यदि यह आधा भाग अविकसित रह जाए तो ऐसे समाज में यह आशा करना अव्यवहारिक है कि वह अपनी पूर्ण क्षमताओं का विकास कर सकेगा।

अविकसित व्यक्तित्वों से कोई देश महान नहीं बनता और यही कारण है कि उन्नति की दौड़ में भारत पीछे रह गया है। भारत में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम महान महिलाओं के नामों से परिचित हैं जैसे—गार्गी, लोपामुद्रा, रजिया, रामा बाई, झांसी की रानी, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी आदि महिलाओं ने विभिन्न युगों में इतिहास के पन्नों को सजाया है लेकिन यह भी महिलाएं थी जो कि उस समय के माहौल से भी अधिक महान थीं जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों को ही चीर कर रख दिया था जो उनके रास्ते में उपस्थित हुईं। यदि कहीं हमने महिलाओं के विकास के रास्ते में बाधाएं न खड़ी की होती तो हमारा समाज अधिक शक्तिशाली अधिक जीवंत और अधिक विकासोन्मुख होता किंतु हमने मौका खो दिया। उपलब्धियों और विकास की ऊंचाइयों की ओर दौड़ में महिलाओं की शोचनीय स्थिति निश्चित रूप से एक रोड़ा बन गई। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आइए हम नारी को वह स्थान प्रदान करें जिसकी वह अधिकारिणी है। उसे प्रतिष्ठा और समानता का दर्जा, आदर और पहचान प्रदान करें।

## महिलाओं की स्थिति का ऐतिहासिक परिदृश्य

प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। महिलाओं की स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं तथा उनके अधिकारों में तदनुरूप बदलाव भी होते रहे हैं।

वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी, परिवार तथा समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। सम्पत्ति में उनको बराबरी का हक था। सभा व समितियों में स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेती थी तथापि ऋग्वेद में कुछ ऐसी उक्तियां भी हैं जो महिलाओं के विरोध में दिखाई पड़ती हैं। मैत्रयीसंहिता में स्त्री को झूठ का अवतार कहा गया है।

ऋग्वेद का कथन है कि स्त्रियों के साथ कोई मित्रता नहीं है, उनके हृदय भेड़ियों के हृदय हैं। ऋग्वेद के अन्य कथन में स्त्रियों को दास की सेना का अस्त्र-शस्त्र कहा गया है। स्पष्ट है कि वैदिक काल में भी कहीं न कहीं स्त्री नीची दृष्टि से देखी जाती थीं। फिर भी हिन्दू जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह समान रूप से आदर और प्रतिष्ठित थी। शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में उसका महान योगदान था।

संस्थानिक रूप से स्त्रियों की अवनति उत्तर वैदिककाल से शुरू हुई फिर भी अपेक्षाकृत ठीक रही, उसे देवी, सहधर्मिणी अर्द्धांगिनी, सहचरी माना जाता था। स्मृतिकाल में भी “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” कहकर उसे सम्मानित स्थान प्रदान किया गया है। पौराणिक काल में शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी आराधना की जाती रही है। किन्तु 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई। एक तरह से यह महिलाओं के सम्मान, विकास, और सशक्तिकरण का अंधकार युग था।

मुगल शासन, सामन्ती व्यवस्था, केन्द्रीय सत्ता का विनष्ट होना, विदेशी आक्रमण और शासकों की विलासितापूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को

उपभोग की वस्तु बना दिया था और उसके कारण बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अशिक्षा आदि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का समाज में प्रवेश हुआ, जिसने महिलाओं की स्थिति को हीन बना दिया तथा उनके निजी व सामाजिक जीवन को कलुषित कर दिया। मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से स्त्रियों की स्थिति में जबर्दस्त गिरावट आयी। अशिक्षा और रूढ़िवादी जकड़ती गई, घर की चार दीवारी में कैद होती गई और नारी एक अबला, रमणी और भोग्या बनकर रह गई। आर्य समाज आदि समाज-सेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा आदि के लिए प्रयास आरम्भ किये।

उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में भारत के कुछ समाजसेवियों जैसे राजाराम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा केशवचन्द्र सेन ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठायी। इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के समक्ष स्त्री पुरुष समानता, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा पर रोक तथा बहु विवाह पर रोक हेतु आवाज उठायी। इसी का परिणाम था कि सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, 1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1891 में एज आफ कन्सटेन्ट बिल तथा बहु विवाह रोकने के लिये वेटिव मैरिज एक्ट पास कराया। इन सभी कानूनों का समाज पर दूरगामी परिणाम हुआ। वर्षों के नारी स्थिति में आयी गिरावट में रोक लगी। आने वाले समय में स्त्री जागरूकता में वृद्धि हुई और नये नारी संगठनों का सूत्रपात हुआ जिनकी मुख्य मांग स्त्री शिक्षा, दहेज, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक, महिला अधिकार, महिला शिक्षा की माँग की गई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक स्त्रियों की निम्न दशा के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध, जाति बन्धन, स्त्री नेतृत्व का अभाव तथा पुरुषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। मेटसन ने हिन्दू संस्कृति में स्त्रियों की एकान्तता तथा उनके निम्न स्तर के लिए पांच कारकों को उत्तरदायी ठहराया है, यह है— हिन्दू धर्म, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, इस्लामी शासन तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद। हिन्दूवाद के आदर्शों के अनुसार पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ होते हैं और स्त्रियों व पुरुषों को भिन्न-भिन्न भूमिकाएँ निभानी चाहिए। स्त्रियों से माता व गृहणी की भूमिकाओं की और पुरुषों से राजनीतिक व आर्थिक भूमिकाओं की आशा की जाती है।

### महिलाओं का पुनरोत्थान एवं संवैधानिक संरक्षण

महिलाओं के पुनरोत्थान का काल ब्रिटिश काल से शुरू होता है। ब्रिटिश शासन की अवधि में हमारे समाज की सामाजिक व आर्थिक संरचनाओं में अनेक परिवर्तन किए गए। ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों की अवधि में स्त्रियों के जीवन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनेक सुधार आये। औद्योगीकरण, शिक्षा का विस्तार, सामाजिक आन्दोलन व महिला संगठनों का उदय व सामाजिक विधानों ने स्त्रियों की दशा में बड़ी सीमा तक सुधार की ठोस शुरुआत की। भारत में महिलाएं अब सभी तरह की गतिविधियों जैसे कि शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि में हिस्सा ले रही हैं। इंदिरा गांधी जिन्होंने कुल मिलाकर पंद्रह वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की, दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री हैं।

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को सामान अधिकार (अनुच्छेद 14), राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने (अनुच्छेद 15 (1)), अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39 (घ)) की गारंटी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने की अनुमति देता है (अनुच्छेद 15(3)), महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने (अनुच्छेद 51(ए)(ई)) और साथ ही काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियाँ सुरक्षित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है। (अनुच्छेद 42)

भारत में नारीवादी सक्रियता ने 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध के दौरान रफ्तार पकड़ी। महिलाओं के संगठनों को एक साथ लाने वाले पहले राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में से एक मथुरा बलात्कार का मामला था। एक थाने (पुलिस स्टेशन) में मथुरा नामक युवती के साथ बलात्कार के आरोपी पुलिसकर्मियों के बरी होने की घटना 1979-1980 में एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का कारण बनी। विरोध प्रदर्शनों को राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया गया और सरकार को साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता को संशोधित करने और हिरासत में बलात्कार की श्रेणी को शामिल करने के लिए



मजबूर किया गया। महिला कार्यकर्ताएं कन्या भ्रूण हत्या, लिंग भेद, महिला स्वास्थ्य और महिला साक्षरता जैसे मुद्दों पर एकजुट हुईं।

चूंकि शराब की लत को भारत में अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जोड़ा जाता है इसलिए महिलाओं के कई संगठनों ने आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में शराब-विरोधी अभियानों की शुरुआत की। कई भारतीय मुस्लिम महिलाओं ने शरीयत कानून के तहत महिला अधिकारों के बारे में रुढ़िवादी नेताओं की व्याख्या पर सवाल खड़े किये और तीन तलाक की व्यवस्था की आलोचना की। 1990 के दशक में विदेशी दाता एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों ने नई महिला-उन्मुख गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) के गठन को संभव बनाया। स्वयं-सहायता समूहों एवं सेल्फ इम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन (सेवा) जैसे एनजीओ ने भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। कई महिलाएं स्थानीय आंदोलनों की नेताओं के रूप में उभरी हैं। उदाहरण के लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर आदि।

भारत सरकार ने 2001 को महिलाओं के सशक्तीकरण (स्वशक्ति) वर्ष के रूप में घोषित किया था। महिलाओं के सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 में पारित की गयी थी। 2006 में बलात्कार की शिकार एक मुस्लिम महिला इमराना की कहानी मीडिया में प्रचारित की गयी थी। इमराना का बलात्कार उसके ससुर ने किया था। कुछ मुस्लिम मौलवियों की उन घोषणाओं का जिसमें इमराना को अपने ससुर से शादी कर लेने की बात कही गयी थी, व्यापक रूप से विरोध किया गया और अंततः इमराना के ससुर को 10 साल की कैद की सजा दी गयी। कई महिला संगठनों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इस फैसले का स्वागत भी किया गया, यद्यपि यह अत्यन्त लज्जा-जनक था।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन बाद, 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल को पारित कर दिया जिसमें संसद और राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

### निष्कर्ष

स्पष्ट है कि भारत में शताब्दियों की पराधीनता के कारण महिलाएं अभी तक समाज में पूरी तरह वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकी हैं जो उन्हें

मिलना चाहिए और जहाँ दहेज की वजह से कितनी ही बहू-बेटियों को जान से हाथ धोने पड़ते हैं तथा बलात्कार आदि की घटनाएं भी होती रहती हैं, वही हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक परम्पराओं और शिक्षा के प्रसार तथा नित्यप्रति बढ़ रही जागरूकता के कारण भारत की नारी आज भी दुनिया की महिलाओं से आगे है और पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर देश और समाज की प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित कर रही है ।

सदियों से समय की धार पर चलती हुई नारी अनेक विडम्बनाओं और विसंगतियों के बीच जीती रही है। पूज्या, भोग्या, सहचरी, सहधर्मिणी, माँ, बहन एवं अर्धांगिनी इन सभी रूपों में उसका शोषित और दमित स्वरूप उसकी स्थिति और बदहाली की कहानी बया करता है।

यद्यपि इस समय महिलाओं को सैद्धांतिक रूप से समान अधिकार प्राप्त है किन्तु फिर भी वे शोषण और हवस की शिकार हो रही है। क्योंकि हम कितने भी नियम और दण्ड विधान बना दे वह मूल रूप से अनुप्रयोगात्मक स्तर तभी फलीभूत हो सकेगा जब मानव अपने आत्म-सम्प्रत्यय को सकारात्मक और नैतिक बनाने का प्रयास व्यावहारिक स्तर पर करेगा।

### संदर्भ ग्रंथ सूची

- भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, भगवत शरण उपाध्याय।
- सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण, टी० बी० सिंह।
- भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, पी० डी० पाठक।
- भारतीय समाज, ए० एल० दोषी।
- भारतीय समाज में नारी, प्रयाग शर्मा।
- भारतीय समाज संस्थाएं और संस्कृति, रामनाथ शर्मा एवं राजेन्द्र कुमार शर्मा।

अनिल कुमार मौर्य  
शोध छात्र (शिक्षाशास्त्र)  
नेहरू ग्राम भारती, इलाहाबाद

## इच्छा मृत्यु : एक विमर्श — जितेन्द्र प्रताप सिंह

---

पूरे विश्व में अनेक परिवार तथा उनके चिकित्सकों को प्रतिदिन यह वेदनामयी निर्णय लेना पड़ता है कि क्या अपने परिजन को यातनाओं से मुक्त करने हेतु उसे जान-बूझकर मरने दिया जाय। इसे सामान्यतः इच्छा-मृत्यु कहा जाता है।

इच्छा-मृत्यु अर्थात् यूथनेशिया (Euthanasia) मूलतः ग्रीक (यूनानी) शब्द है। जिसका अर्थ Eu= अच्छी, Thanatos= मृत्यु होता है। यूथनेशिया, इच्छामृत्यु या मर्सी किलिंग पर दुनियाभर में बहस जारी है।

इच्छामृत्यु का अर्थ किसी गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए डाक्टर की सहायता से उसके जीवन का अंत करना है। इच्छा मृत्यु को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली सक्रिय इच्छामृत्यु (ऐक्टिव यूथनेशिया) और दूसरी निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथनेशिया)। सर्वप्रथम इन दोनों का अंतर समझना आवश्यक है।

सक्रिय इच्छामृत्यु में लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के जीवन का अंत डाक्टर की सहायता से उसे जहर का इंजेक्शन देने जैसा कदम उठाकर किया जा सकता है। सक्रिय इच्छामृत्यु को भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देशों में अपराध माना जाता है। हालांकि नीदरलैंड्स और फ्रांस सहित कुछ देशों में कानून की अनुमति से सक्रिय इच्छामृत्यु दिये जाने का प्रावधान है।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु में लाइलाज बीमारी से पीड़ित ऐसे व्यक्ति जो कि लम्बे समय से कोमा में हो, के रिश्तेदारों की सहमति से डाक्टरों द्वारा जीवन रक्षक उपकरणों के बंद होने से उसके जीवन का अंत किया जाता है।

7 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी थी। यह फैसला 42 वर्ष तक कोमा में रहने वाली मुंबई की नर्स अरुणा शॉनबाग की इच्छामृत्यु दिये जाने को लेकर दायर याचिका के बाद दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने अरुण को इच्छामृत्यु दिये जाने

की याचिका तो खारिज कर दी थी लेकिन निष्क्रिय इच्छामृत्यु की मंजूरी दे दी थी।

लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने 2011 में इच्छामृत्यु के मामले में दिये गये फैसले को असंगत करार देते हुए इसे पांच जजों की संवैधानिक पीठ को सौंप दिया था।

### जीने का अधिकार है तो मरने का क्यों नहीं—

पी० रथिनाम बनाम भारत संघ ए०आई०आर० 1994 एस०सी० 1844 के मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 की संवैधानिकता पर इस आधार पर आक्षेप किया गया था कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण है। यानी जीने का अधिकार है तो मरने का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन 1996 में उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानकौर बनाम पंजाब राज्य 1996 क्रि०ला०जं० 1960 (एस०सी०) के मामले में उक्त निर्णय को उलट दिया और साफ किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार को मृत्युवरण का अधिकार शामिल नहीं है। अतः धारा 306 और 309 संवैधानिक और मान्य है।

### यूथनेशिया के पक्ष में तर्क—

यूथनेशिया विश्व में चर्चित विषय है। यह मृत्यु के अधिकार पर केन्द्रित है। यूथनेशिया समर्थक इसके लिए “सम्मानजनक मौत” की दलील देकर ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का अधिकार देने के पक्ष में हैं, जो पीड़ाजनक असाध्य रोगों से पीड़ित हैं अथवा नाममात्र को जिंदा हैं।

भारतीय विधि आयोग (Law Commission) द्वारा अपनी 241 रिपोर्ट संसद को सौंपी गई जिसमें दया मृत्यु (Mercy Killing) को कानूनी जामा पहनाने की सिफारिश की है। हालांकि आयोग ने यह माना है कि इस पर लंबी बहस की गुंजाइश अभी बाकी है।

1. 1937 में स्विटजरलैण्ड में डाक्टरों की मदद से आत्महत्या की मंजूरी है।
2. 1994 में अमेरिकी के ओरेगन राज्य में यूथनेशिया की मान्यता दी गई।
3. 1995 आस्ट्रेलिया के उत्तरी राज्य में यूथनेशिया बिल को मंजूरी दी गई।
4. अप्रैल 2002 में नीदरलैण्ड (हालैण्ड) में यूथनेशिया को विशेष दशा में वैधानिक करार दिया गया।

5. सितम्बर 2002 में बेल्जियम ने इसे मान्यता दी।

**किसी भी व्यक्ति को सम्मान से मरने का अधिकार, इच्छामृत्यु वैध: सुप्रीम कोर्ट**

चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गैर सरकारी संगठन कामन काज की जनहित याचिका पर फैसला सुनाया कि सम्मान से मरना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दिया कि किस स्थिति में इच्छामृत्यु की इजाजत दी जा सकेगी।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए0के0 सिकरी, न्यायमूर्ति ए0एम0 खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल हैं। पीठ ने अपने फैसले में कुछ दिशा निर्देश भी प्रतिपादित किये हैं जिनमें कहा गया है कि कौन इस तरह के इच्छा मृत्यु पत्र निष्पादित कर सकता है और किस तरह से मेडिकल बोर्ड इच्छा मृत्यु के लिए अपनी सहमति देगा।

इच्छा पत्र भी वसीयत का ही एक रूप है। इस याचिका में अनुरोध किया गया था कि असाध्य रोगों से ग्रस्त मरीजों को शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाने और मृत्यु का वरण करने के लिए जीवन रक्षक उपकरणों को हटाने की अनुमति प्रदान की जाये।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि असाध्य बीमारी से ग्रस्त मरीजों के मामले में ऐसे मरीज के नजदीक मित्र और रिश्तेदार इस तरह अग्रिम निर्देश दे सकते हैं और इच्छा-पत्र निष्पादन कर सकते हैं।

इसके बाद मेडिकल बोर्ड ऐसे इच्छा-पत्र पर विचार करेगा। प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हालांकि संविधान पीठ के चार और अलग-अलग राय हैं, परन्तु सभी न्यायाधीश इस बात पर एकमत हैं कि चूंकि एक मरीज में जीने की इच्छा नहीं होने पर उसे निष्क्रिय अवस्था की पीड़ा सहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिये ऐसे इच्छा-पत्र (वसीयत) को मान्यता दी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने 2011 में अरुणा शानबाग के मामले में निष्क्रिय अवस्था में इच्छा मृत्यु को मान्यता देते हुए अपने फैसले में ऐसे मरीज के जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी थी जो एक सुविज्ञ निर्णय करने की स्थिति में नहीं है।

केन्द्र सरकार ने 15 जनवरी 2016 को न्यायालय को सूचित किया था कि विधि आयोग ने अपनी 241 की रिपोर्ट में चुनिंदा सुरक्षा उपायों के साथ निष्क्रिय अवस्था में इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की सिफारिश की थी।

भारत में भले ही निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दिये जाने की बात चल रही हो और भले ही इच्छामृत्यु को लाइलाज बीमारियों से पीड़ित और लम्बे समय से दर्द सहते आ रहे लोगों के लिए जरूरी बताया जा रहा हो लेकिन वास्तव में ये किसी को मारने या उसकी हत्या करने जैसा ही कदम है। भले ही पहली नजर में सक्रिय इच्छामृत्यु बेहद ही क्रूर और निष्क्रिय इच्छामृत्यु कम पीड़ादायक लगे लेकिन गंभीरता से देखने पर निष्क्रिय इच्छामृत्यु भी कम असंवेदनशील नहीं नजर आएगी। सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही तरीकों में इच्छामृत्यु के दुरुपयोग का खतरा बना रहता है।

#### भारत में इच्छा मृत्यु, समाधि और संधारा:—

यूथेनेशिया आत्महत्या और संधारे में भेद को समझने के लिए हमें पहले मृत्यु के भेद को वर्गीकृत कर समझना होगा। मनुष्य की मृत्यु के चार मार्ग हैं।

1. दूसरों द्वारा मारा जाना (हत्या या हत्या का दुष्प्रेरण)
2. प्रकृति द्वारा मारा जाना (दुर्घटना, बीमारी)
3. अपने आप को मारना (आत्महत्या, इच्छामृत्यु)
4. यूथेनेसिया— पाश्चात्य प्रक्रिया (असाध्य बीमारी की दशा में चिकित्सकों द्वारा दी गई मौत या दया मृत्यु)

भारत में इच्छा मृत्यु के कई उदाहरण हैं—

सीता जी ने धरती की दरार में कूदकर अपनी जान दे दी थी श्री राम और लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी।

महाभारत में योद्धा भीष्म पितामह को इच्छा-मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे शर-शैया पर तब तक लेटे रहे, जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया।

स्वामी विवेकानन्द ने स्वेच्छा से योग समाधि की विधि से प्राण त्याग थे।

जैन मुनियों और जैन धर्मावलंबियों में संधार की प्रथा थी इच्छा मृत्यु का ही एक प्रकार है। जो वर्षों से प्रचलित है।

भारत में असामान्य परिस्थितियों में इच्छामृत्यु संभव है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कामन काज केस में दिये गये फैसले के चलते भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जहां किसी न किसी रूप में इच्छा मृत्यु की अनुमति है। अब तक यह कानूनी रूप से पूरी तरह प्रतिबंधित था।

चिकित्सीय नीतिशास्त्र (Medical Ethics) में अपेक्षित है। डाक्टर मरीज को तब तक जीवित रखने की कोशिश करे, जब तक संभव है।

जीवेम शरद शतम् के ध्येय वाली भारतीय मनीषा तथा संस्कृति में प्रत्येक दशा में जीवन रक्षा करने का आदेश समाहित है। जिन्दगी से पलायन वर्जित माना जाता है।

#### संदर्भ—ग्रन्थ

1. मिश्र सूर्य नारायण, भारतीय दण्ड संहिता: संस्करण— छब्बीसवां, पृष्ठ 535—537
2. बसन्ती लाल बावेल— भारतीय दण्ड संहिता, संस्करण—तेइसवां, पृष्ठ 287—289
3. सोमाद्रि शर्मा, राजस्थान पत्रिका, जीवन की गरिमा बड़ी या खुद मौत का बुलावा, 25 सितम्बर, 2013
4. भारतीय विधि आयोग, रिपोर्ट 241वीं

जितेन्द्र प्रताप सिंह  
एल0एल0एम0 (यू0जी0सी0—नेट)

## तीन तलाक : एक संवैधानिक नैतिकता – दिलीप द्विवेदी

हमारे समाज में तलाक का अर्थ है परित्याग करना। तलाक एक उर्दू शब्द है। मुसलमानों में divorce को तलाक कहते हैं। अगर हम इस्लाम के नियम की बात करें तो, अगर पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलता है तो दोनों में तलाक हो जाता है अभी कुछ सालों में बहुत से मुसलमानों ने इसका दुरुपयोग किया है बहुत से लोगों ने ईमेल या फिर whatsapp पर अपनी पत्नी को तलाक दिया, जो की महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है बहुत से लोगो ने छोटी-छोटी बात पर अपनी पत्नी को तलाक देने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत से मुस्लिम महिलाओं का शोषण हुआ। बहुत से मुस्लिम महिलाएँ इसका षिकार हुई हैं।

अगर हम बाकी देश से तुलना करे तो बहुत से मुस्लिम देश पकिस्तान, श्रीलंका, इराक, ईरान, सउदी अरब, इन सभी देशों में तीन तलाक पर रोक हैं। तीन तलाक को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि इस्लाम धर्म में विवाह (निकाह) क्या है। इस्लाम में यह एक 'अहदो पैमान' यानी एक समझौता होता है, जो एक पुरुष और एक स्त्री की आपसी सहमति के बाद अस्तित्व में आता है। पति-पत्नी को इस समझौते को निभाने के लिए सैकेड़ो हिदायतें दी गईं। कुरान में विवाह (निकाह) को मसिक-ए -गलीत ;मजबूत समझौता) करार दिया गया है। इसलिए इस्लाम में जायज कामों में तलाक को सबसे पुरा कहा गया है। इस्लाम में निकाह को समाप्त करने को तलाक कहते हैं।

दरअसल वर्तमान में चर्चा का केन्द्र बना तीन तलाक (तलाक, तलाक, तलाक) का मामला तलाक -उल बिद्त की उपज है कि अगर कोई पुरुष तलाक के सही तरीके को न मानते हुए एक ही बार में तलाक, तलाक, तलाक कह देता है, तो तलाक हुआ मान लिया जाता है, यानी की तलाक-ए-मुगल्लजा हो गया माना जाता है।

तलाक के प्रकार में,

(1) तलाक-उस-सुन्नत को वापस होने योग्य तलाक कहते हैं। पैगम्बर मोहम्मद के जीवन काल में केवल यही तलाक प्रचलन में था, तलाक उल - सुन्नत के निम्नलिखित दो रूप हैं :-



1. तलाक अहसन तथा

2. तलाक हसन।

(2) तलाक – उल बिदत (तीन तलाक )

यह अप्रतिसंहरणीय (freevocal) अर्थात वापस नहीं होने वाला तलाक है। यह केवल सुन्नी विधि में मान्य है यह शिया विधि में मान्य नहीं है। अमीर अली के अनुसार, यह उमैयद शासकों द्वारा अपनी सुविधा के लिए प्रचलन में लाया गया था।

तलाक – उल बिदत में मुस्लिम पति एक ही समय पर 'तलाक' शब्द तीन बार उच्चारित (तलाक के आषय से) करता है। ऐसी घोषणा के साथ ही तलाक पूर्ण, अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय अर्थात वापस होने योग्य नहीं हो जाता है। इसे ही तीन तलाक कहते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक बार में तीन तलाक यानी 'तलाक-ए बिदत' को असंवैधानिक करार दिया है। दरअसल, इस मुद्दे को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर पाँच जजों की संवैधानिक पीठ इस वर्ष के गई से सुनवाई कर रही थी, इस दौरान न्यायालय ने तीन तलाक के सभी पहलुओं पर विचार किया। इससे पूर्व केन्द्र सरकार ने भी तीन तलाक को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन बताया था।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद तीन तलाक पर देशव्यापी चर्चा शुरू हो गई है अतः यह आवश्यक है कि इस पूरे मुद्दे को समझा जाए, लेकिन उससे पहले यह देखते हैं कि इस संदर्भ में न्यायालय का विचार क्या है। न्यायालय का कहना है कि 'तलाक-ए-बिदद' इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, अतः इसे अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता।

इसी के साथ न्यायालय ने शरीयत कानून 1937 की धारा-2 में दी गई "एक बार में तीन तलाक" की मान्यता को रद्द कर दिया। देश की सबसे बड़ी आदालत ने तीन-दो के बहुमत से 'एक बार में तीन तलाक को असंवैधानिक बताया।

मामले की पृष्ठ भूमि

दरअसल, उतराखण्ड की रहने वाली शयरा नाम की एक महिला को उसके पति ने तीन बार तलाक शब्द के उच्चारण मात्र से तलाक दे

दिया था। फलस्वरूप शयारा ने तीन तलाक, निकाह हलाला और बहु-विवाह के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की गंभीरता की पहचान करते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह मामला संवैधानिक मुद्दों से संबंधित है। अतः संविधान पीठ को इसकी सुनवाई करनी चाहिये। 22 अगस्त 2017 को उच्चतम न्यायालय ने शयारा बानो बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 3:2 के बहुमत से तलाक-ए-बिद्द को असंवैधानिक किया। इसी कारण सरकार द्वारा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 को संसद में पेश किया गया।

28 दिसम्बर 2017 को विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोक सभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण ) विधेयक, 2017 को पेश किया। इसी दिन इस विधेयक को लोक सभा ने पारित कर दिया

विधेयक के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी के लिए शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हो या लिखित हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य रिति में हो, तलाक की उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी

- यह विधेयक तलाक कहने को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित करता है।
- तलाक कहने वाले पुरुष (पति) को तीन वर्षों तक के कारावास की सजा हो सकती है और उसे जुमाना भी भरना पड़ सकता है।

#### निष्कर्ष

उच्चतम न्यायालय तीन तलाक को असंवैधानिक करार देने का यह फैसला निश्चित ही स्वागतयोग्य है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, सरकार ने तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्द के कारण विवाहित मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने तथा उन्हें राहत प्रदान करने हेतु प्रयासरत है। प्रस्तुत विधेयक मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता के बृहत्तर संविधानिक ध्येयों को सुनिश्चित करेगा। साथ ही इसके द्वारा उनमें सशक्तिकरण में सहायता प्रदान किए जाने की भी उम्मीद है। इस विधेयक के माध्यम से पीढ़ियों से चली आ रही तीन तलाक की कुप्रथा, जिसमें समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, को अवैध घोषित किया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ—सूची

1. डा0 आर0के0सिन्हा, मुस्लिम विधि , सेन्द्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, सातवाँ संस्करण (2011)
2. प्रतियोगिता दपर्ण, अगस्त 2017 पृष्ठ 65
3. सम—सामायिक, घटना चक्र, मई 2017, पृष्ठ 5
4. करेंट अफेयर्स टुडे, दृष्टि, सितम्बर 2017, पृष्ठ 37
5. सुप्रीमा लॉ डिक्शनरी, सेन्द्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद
- 6- <https://khabar.ndtv.com>
- 7- <https://m.navbharatime.indiatimes.com>
- 8- [https:// indiankanoon.org](https://indiankanoon.org)

दिलीप द्विवेदी  
असिस्टैन्ट प्रोफेसर, विधि विभाग  
अतिबल सिंह विधि महाविद्यालय, मेजा, इलाहाबाद,  
सम्बद्धः—इलाहाबाद राज्य विष्वविद्यालय, इलाहाबाद।

## आधुनिक काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति-विमर्श यशस्विनी भट्ट

संस्कृत-साहित्य भारतीय सस्कृति के आदर्शों के सर्वांगीण विकास को मुखरित करता है। भारतीय शास्त्रीय चिन्तन अत्यन्त विशाल परिधिवाला है। अष्टादश पुराण, छःदर्शन, छः शास्त्र सब उसकी परिधि में आ जाते हैं। इनमें साहित्य-शास्त्रीय चिन्तन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वह व्यक्ति को रसास्वादन के माध्यम से इस जगत में रहकर भी पारलौकिक ब्रह्म की अनुभूति करा देता है।

काव्य का स्वरूप अत्यन्त व्यापक है, जितना व्यापक है उतना ही सूक्ष्म भी है। काव्यशास्त्रीय समीक्षा के जो विभिन्न मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं जैसे-रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि, इनमें वक्रोक्ति सिद्धान्त के संस्थापक है दसवीं शती के महान आचार्य राजानक कुन्तक। वे वक्रोक्ति को ही काव्य का जीवन स्वीकार करते हैं। आचार्य कुन्तक ने इस अवधारणा का मूल बीज आचार्य 'भामह' से लिया है, भले ही 'भामह' का वक्रोक्ति विषयक, विवेचन कुन्तक के वक्रोक्ति विवेचन के समान क्रमबद्ध नहीं है लेकिन 'सुशील कुमार डे' ने कुन्तक के वक्रोक्ति सिद्धान्त को भामह के अलंकार सिद्धान्त का ही एक नया मोड़ माना है।(1) भामह ने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को ही माना है।(2) आचार्य कुन्तक को शास्त्र के रूप में विभिन्न आचार्यों की परंपरा मिली, जिन्होंने वक्रोक्ति पर अपनी-अपनी अन्तर्दृष्टि से अपना-अपना मत दिया है जैसे-दण्डी, वामन, रूद्रट, आनन्दवर्धन आदि। आचार्य कुन्तक ने वक्रोक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है 'प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विचित्रैवाभिधा भवति सा च वैदग्ध्यभंगी भणितिः' (3) प्रसिद्ध कथन पद्धति से भिन्न विचित्र अभिधा या वर्णन शैली ही वक्रोक्ति है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि सुंदरभावों को व्यक्त करने का सामान्य व्यवहार प्रयुक्त नहीं होता है। वे वैदग्ध्य एवं भंगी दोनों पर बल देते हैं। 'वैदग्ध्य' अर्थात् कवि कर्म कौशल, 'भंगी उक्तिवैचित्र्य भणितिः'-कथन। इस प्रकार कवि कर्म कौशल से युक्त रमणीय कथन ही वक्रोक्ति है। उन्होंने वक्रता के छः भेद माने हैं-वर्णविन्यासवक्रता, पदपूर्वार्द्धवक्रता, पदपरार्द्धवक्रता आदि। कुन्तक

परवर्ती अभिनव, भोज, मम्मटाचार्य, विश्वनाथ आदि आचार्यों ने भी वक्रोक्ति को विभिन्न रूप में स्वीकार किया है।

पाश्चात्य काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति का काव्य सम्प्रदाय अथवा आत्मभूत काव्य सिद्धान्त के रूप में तो विवेचन नहीं हुआ है फिर भी वक्रता के मौलिक तत्व की अवधारणा वहां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सदा रही है।

अरस्तू ने वक्रता को काव्य का प्राणभूत सौंदर्य माना। यूनानी रोमानी आचार्यों में वक्रता का सबसे प्रबल समर्थन लांजाइनस ने किया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में। लांजाइनस के प्रसिद्ध निबंध का प्रतिपाद्य है—उदात्त भावना, यह भावना निश्चय ही जीवन और काव्य के असाधारण तत्वों पर आधत रहती। इस प्रकार उदात्त की परिकल्पना में वक्रता का अनिवार्यतया समावेश हो जाता है।<sup>1</sup>

यूरोप के 'दाते' (13वीं शती) ने 'उज्ज्वल जनवाणी' अर्थात् जीवन की विचित्रता एवं प्रफुल्लता से सम्पन्न भाषा की प्रतिष्ठा करके अभिव्यक्ति के क्षेत्र में रोमानी वक्रता की प्रतिष्ठा की है।<sup>2</sup> क्रोचे के अभिव्यंजना की तुलना कुन्तक के 'वक्रोक्ति' से की जाती है लेकिन कुन्तक की वक्रोक्ति संज्ञा क्रोचे के 'अभिव्यक्ति' संज्ञा से अधिक सार्थक है, इसका कारण यह है कि क्रोचे ने अभिव्यक्ति के साथ रमणीयता का कोई प्रयोग नहीं किया, इसी न्यूनता को छिपाने के लिये क्रोचे ने अपने ग्रंथ में अन्यत्र एक बात और जोड़ दी है कि केवल अभिव्यक्ति पर बल न देकर उसके विषय, भावना, कल्पना आदि पर भी बल देना चाहिए। कुन्तक की वक्रोक्ति 'सामाजिक' का पक्ष स्वीकार करने के कारण अधिक व्यावहारिक है क्योंकि क्रोचे की अभिव्यंजना तो 'मानसिक कल्पना' के भीतर ही पूर्ण हो जाती है और प्रत्यक्ष काव्यकला को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत अस्वीकार करती है।

भारत में साहित्यशास्त्रीय चिंतन आपात: 'रसगंगाधरकार (17वीं शती) के साथ समाप्त सा परिलक्षित होता है किन्तु यह केवल भ्रम है क्योंकि मुगल सल्तनत के बाद भी संस्कृत भाषा ने अपना वर्चस्व भारत में अक्षुण्ण बनाये रखा।

आधुनिक काव्यशास्त्रीय आचार्यों जैसे रेवा प्रसाद द्विवेदी, राधावल्लभ त्रिपाठी, अभिराज राजेन्द्र मिश्र आदि ने भी वक्रोक्ति के स्वरूप

पर आधुनिक दृष्टि से पुनर्विचार किया है। आचार्य द्विवेदी ने 'काव्यालंकारकारिका' में यह माना है कि काव्य के छः प्रस्थानों—रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य में रस, रीति, औचित्य तो ध्वनि में ही अन्तर्भूत हो जाते हैं, वक्रोक्ति अलंकार प्रस्थान में विलीन हो जाती है। वक्रोक्ति के विषय में उनका मत है कि ध्वनि एवं वक्रोक्ति दोनों एक ही पथ की दो धारायें हैं जिसे भिन्न-भिन्न परिभाषाओं में प्रस्तुत कर दिया गया है।<sup>3</sup> उनके मत में कुन्तक की वक्रोक्ति भी काव्य के सभी धर्मों की संज्ञा है न कि एक धर्म की क्योंकि कुन्तक ने सालंकार को काव्य कहा है। राधावल्लभ त्रिपाठी का मत है कि वक्रोक्ति काव्यबंध (जिस में काव्यार्थ को व्यापारित करने की सामर्थ्य हो, एवं शब्दार्थ के सौभाग्य एवं लावण्य का पोषक वाक्यविन्यास बन्ध है) से भिन्न कुछ भी नहीं। वक्रोक्ति में काव्यव्यापार एवं काव्योक्ति दोनों

तत्त्व समाविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कवि का अभिप्राय तथा कवि का कथन दोनों का वक्रोक्ति के द्वारा प्रकाशन होता है। काव्य का समग्र सौंदर्य वक्रोक्ति में समाविष्ट हो जाता है। अभिराज राजेन्द्र मिश्र ने 'अभिराजयशोभूषणम' में यह मत दिया कि जो-जो महिमान्वित पहली बार ध्वनिकार आनन्दवर्धन प्रस्तुत करते हैं कुन्तक भी मात्र उसी को दुहराते भर हैं, बस ध्वनि के स्थान पर वक्रोक्ति का प्रयोग करते हैं, अन्यथा भामह से अप्पययदीक्षित तक पुनः पुनः विवेचित उस वक्रोक्ति को कौन नहीं जानता। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र का मत है कि आनन्दवर्धन केवल व्यंजक-व्यंग्य शब्दार्थ साहित्य को ही सहृदयश्लाघ्य स्वीकार करते हैं जबकि कुन्तक वाचक-वाच्य साहित्य को ही काव्य का परमार्थ भूत मानते हैं।

आधुनिक आचार्य जगन्नाथ पाठक, रामकरण शर्मा, राजेन्द्र मिश्र, हर्षदेव माधव, केशवचन्द्र दाश, रविंद्र कुमार पंडा, बनमाली विश्वाल आदि जिन्होंने प्रतीकात्मक कवितायें लिखी वे लोग मुख्यता वक्रोक्ति का ही अनुसरण करते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से पता चलता है कि आज भी वक्रोक्ति भिन्न-भिन्न रूपों में विद्वानों के लिये लेखनी का विषय है, वह विभिन्न विचारधाराओं में आज भी दिखाई देती है क्योंकि रमणीयता किसके हृदय को आकृष्ट नहीं करती है अर्थात् सभी के हृदय को आकृष्ट करती है।

अतः वक्रोक्ति एक पुरातन विचारधारा नहीं है बल्कि आज के समय में भी प्रासंगिक है, उसका महत्त्व किसी प्रकार कम नहीं हुआ है।

सन्दर्भ

1. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोयटिक्स।
2. भामहःकाव्यालङ्कार 2-85।
3. कुन्तकः वक्रोक्तिजीवितम 1/10 कारिका की वृत्ति।
4. हिन्दी वक्रोक्तिजीवित- सम्पादक डॉ.नगेन्द्र, की भूमिका।
5. हिन्दी वक्रोक्तिजीवित- सम्पादक डॉ.नगेन्द्र, की भूमिका।
6. काव्यालंकारकारिका : रेवा प्रसाद द्विवेदी।

यशस्विनी भट्ट

पी०-एच० डी०, संस्कृत विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

## महात्मा गाँधी के विचारों की प्रासंगिकता — सन्तेश्वर कुमार मिश्र

दुनिया को मानवता तथा नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले मोहन दास करम चन्द गाँधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ में पोरबन्दर नामक स्थान पर हुआ था। गाँधी जी का जन्म एक धार्मिक घराने में हुआ था। इनकी माता पुतली बाई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी तथा उनके पिता पोरबन्दर राज के दीवान थे। गाँधी जी की प्रारम्भिक शिक्षा राजकोट में हुई। गाँधी जी का विवाह कम आयु में (13 वर्ष) में कस्तूरबा के साथ हुआ। गाँधी जी अपनी उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन गये 1891 में वकालत की डिग्री हासिल की। गाँधी जी अपने प्रारम्भिक दौर में राजकोट तथा मुम्बई में वकालत की। आगे चलकर गाँधी जी दक्षिण अफ्रीका में वकालत की।

दुनिया जब प्रथम विश्व युद्ध का दंश झेल रहा था उसी समय गाँधी जी 1914में भारत लौटे तथा मुम्बई प्रांत की जनता ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ब्रिटिश हुकूमत ने 1915 को गाँधी जी को कैसरे हिन्दी की उपाधि दी। दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटने के बाद गाँधी जी भारत को स्वतन्त्र कराने के लिए कठोर संघर्ष किया। गाँधी जी 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की।

गाँधी जी का सम्पूर्ण जीवन आध्यात्म से ओत-प्रोत था गाँधी जी मानव कल्याण के लिए आर्थिक राजनीतिक तथा शैक्षणिक सभी उद्देश्यों की पूर्णतया के लिए आध्यात्मवाद को एक महत्व पूर्ण स्थान देते थे।

गाँधी जी आध्यात्मकता में ईश्वर, नैतिकता, सत्य एवं अहिंसा को एक सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं। गाँधी जी सत्य को ईश्वर तथा ईश्वर को सत्य मानते थे। गाँधी जी ईश्वर को एक जीवन्त शक्ति के रूप में मानते थे। गाँधी जी का मानना था कि ईश्वर में आस्था से ज्ञान, पवित्रता, उदारता तथा सहिष्णुता का विकास होता है। हम ईश्वर को श्रद्धा के माध्यम से समझ सकते हैं। गाँधी जी ईश्वर को मानवता के रूप में देखते थे। तथा ईश्वर को प्रेम, सत्यता तथा अन्तः करण का मार्ग देने वाला कहते थे। गाँधी जी का विचार था की सत्य द्वारा जीवन में एकता लाया



जा सकता है। गाँधी जी के विचारों की प्रसंगिकता आज की बनी हुई है। क्योंकि समाज की मूलभूत धारणाएं इस बात को इंगित करती हैं कि ईश्वर की कृतियों को सर्वश्रेष्ठ मानिये तथा उसके द्वारा ही मानव कल्याण तथा समाज के लोगों को न्याय मिल सकता है।

महात्मा गाँधी का सम्पूर्ण जीवन सत्य की भावना से ओत-प्रोत था गाँधी जी सत्य को ईश्वर के समान मानते थे। गाँधी दर्शन की आधार शिक्षा ही सत्य के बुनियाद पर टिकी हुई है। गाँधीवाद की सार्थकता तभी सफल हो सकती है जब सत्य को समूह, समुदाय तथा सम्पूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी है। गाँधी जी ने सम्पूर्ण समाज और व्यक्ति को सत्य से अलग न रखने की अपील की थी। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सत्य का सहारा लेकर ही एक सुसंस्कृत तथा शोषण मुक्त समाज की स्थापना की जा सकती है।

गाँधीजी कर्म को अत्यधिक महत्व देते थे क्योंकि कर्म मानव के हाथ में होता है। गाँधीवाद का विचार मार्क्स के विचारों से सर्वथा मिल रहा है। गाँधी जी समता मूलक समाज की स्थापना के लिए अहिंसा के मार्ग को चुनते हैं लेकिन मार्क्स शोषण से मुक्ति के लिए यदि आवश्यक हो तो हिंसा या क्रान्ति का भी सहारा लेते थे। गाँधी जी के विचारों की प्रसंगिकता वर्तमान समय में इसलिए बढ़ गयी है कि एक सहिष्णु तथा विश्व बन्धुत्व जैसे राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी जा सकती है। महात्मा गाँधी भारत को एक स्वतन्त्र राष्ट्र तथा विश्व को शान्ति एवं सद्भावना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी तथा महात्मा गाँधी ने 'सर्वोदय' जिसका तात्पर्य सबका उदय तथा विकास होता है। का मंत्र दिया। गाँधी के सर्वोदय के विचार का समर्थन जय प्रकाश नारायण तथा आचार्य विनोबा भावे ने किया था। आचार्य विनोबा भावे तो सर्वोदय के प्रतीक ही बने गये थे। वर्तमान लोकतान्त्रिक परम्परा सर्वोदय के विचारों की प्रासंगिकता को बनाये हुए हैं। वर्तमान भारत का लोकतान्त्रिक समाज सबका साथ तथा सबका विकास के सिद्धान्त का ही अनुशरण कर रहा है।

महात्मा गाँधी अहिंसा के पुजारी थे वे एक महान राजनीतिज्ञ तथा पैगम्बर भी माने जाते थे। वे राजनीति तथा धर्म को एक सिक्के के दो पहलू मानते थे। गाँधी जी भारत को स्वतन्त्रता दिलाने के लिए सत्य,

अहिंसा तथा सत्याग्रह को एक साधन के रूप में प्रयोग किया तथा ब्रिटिश राज्य को हिला कर रख दिया।

गाँधीजी अहिंसा को एक शक्तिशाली साधन मानते थे तथा अहिंसा के द्वारा प्रेम तथा सम्मान की भावना का विकास होता है तथा सभी मानव एक समान दिखाई देते हैं। गाँधीजी अहिंसा को सर्वोच्च नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति मानते थे। अहिंसा द्वारा व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित किया जा सकता है।

गाँधीजी कहते थे कि अहिंसा के द्वारा सामाजिक सुरक्षा, राजनैतिक व्यवस्था, धार्मिक समन्वय तथा पारिवारिक एकता को बनाया जा सकता है। अहिंसा को गाँधी जी मानव के हृदय की ज्योतिपुंज कहते हैं। गाँधी जी मानवता की सेवा को जीवन का परम लक्ष्य माना।

महात्मा गाँधी सभी धर्मों का आदर करते थे तथा भारतीय राजनीति, धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त पर आगे ले जाना चाहते थे। गाँधी जी कि विचारधारा धार्मिक सहिष्णुता प्रति समर्पित थी। गाँधी ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए सभी धर्मों को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मानते थे। गाँधी जी ने गरीबी, पीड़ितों, आभाग्रस्त लोगों, असहायों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना। वर्तमान समय में विश्व का प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज को गांधी के इन्हीं सिद्धान्तों पर चलने की कोशिश कर रहा है।

गाँधीजी अस्पृश्यता को समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा जानते थे तथा कहते थे कि हिन्दू समाज के लिए यह एक अभिशाप है इससे समाज में दरार आ जाती है। गाँधी जी के प्रयासों से भारत के संविधान में अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित कर दिया गया। गाँधीजी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द दिया। गाँधीजी हरिजन को उपदेश देते थे कि वे मांस, शराब, जुआ तथा कुव्यसनों से दूर रहे।

महात्मा गाँधी जी भौतिकवादी सभ्यता की कड़ी आलोचन की तथा इस सभ्यता को एक नैतिक विनाश की तरफ जाने वाली सभ्यता कहा। आज के भौतिकवादी परिवेश ने हमारी नयी युवा पीढ़ी को तमाम कुसंगतियों की ओर ढकेल दिया है। आज के युवा वर्ग अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चोरी, छिनैती तथा यौन अपराध जैसे कुकृत्य को कर रहे हैं।

गाँधी जी समाज में व्याप्त बुराईयों बाल-विवाह, सतीप्रथा, पर्दा प्रथा का खुलकर विरोध किया। गाँधीजी मदिरापान करने वाले व्यक्ति की तुलना एक चोर से की थी तथा मदिरापान करने वाला अपने शरीर तथा अपने आत्मा दोनों का ह्रांस कर देता है गाँधीजी कहते थे इन बुराईयों से हमारा नैतिक, सामाजिक तथा शारीरिक ह्रांस होता है।

गाँधीजी गौ रक्षा के प्रमुख समर्थक थे तथा गौ सेवा को मानव कल्याण के लिए उपयोगी मानते थे। गाँधीजी की राजनैतिक विचार धारा आध्यात्मिकता तथा सत्य, अहिंसा एवं धर्म के राजनैतिक दर्शन पर टिकी थी। गाँधीजी सत्याग्रह दर्शन के साथ अटल होकर खड़े रहे तथा अन्याय व असत्य का सामना सत्याग्रह से करने पर बल देते थे। गाँधीजी कहते हैं कि सत्याग्रह का तात्पर्य हर परिस्थितियों में अहिंसा को अपनाने से है।

गाँधीजी कहते थे कि युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। गाँधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए सत्य एवं अहिंसा का सहारा लिया तथा देश को आजादी दिलाई।

गाँधीजी लोकतान्त्रिक व्यवस्था से पूर्ण रूप से सहमत नहीं थे। गाँधीजी मानते थे कि लोकतंत्र का विकास बल-प्रयोग के द्वारा नहीं किया जा सकता वे लोकतन्त्र की सच्ची भावना को अन्तरआत्मा की आवाज से सुनना पसन्द करते थे।

गाँधीजी दण्ड के उद्देश्य को सुधारात्मक मानते थे। गाँधीजी कहते थे कि जेलों को सुधारात्मक संस्था के रूप में बदल देना चाहिए कैदियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे आत्म निर्भर बन सकें।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में महात्मा गाँधी के विचारों की प्रासंगिकता दुनिया के प्रत्येक राष्ट्र के लिए अपरिहार्य बन गई है। जिस प्रकार स्वामी विवेकानन्द ने विश्व धर्म को प्रतिपादित करके पूर्व तथा पश्चिम की विचारधारा को जोड़ने का प्रयास किया उसी प्रकार से गाँधी जी ने जनमानस को महत्व देकर परम्परागत राष्ट्रवाद की आधार शिला 21वीं सदी के लिए रखा।

गाँधी जी एक वैश्विक राष्ट्र धर्म को मानते थे तथा वे अहिंसा, प्रेम तथा विश्वास को प्रमुख मानते थे। गाँधी जी प्रत्येक धर्म को अपने आचार, विचार के अनुरूप मानने पर बल देते थे। गाँधी जी धर्म को सार्वभौमिक

मानते थे तथा प्रत्येक धर्म उसे मानने वालों के लिए श्रेष्ठ होता है। वर्तमान में धार्मिक कट्टरता ने दुनिया को आतंकवाद के मुहाने पर खड़ा कर दिया है जिसका स्वरूप परमाणु युद्ध के खतरे तक दिखाई देता है। आज मुस्लिम समुदाय अपने धर्म की श्रेष्ठता तथा निम्नता के बीच फंसे हुए हाशिये पर आ गया है।

दुनिया में इस प्रकार का संकट एक सिद्धान्त विहीन राजनीतिक परिवेश के कारण हुआ है। गाँधी जी ने अहिंसा को अपना शक्तिशाली हथियार बनाया। वर्तमान समय में वैश्विककरण तथा आर्थिक सुधारों से समाज में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ते हुए अपराध, आर्थिक विषमता, तथा उपभोक्तावादी संस्कृति अपने चरम पर पहुँच गई। आज हम अपने तकनीकी विकास के लिए प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। जबकि गाँधी जी प्रकृति के संरक्षण तथा मनुष्य का प्रकृति से नैसर्गिक जुड़ाव पर बल दिया।

गाँधीवादी विचारधारा हमें एक सादगी से भरा जीवन तथा स्वदेशी की भावना से जीवन जीने की ओर प्रेरित करता है। गाँधी जी कुटीर उद्योग, चरखा, हथकरघा तथा ग्रामीण उद्योग की स्थापना पर इसलिए जोर दिया क्योंकि इससे स्वरोजगार की स्थापना हो सके। लेकिन वर्तमान में पूँजीवादी विचारधारा एवं मशीनी एवं तकनीकी के विकास ने मानवीय श्रम को समाप्त कर दिया तथा अत्यधिक उत्पादन ने बेरोजगारी को बढ़ा दिया।

महात्मा गाँधी जी ने सामाजिक न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास किया जिससे समाज के सभी वर्गों को न्याय मिले तथा एक न्यायमुक्त, शोषणविहीन समाज की स्थापना की जा सके। आज का वर्तमान वैश्विक परिदृश्य इसी आधार पर एक लोकतान्त्रिक समाज की स्थापना करना चाहता है।

गाँधी जी जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे तथा उसे सामाजिक दासता के रूप में देखते थे गाँधी जी अस्पृश्यों के लिए हरिजन नाम दिया। तथा उनके उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। गाँधीवाद की प्रासंगिकता इस लिए है कि गाँधी जी सामाजिक कुरीतियों बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया

तथा बुनियादी शिक्षा के द्वारा सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

वर्तमान परिदृश्य में गाँधीवादी विचारधारा एक मील का पत्थर है क्योंकि यदि सामाजिक न्याय (आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक) शोषण, विषमता रहेगी तो आतंकवाद, हिंसा तथा अपराध को नहीं रोका जा सकता है। वर्तमान में हमारे समाज में नैतिकता का पतन होता जा रहा है तथा एक विकृत एवं हिंसक प्रवृत्ति से समाज जूझ रहा है। अगर वर्तमान विश्व को शान्ति के मार्ग पर ले जाना है तो गाँधी जी के आदर्शों तथा पदचिन्हों पर चलना आवश्यक है। तभी दुनिया को 21वीं सदी में शान्ति, नैतिकता, अहिंसा, आध्यात्मिकता शोषण मुक्त, न्यायमुक्त समाज मिल सकता है।

### संदर्भ ग्रंथ

1. डा. वी.पी. वर्मा : आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन
2. डा. शंकर दयाल शर्मा : हमारे स्वतंत्रता सेनानी
3. डा. कुमुद शर्मा : भारतीय राजनीतिक विचारक
4. गोपी नाथ धवन : सर्वोदय तत्व दर्शन
5. डा. पुरुषोत्तम नागर : आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन
6. देबर : समाज कल्याण के सूत्रधार गाँधी जी
7. एम0के0 गाँधी : माई इक्सपेरीमेन्ट विद टूथ
8. गोपी नाथ धवन : सर्वोदय तत्व दर्शन
9. जे0बी0 कृपलानी : गाँधी लाइफ और थॉट
10. राम गोपाल शर्मा : भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास
11. डा. ए अवस्थी और आर.के. अवस्थी : आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन

सन्तेश्वर कुमार मिश्र  
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)  
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

## राही मासूम रजा : जीवन संघर्ष एवं कृतित्व — जय सिंह यादव

**जीवन संघर्ष** — महान उपन्यासकार और उर्दू के प्रसिद्ध शायर डा. राही मासूम रजा का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगौली गांव में 1 अगस्त 1927 को हुआ। उनके पिता सैयद बशीर हुसैन आबिदी प्रसिद्ध वकील थे तथा उनकी माता का नाम नफीसा बेगम था। जमींदार परिवार में पैदा होने से राही का जीवन बड़ी संपन्नता और लाड प्यार में बीता।

राही मासूम राजा का जन्म 1 अगस्त, 1927 को हुआ था लेकिन स्कूल के सर्टिफिकेट में उनकी जन्मतिथि त्रुटि के कारण 1 सितंबर, 1927 लिखी हुई है। राजकमल से प्रकाशित उनकी अधिसंख्य पुस्तकों में 1 सितंबर ही उनकी जन्मतिथि दी गई है। इस संबंध में राही मासूम रजा ने स्वयं कहा था कि राजकमल वालों ने मेरी उम्र एक महीना कम कर दी है। मेरा जन्म 1 सितंबर को नहीं 1 अगस्त को हुआ था इसी तारीख को मैं चुपचाप अपना जन्मदिन भी मनाता हूँ।

राही मासूम रजा की माँ का नाम नफीसा बेगम था जो उनके बचपन में ही अल्लाह की प्यारी हो गई थी। राही ने एक स्थान पर लिखा है, “मैं तीन माँओं का बेटा हूँ, नफीसा बेगम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और गंगा। यह सीन 75 (उपन्यास) अपनी तीनों माँओं को भेंट करता हूँ। नफीसा बेगम मर चुकी हैं। अब साफ याद नहीं आती। बाकी दोनों माँएँ जिन्दा हैं और याद भी हैं।” राही का लालन-पालन उनकी दादी ने किया था जिन्हें वह दददा के नाम से पुकारते थे। आधा गाँव में दददा का नाम बार-बार आता है। राही का पारिवारिक नाम सैयद मासूम रजा आबिदी था, लेकिन सैयद साहब कब विदा हो गए और कब राही में तब्दील हो गए इसकी भी एक अलग कहानी है। 18 वर्ष की उम्र में राही जब प्रगतिशील आंदोलन के हिस्सा बने तो आबिदी भी नाम का हिस्सा नहीं रहा। फिर वह जीवन भर राही मासूम रजा ही रहे उन्हें फिर कभी सैयद और आबिदी शब्दों से मोह नहीं रहा। गंगौली में राही का घर दक्षिण पट्टी में शिया सैयदों में सबसे बड़ा था जिसकी आन-बान और शान पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। राही चार भाइयों में दूसरे थे। बड़े भाई

प्रो. मूनिस रजा, उनसे छोटे प्रो. मेंहदी रजा और सबसे छोटे अहमद रजा है। प्रो० मूनिस रजा आरंभ में कम्यूनिस्ट पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए और उन्होंने किसान और मजदूर आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में वह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और समाज विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष रहे। जुलाई, 1994 में उनका देहांत हो गया। प्रो० मेंहदी रजा भूगोल विभाग के अध्यक्ष रहे और अब सेवानिवृत्त होकर अलीगढ़ में ही रह रहे हैं। चौथे भाई डॉ० अहमद रजा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष वाशिंगटन में भारतीय विभाग के प्रभारी रहे। उनकी गणना देश के प्रमुख अर्थशास्त्रीयों में होती है। पिछले दिनों उन्होंने भी अवकाश ग्रहण कर लिया है और वाशिंगटन में ही बस गये हैं। अहमद रजा राही के सबसे प्रिय जनों में से थे। राही मूनिस रजा को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। मूनिस रजा से उन्होंने मार्क्सवाद सीखा और कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य बने लेकिन सबसे अधिक मोहब्बत हृदय से ही करते थे। राही 1967 के आरंभ में अलीगढ़ छोड़कर मुंबई में हृदय के पास ठहरे थे। उन बुरे दिनों में हृदय ने उनकी हर प्रकार से सहायता की।

राही मासूम रजा की पाँच बहनें हैं, बाकरी बेगम, कमर जहाँ, मैहर जहाँ अफसरी बेगम तथा सबसे छोटी बहन सुरैया है जो इलाहाबाद के एक डिग्री कालेज में पढ़ती है। मूनिस रजा और राही मासूम रजा ने अपनी छोटी बहन को विश्वविद्यालय की शिक्षा दिलवाई और वह इतिहास में एम.ए., पी-एच.डी हैं और पढ़ा रही हैं। दोनों भाइयों ने आबिदी परिवार की सारी रूढ़ियों, बंधनों को तोड़कर बहन को नौकरी करने में मदद की, हालाँकि उनके परिवार का भारी विरोध था सुरैया के इन कारनामों का जिक्र आधा गाँव में कई बार आया है। ग्यारह वर्ष की उम्र में राही मासूम रजा को टी०बी० हो गई जो उस समय असाध्य रोग था। राही के पिता उन्हें भुवाली ले गए जहाँ उनका पाँच साल तक इलाज होता रहा। 1942 में गाँजीपुर लौट आए और फिर पढ़ाई में जुट गए।

पढ़ाई के साथ राही की धार्मिक शिक्षा भी जारी रही। बचपन में राही बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। धार्मिक क्रियाकलापों में वे बढ-चढकर हिस्सा लेते थे। लेकिन जब राही ने गाँजीपुर और गंगौली में भूख और अभावग्रस्त लोगो को देखा, किसान-मजदूर की दुर्दशा देखी तो वे द्रवित हो उठे। उनकी सारी मान्यताएँ चटकने लगीं थी। वह बेचैन रहने

लगे। वे जानना चाहते थे कि इस गरीबी का कारण क्या है। उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ाने वाले मौलाना वाली मुहम्मद साहब से पूछा कि अल्लाह सबको रोटी देता है, उसकी नजर में सब बराबर है। फिर गरीब क्यों भूखों मरता है और अमीर लोग क्यों ऐश करते हैं। मौलवी साहब उस धर्म से क्या फायदा जो गरीबों को रोटी न दिला सके। राही ने उस दिन से दूसरी राह पकड़ी। वह गरीबों के बीच काम करने लगे। धीरे-धीरे उनकी हैसियत एक विद्रोही शायर की हो गई। शायरी के साथ राही स्वाध्याय भी करते थे। और हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की लेकिन टी० बी० की बीमारी के फिर हमला बोल दिया। इस बार राही कश्मीर भेजे गए और तीन साल तक उनका इलाज चलता रहा।

कश्मीर में राही ने अपनी शायरी में परिवर्तन किया। अब प्रकृति भी उनकी शायरी का हिस्सा हो गई। कला का भी उनकी शायरी पर व्यापक प्रभाव रहा। देश की विख्यात चित्रकारी किशोरी कौल के सान्निध्य और मित्रता का व्यापक प्रभाव पड़ा। वर्षों वह उनकी निकटतम मित्र रहीं और दोनों एक-दूसरे की रचनाओं और कृतियों से प्रभावित हुए।

स्वस्थ होकर राही फिर गाजीपुर आ गए। अब शायरी, राजनीतिक गतिविधियाँ और अध्ययन तीनों साथ-साथ चलते रहें राही के व्यक्तित्व को समझने के लिए एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है। राही उन दिनों में पढ़ाई के साथ-साथ कम्यूनिस्ट पार्टी में भी काम किया करते थे। कम्यूनिस्ट पार्टी ने तय किया कि गाजीपुर नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए कामरेड पब्लर राम को खड़ा किया जाए। पब्लर राम भूमिहीन मजदूर थे। राही और मूनिस रजा दोनों कामरेड पब्लर राम का कार्य करने लगे। उसी समय काँग्रेस ने राही के पिता श्री बशीर हसन आबिदी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। दोनों भाइयों के सामने बड़ा धर्मसंकट पैदा हो गया। दोनों मिलकर अपने पिता के पास गए और उन्हें समझाया कि वे चुनाव में खड़े न हों बशीर साहब ने कहा, मैं 1930 का काँग्रेसी हूँ। काँग्रेस का अनुशासित सिपाही हूँ। पार्टी ने जो आज्ञा दी है उसका मैं उल्लंघन नहीं करूँगा। राही ने कहा, हमारी भी मजबूरी है कि हम आपके खिलाफ पब्लर राम को चुनाव लड़ाएँगे। हो सकता है आप चुनाव हार जाएँ। राही घर से सामान उठाकर पार्टी ऑफिस में चले गए और कामरेड पब्लर राम को जिताने में जुट गए। जब चुनाव परिणाम आए तो



सब स्तब्ध रह गए कि एक भूमिहीन मजदूर जिले के सबसे प्रसिद्ध वकील को भारी बहुमत से परजित करने में समर्थ रहा। राही अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे। बाप-बेटों में बहुत मुहब्बत थी जो जीवनपर्यन्त रही, लेकिन सिद्धांत का मसला था, जहाँ बाप-बेटे की मुहब्बत भी सिद्धान्तों के आगे हार गई। पब्लर राम की उम्र आज 88 वर्ष है और वह राही के योगदान को याद करके अत्यंत भावुक हो जाते हैं।

राही मासूम रजा के परिवार वालो ने राही का 18 वर्ष की आयु में फ़ैजाबाद की महरबानों के साथ विवाह हर दिया। राही के साथ इनका किसी तरह का कोई साम्य नहीं था। राही की इनसे कभी नहीं पटी और तीन साल बाद दोनों परिवारों ने परस्पर सहमति से तलाक़ दिलवा दिया। राही ने दूसरा विवाह श्रीमती नय्यर जहाँ के साथ 1965 के अंत में किया श्रीमती नय्यर शादीशुदा थी। उनके पहले पति कर्नल यूनुस के तीन लड़के हैं। नदीम जो फिल्मी फोटोग्राफर है और उनकी पत्नी पार्वती खान पॉप-सिंगर हैं। उनके दूसरे पुत्र इरफान खान उद्योगपति हैं और मुंबई में रहते हैं और तीसरे पुत्र आफताब खान एक विदेशी बैंक में अधिकारी हैं और हागकांग में रहते हैं। राही की एकमात्र पुत्री मरियम रजा अपने पति मजाज मूनिस के साथ अमेरिका में रहती है। बेटे के पास एक पुत्र हैं। बेटे के पति प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन हैं और मरियम एक विश्वविद्यालय में काम करती है। राही की पत्नी श्रीमती नय्यर जहाँ अधिकांश समय अलीगढ़ में रहती है।

डा० राही को स्वयं हिन्दुस्तानी होने का बड़ा दर्प है। इनकी पहचान एक पक्के हिन्दुस्तानी मुसलमान की है। डा० राही गंगा को हमेशा अपनी दूसरी माँ मानते थे। इन्होंने वसीयत की थी। (जो पूरी नहीं हुई) गंगा के इस बेटे को मृत्यु के बाद उसकी गोद में सुला देना—

“ मुझे ले जाके गाजीपुर में गंगा की गोदी में सुला देना  
 वो मेरी माँ है, वह मेरे बदन का जहर पी लेगी  
 मगर शायद वतन से दूरी इतनी दूर मौत आए  
 जहाँ से मुझको गाजीपुर ले जाना न मुमकिन हो  
 तो फिर मुझको  
 अगर उस शहर में छोटी सी एक नदी भी बहती हो  
 तो मुझको उसकी गोद में सुलाकर

उसे कह देना

कि यह गंगा का बेटा आज से तेरे हवाले है।”

राही की ख्याति एक प्रसिद्ध शायर और संस्कृतिकर्मी की थी। उनमें एक संगठनकर्ता और नए क्षितिजों के पार देखने की अपार क्षमता थी। “लेखक तीन तरह के होते हैं। एक वे जो परिवार से बंधे रहते हैं। उनके सुख दुःख को अपना मानते हैं। जैसे प्रेमचन्द्र या अमृतलाल नागर आदि। दूसरे प्रकार के लेखक वे होते हैं जो परिवार से अलग रहते हैं या पारिवारिक बंधन मानते ही नहीं, बल्कि परिवार पालते ही नहीं, अकेले और अविवाहित रहते हैं। जैसे निराला, समित्रानंदन पंत, उग्र तथा महादेवी वर्मा इत्यादि तीसरे प्रकार के लेखक वे होते हैं जो परिवार में रहकर भी अपारिवारिक की तरह रहते हैं, आनासक्त और निर्लिप्त। ऐसे साधु संत आजकल बिरले ही हैं, कुछ गाँधीवादी, समाजवादी लेखकों और सक्रिय राजनैतिकों को छोड़कर डा० राही मासूम रजा ऐसे लेखक थे कि मुस्लिम होते हुए भी अपने धर्म के बारे में विखण्डता, बँटवारावाद व साम्प्रदायिकता पर लिखकर तीसरे प्रकार के लेखक बने। निरंतर कुछ नया करने की उनमें अदम्य क्षमता थी। इससे एक ओर उनकी लोकप्रियता बढ़ी दूसरी ओर इनसे ईर्ष्या करने वालों की संख्या भी बढ़ी। किसी भी कवि या लेखक का जन्म शिक्षा-दीक्षा, माता-पिता, कार्य गृहस्थ जीवन आदि देने से उसका साहित्यिक जीवन पूरा नहीं होता, उसकी किताबें, उसके लेखन का आरम्भ और विकास साहित्य की दुनिया में उसे मान-सम्मान और पदवियों आदि का ब्योरा भी देना चाहिए और इससे भी ज्यादा उसके मान का विकास कैसे हुआ और उसके लेखन का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा यह भी जानना जरूरी है।”

**कृतित्व** – राही की संवेदना राही के राष्ट्र से जुड़ी थी। वे चाहे अध्यापन जगत में रहें अथवा फिल्मों में चले गए, परंतु उनकी साहित्यिक विचारधारा सदैव राष्ट्र से राष्ट्र में रहने वाले लोगों से जुड़ी रही और इसी विचारधारा के तहत राही किन्हीं भी परिस्थितियों में रहें, साहित्यिक सृजन उनकी कलम से अनायास फूटता रहा।

राही की निम्नलिखित कृतियाँ हैं—

**आधा गाँव** – राही का पहला उपन्यास जो कि 1966 में प्रकाशित हुआ यह हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में आता है। इसमें राही के अपने

गाँव गंगौली तथा स्वयं के परिवेश की कथा है, परंतु व्यापक स्तर पर आधा गाँव सम्पूर्ण विश्व-साहित्य में संप्रदायवाद की त्रासदी को अभिव्यक्त प्रदान करने वाला वह उपन्यास है जिसमें इस शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना भारत विभाजन की त्रासदी को चित्रित किया गया है। इसमें मुस्लिम समाज की मानसिकता, मनोविज्ञान को समझना तथा समझाना चाहा है। राही यह बात सबके सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं कि एक मुसलमान भी अपनी मिट्टी को उतना ही प्रेम करता है, जितना कि एक हिन्दू, परंतु राही कहते हैं कि एक मुसलमान के राष्ट्रीय भाव को लोग शक की निगाहों से क्यों देखते हैं ? आधा गाँव उपन्यास के माध्यम से राही ने उस मुस्लिम एकता, मुस्लिम दृष्टिकोण, मुस्लिम राष्ट्रीयता को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया है जो भारतीय मात्र होने की ही अधिकारी है, उसके साथ किसी धर्म को जोड़ना कदापि उचित नहीं है।

आधा गाँव मूलतः फारसी में लिखा गया था, जिसका बाद में देवनागरी लिपि में लिप्यंतर हुआ। आधा गाँव और रागदरबारी एक ही साथ 1966 ई० में प्रकाशित हुए। 1968 में दोनों ही उपन्यास 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' के दावेदार हुए, परंतु पुरस्कार रागदरबारी को मिला। इस संदर्भ में राही मासूम रजा लिखते हैं – मैंने किसी पुरस्कार के लिए उपन्यास नहीं लिखा। यदि मिल जाता तो कोई बात नहीं, नहीं मिला, तो उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। सुना है यार प्रेमचंद्र, मुक्तिबोध और निराला को भी कोई पुरस्कार नहीं मिला था।”

**टोपी शुक्ला** – राही का यह उपन्यास सन् 1968 में प्रकाशित हुआ था। इसमें राही ने मध्यवर्ग के संकट, बढ़ते हुए जातीय संगठन और धार्मिक गठजोड़ों का विस्तार से चित्रण किया है। आज हमारा मध्य वर्ग संघर्षविहीन जीवन व्यतीत कर रहा है। जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नजर नहीं आता। टोपी शुक्ला में हिन्दू मुस्लिम समस्या को प्रगतिशील दृष्टि से उठाया गया है। इस छोटे मगर मार्मिक उपन्यास में हिन्दू व मुस्लिम दोनों ही धर्मों के दकियानूसों की पोल खोली गई है और दिखाया है कि किस प्रकार व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों न हो उसमें सहज मानवीय संबंध होते हैं। टोपी शुक्ला के नायक टोपी शुक्ला ने आत्महत्या

की है। लेखक इस बात से बहुत दुःखी है, वह इसे अपनी हार मानता है।

टोपी शुक्ला के संदर्भ में राही लिखते हैं आधा गाँव में बेशुमार गालियाँ थीं। मौलाना टोपी शुक्ला में एक भी गाली नहीं हैं। परंतु शायद यह पूरा उपन्यास एक गंदी गाली है। और मैं यह गाली डंके की चोट पर बक रहा हूँ यह उपन्यास अश्लील है। जीवन की तरह व्यक्ति की सत्ता के सामने दकियानूसी समाज का दानव अपने पंजो को हमेशा फैलाए रहता है। अतंतः समाज को मिलती है टोपी की लाश। यह हिन्दू—मुसलमान का पचड़ा इंसान को लाश ही बनाता है। राही के उपन्यास में टोपी लाश हो सकता है, पर पाठक के मन में टोपी सदैव जीवित रहेगा।

**हिम्मत जैनपुरी (1969)** – में मुस्लिम पारिवारिक जीवन की झाँकी मिलती है। इस्लाम धर्म जिन जातिगत भेदभावों को बहिष्कार करता है इसके अनुयायी उन्हें मात्र सिद्धांत रूप में ही स्वीकारते हैं। वास्तव में मुस्लिम समाज में भी ऊँच—नीच, बहुत व्यापक स्तर पर है। राही ने गाजीपुर के मुसलमानों के पारिवारिक जीवन को खुलकर सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। मुस्लिम सामाजिक असमानता, ऊँची जातियों में हड्डी का प्यार (श्रेष्ठता का भाव) और निम्न जातियों के प्रति हेय दृष्टिकोण आदि बातें हिम्मत जैनपुरी उपन्यास में उभर कर आई हैं।

**ओस की बूँद (1970)** – में सांप्रदायिकता की समस्या को उसकी समस्त जटिलताओं के साथ उठाया गया है और दंगों के मध्य सच्ची इंसानियत की एक झलक दिखाई गई है। उपन्यास की कहानी चाहे एक ही धर्म तथा एक ही शहर को केन्द्र में रखकर रची गई है, लेकिन यह तस्वीर पूरे देश की है। इसमें राही ने मुसलमानों के ऐतिहासिक सामाजिक रिश्तों पर प्रकाश डाला है। सांप्रदायिकता किस प्रकार समाज को दो वर्गों में बाँट रही है। राजनेता व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए आम आदमी को मोहरा बना रहे हैं और धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। यह उपन्यास इंसानियत की तलाश में हर गाँव एवं शहर में जाता है और आपस में सौहार्द और समझदारी स्थापित करने का प्रयास करता है।

**दिल एक सादा कागज (1973)** उपन्यास में राही ने गाजीपुर, ढाका व मुंबई का त्रिकोण प्रस्तुत किया है और इसमें जैदी विला की कहानी कही गई है "दिल एक सादा कागज" की भूमिका में राही ने लिखा है। "मैं एक वेद हूँ एक गीता हूँ, एक इनजील हूँ, एक कुरआं हूँ। किसे भला इतनी फुर्सत है कि मुझे उठाकर जो देखे कि मुझमें आखिर क्या लिखा है।" दरअसल इस रचना में राही की अपनी ही कहानी का बहुत अंश देखने को मिलता है। रचनाकार अपनी रचना का अनिवार्य अंग होता है जैदी विला का भूत दर्द की पहली लकीर, खाता, एक नदी के चार किनारे, नारायण गंज, मन की प्यास, जहाज का पंछी, रात का पेड़, जला है जिस्म जहाँ, रेत का सागर और त्रिकोण आदि शीर्षक में पूरे उपन्यास की कथा बँधी हुई है जिसमें जमींदारों, अग्रेजों के संबंध ? काँग्रेस मुस्लिम लीग की स्थापना प्रमुख है। राही हिन्दुस्तान में नए वर्ग का दबदबा विस्तार से चित्रित करते हैं। जिसे नवधनाढ्य वर्ग या कालेधन की संस्कृति के नाम से पुकारते हैं। राही लिखते हैं— "राजनीति में स्मगलिंग से भी अधिक लाभ है।"

**सीन 75 (1977)** अपेक्षाकृत हल्की औपन्यासिक रचना है। इसमें राही ने अपने व्यवसाय अर्थात् फिल्मी जीवन की आंतरिक व वाह्य सच्चाइयों पर दृष्टि डाली है। राही इस उपन्यास के माध्यम से आगे आने वाले भारत की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जिसमें महानगरीय जीवन, पूँजीवादी संस्कृति तथा देश में व्याप्त अपसंस्कृति ही चारों ओर नजर आती है। मध्यम वर्ग की विडंबना और अपने अधिकारों के लिए लड़ते मजदूर वर्ग की त्रासदी को भी इस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है।

**कटरा बी आर्जू (1978)** — इमरजेसी व इसके बाद जनता व सरकार के समय को अभिव्यक्त करनेवाली रचना है। अनेक रूपों में राजनीतिक रचना होते हुए भी इस उपन्यास के कथा अंश में कमी नहीं है। उपन्यास में इंदिरा गाँधी द्वारा इमरजेसी लागू किए जाने तथा उस समय में जनता पर किए गए अत्याचारों, भ्रष्टाचारों के उद्घाटन द्वारा भारतीय समाज के ऐतिहासिक दौर को दस्तावेजी रूप में प्रस्तुत किया गया है। राही ने उस समय लिखा था :

"रोशनाई के लिए अपने को बेचा किए हम  
ताकि सिर्फ इसलिए कुछ लिखने से बाकी ना रहे

कि कलम खुशक थे और लिखने से मजबूर थे हम”

यह कहानी हर बड़े शहर में निवास कर रहे हर उस आम आदमी की कहानी है जो जीवनयापन करने के लिए सपने सँजोता है, उन सपानों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है जिस पल वह सफलता की मंजिल के करीब होता है, इमरजेंसी द्वारा उसके सभी अधिकारों को हनन कर लिया जाता है उसके सभी सपनों पर पानी फेर दिया जाता है और उसके जीवन में अँधेरा व्याप्त हो जाता है। देश की किसी सामाजिक, राजनीतिक प्रतिक्रिया से मात्र सर्वहारा, सामान्य वर्ग ही प्रभावित होता है तथा नेता और साधन-संपन्न लोग इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों का भी फायदा उठाने से नहीं चूकते। इस उन्हास में राही ने व्यंग्यात्मक प्रहार करके सामाजिक स्थिति को प्रस्तुत किया है।

**असंतोष के दिन** – राही का यह उन्हास 1986 में प्रकाशित हुआ। इसमें देश में फैली साम्प्रदायिकता को अभिव्यक्ति प्रदान की है। ये उपन्हास साम्प्रदायिक तनाव की चिंता में लिखा गया है यह साम्प्रदायिकता देश की प्रधानमंत्री की हत्या करती है, इतिहास में पहली बार हिन्दू-सिक्ख दंगे होते हैं। जहाँ देश पहले ही देश विभाजन की त्रासदी को झेल चुका है, वहाँ पुनः समाज बँटवारे की कगार पर पहुँच गया है। राही जैसे ईमानदार, संवेदनशील और पूरे हिन्दुस्तानी लेखक परेशान, हैरान और असंतुष्ट हैं और उनकी कलम से **असंतोष के दिन उपन्हास** का सृजन होता है।

राही ने हिन्दी में कई वर्षों तक लेखन किया, परन्तु कविता वे उर्दू में ही लिखते थे। जब उन्होंने हिन्दी लेखन के क्षेत्र में कदम रखा, उसके पहले उनके सात कविता संग्रह उर्दू में प्रकाशित हो चुके थे। परन्तु फिर भी हिन्दी में राही के चार कविता-संग्रह आए, जिन्होंने यह साबित कर दिखाया कि राही सिर्फ अच्छे उपन्हासकार ही नहीं, वरन् अच्छे कवि भी हैं।

हिन्दी में उनका पहला संग्रह **मै एक फेरी वाला (1976)** में प्रकाशित हुआ। उनके विभिन्न उर्दू कविता-संग्रहों में संकलित कविताओं का अनुवाद इस संग्रह में प्रस्तुत है राही ने सन् 1857 की क्रांति पर उर्दू में महाकाव्य लिखा था जो हिन्दी में **क्रांतिकथा** के नाम से प्रकाशित हुआ था। राही का एक और कविता संग्रह **शीशे के मकां वाले 1963** में उर्दू में

अजनबी शहर में अजनबी रास्ते के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके प्रकाशन के बाद उर्दू शायरों में राही ने विशिष्ट स्थान पा लिया था। राही की मृत्यु के दो वर्ष के पश्चात् उनका कविता संग्रह गरीबे शहर प्रकाशित हुआ।

राही का सम्पूर्ण जीवन जिन कठिनाईयों में गुजरा, उन्होंने बचपन से समाज में जो विसंगतियाँ देखी, उन सभी को उन्होंने एक आम आदमी की भाँति नज़रअंदाज नहीं किया। वहीं उन्होंने समाज में जो बुराई देखी, उसे वही अपनी लेखनी में कैद कर उस पर व्यंग्य किया। अपने स्वयं के जीवन में जिन लोगों के कारण कष्ट उत्पन्न हुआ, उन कष्टों से द्रवित अपनी अनुभूतियों को लेखनी में अभिव्यक्त किया।

**संदर्भ ग्रंथ :-**

1. डॉ0 कुँवर पाल सिंह, साहित्य और हमारा समय, पृ0 75
2. हिन्दी के साहित्य-निर्माता-अज्ञेय, प्रभाकर माचवे पृ0 75
3. बालकृष्ण नवीन, डॉ0 प्रभारक माचवे , पृ 24
4. डॉ0 कुँवर पाल सिंह, साहित्य और हमारा समय पृ0 79
5. राही मासूम रजा टोपी शुक्ला भूमिका
6. राही मासूम रजा, दिल एक सादा कागज
7. अभिनव कदम, पृ0 52

जय सिंह यादव  
शोध छात्र, हिन्दी विभाग  
नेहरू ग्राम भारती वि.वि. जमुनीपुर-कोटवा, इलाहाबाद।

## माध्यमिक स्तर के छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि का उनके अध्ययन आदतों एवं अध्ययन अभिवृत्ति पर प्रभाव — अनूप कुमार यादव

प्रस्तुत अध्ययन “माध्यमिक स्तर के छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि का उनके अध्ययन आदतों एवं अध्ययन अभिवृत्ति पर प्रभाव” है। वर्णनात्मक शोध के अन्तर्गत कार्योत्तर विधि का प्रयोग किया गया है। इलाहाबाद नगर के सभी छात्र-छात्राओं को जो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर (कक्षा-11) शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं को जनसंख्या के रूप में सम्मिलित किया गया है। उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन द्वारा 4 माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। तत्पश्चात् यादृच्छिक न्यायदर्शन विधि द्वारा प्रत्येक विद्यालय से 25-25 छात्रों का चयन अर्थात् कुल 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में सी0पी0 माथुर द्वारा निर्मित अध्ययन आदत एवं अभिवृत्ति उपकरणों का प्रयोग किया गया है तथा विद्यार्थियों के हाईस्कूल के प्राप्तांकों को शैक्षिक उपलब्धि के रूप में सम्मिलित किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या करने लिए मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-अनुपात का प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप में पाया गया कि माध्यमिक स्तर के उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति मध्यम शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों की अपेक्षा अधिक होती है। माध्यमिक स्तर के उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों की अपेक्षा अधिक होती है। माध्यमिक स्तर के मध्यम एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति समान होती है।

**की-वर्ड—** माध्यमिक स्तर, शैक्षिक उपलब्धि, अध्ययन आदत, अभिवृत्ति

**भूमिका—** बालक के व्यक्तित्व एवं चारित्रिक विकास पर आदतों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। चरित्र को ‘आदतों का पुंज’ कहा गया है। शिक्षाशास्त्री रूसों का विचार है कि “आदत न डालने की आदत बालक में डालनी चाहिए।” किन्तु यह विचार सर्वमान्य नहीं है। व्यक्ति को आदतों का दास नहीं बल्कि स्वामी होने का प्रयास करना चाहिए। आदतें



व्यावहारिक जीवन की बहुत-सी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में सहायता करती हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। अतः शिक्षक को बालक में अच्छी आदतों के विकास का और बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए।

आदतें चरित्र का निर्माण करती हैं। इसलिए बालकों को उच्चकोटि के आदर्शों और विचारों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अच्छी आदतें ही उनमें नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास करती हैं। आदत के कारण ही बालक में सहनशीलता, प्रेम, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे सद्गुणों का विकास होता है। इस प्रकार अच्छी आदतों के कारण वह अपने को समाज में भली-भाँति समायोजित कर लेता है।

बालक के बौद्धिक-विकास में आदतों का विशेष महत्व है। अच्छी आदतों के कारण ही बालक को ज्ञान प्राप्त करने में शीघ्रता एवं सरलता होती है। अध्ययन करने की आदत पड़ जाने पर ध्यान केन्द्रित करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती। आदत के कारण उसे ज्ञानार्जन में रुचि उत्पन्न हो जाती है। लिखने, पढ़ने, बोलने, स्मरण करने एवं रचनात्मक कार्यों में आदतें बहुत सहायक होती हैं। **रायबर्न** का कथन है— “आदत जीवन के अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय और मानसिक शक्ति की बचत करने की क्षमता उत्पन्न करती है।”

अध्ययन प्रवृत्ति व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। शारीरिक गठन, मानसिक योग्यता, स्वभाव, आचार-विचार, बुद्धि, अभिक्षमता, अभिवृत्तियों आदि की तरह, व्यक्ति की प्रवृत्तियों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पायी जाती हैं। कोई व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, जबकि कोई डॉक्टर और कोई वकील, कोई अभियन्ता, कोई अध्यापक तथा कोई उद्यमी बनने का इच्छुक रहता है। किसी छात्र को गणित विषय अच्छा लगता है जबकि किसी छात्र को इतिहास किसी को हिन्दी, किसी को चित्रकला तथा किसी को विज्ञान विषय अच्छा लगता है।

माध्यमिक शिक्षा को सम्पूर्ण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अतः इस स्तर की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र अपनी किशोरावस्था में होते हैं।

अगर इस स्तर पर उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाय तो वे बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

मनोवैज्ञानिकों का मत है कि छात्र अध्ययन की प्रभावशाली आदतों का तभी निर्माण कर सकते हैं, जब उनको अध्ययन के उत्तम नियमों का ज्ञान हो। इन मनोवैज्ञानिकों में एन० बी० कफ का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की अध्ययन की आदतों का अन्वेषण किया। इसके परिणामस्वरूप, वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा की उत्तम छात्रों में अध्ययन की उत्तम आदतें होती हैं। ये आदतें उनमें इसलिए होती हैं क्योंकि वे अध्ययन के उत्तम नियमों का अनुसरण करते हैं। कफ का कथन है कि जिन नियमों का अनुसरण करने के कारण उत्तम छात्रों में अध्ययन की उत्तम आदतें पायी जाती हैं। उनमें से विशेष रूप से उल्लेखनीय है –प्रत्येक पाठ का स्वयं अध्ययन करना। प्रत्येक पाठ का गम्भीर अध्ययन करने से पूर्व उसको सरसरी तरीकें से पढ़ना। प्रत्येक पाठ के अध्ययन के तुरन्त बाद उसको मौन रूप से दोहराना। प्रत्येक पाठ की विषय सामग्री को भली-भाँति समझने के लिए उदाहरणों की खोज करना। निश्चित पाठों के अध्ययन के लिए समय की निश्चित अवधि निर्धारित करना। शिक्षक द्वारा विभिन्न पाठों के सम्बन्ध में बताई जाने वाली बातों को संक्षेप में लिखना। अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण खोज करना। बाह्य एवं आन्तरिक बाधाओं के प्रति ध्यान न देना। किसी विषय का अध्ययन करने से पूर्व उसका स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना तथा अगले दत्त कार्य को आरम्भ करने से पूर्व पिछले दत्त कार्य का पुनः अवलोकन करना चाहिए।

**समस्या कथन— “माध्यमिक स्तर के छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि का उनके अध्ययन आदतों एवं अध्ययन अभिवृत्ति पर प्रभाव।”**

**अध्ययन के उद्देश्य—** प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है—

1. माध्यमिक स्तर के उच्च एवं मध्यम शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

3. माध्यमिक स्तर के मध्यम एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

### अध्ययन की परिकल्पनायें

1. माध्यमिक स्तर के उच्च एवं मध्यम शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति में अन्तर है।
2. माध्यमिक स्तर के उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति में अन्तर है।
3. माध्यमिक स्तर के मध्यम एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति में अन्तर है।

**अध्ययन प्रविधि**— वर्णनात्मक शोध के अन्तर्गत कार्योत्तर विधि का प्रयोग किया गया है। इलाहाबाद नगर के सभी छात्र-छात्राओं को जो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर (कक्षा-11) शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं को जनसंख्या के रूप में सम्मिलित किया गया है। उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन द्वारा 4 माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। तत्पश्चात् यादृच्छिक न्यायदर्शन विधि द्वारा प्रत्येक विद्यालय से 25-25 छात्रों का चयन अर्थात् कुल 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में सी०पी० माथुर द्वारा निर्मित अध्ययन आदत एवं अभिवृत्ति उपकरणों का प्रयोग किया गया है तथा विद्यार्थियों के हाईस्कूल के प्राप्तांकों को शैक्षिक उपलब्धि के रूप में सम्मिलित किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या करने लिए मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-अनुपात का प्रयोग किया है।

### प्रदत्तों का विश्लेषण एवं निर्वचन

#### सारणी सं० 1

माध्यमिक स्तर के उच्च एवं मध्यम शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-अनुपात

क्र० सं०	न्यादर्श	संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	D = (M <sub>1</sub> - M <sub>2</sub> )	δ <sub>D</sub>	टी - अनुपात	सारणी मान

1.	उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्र	45	42.91	5.50	13.05	1. 63	8. 00	1.99 df=73
2.	मध्यम शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्र	30	29.86	7.74				
निष्कर्ष- $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$				0.05 सार्थकता स्तर पर निरस्त				
$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$				0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत				

सारणी संख्या 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुक्तांश 73 तथा 0.05 सार्थकता स्तर के लिए द्विपुच्छीय परीक्षण पर टी-अनुपात का सारणी मान 1.99 है अर्थात् परिगणित टी-अनुपात सारणीमान से अधिक है, अतः कहा जा सकता है कि 0.05 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है। अतः परिणामतः कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति मध्यम शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों की अपेक्षा अधिक है।

#### सारणी सं० 2

माध्यमिक स्तर के उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति का निम्नान, मानक विचलन एवं टी-अनुपात

क्र० सं०	न्यादर्श	संख्या (N)	निम्नान (M)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	D= (M <sub>1</sub> ~ M <sub>2</sub> )	$\delta_D$	टी-अनुपात	सारणी मान
1.	उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्र	45	42.91	5.50	15.57	1. 67	9.32	2.00 df=6 8
2.	निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्र	25	26.84	7.28				

निष्कर्ष- $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$	0.05 सार्थकता स्तर पर निरस्त
$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$	0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत

उपर्युक्त सारणी 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है परिगणित टी-अनुपात का मान 9.32 है। मुक्तांश 68 तथा 0.05 सार्थकता स्तर के लिए द्विपुच्छीय परीक्षण पर टी-अनुपात का सारणी मान 2.00 है। अर्थात् परिगणित टी-अनुपात सारणीमान से अधिक है, अतः कहा जा सकता है कि 0.05 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है। अतः परिणामतः कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों की अपेक्षा अधिक है।

### सारणी सं० 3

माध्यमिक स्तर के मध्यम एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति का निम्नान, मानक विचलन एवं टी-अनुपात

क्र० सं०	न्यादर्श	संख्य T (N)	निम्नान (M)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	D= (M <sub>1</sub> ~ M <sub>2</sub> )	$\delta$ D	टी- अनुपा त	सारणी मान
1.	मध्यम शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्र	30	29.86	7.74	3.02	2. 0 2	1.49	2.00 df=68
2.	निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्र	25	26.84	7.28				
निष्कर्ष- $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$		0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत						
$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$		0.05 सार्थकता स्तर पर निरस्त						

सारणी संख्या 4.3 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिगणित टी-अनुपात का मान 1.49 है। मुक्तांश 53 तथा 0.05 सार्थकता स्तर के लिए द्विपुच्छीय परीक्षण पर टी-अनुपात का सारणी मान 2.00 है। अर्थात् परिगणित टी-अनुपात सारणीमान से कम है, अतः कहा जा सकता है कि

0.05 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। अतः परिणामतः कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के मध्यम एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति समान है।

### निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष निम्नवत् है।

1. माध्यमिक स्तर के उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति मध्यम शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों की अपेक्षा अधिक होती है।
2. माध्यमिक स्तर के उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों की अपेक्षा अधिक होती है।
3. माध्यमिक स्तर के मध्यम एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों का अध्ययन आदतों एवं अभिवृत्ति समान होती है।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अग्रवाल, एम0 (2005). *अ फैक्टोरियल स्टडी ऑफ एट्टीट्यूड ऑफ स्टूडेन्ट टूबर्ड सम सोशल प्रब्लम*, जम्मू : जम्मू यूनिवर्सिटी, वाल्यूम-2 पृष्ठ संख्या 269।
- कौर, परविन्दर एण्ड बाबा, एस0के0 (2008). *इन्टेलिजेन्स एज अ कोरिलेट आफ अकैडमिक अचीवमेन्ट, इण्डियन जर्नल ऑफ साइकोमेन्ट्री एण्ड एजुकेशन*, वाल्यूम 26(2), पृष्ठ संख्या 113-115।
- घल्सासी, पी0जी0 (2009). *अ डिस्क्रिप्टिव एण्ड एक्सपेरिमेन्टल स्टडी इन द फिल्ड आफ स्टडी हैबिट्स*, पूना : पीएच0डी0 एजुकेशन, यूनीवर्सिटी ऑफ पूना।
- पटेल, एम0आर0 (2009). *स्टडी हैबिट्स ऑफ पुपील्स, इण्डियन जर्नल ऑफ साइकोमेन्ट्री एण्ड एजुकेशन*, वाल्यूम एलएक्सएक्स(4) 74-76।
- मिश्र, राहुल (2012). *उच्च प्राथमिक स्तर पर विकलांग एवं सामान्य विद्यार्थियों के अध्ययन आदतों का तुलनात्मक अध्ययन*, एम.एड. लघुशोध, इलाहाबाद : नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय।

अनूप कुमार यादव  
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र)  
शिक्षक शिक्षा संकाय

नेहरू ग्राम भारती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद।

## मन्नू भंडारी के कथा-साहित्य में नारी जीवन — गरिमा गुप्ता

हिन्दी कथा साहित्य में मन्नू भंडारी का विशिष्ट स्थान है। मन्नू भंडारी ने साहित्य के विविध रूपों जैसे उपन्यास, कहानी एवं नाटक आदि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मन्नू भंडारी ने भारतीय समाज में स्त्री की दशा एवं दिशा का मार्मिक चित्रण किया है और वे पुरुष के वर्चस्ववादी समाज में स्त्री की मुक्ति के प्रश्न को गंभीरता से उठाती है। “उन्होंने परम्परागत रूढ़ियों, मान्यताओं तथा नैतिकता से शोषित स्त्री के मौलिक व्यक्तित्व की खोज की है। वह स्त्री को पारंपरिक स्त्रीत्व के भार से मुक्त करना चाहती हैं”<sup>1</sup>

मन्नू भंडारी अपने कथा साहित्य में स्त्री के जीवन में पुरुष की अनिवार्यता को स्वीकार करती हैं। वे स्त्री को पति की सहगामिनी के रूप में देखती हैं, अंधानुगामिनी के रूप में नहीं। उन्होंने स्त्री को विभिन्न पारिवारिक सम्बन्धों और व्यापक सामाजिक संदर्भों में अंकित किया है।<sup>2</sup> उनका दृष्टिकोण एक तरह से सुशिक्षित, स्त्री चेतना से सजग उस भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारतीय समाज की परम्पराओं को तो स्वीकार करती है लेकिन उन सभी रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध करती है।

मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में स्त्री समाज के विविध रूप हैं। ‘दीवार बच्चे और बरसात’ कहानी में ऐसी शिक्षित स्त्री का वर्णन है, जो बलात् पुरुष को अपना शरीर न दे पाने की अपराधी है। पुरुष समाज की दृष्टि में ही नहीं बल्कि अशिक्षित स्त्रियों की दृष्टि में भी स्त्री पुरुष की एक सम्पत्ति है। स्त्री केवल भोग्या है, वह मात्र शरीर है व्यक्ति नहीं।<sup>3</sup>

कमरे ‘कमरा और कमरे, कहानी में स्त्री के दबे हुए व्यक्तित्व को, चित्रित करती है। समाज में स्त्री को परित्यक्ता और विधवा का अभिशाप भोगना पड़ता है, पुरुष को नहीं। न जाने कितने रीति-रिवाज हैं जहाँ पर विधवा की उपस्थिति अशुभ मानी जाती है पुरुष की नहीं, इन दकियानूसी परम्पराओं को सह हमी लोगों ने दिया, मन्नू जी ऐसी दकियानूसी विचारधारा को सिरे से नकारती हैं। परिवार भारतीय समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार वह सेतु है जो व्यक्ति को समाज अथवा समाज को

व्यक्ति से जोड़ता है। परिवार में ही व्यक्ति के विभिन्न सामाजिक सम्बन्धों की नींव है स्त्री और पुरुष। 'आपका बंटी' उपन्यास के केन्द्र में परिवार हैं और इसमें परिवार के टूटने से बच्चे के जीवन में अकेलेपन की समस्या के साथ-साथ स्त्री के संघर्ष एवं टूटने की पीड़ा को भी चित्रित किया गया है। मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में संयुक्त परिवार व्यवस्था की कमियों की अभिव्यक्ति 'आकाश के आइने में' कहानी में की गयी है। मन्नू भंडारी ने 'छत बनाने वाले' और 'अंकुश' कहानी में संयुक्त परिवारों के विखण्डन और एकल परिवारों के निर्माण की समस्याओं को चित्रित किया है। आज की स्त्री चेतना सम्पन्न नारी एकल परिवार को महत्व देती है, लेकिन उसमें भी अनेक विसंगतियाँ हैं, एकाकीपन है। इस व्यवस्था में भी स्त्री को वह स्थान नहीं मिल पाया है जिसकी वह अधिकारिणी है।

भारतीय समाज में स्त्री की कोई पहचान नहीं हैं विवाह पूर्व उसकी पहचान पिता से, विवाह के बाद पति से और अंत में पुत्र से जुड़ जाती है। आज स्त्री ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व के लिए प्रतिरोध करना प्रारम्भ कर दिया है जो उसकी जागरूकता का सूचक है। आधुनिक शिक्षित स्त्री के लिए प्रेम न गुप्त है और न पाप। आधुनिक स्त्री संस्कृति, समाज के बंधन की मानसिकता का विरोध करती है। मन्नू भंडारी की कहानी 'त्रिशंकु' में समाज-व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरोध है।<sup>4</sup> 'मैं हार गई' कहानी में राजनैतिक व्यवस्था के प्रति प्रतिरोध है। 'आपका बंटी' उपन्यास की नारी पात्र शकुन ने शोषण एवं उत्पीड़न के प्रति प्रतिरोध व्यक्त किया है।<sup>5</sup> 'एक इंच मुस्कान' उपन्यास में 'अमला' के मन में विवाह को लेकर अनिच्छा सी है। 'ईसा के घर इंसान' कहानी की एंजिला धर्म के नाम पर होने वाली स्त्री शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध करती है तथा अन्याय के लिए चर्च और फादर का भंडाफोड़ करती है।<sup>6</sup> 'रानी माँ का चबूतरा' कहानी में गुलाबी अपने पति को झाड़ू मार-मार कर घर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि वह शराबी और निकम्मा है, मन्नू भंडारी की दृष्टि में प्रतिरोध यदि सार्थक होगा तो समाज के विकास की गति परिवर्तित होगी। इससे लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण होगा तथा समानता, सद्भाव, सहभागिता और सामंजस्य विकसित होगा।

शहरी जीवन की संस्कृति में प्रेम-विवाह-तलाक सामान्य है, जिसका वर्णन मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में है।<sup>7</sup> शहरों में स्त्री स्वतंत्र एवं होती



है, इसलिए निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है। 'भाभी' संयुक्त परिवार में रहने के कारण घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र है। मन्नू भंडारी ने शहरी और ग्रामीण स्त्री पात्रों के परिवेशगत अन्तर को भी चित्रित किया है।

मन्नू भंडारी के प्रसिद्ध उपन्यास 'आपका बंटी' में शहरी जीवन की वे जटिलताएँ हैं, जिनके बीच उनकी लेखकीय संवेदना छटपटाती रही है। 'बंटी' ऐसे परिवार की समस्या है, जिनके बीच उनकी लेखकीय संवेदना छटपटाती रही है। 'बंटी' ऐसे परिवार की समस्या है जिसमें माता-पिता के अलगाव को बच्चे झेलते हैं। शहरी समाज में अनावश्यक, उपेक्षित एवं अपनी जड़ों से कटे हुए बच्चों की समस्या ने मन्नू भंडारी को पीड़ित किया है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र शकुन की टकराहट पारंपरिक दृष्टिकोण वाले पति से होती है। शकुन का निर्णय शहरी संस्कृति से प्रभावित है, इसलिए अलग रहने का निर्णय लेती है। गाँव और शहरी परिवेश की भिन्नता भी स्त्री झेलती है, शहर में स्त्रियाँ अकेले आने-जाने के लिए स्वतंत्र हैं, वहीं गाँव की स्त्रियों को प्रत्येक काम के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है अगर वो ऐसा नहीं करती तो उन्हें गलत माना जाता है, जिसका दंश स्त्री को झेलना पड़ता है।

समाज और संस्कृति के निर्माण में पुरुष अपना वर्चस्व स्थापित कर स्त्री को अपने अधीन कर लेता है, और नारी इसे अपनी नियति मान लेती है। भारतीय समाज में वर्चस्व की संस्कृति जाति व्यवस्था में निहित है। जाति व्यवस्था में शूद्र एवं स्त्री शोषित हैं।<sup>8</sup>

वस्तुतः भारतीय समाज में शूद्र और स्त्री का शोषण प्रमुख रूप से श्रम एवं सम्पत्ति के एकाधिकार से सम्बन्धित है। भारतीय समाज में स्त्री की पराधीनता के जड़ें बहुत गहरी हैं और शूद्रों के शोषण में वर्ण व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। स्त्री किसी भी वर्ण या वर्ग की हो, वह पराधीनता एवं शोषित रही हैं।<sup>9</sup>

वैदिक कालीन स्त्री को अनेक अधिकार प्राप्त थे, इसलिए यह युग उसके गौरव का युग था। परन्तु धीरे-धीरे पुरुष प्रधान समाज ने स्त्री के वर्चस्व को समाप्त कर दिया और उसे परावलम्बी बना दिया। पुरुष के अभाव में स्त्री का जीवन असुरक्षित एवं असंभव हो गया। पुरुष स्त्री को निजी सम्पत्ति मानकर उसका शोषण करता है, जिससे स्त्री पराधीन हो

गई। स्त्री को युद्ध के लिए असमर्थ माना गया और वह उसके अधीन होने को विवश हो गई।

मातृसत्तात्मक व्यवस्था के कालान्तर वर्ण व्यवस्था लागू होती गई और स्त्रियों का महत्व भी बदलता रहा। प्राकृतिक अवस्था के उपरान्त ग्राम्य जीवन में निजी सम्पत्ति एवं शक्ति के लिए कबीलों में परस्पर युद्ध होने लगा। इन युद्धों में व्यापक हानि होती थी तथा विजेता लोग श्रमिकों को दास बनाने लगे। नारी युद्ध में भाग लेने में असमर्थ थी तथा शारीरिक अक्षमता के कारण उत्पादन में भी कम भागीदारी थी। इसलिए दोगम दर्ज की अधिकारिणी बनने की ओर अग्रसर हुई।

स्त्री को व्यापारिक दृष्टि से भी अयोग्य घोषित किया गया, क्योंकि घर से बाहर जाने पर घर और बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इस प्रकार असुरक्षा की भावना के कारण स्त्री के जीवन में पुरुष का होना अनिवार्य था। शिक्षा से वंचित रहने के कारण स्त्री सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक दृष्टि से पुरुष के अधीन होती चली गई। “पुरुष यदि स्त्री को देवी के पद पर आसीन कर उसकी स्तुति कर सकता था, तो देवी को छिन्न-भिन्न करने की ताकत भी उसके पास थी।”<sup>10</sup> पुरुष का वर्चस्व अर्थ, ज्ञान और शारीरिक बल के कारण है, जिसके अभाव में स्त्री पराधीन है। स्त्री घर में कैद रहती है, और युद्ध के समान वह पुरुष की दास है। समाज की मर्यादा, नैतिकता और आदर्श उस पर आरोपित है। वह सम्पूर्ण जीवन पति की सेवा करती है, अंत में पति के साथ सती कर दी जाती है। उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह शोचनीय है।

इस प्रकार ऐतिहासिक विकास क्रम में, वैदिक काल से बौद्धकाल तक स्त्रियों को शिक्षा देने की परम्परा थी, जो उच्च वर्ग की स्त्रियों तक सीमित थी। वेदों, संहिताओं, धर्मसूत्रों या पुराणों में स्त्री स्वाधीनता को सहज समर्थन नहीं मिलता। मनु स्त्री की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते, भर्तृहरि स्त्री को पुरुष के लिए पतन की ओर ले जाने वाली कहते हैं तथा तुलसी स्त्री की निंदा करते हैं। अंततः पुरुष वर्चस्व की विचारधारा इतनी सबल है कि उसका विरोध सहज और सरल नहीं है।

प्रथम शताब्दी तक स्त्री-शिक्षा निषेध थी तथा राजपूत काल में बालिका की हत्या होने लगी तथा बालिका जन्म को एक गंभीर समस्या माना जाने लगा। इस कठोर परिस्थिति में स्त्री को जो त्रासद जीवन

यात्रा पूर्ण करनी पड़ी। कालान्तर में स्त्री-सुधार आन्दोलन एवं स्त्री शिक्षा के कारण आधुनिक युग में उसकी सुप्त चेतना जागृत हुई तथा स्त्री ने पुरुष वर्ग के शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना प्रारम्भ कर दिया। स्त्री अब परम्परागत मानसिकता में परिवर्तन करना चाहती है— वह सदियों के शोषण से मुक्त होना चाहती है तथा अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व को पुरुष के समान स्थापित करना चाहती है।

मन्नू भंडारी के कथा-साहित्य में भारतीय स्त्री की विविध स्थितियों को चित्रित किया गया है। स्त्री की समस्याएँ आज भी हैं, जिनसे मुक्ति मिलने का प्रयास नारी कर रही है। जब स्त्री अपनी विविध स्थितियों में अपने अस्तित्व और अस्मिता को सुरक्षित रख सकेगी, तभी उसे गरिमा प्राप्त होगी।

नारी विमर्शकारों में मन्नू भंडारी का नाम उल्लेखनीय है। वह नारीवादी विमर्शकारों से अलग विचार रखती है। इनके कथा साहित्य में नारी विमर्श के अनेक सोपानों को उठाया गया है— “अब अनपढ़ स्त्रियाँ अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर उन्हें पाने के लिए सक्रिय हैं। वे न तो इस झंडे के नीचे हैं और न नारी-विमर्श को जानती हैं, फिर भी नारी विमर्श में उनका योगदान कम नहीं है।”<sup>12</sup> नारी विमर्श में यौन स्वतंत्रता का मन्नू भंडारी विरोध करती हैं। “कथाकार ने अपने को किसी वाद से नहीं जोड़ा है बल्कि खुली-आँखों से चारों ओर फैली-बिखरी जिन्दगी को देखा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनका कथा साहित्य है।”<sup>13</sup> स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता ने उसके सम्बन्धों को बदल दिया है। आज की नारी जब अपनी पुत्री के विचारों को सुनती है तो उसे अपनी किशोरावस्था का स्मरण आता है। वह इस परिवर्तन को देखती है कि संसार कितना बदल गया है।

वस्तुतः नारीवाद, न तो पुरुष, विरोधी है और न पुरुष से आगे जाने का प्रयास है अपितु वह तो समानता का संघर्ष है।

मन्नू भंडारी का कथा साहित्य सामाजिक समस्याओं से ओतप्रोत है। समाज के वर्ण में स्त्री-पुरुष का आगमन अपरिहार्य है। “जहाँ नारी शोषण की बात आती है, वहाँ वह नारीवादी हो जाती है।”<sup>14</sup> वह परम्परा को तोड़कर नया आकार निर्मित नहीं करती, बल्कि परम्परा के चौखटे में ही आधुनिकता का आह्वान करती है। मन्नू भंडारी की नारी 'आन्तरिक

संस्कारों, भावनाओं और संवेदनाओं, परिस्थितियों और दबावों को कभी झेलती है, कभी तोड़ती है और कभी स्वयं टूटती है।<sup>15</sup> लेखिका का स्वयं का जीवन कथा साहित्य में भी अवतरित हुआ है। उन्होंने जो भी साहित्य लिखा है, वह तन्मयता, गहन संलग्नता और ईमानदारी से लिखा है।

**संदर्भ:**

- 1- डॉ० बंशीधर डॉ० राजेन्द्र मिश्र मन्नू भंडारी का श्रेष्ठ सृजनात्मक साहित्य साक्षात्कार पृष्ठ 101
- 2- मन्नू भंडारी, मैं हार गई, पृष्ठ 40
- 3- वही, पृष्ठ 94
- 4- मन्नू भंडारी, त्रिशंकु, पृष्ठ 65
- 5- मन्नू भंडारी, 'आपका बंटी, भूमिका
- 6- मन्नू भंडारी, 'मैं हार ई, पृष्ठ 19
- 7- डॉ० ब्रजमोहन शर्मा: कथालेखिका मन्नू भंडारी, पृष्ठ 108
- 8- मन्नू भंडारी, त्रिशंकु, पृष्ठ 70
- 9- पुरुषोत्तम अग्रवाल: संस्कृति-वर्चस्व और प्रतिरोध, पृष्ठ 23
- 10- वही पृष्ठ 38
- 11- सीमोन द बोउवार (अनुवाद डॉ० प्रभा खेतान) स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ 55
- 12- सं० हरिनारायण-कथादेश (पत्रिका) जनवरी-2009 साक्षात्कार, पृ० 175
- 13- मन्नू भंडारी 'एक कहानी यह भी' पृष्ठ 76
- 14- डॉ० दिलीप मेहरा-मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में मानव जीवन समस्याएँ, पृष्ठ 243
- 15- मन्नू भंडारी: त्रिशंकु और अन्य कहानियाँ, पृष्ठ 27-28

कु० गरिमा गुप्ता  
शोध-छात्रा, हिन्दी विभाग  
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय

## ग्रामीण महिलायें : दिशा एवं दशा — ज्ञानेश कुमार त्रिवेदी

कोई भी समाज महिला एवं पुरुष के अमूर्त संबंधों का ही परिणाम होता है। महिला एवं पुरुष का एक समान विकास किये बिना कोई देश प्रगति नहीं कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान स्वतंत्रता दी जानी चाहिये जिससे महिलायें भी सामाजिक विकास में अपनी भूमिका निभा सकें।

महिला की परिवार में प्रमुख भूमिका होती है अतः महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन लाना होगा तथा स्वतंत्रता तथा समानता का वातावरण बनाना होगा। एक शिक्षित महिला राष्ट्र के लिए संपदा होती है किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। आज की ग्रामीण महिलाओं की प्रमुख समस्या यह है कि महिला के अभिभावक मात्र उनकी सुरक्षा के बारे में ही सोचते हैं किन्तु आज की महिला सुरक्षा के साथ –साथ गतिशीलता तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता भी चाहती है। आज गांवों के अभिभावकों में मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। आज की ग्रामीण महिला समता तथा स्वतंत्रता चाहती है ताकि वह अपनी इच्छानुसार अपने लक्ष्य प्राप्त कर सके। किन्तु मात्र राजनैतिक सशक्तीकरण से महिलाओं का वास्तविक सशक्तीकरण सम्भव नहीं है बल्कि महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा भागीदारी और स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे मूलभूत संसाधनों से भी लैस होना ही पड़ेगा अन्यथा वास्तविक रूप से महिला का समग्र विकास होना सम्भव नहीं है। भारत की राष्ट्रीय आय में महिलाओं का योगदान 12 प्रतिशत है। और उनका शेष 88 प्रतिशत कार्य असंगठित क्षेत्र की कम मजदूरी या बिना मजदूरी का ही है। यह एक चिंतनीय तथ्य है। यद्यपि भारतीय नीति नियंताओं ने महिलाओं को पंचायतों से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किये हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से कई जमीनी बदलाव हुये हैं। वर्तमान में भारत में 15 लाख के आस पास निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं जो महिलाओं की उन्नति का सूचक है। समाज में महिलाओं तथा बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन की महती आवश्यकता है। समाज को महिलाओं को पुरुषों के समान मूलभूत

सुविधायें तथा अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में महिला तथा पुरुष एक समान भागीदारी कर सकें। ग्रामीण महिलाओं का वास्तविक विकास तभी हो सकता है जब उन्हें पुरुषों के समान निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाय तथा उन्हें शिक्षित तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हुये सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा लैंगिक समानता के आधार पर न्याय मिल सके। गांवों में आज भी महिलाओं का पर्दे में रहना आवश्यक है। यह मानवीय संस्कारों तथा परम्पराओं के आधार पर तो उचित लग सकता है किन्तु एक स्वतंत्र तथा सभ्य समाज में ऐसी अनिवार्यता स्वीकार नहीं की जा सकती। ग्रामीण क्षेत्रों में यह भी निकलकर समाने आता है कि अधिकांश लड़कियों से उनके विवाह के समय सहमति नहीं ली जाती है। ग्रामीण क्षेत्र की 60 प्रतिशत महिलायें आज भी स्वीकारती हैं कि आज भी लैंगिक आधार पर लड़का-लड़की में भेद किया जाता है। शिक्षा तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता महिला विकास के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। जिनकी प्राप्ति हर महिला को सुनिश्चित होनी चाहिये।

**निष्कर्ष एवं सुझाव :-** सरकार तथा समाज द्वारा महिला विकास के लिये किये गये अनेक प्रयासों के बाद भी अभी महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं हो सकी है। किन्तु इन प्रयासों की निरन्तरता तथा व्यापकता से महिलाओं का वास्तविक सशक्तीकरण सम्भव हो सकता है। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित करते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में ही महिलाओं हेतु लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये। महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण तथा संसाधन प्रदान किये जाने की आवश्यकता है साथ ही साथ महिलाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। महिलाओं को प्रारम्भ से ही परिवार द्वारा सहानुभूतिपूर्ण तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार प्राप्त होना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें जागरूक करते हुए तथा लाभ प्रदान करते हुये सामाजिक विकास की मुख्य धारा में स्थान प्रदान किया जा सके।

अतः राज्य और समाज सभी का यह उत्तरदायित्व है कि वह विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा, स्वतंत्रता, रोजगार तथा

स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधायें प्रदान करना सुनिश्चित करें। निर्णय लेने का अधिकार तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के द्वारा ही ग्रामीण महिलाओं की दिशा और दशा में सकारात्मक परिवर्तन लाये जा सकते हैं और उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करते हुए एक विकसित समाज की संकल्पना को स्वीकार किया जा सकता है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-**

- डा० महाजन धर्मवीर, डा० महाजन कमलेश : भारतीय सामाजिक मुद्दे एवं परम्परायें।
- मुखर्जी रविन्द्र नाथ : भारतीय सामाजिक संस्थायें।
- नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय के पी-एच०डी० ग्राम प्रवास (2014-15) की विभिन्न रिपोर्टों से संकलित।

डॉ० ज्ञानेश कुमार त्रिवेदी  
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,  
समाजकार्य विभाग,  
नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय इलाहाबाद।

## वर्तमान जीवन शैली में योग की सार्थकता — तुषार रंजन

‘योग’ शब्द ‘युज समाधौ’ आत्मनेपदी दिवादिगणीय धातु में ‘घञ्’ प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। इस प्रकार ‘योग’ शब्द का अर्थ हुआ—समाधि अर्थात् चित्त वृत्तियों का निरोध। वैसे ‘योग’ शब्द ‘युजिर योग’ तथा ‘युज संयमने’ धातु से भी निष्पन्न होता है किन्तु तब इस स्थिति में योग शब्द का अर्थ क्रमशः योगफल, जोड़ तथा नियमन होगा।

योग भारत में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने (योग) का काम होता है। यह शब्द, प्रक्रिया और धारणा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म में ध्यान प्रक्रिया से सम्बंधित है। योग शब्द भारत से बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्री लंका में भी फैल गया है और इस समय सारे सभ्य जगत में लोग इससे परिचित हैं। इतनी प्रसिद्धि के बाद पहली बार 99 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है।

योग एक प्राचीन कला है जिसकी उत्पत्ति भारत में लगभग 6000 साल पहले हुई थी। पहले समय में, लोग अपने दैनिक जीवन में योग और ध्यान, पूरे जीवनभर स्वस्थ और ताकतवर बने रहने के लिए किया करते थे। फिर भी, इस भीड़ वाले व्यस्त वातावरण में योग करना दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है।

योग बहुत ही सुरक्षित क्रिया है और किसी के भी द्वारा किसी भी समय की जा सकती है, यहाँ तक कि इससे बच्चे भी लाभ ले सकते हैं। योग वह क्रिया है, जिसके अन्तर्गत शरीर के विभिन्न भागों को एक साथ लाकर शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को सन्तुलित करने का एक अभ्यास है। पहले समय में, योग का अभ्यास ध्यान की क्रिया के साथ किया जाता था।

वास्तव में, योग वह क्रिया है, जो शरीर के अंगों की गतिविधियों और सांसों को नियंत्रित करता है। यह शरीर और मन, दोनों को प्रकृति से जोड़कर आन्तरिक और बाहरी ताकत को बढ़ावा देता है। यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह एक मनुष्य को मानसिक, भावनात्मक



और आत्मिक विचारों पर नियंत्रण करने के योग्य बनाता है। इसका अभ्यास लोगों के द्वारा किसी भी आयु में किया जा सकता है, जैसे— बचपन, किशोरावस्था, वयस्क या वृद्धावस्था। इसके लिए नियंत्रित सांस के साथ सुरक्षित, धीमें और नियंत्रित शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है।

योग और इसके लाभों के बारे में दुनियाभर के लोगों को जागरूक करने के लिए वार्षिक रूप से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर (अंतरराष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस) कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है

हम योग से होने वाले लाभों की गणना नहीं कर सकते हैं, हम इसे केवल एक चमत्कार की तरह समझ सकते हैं, जिसे मानव प्रजाति को भगवान ने उपहार के रूप में प्रदान किया है। यह शारीरिक तंदरुस्ती को बनाए रखता है, तनाव को कम करता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है, नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करता है और भलाई की भावना, मानसिक शुद्धता, आत्म समझ को विकसित करता है, साथ ही प्रकृति से जोड़ता है।

**योग के लाभ :-** आधुनिक युग में योग का महत्व बढ़ गया है। इसके बढ़ने का कारण व्यस्तता और मन की व्यग्रता है। आज के हर एक व्यक्ति को योग की आवश्यकता है। क्योंकि मन और शरीर अत्यधिक तनाव, वायु प्रदूषण तथा भागमभाग के चलते रोगग्रस्त हो चला है। योग करने से शरीर की अतिरिक्त चर्बी जलती है जिससे मोटापे पर नियंत्रण होता है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है जिससे कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण होता है, जिससे अनेक प्रकार की व्याधियां स्वयं नियंत्रित रहती हैं।

यद्यपि वर्तमान जीवन शैली में योग के अनगिनत लाभ को सूचीबद्ध करना उसे सीमा में बांधने जैसा दुष्कर है फिर भी योग के कुछ लाभों को निम्नवत् व्यक्त किया जा सकता है—

- योगासनों को करने से बुद्धि की वृद्धि होती है। इससे शरीर को नई स्फूर्ति एवं ताजगी मिलती है। इससे मन से नकारात्मकता घटती है और व्यक्तियों के विचार पॉजिटिव होते हैं।
- शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं सुंदरता बढ़ने के लिए भी योग फायदेमंद है। मुहांसों से लेकर, झुर्रिया और बालों को सुंदर बनाने में भी योग महत्वपूर्ण है।

- योग करने से मन शांत रहता है। योग के स्वास्थ्य के लिए इतने अनगिनत फायदे हैं, जिससे पूरा संसार अब योग की ओर बढ़ रहा है।
- स्त्रियों की शारारिक रचना के लिए भी योगासन विशेष अनुकूल हैं। इससे उनमें सुन्दरता, विकास, सुघड़ता और गति, सौन्दर्य आदि तरह के गुण आते हैं।
- योग करने से शरीर संतुलित रहता है। साथ ही सांस लेने और संतुलन वाले आसनों पर केंद्रित होने के कारण मस्तिष्क भी शांत रहता है।
- योग का नियमित अभ्यास करने से रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। बुढ़ापे का असर जल्दी नहीं पढ़ता हैं चेहरे पर चमक आती है शरीर स्वस्थ, निरोग और बलवान बनता है।
- मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। दाहिना भाग शरीर के बायें हिस्से को तथा बाया भाग शरीर के दाहिने हिस्से को संचालित करता है। यह कहना है डॉ. सिल्वा का, उनके अनुसार दिमाग के दोनों भागों को विकसित किये बिना सम्पूर्ण मस्तिष्क को विकसित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया की मनुष्य योग और व्यायाम के जरिये अपने मस्तिष्क के दोनों भागों को सक्रिय कर सकता है। योग से विचार करने की क्षमता, समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति और वृद्धावस्था में होने वाले रोग जैसे लकवा, पार्किंसन, अल्जाइमर, अनिद्रा आदि अनेक भविष्य में आने वाली समस्याओं से निजात मिलती है।

**सूर्य नमस्कार :-** यह योगासनो में सबसे श्रेष्ठ क्रिया है। यह अकेला आसन मनुष्य को अन्य आसनो के बराबर लाभ पहुँचाने में सक्षम है। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, बच्चे, वयस्क तथा बुजुर्ग सभी के लिए लाभदायक है। यह 12 शक्तिशाली योग आसनों का सामान्य है। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ है सूर्य को अर्पण या नमस्कार करना। अगर आपके पास समय की कमी है और आप चुस्त-दुरुस्त और तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई आसान नहीं हो सकता है।

**नेचुरोपैथी :-** नेचुरोपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है जिसमें दवाओं का उपयोग किये बिना रोगों को ठीक किया जाता है। यह एक प्राचीन और पारंपरिक विज्ञान है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को एकीकृत करता है। नेचुरोपैथी में कई रोगों को रोकने की क्षमता है और जो रोग हो चुके हैं उसका इलाज आप कर सकते हैं। इसे चार भागों में वर्गीकृत किया गया है—

**भोजन, मिट्टी, पानी और मालिश थेरेपी**

**खाद्य थेरेपी :-** खाद्य थेरेपी की बात की जाये तो हम इसमें कोशिश करते हैं की जितना संभव हो किसी भी आहार को उसके प्राकृतिक रूप में ही खाया जाये। प्राकृतिक रूप में सेवन करने पर कई खाद्य पदार्थ अपने आप में एक दवा है। आपको इसमें मुख्य रूप से लेना है ताजे फल, ताजा हरी पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित अनाज।

आहार को लेना ही काफी नहीं है आपको इस बात पर गौर करना होगा की किस चीज को कितने अनुपात में लेना है। साथ ही आपको अपने पेट का कुछ हिस्सा खाली भी छोड़ना जरूरी है।

**मिट्टी थेरेपी :-** मिट्टी थेरेपी शरीर से मादक द्रव्यों निकालने के लिए, मिट्टी का स्नान और मिट्टी का लैप दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। यह विशेष रूप से उच्च रक्तचाप, तनाव, सिर दर्द, चिंता, कब्ज, गैस्ट्रिक और त्वचा विकार आदि बीमारियों के लिए किया जाता है। उनक जेमतंचल पद छंजनतवचंजील बहुत ही प्रभावी है।

**जल चिकित्सा :-** जल चिकित्सारू नेचुरोपैथी में जल चिकित्सा भी अपनाई जाती है जिसमें स्वच्छ, ताजे और ठंडे पानी का उपयोग किया जाता है। इस उपचार के बाद, शरीर ताजा और सक्रिय महसूस करता है। इस चिकित्सा के अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग परिणाम है। **हिप बाथ** आपके जिगर, बड़ी आंत, पेट, और गुर्दे की दक्षता में सुधार करता है। **फुल स्टीम बाथ** आपकी त्वचा के पोर्स को खोलता है और मादक द्रव्यों को बाहर निकालता है। एक **हॉट फूट बाथ** आपको अस्थमा, घुटने के दर्द, सिर दर्द, अनिद्रा, और मासिक धर्म जैसी अनियमितताओं के साथ मदद करता है। इसके अलावा पुरे शरीर की **पानी से मालिश** की जाती है जिससे विषाक्त पदार्थों को शरीर से दूर किया जाता है।

**निष्कर्ष** :- वर्तमान समय में व्यक्ति भौतिकवाद में इतना उलझा हुआ है कि वह स्वयं अपनी इच्छाओं का दास बनकर रह गया है। इस भगदौड़ में वह अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ को सतत रूप से खो देने की ओर तीव्रतम रूप से अग्रसर है। किन्तु कब तक ? एक न एक दिन उसे समझ में आता है, पर तब तक वह इतना खो चुका होता है कि उसकी पूर्ति या तो असम्भव होती है या अत्यंत दुष्कर। पर वह अब सचेत हो रहा है और प्रकृति के मूल को समझने लगा है, उसे यह आभास तो हो ही गया है कि प्राकृतिक क्रियाओं और औषधियों की सहायता से ही इस प्रकृति प्रदत्त शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखा जा सकता है, जिसके लिए योग ही सर्वथा सार्थक सिद्ध होगा।

### संदर्भग्रंथ सूची

- योगासन एवं प्राणायाम— योगी उदय
- रोगमुक्तिसाठी 'योग' — डॉ. अनिल पाटिल
- पुरातन योग एवं धर्म — रमेश चतुर्वेदी
- प्रेम योग— स्वामी विवेकानन्द
- प्राण, मुद्रा और कुंडलिनी योग— योगी उदय
- गर्मियों में योग कैसे करें— महेश मोदी

तुषार रंजन  
शोध—छात्र (शिक्षाशास्त्र)  
नेहरू ग्राम भारती वि. वि. इलाहाबाद

## एकात्म मानववाद: राष्ट्रपुनर्निर्माण की प्रस्तावना — प्रबुद्ध मिश्र

समकालीन भारतीय दार्शनिक चिन्तन में पं० दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' का एक विशिष्ट स्थान उनके मूलगामी प्रवृत्ति, समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण और दार्शनिक निष्कर्षों के कारण है। पं० दीनदयाल उपाध्याय ऐसी कालावधि में रहे, जिसमें उन्हें गुलाम भारत और स्वतन्त्र भारत के समस्याओं का साक्षात् अनुभव हुआ। उन्हें यह बोध हुआ कि शान्ति की स्थापना और प्रगति के लिये मनुष्य के भौतिकवादी संघर्ष को रोकना आवश्यक है। इस समस्या का समाधान के रूप में पं० दीनदयाल उपाध्याय ने दुनिया में साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद के विकल्पी के रूप में एक संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और दार्शनिक विचार दिया। उन्होंने अपने इस दर्शन को एकात्म मानव का दर्शन कहा।

सन् 1965 में जब पूरा देश 1962 की चीन के धोखे से की गई जंग से यूरोपीय अवधारणाओं, समाजवाद, साम्यवाद के प्रति वितृष्णाक से भरा हुआ था। देश के निशाने पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे और उनका माओ के साम्यवादी चीन के प्रति अगाध विश्वास था, जो युद्ध के बाद टूट गया था। उसी वर्ष सन् 1965 में ही दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनसंघ का अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन में सभी प्रतिनिधियों ने एकात्म मानव दर्शन को न केवल स्वीकार किया, बल्किन विश्व की तमाम राजनीतिक व्यवस्था की विचारधाराओं, साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद के विकल्प के रूप में इसे देखा गया। यह भी कहा गया कि यह कोई वाद नहीं था। बल्कि, इसे एकात्म मानव दर्शन कहा गया। जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख राजनीतिक दर्शन बन गया।

एकात्म मानववाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश की राजनैतिक व्यवस्था व अर्थतंत्र का गहन अध्ययन कर शुक्र, बृहस्पति, और चाणक्य की तरह आधुनिक राजनीति को बदलने के लिए रास्ता सुझाया। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति समाज व

सृष्टि का ही नहीं अपितु मानव के मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर का समुच्चय है।

बहरहाल, आज भारतीय जनता पार्टी देश में दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रतिनिधि चेहरा है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार बीजेपी का राजनीतिक दर्शन बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने इसी राजनीतिक दर्शन की वजह से देश की दक्षिणपंथी सियासत का प्रमुख चेहरा बनी हुई है, और जिस तरह से वामपंथी पार्टियों के पास कार्ल मार्क्स का दर्शन है, समाजवादियों के पास भी यूरोप की क्रांति से निकला दर्शन है, वैसे ही भारतीय दक्षिणपंथियों के पास एकात्म मानववाद एक दार्शनिक विचार है।

एकात्म मानववाद को सर्पिलाकार मण्डलाकृति द्वारा समझा गया, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि कैसे केंद्र में व्यक्ति, व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक घेरा परिवार, परिवार से जुड़ा हुआ एक घेरा-समाज, जाति, फिर राष्ट्र, विश्व और फिर अनंत ब्रह्मांड को अपने में समाविष्ट किये हैं। इस आकृति से यह समझ आता है पूरी दुनिया ब्रह्माण्ड से लेकर व्यक्ति तक एक श्रृंखला में जुड़ी हुई है, और सभी का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है, यहां जीने के लिए कोई संघर्ष नहीं है। इस तरह यह दक्षिणपंथी विचारधारा यूरोप की survival of the fittest के विचार को नकारती है।

एकात्मा मानववाद इस मायने में सबसे ज्यामदा प्रासंगिक और उल्लेखनीय हुआ क्यों कि पहली बार किसी भारतीय व्यक्तित्व ने अपने राजनीतिक दल के लिए संपूर्ण भारतीय संस्कृति की सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक, आर्थिक जीवन शैली को एक विचार के रूप में अपनी पार्टी का दर्शन बना लिया। भारतीय सभ्यता और दर्शन राजनीतिक रूप से एक विचार बन गया।

इस तरह पंडित दीन दयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को बिखरी हुई बहुआयामी भारतीय चिंतन परंपरा को राजनीतिक दर्शन का आकार देने का श्रेय दिया जाता है। उनके इस दार्शनिक विचार को समाज के प्रतिनिधि के रूप में देखा गया। यही नहीं पंडित उपाध्याय ने भारतीय संदर्भों में अर्थनीति की भी कल्पना की और अपनी किताब भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा से, अर्थशास्त्र की भारतीय संकल्पना देश के सामने रखी। एकात्म मानववाद विश्वविद्यालय स्तरीय

पाठ्यक्रमों में सर्वत्र प्रचलित नहीं है। केवल किसी एक राजनैतिक पार्टी से जोड़ देने के कारण एकात्म मानववाद में निहित समाज दार्शनिक चिंतन भी दार्शनिक परम्परा में सम्यक रूप से विश्लेषित नहीं हो पाया। स्वतंत्र भारत में व्यक्ति और समाज की महत्ता की अक्षुण्णता को सहेजना परम आवश्यक है। इस हेतु समाज राजनीतिक दर्शन के मानववादी परम्परा में एकात्म मानववाद का तात्विक विवेचन को सर्वथा समीचीन और आवश्यक है।

पं० दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववादी दर्शन मूलतः मानवीय अनुभव और तर्कबुद्धि पर आधारित है। यह दर्शन इस मूल तथ्य पर बल देता है कि मनुष्य अपने संसार का निर्माता है— यह निर्माता मनुष्य विवेकशील होता है, तथा विवेकशीलता व्यक्ति में होती है। इसका सामूहिक स्वामित्व सम्भव नहीं है। आवश्यकता एक ऐसे समाज निर्माण की है, जिसमें 'रोमांटिकवाद' एवं 'बुद्धिवाद' दोनों का समन्वय हो। अर्थात् व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं सामाजिक व्यवस्था का सह अस्तित्व हो।

परन्तु एक वास्तविकता यह भी है कि मनुष्य ने ही सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओं की रचना की, किन्तु रचनाकार मनुष्य; अपनी रचना का दास हो गया। पं० दीनदयाल उपाध्याय के काल में व्यक्ति की महत्ता वैदेशिक गुलामी में खो गयी थी परन्तु वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारवाद के चलते समकालीन परिवेश में भी व्यक्ति की सम्प्रभुता तो कल्पना के परे की अनुभूति जैसी हो गयी है। 'सत्य' की जैसे कोई अपनी अवधारणा ही न रह गयी हो। उपयोगिता ही नैतिकता—अनैतिकता की कसौटी है। स्वतन्त्रता उपभोगवाद में रूपान्तरित की जा रही है— व्यक्ति उपभोग के लिये भी स्वतन्त्र नहीं— अपितु विवश किया जा रहा है। धर्म, राज्य, बाजार तथा समाज इन चारों के अवांछित बन्धनों से व्यक्ति के स्वतन्त्रता के लिये चिन्तन, दार्शनिक जगत् की वर्तमान समस्या है।

इन वर्तमान समस्याओं के आलोक में पं० दीनदयाल उपाध्याय के विचार अत्यन्त उपयोगी हैं। उनके विचार में प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों के लिए एकात्म मानववादी विचार मौलिक परिवर्तनवादी लोकतंत्र के अग्रदूत हैं, जो वर्तमान संकट से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। पं० दीनदयाल उपाध्याय ने व्यक्ति व समाज, स्वदेश व स्वधर्म, तथा परम्परा व संस्कृति जैसे गूढ़ विषय का अध्ययन, चिन्तन व मनन कर उसे

एक दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने शुक्र, बृहस्पति और चाणक्य की भांति आधुनिक राजनीति को शुचि और शुद्धता के धरातल पर खड़ा करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा की हमारी संस्कृति समाज व सृष्टि का ही नहीं अपितु मानव के मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर का समुच्चय है। उनके इसी विचार दर्शन को "एकात्म मानववाद" का नाम दिया गया है, जिसे अब एकात्म मानव दर्शन के रूप में भी जाना जाता है।

अतः व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के बीच उन जीवन-मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठापित करने में जिसमें कि स्वतन्त्रता, समानता और शान्ति की स्थापना करके प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। समस्त मानवों के कल्याणार्थ परमश्रेय के रूप में 'सम्यक्त्व' को पुनः स्थापित किया जा सके एवं समकालीन विश्व की नई व्यवस्था – भूमण्डलीकरण में लुप्त होते समाज एवं सामाजिकता में 'व्यक्ति-स्वातन्त्र्य' में प्रतिपादित भावनाओं और पद्धतियों को उजागर कर के उसका समाज-दार्शनिक विश्लेषण और मूल्यांकन करना ही एकात्म मानववाद का प्रयोजन है।

#### सहायक ग्रन्थ सूची

- सम्पूर्ण वांगमय, पं० दीनदयाल उपाध्याय, 15 वाल्यूम, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016.
- एकात्म मानव दर्शन, श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी, पं० दीनदयाल उपाध्याय एवं श्री एम० स० गोलवलकर, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014.
- द टू प्लान, पं० दीनदयाल उपाध्याय प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2015.
- एकात्म मानववाद पं० दीनदयाल उपाध्याय, साहित्य सदन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008.
- एकात्म मानववाद पं० दीनदयाल उपाध्याय, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014.
- पॉलिटिकल डायरी, पं० दीनदयाल उपाध्याय, सुरुचि प्रकाशन, 2014.
- नव मानववाद: स्वतंत्रता और लोकतंत्र का दर्शन, बी० एस० तारकुण्डे, वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर, 2006.

डॉ० प्रबुद्ध मिश्र

एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग

नेहरु ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०।



## हिन्दी का वैश्विक परिदृश्य — सलिल कुमार पाण्डेय

प्रस्तुत शोध पत्र में हिन्दी के वैश्विक परिदृश्य पर विभिन्न प्रमाणों एवं विद्वानों के कथनों के प्रकाश में विवेचित करने का प्रयास किया गया है। भारत का जैसे-जैसे विश्व के अनेक देशों से सम्पर्क बढ़ रहा है वैसे ही वैसे हिन्दी का प्रसार बढ़ रहा है। विश्व के अनेक देशों में प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक हिन्दी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी की गूँज सुनी जा चुकी है। भारत सरकार हिन्दी को संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए प्रयत्नशील है। भारत सरकार के अनेक प्रतिष्ठान विश्वस्तर पर हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए कृत संकल्प है। शोध-पत्र में उन विद्वानों के निष्कर्षों पर भी समीक्षात्मक दृष्टि डाली गयी है जो हिन्दी के वैश्विक प्रसार को आँकड़े सहित प्रमाणित करते हैं। हिन्दी साहित्य के वैश्विक प्रसार हेतु सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले फादर कामिल बुल्के तथा डॉ० ओदोलन स्मेकल का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया है। शोध-पत्र में भारतीयों को सावधान रहकर हिन्दी के वैश्विक प्रचार-प्रसार में अपने नैतिक, वैधानिक तथा सांस्कृतिक कर्तव्य के प्रति सतत सचेष्ट रहने की अपेक्षा की गयी है। भारत सरकार की पत्रिका राजभाषा भारती सहित अन्य पत्रिकाओं तथा पुस्तकों का संदर्भ स्वरूप से उद्धृत किया गया है। यह निष्कर्ष स्थापित किया गया है कि हिन्दी के वैश्विक परिदृश्य को स्वर्णिम बनाने का दायित्व हम सबका है।

भारत वर्ष की सांस्कृतिक आत्मा का नाम हिन्दी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिन्दी को भारत की सांस्कृतिक समरसता, चेतना को व्यक्त करने का गुरुतर दायित्व सौंपा गया है। हिन्दी का राष्ट्रीय स्तर पर उपकार स्वीकार करते हुए आचार्य विनोवा भावे कहते हैं कि यदि मैंने हिन्दी का सहारा न लिया होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से केरल तक के गांव-गांव में जाकर मैं भू-दान, ग्राम-दान का क्रांतिपूर्ण सन्देश जनता तक न पहुंचा पाता। यदि मैं मराठी का सहारा लेता तो महाराष्ट्र से बाहर और कहीं काम न बनता। इसी तरह

अंग्रेजी भाषा को लेकर चलता तो कुछ प्रान्तों में तो काम चलता, परन्तु गांव-गांव जाकर क्रान्ति की बात अंग्रेजी द्वारा नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिन्दी भाषा का मुझ पर बड़ा उपकार है।<sup>1</sup>

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि ने विश्वस्तरीय प्रतिष्ठाएं प्राप्त की पर वे अपनी मातृभाषा से जुड़े रहे और उन्होंने अनेक विलक्षण कार्य सम्पन्न किए। मातृ भाषा से जुड़ा रहना अत्यन्त संवेदनात्मक तथा भावनात्मक पक्ष है। महात्मा गांधी ने कहा था कि “युवक और युवतियाँ अंग्रेजी और दुनिया की दूसरी भाषाएं खूब पढ़ें और जरूर पढ़ें। लेकिन उनसे मैं आशा करूंगा कि वे अपने ज्ञान का प्रसाद भारत को और संसार को उसी तरह प्रदान करेंगे, जैसे बोस, राय और स्वयं कवि रवीन्द्रनाथ ने प्रदान किया है। मगर मैं हरगिज यह नहीं चाहूंगा कि कोई भी हिन्दुस्तानी अपनी मातृभाषा को भूल जाए या उसकी उपेक्षा करे या उसे देखकर शरमाए अथवा यह महसूस करे कि अपनी मातृभाषा के जरिए वह ऊँचे से ऊँचा चिन्तन नहीं कर सकता है।”<sup>2</sup>

हिन्दी भारत की राजभाषा है जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में हिन्दी की पढ़ाई होती है। दक्षिण अफ्रीका, मॉरीशस, सूरीनाम, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों में हिन्दी का व्यापक प्रचार-प्रसार है। हिन्दी एक जीवनचर्या और संस्कार की भाषा है। आजादी की लड़ाई के लिए महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और सुभाषचन्द्र बोस ने हिन्दी को ही सत्याग्रह और आंदोलन के लिए मध्यम भाषा के रूप में अपनाया। दयानन्द सरस्वती ने आर्य-समाज के लिए हिन्दी का ही चयन किया और इसे संस्कृति भाषा की संज्ञा दी। सुभाषचन्द्र बोस की आजाद हिंद फौज की व्यवहार भाषा हिन्दी ही थी।<sup>3</sup>

हिन्दी की प्रगति यात्रा निरन्तर जारी है। उसके उन्नयन के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। अब राष्ट्र स्तर पर गम्भीरतापूर्वक महसूस किया जाने लगा है कि हिन्दी को विश्व प्रतिष्ठा दिलाने का तात्पर्य भारतीय सांस्कृतिक चेतना को विश्वस्तरीय महत्ता दिलाना है। हिन्दी की यह प्रगति विस्मयकारी है। जितेन्द्र निर्मोही ने लिखते हैं कि “विश्व में कुल 2800 भाषाएँ हैं, हिन्दी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। सम्पूर्ण विश्व में हिन्दी भाषाओं की संख्या लगाग 40 करोड़ है इसका

अपना विशाल शब्द सामर्थ्य भण्डार 2 करोड़ 11 लाख 50 हजार शब्द है। ये लगभग 40 देशों के 110 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। अमेरिका के अधिकांश विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। आज के इस वैश्वीकरण के युग में अमेरिका के राष्ट्रपति वहां के विदेश मंत्री भी हिन्दी में संवाद बोलते दिखाई देते हैं। अमेरिका न्यूयार्क के मेन्स स्ववायर में भारतीय प्रधानमंत्री जब हिन्दी में बोलते हैं तो सारे संसार में सुना जाता है। यह हिन्दी की अपनी यात्रा है विदेशों में भी आज “सबका साथ सबका विकास” समझा जाने लगा है, फिर हिन्दी का विकास क्यों प्रश्न-चिन्ह बने? हमको अब वह कारक ढूँढने होंगे। यदि देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा कारक हमारी राजनीतिक इच्छाशक्ति रही है। जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष विदेशों में अंग्रेजी बोलेंगे तो हिन्दी को कौन मान्यता देगा। अब हमारे प्रधानमंत्री यह समझ गये हैं कि हिन्दी हमारी भावना से जुड़ी है, उन्होंने यू0एन0ओ0 व अन्य राष्ट्राध्यक्षों से हिन्दी में ही संवाद करने पर जोर देना होगा। इस भावना को हमारे पूर्व राष्ट्रपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने समझा, उन्होंने हिन्दी सीखा। जब हमारे प्रधानमंत्री हिन्दी बोलते हैं तो उसका सीधा-साधा असर मंत्रिमण्डल, कैबिनेट सचिव, राज्य स्तरीय सचिव, राज्यपालों और विदेशी सेवा से जुड़े अधिकारियों पर होता है। वह सब अब समझने लगे हैं हिन्दी विपन्न भाषा नहीं है।<sup>4</sup> बढ़ रही है अपनी हिन्दी अब यह कथन अजूबा नहीं रह गया है। कुछ वार्तालाप सुनिए— “हंगरी के छात्र पीटर का कहना है—‘हिन्दी भाषा से मुझे अगाध लगाव है। भारतीय राजनीति पर मैं शोध कर रहा हूँ। विश्व की सभी भाषाओं में से स्पेनिश के साथ हिन्दी पसंदीदा भाषा है।’ रूस की छात्रा येवोनिया का कहना है— ‘मुझे हिन्दी फिल्में देखना अच्छा लगता था। गाने भी पसंद आते थे। सो मैंने फैसला किया हिन्दी पढ़कर रहूंगी और फिर मैं हिन्दी पढ़ने लगी। हिन्दी जुबान ने मेरे दिल को छू लिया।’<sup>5</sup>

डॉ० जयन्ती प्रसाद नौटियाल ने अनेक वर्षों तक कठोर श्रम निष्ठ शोध कर हिन्दी के वैश्विक परिदृश्य पर गम्भीरतापूर्वक प्रामाणिक प्रकाश डाला है। हिन्दी विश्व में सबसे अधिक बोली व समझी जाती है तथा यह विश्व की सबसे लोकप्रिय भाषा है, यह मैंने अपनी शोध में सिद्ध किया है। इस शोध को समय-समय पर अद्यतन किया जाता रहा है ताकि हर दो तीन साल के कालखंड में भाषा गत परिदृश्य में आए परिवर्तनों को

रेखांकित किया जा सके। अब तक प्रकाशित हुई शोध रिपोर्टों का सार निम्नवत् है— (आकड़े मिलियन में)

शोध रिपोर्ट का वर्ष	विश्व में हिन्दी जानेन वाले	विश्व में चीनी जानेन वाले	अंतर
शोध रिपोर्ट 1997	800	730	70
शोध रिपोर्ट 2005	1022	900	122
शोध रिपोर्ट 2007	1023	920	103
शोध रिपोर्ट 2009	1100	967	133
शोध रिपोर्ट 2012	1200	1050	150
शोध रिपोर्ट 2015	1300	1100	200
स्रोत: डा0 जयन्ती प्रसाद नौटियाल द्वारा किया गया शोध अध्ययन सन् 2015 (अनुमानित आँकड़े)			

यह शोध रिपोर्ट इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि हिन्दी जानने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है तथा यह निरन्तर बढ़ती जा रही है। हिन्दी भाषा की लोकप्रियता और उसका प्रभाव मंडल केवल भारत या भारत के पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं है बल्कि सुदूर कैरेबियाई राष्ट्रों तक फैला है। मारीशस, फीजी, गुयाना, सूरीनम, ट्रिनिडाड और टोबेगा जैसे देशों में यह राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। इतना ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और खाड़ी के देशों में हिन्दी बहुत लोकप्रिय है। विश्व की 18 प्रतिशत जनता हिन्दी जानती है। इसलिए अनेक देश अपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया में हिन्दी को स्थान दे रहे हैं। इतना ही नहीं भारतीय फिल्मों और टी0वी0 के कार्यक्रम भी विश्व के कई देशों में चाव से देखे जा रहे हैं।<sup>6</sup>

हिन्दी कभी गिरमिटिया मजदूरों के साथ भारत से बाहर गयी थी वहां जहां भी गयी उसने प्रतिष्ठा पूर्ण स्थान बनाया। भारत का संबंध विदेशों के साथ अधिकाधिक प्रगाढ़ होता जा रहा है। भारत 'विद्या' तथा 'धन' दोनों रूपों में विश्व के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। भारत की योग आयुर्वेद तथा अन्यान्य विधाएं विश्व स्तर पर उपयोगी साबित हो रही हैं। भारत 'विश्वग्राम' का एक प्रमुख बाजार भी बन गया है।

वहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जाने-अनजाने हिन्दी का प्रचार-प्रसार कर रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारतवर्ष में यदि सामान बेचना है तो

हिन्दी को माध्यम बनाना पड़ेगा। बाजार से लेकर विचार तक अपनी संप्रेषण-क्षमता के कारण हिन्दी का भूमंडलीकृत भाषा के रूप में अनायास प्रचार-प्रसार हो रहा है। हिन्दी विज्ञापन की भाषा बन रही है। अपनी समावेशी प्रवृत्ति के कारण यह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक क्या इण्टरनेट जैसे माध्यमों से जुड़कर अपनी सार्थकता सिद्ध कर रही है। सोशल मीडिया के साथ-साथ ब्लॉग और इ-पत्रिकाओं के माध्यम के रूप में हिन्दी जिस तरह पैर पसार रही है, उससे वैश्विक भाषा बनने का सपना सच साबित हो रहा है। आज ऐसे साफ्टवेयर विकसित हो चुके हैं, जिनसे हिन्दी तकनीकी दृष्टि से समृद्ध हो रही है। जाहिर है, सामान्य जन से जुड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को भी जनभाषा के सहयोग की अपेक्षा रहती है। 'व्हाट्सएप' के माध्यम से हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है। 'आक्सफोर्ड डिक्शनरी' हिन्दी शब्दों को सम्मिलित कर एक नया इतिहास बना चुकी है। अमेरिका में अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'इण्टरनेशनल रोटरी क्लब- ने भी सर्वसम्मति से हिन्दी प्रयोग को मान्यता प्रदान की है। प्रवासी भारतीयों ने प्रचुर मात्रा में साहित्य-सृजन किया है, जिन पर शोध-कार्य हुए हैं। भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री बी०डी० जत्ती ने प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन के समापन भाषण में कहा था - 'हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हुआ है। वह इस कारण से नहीं कि यह देश की बहुसंख्या की भाषा थी, बल्कि इसलिए भी कि हमारे देश की भाषाओं की जननी संस्कृत के यह अधिक समीप है और हमारी पुरातन परम्पराओं की अभिव्यक्ति तथा आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।'<sup>7</sup>

विश्व में हिन्दी नित्य प्रसारित हो रही है। मारीशस विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां संसद ने हिन्दी के वैश्विक प्रचार के लिए और उसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की अधिकृत भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए विश्व हिन्दी सचिवालय की स्थापना की है। 12 लाख आबादी वाले इस द्वीप में पांच लाख हिन्दी भाषी है। मनोरंजन के साधन रेडियो, टेलीविजन आदि पर भी हिन्दी कार्यक्रमों को प्रधानता मिल रही है। लगभग 48842 छात्र हिन्दी पढ़ और सीख रहे हैं। लेखन की बात करें तो विदेश में सर्वाधिक व्यवस्थित लेखन मारीशस में ही देखने को मिलता है।<sup>8</sup>

प्रो० करुणाशंकर उपाध्याय ने अनेक देशों का शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भ्रमण किया है उन्होंने अपनी आँखों से देखा और कानों से

सुना लिखा है। वे हिन्दी के वैश्विक परिदृश्य की विवेचना करते हुए लिखते हैं कि “हिन्दी विश्व के विराट फलक पर नवलचित्र के समान प्रकट हो रही है। वह बोलने वालों की संख्या के आधार पर मन्दारिन (चीनी) के भी ऊपर आकर विश्व की पहली सबसे बड़ी भाषा बन गई है। जबकि वह जिन राष्ट्रों में प्रयुक्त हो रही है उनके संख्याबल की दृष्टि से वह अंग्रेजी के बराबर पहले स्थान पर है। अब विश्व स्तर पर उसकी स्वीकार्यता अनुभव की जा सकती है और उसका सर्वतोन्मुखी जागतिक उन्नयन देखा जा सकता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनने के लिए उसके द्वार पर दस्तक दे रही है और मॉरिशस में बनाए गए विश्व हिन्दी सचिवालय में प्रतिष्ठा सहित आसीन है। वह अपनी विपुल शब्द सम्पदा तथा प्रयोग वैविध्य के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सन्दर्भों, सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक चिन्ताओं तथा आर्थिक विनियम की संवाहक बनकर विश्व मन की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करने के क्षेत्र में अपना सामर्थ्य का परिचय दे रही है। हिन्दी को वैश्विक परिदृश्य प्रदान करने में फिल्मों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशन संस्थानों, भारत सरकार के उपायों, उपग्रह चैनलों, विज्ञापन एजेन्सियों, बहुराष्ट्रीय निगमों, यांत्रिक सुविधाओं तथा साहित्यकारों का आधारभूत प्रदेय तो सर्वविदित है। ऐसी स्थिति में विश्व व्यवस्था को परिचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रयुक्त होने वाली विश्वभाषा के टोस निष्कर्ष एवं प्रतिमान पर हिन्दी का गहन परीक्षण सामयिक दौर की अपरिहार्य मांग है।<sup>9</sup> हिन्दी के वैश्विक लोकप्रियता को देखते हुए डॉ० श्री प्रकाश शुक्ल को राजभाषा भारती के सम्पादकीय में लिखना पड़ा—बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में हिन्दी साहित्य की एक सशक्त भाषा के साथ-साथ वाणिज्य, जनसंचार, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं राजकाज की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई।<sup>10</sup>

फादर कामिल बुल्के ने हिन्दी के वैश्विक स्वरूप को स्वर्णिम स्वरूप दिया था। उपेन्द्र कुमार शुक्ल के शब्दों में दो लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों का परिचय इस प्रकार है। “फादर कामिल बुल्के का 17 अगस्त 1982 को उनकी मौत के बाद तत्कालीन हिन्दी सेवी सांसद शंकर दयाल सिंह ने कहा था— जह कभी हिन्दी के बारे में कोई संयत विचार होगा, चाहे वह विश्व की हिन्दी सम्मेलन के मंच पर हो या केन्द्रीय समिति की बैठक में

अथवा किसी सभा समिति में सभी को बस एक चेहरा याद आएगा—फादर कामिल बुल्के का। इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि उन्होंने हिन्दी के लिए क्या योगदान किया। आज जब भी हमें अंग्रेजी—हिन्दी शब्दकोष की याद आती है, तो हमारी जबान पर सबसे पहला नाम फादर कामिल बुल्के के शब्दकोष का ही आता है। संत साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रांची के सेंट जेबियस कालेज में हिन्दी का अध्यापन करते समय इस शब्दकोश की रचना की थी। कहा भारत और कहां बेल्जियम, लेकिन कामिल बुल्के के लिए भारत अपनी मातृभूमि से कहीं ज्यादा प्यारा था। बेल्जियम के वेस्टफ्लैडर्स प्रांत के एक गांव रांपस में 1 सितंबर, 1909 को पैदा हुए बुल्के के घर वाले उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन इस पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी नहीं थी इसके चलते उन्होंने रोम की तरफ रुख किया और यहाँ के ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय से सन् 1932 में दर्शन शास्त्र में एम०ए० किया। यहीं उनका भारतीय दर्शन से परिचय हुआ, और उन्होंने भारत आने का निश्चय किया और सन् 1935 में जब उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा तो मानो उनकी मुराद ही पूरी हो गई। यहां तुलसी साहित्य से उनका परिचय हुआ। लेकिन उसे समझने के लिए हिन्दी सीखना जरूरी था। लिहाजा सन् 1936 में उन्होंने हिन्दी सीखना आरंभ किया। हिन्दी के प्रति इस प्यार ने उन्हें संस्कृत से भी जोड़ दिया और बुल्के ने सन् 1945 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत की डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इलाहाबाद रुख किया और सन् 1947 में यहा से एम०ए० और सन् 1949 में डी०फिल की डिग्री हासिल की। सन् 1939 से लेकर 1942 के बीच वे धर्मशास्त्र का भी अध्ययन करते रहे। धर्मशास्त्र, संस्कृत एवं हिन्दी के अध्ययन ने उन्हें हिन्दी भाषा पर जबरदस्त पकड़ हासिल कराया। विदेशी धरती पर हिन्दी की अलख जलाने वाले विद्वान की कड़ी में अगला नाम चेकोस्लोवाकिया के डॉ० ओदोलन स्मेकल का है जो अपनी चमत्कारिक हिन्दी कविताओं के लिए काफी विख्यात हैं। उनकी पत्नी हेलन भी हिन्दी प्रेमी है उनके भारत प्रेम का उदाहरण उनके दोनों संताने भी है जिनका नाम उन्होंने इंदिरा और अरुण रखा है। डॉ० ओदोलन स्मेकल ने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम०ए० और पी०—एच०डी० की डिग्री हासिल की। उसके बाद वहीं हिन्दी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। तीस वर्षों तक

प्राध्यापक के पद की सुशोभित करने के बाद आप कई वर्षों तक विभागाध्यक्ष भी रहे। डॉ० ओदोलन स्मेकल ने हिन्दी साहित्य की कई रचनाओं को चेक भाषा में अनूदित किया, जिसमें प्रमुख हैं— गोदान (1957), आधुनिक हिन्दी कविता संकलन (1975), भारतीय लोक कथाएं (1967, 1974)। इसके अलावा उन्होंने हिन्दी कवियों की ढेरों रचनाओं और लोक कथाओं का अनुवाद भी किया है जिन्हें संकलित किया जा रहा है। आपने यूरोप में हिन्दी भाषा सरलता से सीखने के लिए हिन्दी वार्तालाप, हिन्दी पाठमाला, हिन्दी भाषा, हिन्दी क्रियाएं जैसी कई पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन भी किया। भारत और हिन्दी के प्रति उनका यह प्यार ही रहा कि उन्हें चेक सरकार ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया था।" फादर कामिल बुल्के और डॉ० ओदोलन स्मेकल ने हिन्दी सीखकर और उसमें उच्चस्तरीय साहित्य रचकर यह प्रमाणित कर दिया कि हिन्दी का वैश्विक स्वरूप जीवन्त है।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची—

1. राजभाषा भारती, अप्रैल-जून 2015, पृ० 15
2. राजभाषा भारती, अप्रैल-जून 2015, पृ० 43
3. राजभाषा भारती, राष्ट्रभाषा अप्रैल-जून 2015, पृ० 16
4. निर्मोही जितेन्द्र, मानव संगम 2016 पृ० 132
5. जोशी आनन्द, मानस संगम 2016, पृ० 144
6. नौटियाल जयन्ती, राजभाषा भारती, जुलाई-सितम्बर, 2015, पृ० 12-13
7. त्रिपाठी व्यास मणि हिन्दुस्तानी जबान जुलाई सितम्बर 2017
8. अग्रवाल लता, राजभाषा भारती अप्रैल-जून 2015 पृ० 14
9. उपाध्याय करुणाशंकर, हिन्दी का विश्व संदर्भ (राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली) पृ० 5-6
10. शुक्ल श्री प्रकाश, संपादकीय राजभाषा भारती अप्रैल जून 2015

डॉ० सलिल कुमार पाण्डेय  
पूर्व प्रवक्ता-राजनीति विज्ञान विभाग,  
पी०डी०आर०पी०जी० कालेज, तिलौरा, गोरखपुर  
प्रबन्ध सम्पादक, चेतनता शोध पत्रिका  
पूर्व सदस्य भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद,  
सदस्य भारतीय इतिहास संकलन योजना (नई दिल्ली)



## हिमालय की नाग संस्कृति—एक विवेचना — विजय बहादुर सिंह यादव

दक्षिण गढ़वाल के आर्य—नरेश दक्ष प्रजापति की पुत्री और कश्यप पत्नी कद्रू से नागों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद में असुरोपासक आर्यों की जिस पर्वतीय शाखा को 'अहि' एवं 'असुर' कहा गया है, उसे नग (पर्वत) निवासी होने के कारण कालान्तर में नाग भी कहा गया है। पर्वतश्रित वृत्रासुर को नागवंश में सबसे प्रथम उत्पन्न होने का गौरव प्राप्त है।<sup>1</sup> असुरराज शम्बर को भी स्पष्टतः अहि नाग और दानव कहा गया है।<sup>2</sup> नाग राजा कृष्ण अंशुमती नदी के तट पर रहता था। वह सूर्य के समान द्रुतगामी और दीप्तिमान शरीर धारण कर सकता था। इन्द्र ने दस सहस्र नागों को मारकर नाग राजा कृष्ण को पराजित किया।<sup>3</sup> ऋग्वेद (3/33/7) में भी वृत्रासुर को 'अहि' कहा गया है।<sup>4</sup> यद्यपि ऋग्वेद में वृत्र और शम्बर को दनु का पुत्र कहा गया है, परन्तु एक ही पिता कश्यप से उत्पन्न होने से दनु की सन्तान को ऋग्वेद में उसके सौतेले भाईयों (अहियों) को सजातीय होने के कारण 'अहि' भी कहा जाता है। वृत्र की माता दनु का इन्द्र ने वध किया था।<sup>5</sup> 'आर्यों का आदि देश' में डॉ० सम्पूर्णा नन्द लिखते हैं कि "मूल में अहि शब्द आया है। अहि का अर्थ सर्प भी है, परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वृत्रासुर की कथा में वेद में वृत्रासुर को अहि कहा गया है। ऋग्वेद में कई स्थानों पर अहियों का उल्लेख है।"<sup>6</sup>

हरिराम धस्माणा ने दस सहस्र अहिमन्वियों का नागराज कृष्ण के नेतृत्व में सप्तबुध्नों के देश में रुद्र, मरुत और इन्द्र के साथ कई संघर्षों का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है।<sup>7</sup> ऋग्वेद<sup>8</sup> में इन्द्र को अंतरिक्ष में अहियों का नेता कहा गया है।<sup>9</sup> स्पष्ट है कि, इन्द्र और अहियों का निवास—स्थान अंतरिक्ष (स्वर्ग) अर्थात् गढ़वाल के पर्वत प्रदेश में था। गढ़वाल में आज तक 'कद्रू का हैने नाग और विनता का गरुण' की गीत गाथा प्रचलित है। नागों के निवास स्थान को नागपुर अथवा नागलोक कहते हैं। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को अहिक्षेत्र अहिर्मुध्न, चन्द्रबुध्न और बुध्न कहा गया है। पुराणों में नागपुर (नागलोक) को भ्रमवश पाताललोक भी कहा गया है। राजा भागीरथ नन्दन वन के निकट जहाँ वासुकि आदि

नाग तप करते थे, गंगा जी को 'नाग निलय' (नागपुर) पाताल ले गये।<sup>10</sup> नागपुर में रुद्रप्रयाग से उत्तर में रुद्रनाथ और उर्गम तक ऋग्वैदिक रुद्र के शासनकाल में दस सहस्र उद्दण्ड नागों का निवास स्थान था। उनकी उद्दण्डता और हिंसक प्रवृत्तियों से त्रस्त होकर राजा रुद्र ने अनेक अस्त्र-शस्त्रों से युक्त अपनी महती सेना द्वारा सहस्रों हिंसक नागों का वध किया था अन्त में नागराज कृष्ण के नेतृत्व में अहियों ने रुद्र से संधि करके उनका आश्रय स्वीकार किया। वाल्टर के 'गढ़वाल गजेटियर' (पृ0सं0-111,187) में गढ़वाल में अनेक स्थानों पर इस रहस्यमयी नाग जाति के प्राचीन अवशेष पाये जाने का उल्लेख है। वह लिखते हैं कि, यहाँ एक ऐसी जाति थी जो नागों को पूज्य मानती थी। यहाँ की लोक-गाथाओं में उनके अनेक प्रतीकों द्वारा इस जाति के प्रतिनिधियों का परिचय मिलता है।<sup>11</sup> हीलर ने भी 'भारत का इतिहास' में गढ़वाल में नागों के अनेक प्राचीन अवशेषों का अस्तित्व स्वीकार किया है।<sup>12</sup> और अलकनन्दा की उपत्यका को परम्परानुसार नागों का आदि स्थान मानते हैं। उनके अनुसार, नागपुर और उर्गम पट्टियाँ नागों की प्राचीन ऐतिहासिक बस्तियों की सूचक हैं।

उत्तर गढ़वाल क्षेत्र में असुरों और नागों का बाहुल्य था। गंगा-सहस्रनाम में भगीरथ ने गंगा को 'नागालय निवासिनी', 'नागानां जननी चैव', 'नागप्रीतिविवर्द्धिनी', 'नागेश्वरसहया', 'कैलाशनिलया' आदि कहा है।<sup>13</sup> इससे प्रकट होता है कि टिहरी और गढ़वाल के उत्तर में गंगा नदी के उद्गम स्थल और नागपुर क्षेत्र तक नाग जाति का आदि स्थान गंगावतरण के समय, जब भगीरथ जहु ऋषि से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात् आगे भागीरथी का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे तब इस क्षेत्र में नागों ने उनके विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी थी। वे भगीरथ से बलपूर्वक गंगा के प्रखर प्रवाह को अपने नागनिलय नागपुर क्षेत्र की ओर ले जाने लगे। उस समय भी नाग जाति इतनी शक्तिशाली थी कि राजा भगीरथ स्वयं 'किंकर्तव्यं क्व गच्छामि को में दुःख निवारणे तु' कहते हुए नागों से भयभीत होकर उनकी विनय करने लगते हैं।<sup>14</sup> जब भगीरथ ने नाग नेता शेषनाग का विष्णु-भगवान कहकर पूजन किया तब नागों ने उन्हें मुक्त किया।

हरिराम धस्माणा लिखते हैं कि, रुद्र का देश ही नागपुर प्रान्त नाग-पर्वत करके प्रसिद्ध हो गया। उनकी पद-प्रतिष्ठा ज्यों-की-त्यों रह

गयी। नागवंशियों का राज—चिन्ह के आभूषणों में अपने रक्षक रुद्र को विभूषित किया। कवियों ने भी इस प्रान्त को 'अहिर्बुध्न' का नाम से प्रख्यात कर दिया और नागराज कृष्ण की मूल पुरुषों की श्रेणी में आ गया। पौराणिक समय का पुष्कर तीर्थ और नागनाथ का मन्दिर उसके स्मारक है। वह नाग जाति का स्वामी माना गया। यही पुष्कर तीर्थ वर्तमान पोखरी ग्राम है।

महाभारत (आदि 36/34) में शेषनाग का हिमालय में तपस्या हेतु आने का उल्लेख है।<sup>15</sup> रुद्रप्रयाग में शेष आदि अनेक नाग—महात्माओं की तपस्या का वर्णन है। नागों के निवास स्थान नागपुर में उनके परम आराध्यदेव शिव के अनेक मन्दिर स्थापित है, जहाँ अनेक नागकुल निवास करते हैं। यहाँ सुवर्ण आदि धातुओं की खानें हैं और ताम्रमय पर्वत है (स्वर्णादिधातुनिलयास्तथा ताम्रमया नागाः)।<sup>16</sup>

नागपुर (गढ़वाल) में 'शेतू' नामक गाँव में वहाँ की प्राचीन जनश्रुति के अनुसार जनमेजय का सर्प यज्ञ हुआ था। केदारखण्ड (80/29) से भी स्पष्ट है कि हिमालय के इसी प्रदेश में पुष्कर, वासुकि, तक्षक आदि नागराजाओं का राज्य था।<sup>16</sup> हो सकता है कि जनमेजय द्वारा पराजित तक्षक आदि नागराजाओं को अपना राज्य—विस्तार नागपुर गढ़वाल तक ही सीमित करना पड़ा हो।

नाग प्राणियों के हिंसक ही नहीं थे, वरन् उनमें अनेक परम महात्मा और सम्माननीय भी थे। वशिष्ठ ने भी अनेक नागों को महात्मा कहकर सम्मानित किया है।<sup>17</sup> ऋग्वैदिक काल में भी अहिमानवों में अनेक नागों का स्थान सर्वसाधारण मनुष्यों से अधिक आदरणीय था। कई विद्वानों के मतानुसार ऋग्वेद (10/189) के ऋषि सर्प—राज्ञी नागवंशी थे। महाराजा ययाति के पिता और पुरुरवा के पौत्र राजा नहुष को जिसने अपने तेज व तप से देवताओं को पराजित कर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ कर सहस्र वर्ष तक स्वर्ग लोग का उपभोग किया था। महाभारत में इन्हें नागराज और नागेन्द्र कहा गया है। नागराज आर्य पृथा (कुन्ती) के पिता शूरसेन के नाना थे। दुर्योधन द्वारा गंगा में डुबाये जाने पर अपने दौहित्र के दोहित्र भीमसेन को इन्होंने नागलोक में अमृत पिलाकर एक सहस्र हाथियों के समान बलवान बनाया था।

नाग-जाति शक्तिशाली ही नहीं वरन् अत्यन्त सभ्य और सुसंस्कृत भी थी। वेद पुराणों में नाग कन्याओं के साथ सभ्य आर्यों के विवाह-सम्बन्धों के दृष्टांत मिलते हैं। महाभारत के अनुसार नागपुर प्रदेश के निवासी कौरव्य नागराज की कन्या उलूपी से अर्जुन ने विवाह किया था। इस उर्गात्मजा उलूपी के द्वारा अर्जुन हरिद्वार से नागलोक (नागपुर) की ओर आकर्षित हुए थे। कालिदास ने भी कुमार सम्भव में हिमालय के मैनाक नामक पुत्र से नाग-कन्या के विवाह का उल्लेख किया है।

इस प्रकार, नागों की संस्कृति प्रारम्भिक अवस्था की संस्कृतियों में से एक है और यह बहुत ही समृद्ध रही है तथा आर्य संस्कृतियों से इनका अत्यन्त करीबी सम्बन्ध रहा है।

**सन्दर्भ सूची :-**

1. ऋग्वेद, 1/32/1, 2, 3, 5
2. ऋग्वेद 2/12/11
3. ऋग्वेद 8/85/13/14, 15
4. ऋग्वेद 3/33/7
5. ऋग्वेद 1/32/9
6. ऋग्वेद 35/13; ऋग्वेद 7/34/17
7. धस्माणा, हरि राम, ऋग्वैदिक इतिहास, पृ0सं0-93-127
8. ऋग्वेद 3/33/7
9. ऋग्वेद 10/106/3
10. केदारखण्ड, 38/1, 4
11. वाल्टर : 'गढ़वाल गजेटियर', पृ0सं0-111-187
12. हीलर : 'भारत का इतिहास'
13. केदारखण्ड, 28/32/33
14. केदारखण्ड, 38/5
15. महाभारत, आदि0 36/34
16. केदारखण्ड, 80/34/35
17. ऋग्वेद, 7/104/15, 17

डॉ० विजय बहादुर सिंह यादव  
एस० प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास विभाग,  
एम० जे० पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ०प्र०)।

## बुनियादी शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रासंगिकता — श्रवण कुमार एवं मीनू पाण्डेय

महान जीवविज्ञानी डार्विन ने अपने सिद्धान्त 'योग्यतम की अतिजीविता' (Survival of Fittest) में स्पष्ट किया कि वे जीव जिनकी विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी होती हैं तथा वातावरण में परिवर्तन के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेती हैं वही जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। इसी प्रकार जो समाज नवीन परिस्थितियों, समय एवं आवश्यकताओं के अनुसार अपनी संकीर्ण विचार धाराओं, अनुप्रयुक्त कार्य पद्धतियों, मिथ्या-मूल्यों को परिमार्जित नहीं करते, वे कतई विकसित नहीं हो सकते अपितु अतीत के स्पंदन में कहीं विलीन हो जाते हैं। यद्यपि कोई कार्य पद्धति या योजना असफल होती है तो हो सकता है कि उसके मौलिक स्वरूप में कुछ दोष हो, परन्तु इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हम, अर्थात् कार्य पद्धति या योजना को क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति कितनी भालि-भांति उसको समझते हैं, उसके प्रयोगिक स्तर पर कितना प्रशिक्षित है तथा प्राप्त ज्ञान को नवीन समस्याओं के प्रति समाधान स्वरूप किस हद तक सफल हो सकते हैं?

जहां तक बुनियादी शिक्षा की प्रासंगिकता का प्रश्न है तो इस शिक्षा प्रणाली की कुछ विसंगतियों के संदर्भ में आने वाले तर्कों को पूर्ण रूपेण अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जहां वर्तमान समय में बढ़ती मांग वा आपूर्ति में सामंजस्य स्थापित करना है वहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति भी सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमें बुनियादी शिक्षा व्यवस्था के हस्त शिल्प को छोड़कर वर्तमान वैज्ञानिक युग की मशीनरी का आश्रय लेना वांछनीय हो जाता है। परन्तु इसका आशय यह नहीं कि बुनियादी शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक है। वरन् इस समय हमारी शिक्षा प्रणाली अनेकों समस्याओं से जूझ रही है जिसके समाधान में यदि हम बुनियादी शिक्षा प्रणाली की कुछ विसंगतियों का मार्गान्तीरकण करके योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रयोग कराये तो इन समस्याओं के समाधान में यह प्रणाली मील का पत्थर साबित हो सकती है।

स्वतन्त्रता के बाद सरकारों द्वारा नियुक्त अनेक शिक्षा आयोगों, शिक्षा-विदों, शैक्षिक नीति निर्माताओं एवं प्रशासकों द्वारा शिक्षा की अनेक कमजोर कड़ियों के सुधार हेतु प्रयास किये गये परन्तु अमूमन कुछ मामलों को छोड़कर सुधार की पर्याप्त आवश्यकता आज भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

के अनुच्छेदों में लिखा गया है कि<sup>1</sup> “इस समय भारत में शिक्षा चौराहे पर खड़ी है न क्षैतिज विस्तार और न ही सुधार की वर्तमान गति और प्रकृति, अपेक्षाओं के अनुरूप है।” भारतीय शिक्षा के वर्तमान एवं भविष्य की दृष्टि से यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण एवं कष्ट का विषय है कि 30 वर्ष के पश्चात् भी उक्त कथन वर्तमान परिस्थिति में बहुत मायने में सही साबित होता है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था भी अनेकानेक समस्याओं के समाधान के प्रति दिशाहीन एवं दिग्भ्रमित सी प्रतीत होती है। इन समस्याओं के समाधान हेतु पुनः बुनियादी शिक्षा एक सशक्त विकल्प के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है इस प्रणाली की प्रासंगिकता को अद्योलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।

### **भारतीय शिक्षा की वर्णनात्मक प्रवृत्ति :-**

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षा व्यक्ति को विशिष्ट दिशा देने में असमर्थ सी हो रही है क्योंकि वह सिर्फ सूचनात्मक, पुस्तकीय एवं सैद्धान्तिक ज्ञान तक सीमित होती जा रही है। फलतः शिक्षक तथा शिक्षार्थी में ज्ञान की जिज्ञासा एवं अध्ययन-अध्यापन की प्रवृत्ति सुसुप्त सी हो गयी है। शिक्षक अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन होकर आधे-अधूरे मन से बालक के सम्मुख शिक्षक केन्द्रित (बालक निष्क्रिय) व्याख्यान प्रस्तुत करता है और यह व्याख्यान छात्रों को यान्त्रिक ढंग से कण्ठस्थ करने की ओर उन्मुख करता है। इस संदर्भ में पावलो फ्रेरे (1970) लिखते हैं कि<sup>2</sup> “स्थिति नाजुक तब होती है। जब शिक्षक, शिक्षार्थी को ‘पात्र’ या ‘बर्तन’ बना देता है जिन्हें शिक्षक द्वारा भरा जाना होता है।” यह प्रक्रिया एक दिशीय है जबकि आज शिक्षा में त्रिमुखी या बहुमुखी प्रक्रिया के द्वारा बालकों के सर्वांगीण विकास का समर्थन होता है। पावलो फ्रेरे ने शिक्षा के इस रोग के समाधान में स्वतन्त्रवादी पद्धति का समर्थन किया है, जो बुनियादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धान्तों में से एक है। गांधीजी लिखते हैं कि<sup>3</sup> “मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि अध्यापक बालक की सच्ची पाठ्य पुस्तक है।”

### **सार्वभौमिक मानवीय मूल्य एवं बुनियादी शिक्षा :-**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (कार्य-योजना-1992)<sup>4</sup> में सामाजिक एवं चारित्रिक मूल्यों के विकास करने के लिए शिक्षा को एक प्रभावपूर्ण अभिकरण बनाने की आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया गया है। जिनको पूरा करने के लिए एक केन्द्रीय योजना चलाई जा रही है जिसमें विभिन्न शिक्षा स्तरों पर सांस्कृतिक एवं नैतिक शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों, पंचायती राज संस्थाओं को शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। और इस

सहायता की सीमा 10 लाख रु है।” परन्तु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों का शिक्षा से सम्बन्ध विच्छेद होता जा रहा है। मूल्य विमुख शिक्षा से हमारी राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना, संस्कार, अनुशासन सभी प्रभावित हो रहे हैं।

बुनियादी शिक्षा दर्शन में जिस मूल्योंमुख शिक्षा प्रणाली के साथ सहसम्बन्धित किया गया है वह सामाजिक न्याय, शोषण विहीनता एवं मानतावादी मूल्यों पर आधारित है। इसके सम्यक् विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस योजना में शिक्षा एवं व्यक्ति के जीवन की गुणात्मकता को एक दूसरे का पर्याय माना गया है। यह शिक्षा प्रणाली स्वावलम्बी, सच्चरित्र, विनयशील, अहिंसक, शोषण विहीन, वर्गहीन जैसे मानवीय मूल्यों पर आधारित है। वर्तमान शिक्षा में इनके सफल प्रयोग से हमारे लिए नये संमार्ग का सृजन होगा।

### **बालश्रम एवं बुनियादी शिक्षा**

किसी भी देश की विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के स्वर्णिम भविष्य के लिए वर्तमान बच्चों औद्योगिक पूंजी है। परन्तु जब यही बच्चे 14 वर्ष से कम आयु अर्थात् जिस समय इन हीरों को तराशने का होता है ये अवैध श्रम शोषण का शिकार होते हैं तो इसे ‘बालश्रम’ की संज्ञा दी जाती है।<sup>5</sup> अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों की माने तो विश्व में तकरीबन 10 करोड़ बच्चे बालश्रम के शिकार हैं और हमारे लिए अत्यन्त खेद का विषय होना चाहिए कि इनमें 4 करोड़ 44 लाख सिर्फ भारत में हैं। जबकि श्रम मन्त्रालय के शब्दों में 5-14 वर्ष आयु वर्ग में प्रत्येक चौथा बच्चा बालश्रमिक है।<sup>6</sup> जब हम इस समस्या के कारणों पर मंथन करते हैं तो अनेक कारण सामने निकलकर आते हैं जिसमें गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक उदासीनता, राजनैतिक इच्छाशक्ति जनसंख्या एवं शिक्षा का रोजगार-परक न होना है।<sup>6</sup> ‘अन्तर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत में भी सर्वशिक्षा के मार्ग में बालश्रम सबसे बड़ी बाधा है।’<sup>7</sup> जबकि श्रम व रोजगार मन्त्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बालश्रम की समस्या के लिए प्रथम कारक गरीबी व निरक्षरता है तो वहीं शिक्षा का रोजगारपरक न होना द्वितीय बड़ा कारण है। जहां एक ओर शिक्षा शुल्क का भुगतान गरीब परिजनों के लिए दुष्कर है तो वहीं ये परिजन यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस शिक्षा में समय व पैसा बर्बाद होने के बावजूद, बेरोजगार ही रहना है तो इससे अच्छा है कि बच्चा कोई काम-धन्धा या हुनर सीख ले तो इससे कम से कम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जायेगा।

बालश्रम के कारणों के उपर्युक्त विश्लेषण से जो तथ्य सामने निकलकर आते हैं उनमें अधिकांश कारणों का निर्मूलन बुनियादी शिक्षा द्वारा सम्भव है। यदि वर्तमान शिक्षा को बुनियादी शिक्षा की भांति कि उद्योग या तकनीकी से जोड़कर कुशल प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उपलब्ध करायी जाय तो जिस सोच एवं समस्याओं के कारण बालश्रम को बढ़ावा मिल रहा है उस पर विराम लगेगा तथा इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के पुनर्प्रयोग से स्लेट (शिक्षा), प्लेट (बालश्रम) एवं पेट (गरीबी) के मध्य चलने वाली जंग की गति मन्द पड़ जायेगी।

#### वर्तमान डिग्री प्रधान शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा

वर्तमान शिक्षा चाहे वह सरकारी स्तर पर दी जा रही हो या गैर सरकारी स्तर पर कान्वेंट या पब्लिक स्कूल से सर्वत्र सतत् आन्तरिक मूल्यांकन की कमी दिखती है। यहाँ बच्चों का मूल्यांकन न होकर वार्षिक या अर्द्धवार्षिक मापन की असफल चेष्टा की जाती है और इसी आधार पर बच्चों को अंकपत्र या प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। जिससे शिक्षक, शिक्षार्थी तथा अभिभावक तीनों का सिर्फ एक सामान्य प्रयास होता है येन केन प्रकारेण चाहे सही तरीका हो या गलत परीक्षा में केवल उच्च अंक प्राप्त हो जाय। इसमें शिक्षक परीक्षापयोगी प्रश्न पढ़ाता है और छात्र उसे बिना समझे अमनोवैज्ञानिक ढंग से कण्ठस्थ कर लेता है। इस प्रक्रिया में यदि छात्र गलत तरीका अपनाकर उच्च उपलब्धि हासिल करता है तो वह ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक रूप से बेकार होता है तथा जो छात्र मेहनत करके कण्ठस्थ करके उच्च अंक हासिल करता है वह भी बहुत कम समय में सब कुछ भूलकर बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक रूप में अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाता और इस दोष पूर्ण शिक्षा प्रणाली का खामियाजा उस निर्दोष बालक को मिलता है।

मुंशी प्रेमचन्द्र डिग्री प्रधान शिक्षा का घोर विरोध करते हुए कर्मभूमि में लिखते हैं कि<sup>8</sup> "जीवन को सफल बनाने हेतु शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं हमारी डिग्री है— हमारा सेवा—भाव, हमारी नम्रता, हमारे जीवन की सफलता। और यह डिग्री नहीं मिली अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई तो कागज की डिग्री व्यर्थ है।" जिस डिग्री की आवश्यकता प्रेमचन्द्र इस लेख में बताते हैं इसी प्रकार का मूल्यांकन बुनियादी शिक्षा में प्रचलित है। वहाँ बच्चों के मूल्यांकन से तात्पर्य उनकी विषय वस्तु की समझ एवं इसके व्यावहारिक प्रयोग से है तथा इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि शिक्षा के द्वारा बालक आत्मनिर्भर हो। गांधीजी परीक्षा के संदर्भ में लिखते हैं कि<sup>9</sup> "विद्यार्थियों की प्रगति की जांच अवश्य होती रहेगी किन्तु पाठशाला के ही शिक्षकों के



मार्फत विद्यार्थियों के शिक्षण की सच्ची माप तो यह होगी कि पाठशाला से निकलने के बाद विद्यार्थी अपनी शक्ति का व्यवहार में कैसा उपयोग करता है।" इस प्रकार बेसिक शिक्षा योजना बालक के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन को महत्व देती है। जो मुल्यांकन की उत्कृष्ट विधि है। और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में प्रयोग करने योग्य है।

#### सर्वशिक्षा अभियान एवं बुनियादी शिक्षा :-

<sup>10</sup> शिक्षा के लिए जहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रु. का परिव्यय था, वहीं 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में यह राशि बढ़कर 2,69873 करोड़ हो गयी जिसमें 84.943 करोड़ रु. उच्च शिक्षा एवं 1,84,930 करोड़ रु. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए वितरित किए गए। 2001 से आरम्भ सर्व शिक्षा अभियान (SSA) प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए भारत के सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है।... देश की 11 लाख बस्तियों में अनुमानित 19.2 करोड़ बच्चों इसके अन्तर्गत आते हैं। परन्तु इस जनसंख्या की साक्षरता के लिए इतनी बड़ी धनराशि लगाने के बावजूद अभी भी केवल नामांकन तक अभियान सीमित है। कक्षा 8 पास करने बाद भी बच्चों की उपलब्धि संतोषजनक नहीं है।

बुनियादी शिक्षा बच्चों की साक्षरता के साथ ही साथ उन्हें किसी उद्यम में निपुण करती है। टी.एन. सिक्वेरा इसके महत्व को स्वीकार करते हुए लिखते कि<sup>11</sup> "वर्धा -योजना को भारत की निरक्षरता की महान समस्या का समाधान करने के लिए अब तक किए जाने वाले प्रयासों में सबसे साहसी और सम्पूर्ण माना जा सकता है।"

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रचलित शिक्षण विधि दोषपूर्ण है इसमें कक्षा में अधिकतर व्याख्यानों के माध्यम से शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है जो पूर्णरूपेण अमनोवैज्ञानिक होती है। इसमें बालक को कण्ठस्थ करने पर जोर दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा में उन्हीं विधियों को प्रयुक्त किया जाता है जिसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। इसमें जहाँ प्रश्नोत्तर क्षमता, बौद्धिक क्षमता, रूचि एवं भाषागत निपुणता को विकसित किया जाता है तो वही 'समवाय विधि' के प्रयोग से विभिन्न विषयों में तथा विभिन्न विषयों को किसी कार्य से सम्बन्धित करके पढ़ाया जाता है। इस प्रणाली में पुस्तकों के अतिप्रयोग से परहेज किया जाता है। डॉ० जाकिर हुसैन लिखते हैं कि<sup>12</sup> "मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कार्य केन्द्रित शिक्षा समर्थनीय है क्योंकि इससे बालक अमूर्त तथा सिद्धान्तीय विषयों के बोझ से बच जाता है।" वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यदि बेसिक शिक्षा की इन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाय तो शिक्षा

के अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इनके प्रयोगिक महत्व को समझते हुए 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF)-2005 के फोकस समूह लिखता है कि<sup>13</sup> "मुझे कुछ कहो और मैं भूल जाऊँगा। मुझे कुछ दिखाओ हो सकता है मैं याद न रखूँ। मुझे किसी कार्य में शामिल करें तो मैं उस कार्य को समझ जाऊँगा।" बुनियादी शिक्षा की शिक्षण विधियों के संदर्भ रायबर्न लिखता है कि<sup>14</sup>— "बुनियादी शिक्षा-शिक्षण विधि नहीं यह पाठ्यक्रम को निश्चित करने की विधि है। अध्यापक उन विधियों का प्रयोग करता है जो सर्वाधिक रोचक एवं प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं समस्त प्रगतिशील विधियों का बेसिक शिक्षा में स्थान एवं प्रयोग हो सकता है।"

### शैक्षिक गुणात्मकता में सुधार एवं बुनियादी शिक्षा:-

किसी भी उत्पाद की सफलता के लिए दो बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि निवेशित पूँजी के आधार पर उत्पादित माल की First Quality and second quantity क्या है। जब हम वर्तमान शिक्षा की दशा एवं दिशा पर ध्यान केन्द्रित करते हैं तो विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रतिफल स्वरूप साक्षरता में मात्रात्मक वृद्धि तो दिखती है परन्तु शिक्षा की गुणात्मकता पूर्णतया क्षीण होती जा रही है। इस संदर्भ में दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' का एक लेख प्रस्तुत है<sup>15</sup> "शिक्षा का अधिकार" का यह अधिनियम स्कूली शिक्षा और उसके भौतिक ढाँचे के अधिकार की गारंटी तो लेता है लेकिन उसके परिणामों की गारंटी नहीं लेता। एन.सी.ई.आर.टी. की एक रिपोर्ट चौकाने वाली है कि आठवीं तक पहुँच चुके अधिकांश छात्र भाषा व गणित में अत्यन्त खराब-प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण मात्र अभिभावक-शिक्षक उदासीनता एवं नीति-नियंताओं की दुषित मानसिकता है जिसमें साक्षरता के उच्च मानक को केवल छू लेने की इच्छा है। वर्तमान भारत में प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा महज संवैधानिक प्रतिबद्धता का निर्वहन मात्र रह गया है। प्रत्येक बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो जाय तथा प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने (अर्थात् कक्षा एक से आठ तक) किसी भी विद्यार्थी को बीच में रोकाने न जाय। इस प्रकार नामांकन से आठ वर्ष पश्चात् सत्ता एवं समाज द्वारा बालक को साक्षरता का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया गया। चाहे छात्र को अपने नाम के अतिरिक्त कुछ न आवें" जब हम अपने शिक्षण संस्थानों पर दृष्टिपात करते हैं तो जहाँ हमारे पाच्य विश्वविद्यालय विश्व में प्रथम स्थान रखते थे तो वहीं स्थिति इतनी दयनीय हो गयी की भारत का एक भी शिक्षण संस्थान विवि, विश्व के टॉप 100 की गुणवत्ता सूची में स्थान प्राप्त करने से वांचित रह गया।

जब हम इस समस्या के समाधान पर विचार करते हैं तो हम बेसिक शिक्षा दर्शन को मजबूत विकल्प स्वरूप पाते हैं। यदि हम प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित अभियानों, कार्यक्रमों, अधिनियमों को इस प्रणाली के माध्यम से स्वच्छ मंशा व प्रबल इच्छा शक्ति से लागू करते हैं तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हम अपने अभियान में न केवल सफल होंगे वरन् शिक्षा के विविध उद्देश्यों को मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों आयामों में सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं।

#### गरीबी-बेरोजगारी एवं बुनियादी शिक्षा :-

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षित युवा जब स्नातक या परास्नातक करके रोजगार की तलाश में निकलता है तो उसे अधिकांशतः निराशा हाथ लगती है जिससे इस समस्या के मूल से चोरी, हिंसा लूट, आवारागर्दी जैसी उपसमस्याएं जन्म लेती हैं। इस दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था से गरीबी-बेरोजगारी बढ़ती जाती है। बुनियादी शिक्षा की यह प्रमुख विशेषता है कि इसमें जब बालक शिक्षा ग्रहण करके निकलता है तो स्वरोजगार का सृजन कर लेता है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाता है। आचार्य विनोबा भावे लिखते हैं कि<sup>15</sup> “तालीम पा चुकने के बाद बालक अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बन जाये।” यहां पैरों पर खड़े होने का तात्पर्य बालक अपनी शिक्षा के पश्चात आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा।

उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी शिक्षा के द्वारा अनुशासन, शिक्षार्थी-शिक्षक सम्बन्ध, विद्यालय सामाज सम्बन्ध, मूल्य शिक्षा आदि विषयों में गुणात्मक सुधार सम्भव है।

#### निष्कर्ष-

बुनियादी शिक्षा के द्वारा गांधीजी ने न केवल शिक्षा को भारतीय बनाने का प्रयास किया अपितु उसमें सृजनात्मकता, बालकेन्द्रित, बालक का सर्वांगीण विकास, जनसाधारण की शिक्षा हस्तशिल्प का प्रयोग एवं स्वावलम्बी शिक्षा जैसे समाजोपयोगी एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों को जोड़कर शिक्षा व समाज के अन्तर्सम्बन्ध को मजबूत करने का प्रयास किया।

बुनियादी शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्यों को विस्तृत करके उसमें आर्थिक स्वावलम्बन, व्यावसायिकता, उत्तम नागरिकता, नैतिकता एवं सर्वोदय समाज के उत्थान को शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित किया गया है। और इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसमें व्यावहारिक गणित,

कला, संगीत, चित्रकला, शारीरिक शिक्षा गृहविज्ञान (केवल लड़कियों के लिए) को शामिल किया गया। तथा इनको किसी हस्तशिल्प के माध्यम से 'समावाय विधि' के द्वारा मातृभाषा के माध्यम दिया जाता है।

बेसिक शिक्षा की शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर विधि (मौखिक विधि के रूप में) के प्रयोग से छात्र को एक निष्क्रिय स्रोत के स्थान पर एक सक्रिय प्रश्नकर्ता एवं इसके उत्तरदाता के रूप में परिणत किया जाता है। इसके अतिरिक्त बुनियादी शिक्षा की शिक्षण विधियों में स्वयं करके सीखने (Learning by doing) अनुभव द्वारा सीखने (Learning by experience) के द्वारा अधिगम के लिए प्रेरित किया जाता है। शिक्षण को किसी हस्तशिल्प से जोड़कर पढ़ाने से बालक सक्रिय अनुसंधानकर्ता, प्रयोगकर्ता एवं निरीक्षणकर्ता की भांति व्यवहार करने लगता है। भारत के विभिन्न शिक्षा आयोगों ने भी शिक्षा को किसी भी व्यवसाय से जोड़ने का सुझाव दिया है।

बुनियादी शिक्षा प्रणाली में शिक्षक छात्र के साथ पुत्रवत व्यवहार करके उसे स्वतन्त्र रूप से सीखने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रणाली में दण्ड का कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही साथ किसी वाह्य परीक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि बालक के सत्त आन्तरिक मूल्यांकन पर बल दिया जाता है जिसका समर्थन सभी शिक्षा मनीषी करते हैं।

इस प्रक्रिया से शिक्षा की अपव्यय अवरोधन की समस्या से भी नीजात् मिल जाती है। इस योजना में छात्रों को स्वतन्त्र रूप से आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है जिससे अनुशासन की समस्या लगभग न के बराबर होती है। छात्रों को स्वानुशासन के लिए प्रेरित किया जाता है।

बेसिक शिक्षा की सर्वप्रधान विशेषता उसका 'उत्पादन का सिद्धान्त' है तथा इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप प्रदान करके, बालक को अपने भावी जीवन में निश्चित रूप से आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनाया जा सकता है। यह प्रणाली नौकरी खोजने वाली शिक्षा के स्थान पर मनुष्य बनाने वाली अर्थात् स्वावलम्बी, सच्चरित्र मानव बनाने वाली पद्धति है। यदि स्वरोजगार विषयों को पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के साथ सम्मिलित किया जाते तो गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान सम्भव हो

सकता है तथा व्यक्तिगत व स्थानीय सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ आपसी भेदभाव भी मिट सकेगा। राजकुमारी अमृत कौर लिखती है कि<sup>16</sup> “घर का बना कपड़ा मानव मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है और मिल का कपड़ा केवल भौतिक मूल्य का। ‘खादी’ की भावना विश्व में प्रत्येक मानव के साथ एक साथी की भावना रखना सीखाती है।’

बुनियादी शिक्षा प्रणाली बालक के मानसिक विकास पर ही केवल ध्यान नहीं देती है अपितु बालकों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास हेतु यह योजना यथेष्ट साधन है। यह शिक्षा योजना द्वारा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की वर्णनात्मक प्रवृत्ति, सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों का पतन, बालश्रम, डिग्री प्रधान शिक्षा, गरीबी व बेरोजगारी जैसी समस्याओं के समाधान हेतु एक उत्तम अभिकरण है। जिस प्रकार देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है वहां ‘नई तालीम’ की बात करना दुष्कर कार्य है परन्तु इन विपरित परिस्थितियों में महात्मा गांधी के सपनों के भारत का निर्माण करना है तो ‘नई तालीम’ नींव की ईंट साबित होगी। गुजरात में आज भी कई संगठन इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विनोबा आश्रम व सर्वोदय आश्रम में ‘नई तालीम’ के प्रयोग देखने को उपलब्ध है।

हालांकि बुनियादी शिक्षा अपने गुणों के कारण जहां देश-विदेश के अनेक शिक्षा मर्मज्ञों ने इसकी प्रशंसा की है वहीं बहुत से विद्वानों ने इस प्रणाली की विसंगतियों को उजागर करके इसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। वस्तुतः यदि इस शिक्षा का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है तो इसके सैद्धान्तिक स्वरूप व व्यावहारिक प्रयोग बहुत अन्तर है। इसका कारण इस प्रणाली में यथार्थता से परे काल्पनिक उद्देश्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ इसके प्रायोगिक स्तर पर गलत तरीकों, अप्रशिक्षित अध्यापकों के हाथों इसका दुरुप्रयोग, उत्पादकता पर अधिक बल, कच्चे मालों की बर्बादी, बालश्रम जैसी विसंगतियों का मार्गान्तीरकरण आवश्यक हो जाता है।

### सन्दर्भ

1. अनुज कुमार, (2010), ‘21वीं सदी में उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ ; भारतीय आधुनिक शिक्षा, N.C.E.R.T नई दिल्ली, वर्ष 31(1): p-76

2. देवेन्द्र सिंह (2010) पावलो फ्रेरे के शैक्षिक चिंतन के संदर्भ में भारतीय शैक्षिक परिदृश्य; भारतीय आधुनिक शिक्षा N.C.E.R.T. नई दिल्ली, 31 (1) ; p-120
3. एस.डी. पाण्डेय (2007) 'विश्व के कुछ प्रमुख शिक्षा मनीषी एवं शिक्षा-दर्शन, भवदीय प्रकाशन, फैजाबाद पृ0 347
4. वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ भारत, (2012), प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार,; p-317
5. उद्धृत कनक शर्मा, (2010) 'बालश्रम की सामाजिक समस्या शैक्षिक उद्बोधन, भारतीय आधुनिक शिक्षा N.C.E.R.T. नई दिल्ली, 31 (1), P. 60।
6. पूर्ववत्, p61
7. पूर्ववत्, p62
8. प्रेमचन्द्र, कर्मभूमि (2013), गुरुमंत्र प्रकाशन , बैंकरोड, गोरखपुर पृ0 85
9. उद्धृत सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय खण्ड सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार खण्ड -13, पृ0 335
10. वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ भारत (2012), प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, p- 289 ।
11. टी0एन0 सिक्वेरा द एजूकेशन ऑफ इण्डिया पृष्ठ 121-22।
12. एस.डी.पाण्डेय (2007) विश्व के कुछ प्रमुख शिक्षा मनीषी एवं शिक्षा दर्शन भवदीय प्रकाशन फैजाबाद पृ0 343।
13. N.C.F. 2005 उद्धृत 'हस्तशिल्पों की धरोहर,' भारतीय आधुनिक शिक्षा N.C.E.R.T नई दिल्ली, जुलाई 2010, p-26।
14. डब्ल्यू. एम. रायबर्न, द प्रोग्रेसिव स्कूल पृ0 263।
15. एन.के. सिंह, "शिक्षा के अधिकार से आगे.." हिन्दुस्तान (दैनिक समा0 पत्र, 4 अगस्त 2009)
16. बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा वर्धा परिषद, 1937 और जाकिर हुसैन समिति का विवरण, हिन्दुस्तानी तालीम संघ सेवाग्राम 1957 पृ. 38

**श्रवण कुमार सहायक आचार्य (बी.एड.)**  
**मीनू पाण्डेय शोध छात्रा (शिक्षाशास्त्र)**  
**नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।**

# Judicial Sensitivity towards the Women Crime and Delinquency - Swapnil Tripathi

---

## Introduction

In India cases filed by wife against husband and in-laws under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 and 498-A of the Indian Penal Code, 1860 to claim maintenance and divorce are increasing day by day but all complaints are not filed with *bona fide* intension. Freedoms of education, job opportunities, economic independence and social attitude have brought tremendous change in the status of women. Though it is the women who have always been subjected to be tortured and harassed by the husband and relatives, in fact saying this will not be proper as cases of torture and harassment against the husband by the wife is increasing day by day. Under Section 13 (1) (i-b) The Hindu Marriage Act, 1955 the concept of cruelty as a ground for divorce can be pleaded by either spouse, but the burden of proof lies on the spouse who is subject of cruelty.<sup>1</sup>

**Keywords:** Judicial Interpretation of Mental Cruelty Against Husband, Role of Female in Sex Scandal, Woman as an Abettor in Crime of Rape, As a Serial Killer, As a Murderer, female as Human Bomber, Barbarous Killings of Children by Females, Woman's Killing Own Child, Female as Criminal Conspirer, conclusion.

## Judicial Interpretation of Mental Cruelty Against Husband

Considering the misuse of those legislative provisions provided for security of women in society are in various cases misused as weapon to unleash personal vendetta on their husbands and innocent relatives and there are certain grounds on which cruelty against husband can be proved.

(i) Misuse of Dowry Laws, Domestic Violence Act and 'Sec: 498-A' of IPC by wife against husband and in-laws of husband through lodging false complaints

(ii) Desertion by wife

(iii) Adultery by the wife

(iv) Wife opting out for second marriage without applying for the divorce proceedings

(v) Threatening to leave husband's home and threat to commit suicide by the wife

(vi) Cruel behaviour

(vii) Refusing to cook food properly or on time and breaking of the mangalsutra in the presence of husband's relatives.

(viii) Abusing and accusing husband by way of insulting in presence of in-laws or before office staff members

(ix) Wife refusing to have physical relations with husband without any sufficient reasons

(x) Lowering reputation of the husband by using derogatory words in presence of family members and elders

(xi) Threatening to lodge false FIR against husband and in-laws,

(xii) Some other grounds of cruelty i.e. mental disorder and unsoundness of wife, Impotency of wife, illicit relationship of wife with some other person and initiating criminal proceedings against husband and in-laws of husband with mala-fide intention by the wife.

There are many instance in which the honourable judiciary has considered the different acts of a wife under the Hindu marriage Act held as 'cruel' to the husband.

**In the case of *Kalpana Vs. Surendranath***<sup>3</sup>, it has been observed that where a wife who refuses to prepare tea for the husband's friends and the frequent insults on various occasion was considered by the court as cruelty to husband.

**In the case of *Anil Bharadwaj Vs. Nimlesh Bharadwaj***<sup>4</sup>, The wife who refuses to have sexual intercourse with the husband without giving any reason was proved as sufficient ground which amounts to cruelty against husband.

**In the case of *Mrs. Deepalakshmi Saehia Zingade Vs. Sachi Ramesh Rao Zingade***<sup>5</sup>, The petitioner's wife filed a false case against her husband on the ground of 'Husband Having Girl Friend' which is proved as false in a court of law which was considered to be cruelty against husband. The cited cases are few instances to relay and confirm the changing trend of cruelty as a ground to claim for divorce with strong notion that it is used in specific cases and misused generally by spouse.

The act of mental cruelty in matrimonial homes, matrimonial violence and wife battering continues all over the world. Often the unwanted acts of mental cruelty prove to be much more devastating than the acts of physical violence. Mental cruelty can be inflicted by many ways. A false criminal case to harass the husband would be an act of cruelty. Refusal to have marital intercourse, false complaints to the employees by the wife, an act of nagging, false, scandalous, malicious and baseless charges etc. come under the purview of mental cruelty<sup>6</sup>.

**In the case of *KiranMandal Vs. Mohini Mandal***<sup>7</sup>, Where a wife is found to be of bad temperature and makes false allegations against her husband that he had illicit relations with his brother's wife. It amounted to an act of cruelty.

**In the case of *Harbhajan Singh Vs. Amarjit Kaur***<sup>8</sup>, The wife not only refused to do household work, but in the presence of guests, also forced the husband to clean the dining table, utensils and crockery. She even slapped the husband. She used to keep her husband waiting outside the house for half an hour or more on his return from the office. She went to the extent



of levelling false charges of embezzlement against her husband to the bank authorities, where he was employed.

**In the case of *Shanti Devi Vs. RaghavPrakash***<sup>9</sup> The wife made an allegation that her husband was impotent. She also put on fire the doctoral thesis of her husband, which was yet to be submitted. The husband was a lecturer in the college.

**In the case of *Ashok Kumar Vs. Vijay Lakshmi***<sup>10</sup> False allegations of the wife that an attempt by the husband was made to burn her amounts to cruelty.

**In the case of *State (Delhi Administration) Vs. Laxman Kumar***,<sup>11</sup> The appeals were filed by Delhi administration and other by Indian Federation of Women Lawyers came up before the SC of India against the judgement of Delhi HC acquitting the respondents. Laxman was married to Sudha and were living with Laxman's brother and their family. Shakuntala, the mother in law of the deceased used to visit frequently. One day, cries for help were heard from their house. On hearing the cries, neighbours rushed to the flat and found Sudha aflame. The neighbours extinguished the fire and she was taken to the hospital where she died the next day. Sudha made a categorical statement soon after the neighbours gathered near the flat, and while on her way to the hospital, pointed to her mother-in-law, as the killer, stating that she had set her on fire after pouring kerosene on her body. Sudha also indicated Laxman as having actually set her on fire after pouring kerosene. The trial court accepted the charge of murder and viewed that the appropriate punishment to be meted was death for this heinous crime. Accordingly all respondents were sentenced to death and referred the matter to High Court Delhi for confirmation of death sentence.

The respondents also challenged their conviction to the same High Court and High Court allowed the appeal and acquitted them from that charges to respondents. This was challenged before the Supreme Court of India and the honourable SC awarded life imprisonment to Shakuntala and Laxman, holding them responsible for killing Sudha by setting her on fire i.e. murder.

**In the case of *Regina Vs. Kiranjit Ahluwalia***,<sup>12</sup> In 1989 the appellant, after enduring many years of violence and humiliation from her husband, threw petrol in his bedroom and set it alight. Her husband sustained terrible burns and after lingering for six days he died. She was charged with his murder. At her trial she did not give evidence and no medical evidence was adduced on her behalf. The defence case was that she did not intend seriously to harm her husband, only to inflict some pain. Provocation was a second line of defence, reliance being placed upon the whole history of ill-treatment throughout the marriage, especially on the night in question. The defence sought a verdict of manslaughter, but the jury returned one of murder. On the defence of provocation the judge had directed the jury in accordance with the classic definition of provocation in *Duffy*<sup>13</sup> as conduct “**which would cause in any reasonable person and actually causes in the**

**accused, a sudden and temporary loss of self-control.”** She was convicted of murder and appealed on the ground, inter alia, that following the enactment of section 3 of the Homicide Act 1957 as explained in *D.P.P. v. Camplin*<sup>14</sup>, the Duffy direction was now wrong. Alternatively, that the defence of diminished responsibility, albeit not put forward at the trial, was open to the appellant on the facts of the case.

Back in September, 1992 Kiranjit Ahluwalia made news after she was released after serving three and a half years of a mandatory life sentence for murdering her husband, Deepak, whom she had drenched in petrol while he was sleeping and set alight. Her retaliation followed 10 years of systematic abuse, but what caused her to flip on that fateful evening was that he had pressed a hot iron against her, the scars of which she still bears. Kiranjit was released by Appeal Court judges on ground of "**diminished responsibility**".

#### **Role of Female in Sex Scandal**

**In Kozhikode Ice-cream Parlour case (1997):** The scandal had rocked the State in 1997 with prosecution alleging that one Shreedevi was running a brothel from an ice-cream parlour. It was alleged that the lady used to supply girls to various influential people, including politicians. The complainant K. Ajitha had submitted in her petition that though there were 51 prosecution witnesses in the case, all others except her had turned hostile as the accused were influential and used money and muscle power to coerce them. The trial court had acquitted all the accused without appreciating the facts; and the High Court also upheld the acquittal without bothering to examine as to why such a large number of witnesses turned hostile. The Supreme Court too however, dismissed the case when it came on appeal. The accused in the case included former Mayors of the Kozhikode.

The present case holds its importance for being the only celebrated case in which the question whether a lady may be prosecuted for gang rape has been taken up. It is an appeal filed against the decision of the High court of Madhya Pradesh. The rationale given by the High court was that though a woman could not commit rape, but if a woman facilitated the act of rape, she could be prosecuted for gang rape.

#### **Woman as an Abettor in Crime of Rape:**

**In the case of Priya Payel Vs. State of Madhya Pradesh**<sup>15</sup> The facts of the present matter were that the prosecutrix was returning by Utkal Express after attending a sports meet. When she reached her destination at Sagar, accused Bhanu Pratap Patel (husband of the accused appellant) met her at the railway station and told her that her father has asked him to pick her up from the railway station. Since the prosecutrix was suffering from fever, she accompanied accused Bhanu Pratap Patel to his house. He committed rape on her. When commission of rape was going on, his wife, the present appellant reached there. The prosecutrix requested the appellant to save her. Instead of saving her, the appellant slapped her, closed the door of the house and left place of incident. On the basis of the complaint lodged,

investigation was undertaken and charge-sheet was filed. While accused Bhanu Pratap Patel was charged for offences punishable under Sections 323<sup>16</sup> and 376<sup>17</sup> Indian Penal Code, 1860 the appellant was charged for commission of offences punishable under Sections 323 and 376(2) (g)<sup>18</sup> of The Indian Penal Code, 1860. The revision filed before the High Court questioned legality of the charge framed so far as the appellant is concerned, relating to Section 376(2) (g) of The Indian Penal Code, 1860. It was contended that a woman may not be charged for commission of offence of rape. The High Court was of the view that though a woman may not commit rape, but if a woman facilitates the act of rape, Explanation-I to Section 376(2) comes into operation and she may be prosecuted for gang rape.

The Supreme Court, apparently, had a different view. The present appeal was allowed. The apex court held that, after a reading of Section 375 of The Indian Penal Code, 1860, rape may be committed only by man. The explanation to Section 376 (2) merely indicates that when one or more persons act in furtherance of their common intention to rape a woman, each person of the group must be deemed to have committed gang rape. The rule is based on the principle of common intention as provided in section 34 of The Indian Penal Code, 1860. Common Intention denotes acts done in postulation as per a pre arranged plan or in pursuance of prior meeting of minds. When this section is applied to section 376 (2) (g), it may require fulfilment of the common intention which in such a case may be common intention to rape. Since such intention may not exist with a woman, as given in the definition, a woman may not be held liable for gang rape as well. A contention was raised by the counsel of the state that the woman may be held liable for Abetment as under section 108<sup>19</sup> of The Indian Penal Code, 1860. The court on this said that such contention should have been raised in the trial court or in High Court, but it may not be done here.

A person who instigates a crime or assists in its pursuance may be held liable for Abetment of crime. Even in the present matter if it may have been taken up, then appellant may have been convicted on the charge of abetment of rape but then a new issue may have come up. This may have led to a discrimination on basis of sex with a man is deemed to have common intention and therefore must be held liable for rape but on the other hand a woman, doing the same act as the man was, might be liable for abetting the crime. This being on the grounds of the fact that it is conceptually inconceivable, as in accordance with the meaning of the word rape, as given in Section 375 of The Indian Penal Code, 1860.

#### **As a Serial Killer**

**In the case of Real name: K. D. Kempanna** Classification: Serial killer, Characteristics: Poisoner– Robberies, Number of victims:6, Date of murder: 1999 – 2007, Date of arrest: December 31, 2007, Date of birth: 1965, Victim profile: Women, Method of murder: Poisoning (cyanide), Location: Bangalore, Karnataka, India, Status: Sentenced to death on April 1, 2012., Reduced to life imprisonment on August 2, 2012.<sup>20</sup>

The Karnataka High Court reduced the death sentence awarded to a woman serial killer by a fast track court to life imprisonment. A division bench headed by **Justice DV Shylendra Kumar** reduced the sentence on a criminal appeal filed by Mallika challenging the order awarded by the court at Tumkur on March 24, 2009. It is a normal practice that any death sentence would have to be confirmed by the high court. The court also imposed a fine of Rs. 10,000 on Mallika and in case of default, to undergo rigorous imprisonment for one year. Observing that though there was circumstantial evidence, there was no direct proof against her and though she had committed murders for gain, it does not come under the category of "rarest of rare cases to be accorded death sentence", the court modifying the order. Mallika, who had several aliases such as Lakshmi, Jayamma, Savithamma, Shivamogga Kempamma was awarded death penalty for murdering an elderly women. 47-year-old Mallika poisoned six women to death in the past decade. She used to loiter around temples and pick up her victims from among female devotees<sup>21</sup>.

She was arrested by Bangalore city police on December 31, 2007 on a tip off. She revealed startling details of the murders she had committed during questioning. Out of the five murders, including one committed in Tamil Nadu, four were registered as mysterious. The modus operandi of Mallika was that she used to pose herself as a pious lady, well acquainted with religious rituals. She used to befriend women devotees, belonging to rich family background who was frequenting the temples. She would gain their confidence by recommending rituals to overcome their bad times. She would say that a particular ritual should be done by her at a temple. The venue was chosen with care to ensure that it was far from the victim's place. She then would mix cyanide in their food and then decamp with their valuables.<sup>22</sup>

**As a Murderer:**

Classification: Murderer, Characteristics: Robbery, Number of victims: 3, Date of murders: June 19, 2011, Date of birth: 1990, Victims profile: Three members of the Deshpande family Ashlesha Deshpande (21), her mother Megha (42) and grandmother Rohini Phadke (70), Method of murder: Shooting Stabbing with knife, Location: Indore, Madhya Pradesh, India, Status: Sentenced to death on December 13, 2013, Woman, two others sentenced to death for triple murder<sup>23</sup>.

Two and half year after the sensational triple murder in a posh Indore locality, three accused, including a woman were awarded death sentence by the district court. Three generations of the Deshpande family all women were wiped out by the killers on June 19, 2011. It was the first time a woman was given capital punishment by the Indore district court and another precedent was set by the single court by awarding death to three people in the same case. Judge D N Mishra on Friday held Neha Verma, 23, Rahul Choudhary 24, and Manoj Atodh 32, guilty of murdering three members of the Deshpande family Ashlesha Deshpande (21), her mother Megha (42) and

grandmother Rohini Phadke (70). The trio was convicted for murder, dacoity and trespass.<sup>24</sup>

Neha Verma, a beautician, had plotted the robbery and entered the Deshpande residence by befriending the mother, Megha, after requesting her for a job. Megha fell into the trap and allowed Neha entry while discussing household issues. Later, Neha took two of her accomplices Rahul and Manoj into the Deshpande home and ruthlessly killed the women after opening fire. They decamped with a booty of Rs 1.5 lakh in cash, ornaments worth Rs. 5 lakh and two ATM cards.<sup>25</sup>

The court in its order observed that convicts do not deserve mercy as they have committed a gruesome crime in which they not only fired bullets, but also stabbed the women multiple times. Referring to the Supreme Court judgment in case of *Machhi Singh Vs. State of Punjab*<sup>26</sup>, the court observed that the case come under a rarest of rare case in which three helpless women of three generations were murdered for quick money. Within a few days of the incident, all three accused were arrested and a pistol, two knives booty and two ATM cards were seized. Police got an early lead after they learnt that Rahul, who accidentally fired at his foot while committing the crime, got himself admitted to a local hospital.

**female as Human Bomber:**

**In the case of State CBI/ SIT Vs. Nalini & Others**<sup>27</sup>, On the night of 21 May 1991 a diabolic crime was committed. It stunned the whole nation. Rajiv Gandhi, former Prime Minister of India, was assassinated by a human bomb in Tamilnadu. Assassin Dhanu, an LTTE (**Liberation Tigers of Tamil Elam**) activist, who detonated the belt bomb concealed under her waist and Hari babu, a photographer (and also a conspirator) engaged to take photographs of the horrific sight, also died in the blast. A camera was found intact on his body at the scene of crime. The film in the camera when developed led to unfolding of the dastardly attacks committed by the accused and others. A charge of conspiracy for offences under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987; Indian Penal Code, 1860; Explosive substances Act 1908; Arms Act 1959; Passport Act 1967; Foreigners Act 1946; Indian wireless Telegraphy Act 1933; was laid against 41 persons, 12 of whom were already dead and 3 absconded.<sup>28</sup>

All were awarded death sentence on the charge of conspiracy to murder under Section 120B<sup>29</sup> read with Section 302<sup>30</sup> Indian Penal Code, 1860 and various other minor offences. Nalini along with the deceased accused Sivarasan, Dhanu and Shubha met Haribabu, met at a bus stand and proceeded to the venue of the public meeting on 21st May 1991. Nalini provided cover to Dhanu and Shubha and when Rajiv Gandhi arrived, Dhanu gained access near him and while in close proximity to him, she detonated the explosive device kept concealed in her waist belt, resulting in the blast. The apex court by an unanimous verdict confirmed death sentence against Santhan, Murugan and Arivu. As regards the extreme penalty of death to Nalini was concerned it was confirmed by majority of 2:1 (JJ., Wadhwa and

Quadri concurred). J Thomas commuted sentence of death to life imprisonment.

**Barbarous Killings of Children by Females:**

**In the case of *Renuka Bai v Rinku, Ratan and Anr. Vs. State of Maharashtra*,**<sup>31</sup> The S.C. on 1 September 2006, in one of its historic judgements, upheld death penalty to two sisters, Renuka and Seema, who had horrified Maharashtra by describing them as a menace to society. The facts of the case were horrifying. Nine of 13 children in the age group between nine months and two and a half years in Sholapur and Nasik districts of Maharashtra, had been kidnapped from time to time either from school or market during 1990-1996 and killed by the accused. The accused, with a perfect accomplice in their mother Anajanabai, and husband KiranShinde had made chain and purse snatching as their profession. Anjanabai died before trial and Shinde got pardon on turning approver.<sup>32</sup>

The trial court of Kolhapur found the sisters, guilty of murdering six children and awarded death sentence to them and Bombay HC confirmed their sentence. The appellants were not committing these crimes under any compulsion but they took it very casually and killed all the children, least bothering about their lives or agony of their parents.

**Woman's Killing Own Child**

**In the case of *Manju Vs. State***<sup>33</sup>, An appeal filed before the High Court of Delhi, where the appellant was admitted at the maternity ward of Lady Harding Medical College and was blessed with a baby girl at around 12:10 noon on 24.8.2007 is a fact which is not in dispute and has been deposed to by Smt. Shakuntala Arora PW1 posted as an Assistant Nursing Superintendent at the Maternity Ward on 24.8.2007. That the appellant was removed from the labour room to the ward and custody of the new born baby girl was entrusted to the appellant at around 4:30 PM is a fact deposed to by Bindu George PW8, posted as a staff nurse in the maternity ward on 24.8.2007. That at around 6:30 PM a panic situation came into existence concerning the appellant and her baby has been deposed to by Sangeeta Rani PW9, another staff nurse posted at the maternity ward. We reproduce through the mouth of Sangeeta Rani as to what the panic situation was. At around 6 pm which is the usual time to give medicine to mothers, PNC case, in the present case I saw accused Manju holding baby in a normal and healthy condition. At around 6:30 pm while we staff nurses Bindu and Salikutty were busy in making arrangements in the labour room for next delivery and where labour room is just adjoined PNC, we were called by doctor intern on duty called us by giving a call "**sisters Jaldi Aao Bacha sick**". PNC intern had picked up the baby of accused Manju and we all tried to resuscitate baby. We also called senior Resident Dr. Nidhi through a student nurse. As pointed out by the doctor myself and other staff nurses saw there were marks a kind of red and bluish on the neck as well as on the nose of that victim baby. Doctor Nidhi found that baby was no more alive and police was informed."

The police was informed and the investigating officer seized the dead body of the baby girl and after filling up the inquest papers sent the same for post-mortem to the mortuary of the hospital where Dr. Abhishek Yadav PW16 conducted the post-mortem of the baby girl in the morning hours and opined that the cause of death was asphyxia due to ante mortem manual strangulation (throttling along with smothering). It means that the appellant has committed the offence of female infanticide i.e. has murdered her own baby.

The Supreme Court exercises jurisdiction under the shadow of "Truth alone I uphold" In other words our jurisdiction relates to Nitii i.e. policy and the jurisdiction of the Supreme Court relates to Nyaya i.e. justice and hence the Supreme Court alone is vested with the power of complete justice by virtue of Article 142 of the Constitution of India and that we cannot follow as precedent decisions from the Supreme Court where recommendations were made to the executive to exercise the mercy jurisdiction of the State to pardon. But for record we note that in the decision reported as *Ediga Anamma Vs. State of A.P.*<sup>34</sup>, where the murderer was a young unmarried woman suffering from socioeconomic compulsions and general social pressures had actuated the crime, it was held that these warrant judicial notice. In the decision reported as *Ram Shankar v. State of M.P.*<sup>35</sup>, with reference to facts attracting clemency the Supreme Court recommended to the State to remit or reduce the sentence. In the decision reported as in *Kethankamani Vs. State of Kerala*<sup>36</sup> noting Rule 131 of the Criminal Rules of Practice, Kerala 1982<sup>37</sup> the Supreme Court recommended to the Government to consider the matter of remission of sentence upon the appellant therein.

No such rules have been framed by the appropriate Government in charge of the administration of criminal justice in the Union Territory of Delhi and we thus recommend to the Government of NCT Delhi to consider framing rules on the lines of the rules framed in the State of Kerala at least pertaining to women convicted for the murder of their infant children.

We conclude by dismissing the appeal but while so doing direct the Registrar of this Court to send a copy of this decision to the Secretary Law & Justice, Govt. of NCT Delhi with a covering letter drawing the attention to the learned Secretary, Law & Justice, Govt. of NCT Delhi to place the decision before the appropriate authority drawing attention to the facts of the instant case and our observations in above and decide whether appropriate rules need to be framed and if the rules are framed to place the matter before the appropriate authority as per the rules to decide whether the sentence of imprisonment for life inflicted upon the appellant can be reduced or whether she can be pardoned. If such a decision has to be taken the authority concerned would take into consideration that the appellant is an illiterate lady who comes from a poor socio economic background, she saw no youth being married at the age of 15 years. Her thinking and rationale could not develop as is expected in a democratic society as she got no education.

It was declared by the **Pradeep Nandraj** and **Suresh Kait JJ.** of High Court of Delhi, Before concluding we reiterate that our recommendations are not to be treated as a mandamus. We clarify that our concern for compassion for the appellant is not that it is acceptable to us that female infanticide is not a serious offence. Indeed, it is a serious offence and a culprit needs no compassion, except upon proof that the culprit was herself a victim of the product of the society due to her illiteracy, poverty and social deprivation.

**Female as Criminal Conspirer:**

**In the case of State (NCT of Delhi) Vs. Parwati Kanta and others,**<sup>38</sup> Jeepu, her sister Parwati Kanta, Parwati's son Jitender Kallu and Parwati's brothers-in-law Sanjay and Dhanpal Dhane were charged for having entered into a criminal conspiracy to murder Sandeep and to have given effect to the conspiracy by murdering Sandeep in the intervening night of June 04, 2010 and June 05, 2010, at around 12 midnight to 1:00 hours. Vide judgment dated May 28, 2014, Sanjay, Dhanpal and Jitender have been acquitted of both charges framed against them. Parwati and Jeepu have been acquitted of the charge of entering into a criminal conspiracy but have been convicted for the offence of culpable homicide not amounting to murder punishable under Sections 304<sup>39</sup> and 34<sup>40</sup> Indian Penal Code, 1860 for the death of Sandeep and vide order on sentence dated May 31, 2014, the two have been sentenced to undergo rigorous imprisonment for eight years and pay fine in sum of `15,000/- and in default of payment of fine to undergo simple imprisonment for two months.<sup>41</sup>

Jeepu and her sister Parwati challenge their conviction and the sentence imposed as a consequence thereof. Jeepu is the appellant of CrI.A.No.1135/2014. Parwati is the appellant of CrI.A.No.1133/2014. Kamlesh, the mother of Sandeep, is aggrieved by the fact that Sanjay, Dhanpal and Jitender have been acquitted. She has exercised her right under the proviso to Section 372<sup>42</sup> of the Criminal Procedure Code, 1973, as a victim of the crime, by filing CrI.A.No.1123/2014. Vide CrI.A.No.1416/2014 the State seeks enhancement of the sentence imposed upon Parwati and Jeepu, praying that the maximum sentence for the offence punishable under Section 304-II IPC i.e. ten years' imprisonment should be imposed upon them. Obtaining leave to appeal resulting in CrI.A.No.1685/2014 being registered, the State seeks conviction of all five accused for the offence of entering into a criminal conspiracy to murder Sandeep and for the offence of murdering Sandeep.<sup>43</sup>

**Conclusion**

So, woman involves in crime, it has been proved by the judicial response. But women are lesser criminal rather than men. Because they have less opportunity to participate as men at every place. In India cases filed by wife against husband and in-laws under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 and 498-A of the Indian Penal Code, 1860 to claim maintenance and divorce are increasing day by day but all complaints



are not filed with *bona fide* intension. Freedoms of education, job opportunities, economic independence and social attitude have brought tremendous change in the status of women. Though it is the women who have always been subjected to be tortured and harassed by the husband and relatives, in fact saying this will not be proper as cases of torture and harassment against the husband by the wife is increasing day by day.

### Reference

1. Sec.13(1) (i-a) of the Hindu Marries Act provided that any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this Act, may, on the petition presented by either the husband or the wife, be dissolve by a decree of divorce on the ground that the other party- has, after the solemnization of the marriage, treated the petitioner with cruelty.
2. Dr.Pawar, "Mental Cruelty' A Mechanism for Divorce: An Analysis of Judicial Interpretation by Anand Pawar",Rosturm's law Review vol.2.
3. AIR 1985 All. H.C. 253
4. AIR 1987 Del H. C. 111
5. AIR 2010 Bom. H.C. 16
6. SandhyaSrinivas,"Cruelty", 01 April 2011.
7. AIR 1989 Pb.& Haryana H.C. 310
8. AIR 1986 M.P. H.C. 41
9. AIR 1986 Raj 13
10. AIR 1992 Del. H.C. 182
11. AIR 1986 SC250, 1985 SCR Supl. (2) 898, 1985SCC (4) 476, 1985 SCALE (2) 701
12. (1993) 96 Cr. App. R. 133
13. [1949] 1 All E.R. 932
14. (1978) 67 Cr.App.R. 14
15. AIR 2006 SC 2639
16. Section 323 of IPC, Punishment for voluntarily causing hurt- Whoever, except in the case provided for by section 334,voluntarily causes hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
17. 376. Punishment for rape.—
  - (1) Whoever, except in the cases provided for by sub-section (2), commits rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than seven years but which may be for life or for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine unless the women raped is his own wife and is not under twelve years of age, in which cases, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine or with both: Provided that the court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than seven years.
  - (2) Whoever,—
    - (a) being a police officer commits rape—
      - (i) within the limits of the police station to which he is ap-pointed; or
      - (ii) in the premises of any station house whether or not situated in the police station to which he is appointed; or

- (iii) on a woman in his custody or in the custody of a police officer subordinate to him; or
- (b) being a public servant, takes advantage of his official position and commits rape on a woman in his custody as such public servant or in the custody of a public servant subordinate to him; or
- (c) being on the management or on the staff of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force or of a woman's or children's institution takes advantage of his official position and commits rape on any inmate of such jail, remand home, place or institution; or
- (d) being on the management or on the staff of a hospital, takes advantage of his official position and commits rape on a woman in that hospital; or
- (e) commits rape on a woman knowing her to be pregnant; or
- (f) commits rape on a woman when she is under twelve years of age; or
- (g) commits gang rape, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may be for life and shall also be liable to fine: Provided that the Court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment of either description for a term of less than ten years. Explanation 1.—where a woman is raped by one or more in a group of persons acting in furtherance of their common intention, each of the persons shall be deemed to have committed gang rape within the meaning of this sub-section. Explanation 2.—“Women's or children's institution” means an institution, whether called an orphanage or a home for neglected woman or children or a widows' home or by any other name, which is established and maintained for the reception and care of woman or children. Explanation 3.—“Hospital” means the precincts of the hospital and includes the precincts of any institution for the reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring medical attention or rehabilitation.]

18. Section 376(2)(g) in The Indian Penal Code, 1860, whoever- commits gang rape, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may be for life and shall also be liable to fine: Provided that the Court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment of either description for a term of less than ten years. Explanation 1.—Where a woman is raped by one or more in a group of persons acting in furtherance of their common intention, each of the persons shall be deemed to have committed gang rape within the meaning of this sub-section. Explanation 2.—“Women's or children's institution” means an institution, whether called an orphanage or a home for neglected woman or children or a widows' home or by any other name, which is established and maintained for the reception and care of woman or children. Explanation 3.—“Hospital” means the precincts of the hospital and includes the precincts of any institution for the reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring medical attention or rehabilitation. **W.e.f. Section 376-D of the Criminal Amendment Act, 2013**, provision for gang rape is-376D. Where a woman is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

19. Sec.108 IPC, Abettor.—A person abets an offence, who abets either the commission of an offence, or the commission of an act which would be an offence, if committed by a person capable by law of committing an offence with the same intention or knowledge as that of the abettor. Explanation 1.—The abetment of the illegal omission of an act may amount to an offence although the abettor may not himself be bound to do that act. Explanation 2.—To constitute the offence of abetment it is not necessary that the act abetted should be committed, or that the effect requisite to constitute the offence should be caused.

20. <http://murderpedia.org/female.M/m/mallika.htm>

21. [Http://www.ndtv.com..malika-se-ri-al-killer.htm](http://www.ndtv.com..malika-se-ri-al-killer.htm)(accessed on30/03/2015,9:25am)

22. *id*

23. *Supra note.17*

24. *id*

25. *id*

26. AIR 1983 SC 957

27 AIR 199 SC 2460

28 P.K. Das,*Famous Murder Trials*,ed.1<sup>st</sup>2007, Pub.universal law publishing Co. New Delhi,p.45

29. Sec.120B of IPC, Punishment of criminal conspiracy.—

(1) Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, 2[imprisonment for life] or rigorous imprisonment for a term of two years or upwards, shall, where no express provision is made in this Code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offence.

(2) Whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding six months, or with fine or with both.

30. Sec.302 of IPC,Punishment for murder.—Whoever commits murder shall be punished with death, or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

31. AIR 2006 SC 3056

32. *Supra note.26,p.56*

33. (2010 CrLJ. 2370)

34. AIR 1974 SC 799

35. AIR 1981 SC 644

36. 1999 CrL. LJ 487

37. Rule 131 of the Criminal Rules of Practice, Kerala 1982 reads as under:"Reference to Government in case of infanticide: In all cases where women are convicted for the murder of their infant children, a reference shall be made through the High Court to the Government with an expression by the Sessions Judge of his opinion as to the propriety or otherwise of reducing the sentence, every such reference shall be accompanied by copies of the material papers of the record."

38. (2014 CLR Del H.C.1685)

39. Sec. 304 of IPC, Punishment for culpable homicide not amounting to murder.—Whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished

with 1[imprisonment for life], or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, or of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, or with fine, or with both, if the act is done with the knowledge that it is likely to cause death, but without any intention to cause death, or to cause such bodily injury as is likely to cause death.

40. Sec.34of IPC, Acts done by several persons in furtherance of common intention.—When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone.

41.<http://indiankanoon.org/doc/1279834> (accessed on 25/03/2015,1:23pm)

42. Sec.372of the Cr.P.C, No appeal to lie unless otherwise provided -No appeal shall lie from any judgment or order of a Criminal Court except as provided for by this Code or by any other law for the time being in force.

Provided that the victim shall have a right to prefer an appeal against any order passed by the Court acquitting the accused or convicting for a lesser offence or imposing inadequate compensation, and such appeal shall lie to the Court to which an appeal ordinarily lies against the order of conviction of such Court.

43. *Supra note.37*

**Swapnil Tripathi**  
**Assistant Professor, Department Of Law**  
**Nehru Gram Bharti (Deemed To Be University), Allahabad.**